(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 4] सप्तम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का 20 वां दिवस [संख्या 13]

बृहस्पतिवार

दिनांक 11 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : 312।

श्री अध्यक्ष : नाम पुकारने दीजिये। श्री यदुनाथसिंह ।

राजकीय एवं निजी क्षेत्र में पूंजी विनियोजन

312. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) राज्य में वर्ष 1981-82 में कुल कितनी पूंजी का विनियोजन सरकारी क्षेत्र में हो रहा है ?

(2) क्या सरकार 1981-82 में प्राइवेट क्षेत्र में हो रहे पूंजी विनियोजन के आंकड़े देने की स्थिति में है ? यदि हां, तो कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) दोनों में उत्पादक व अनुत्पादक विनियोजन की राशि व मात्रा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री चन्दन मल बैद) : (1) सरकारी प्रतिष्ठानों (कम्पनियों एवं निगमों आदि) में वर्ष 1981-82 में संशोधित आय-व्ययक अनुमानों के अनुसार 1036.27 लाख रु. विनियोजन होने की सम्भावना है ।

(2) जी नहीं। यह आंकड़े उद्योग विभाग से सम्बन्धित हैं ।

(3) सरकारी क्षेत्र में विनियोजन मुख्यतया उत्पादक है । निजी क्षेत्र की जानकारी देना सम्भव नहीं है ।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, दूसरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि ये आंकड़े उद्योग विभाग से सम्बन्धित हैं । मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री महोदय के पास विनियोजन का पूर्ण विवरण होता है, इसलिए उनको उसी ढंग से उत्तर देना चाहिये ।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, आंकड़े तो वित्त मंत्री के पास सभी विभागों के होते हैं। अलग-अलग डिपार्टमेंट ही

(श्री चन्दनमल बैद)
इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस वास्ते मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न को उद्योग विभाग को स्थानान्तरित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आपको पहले ही प्रश्न इस ढंग से पूछना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर (भरतपुर): मैं जानना चाहूंगा, जितना विनियोजन किया गया है, उसमें रिटर्न कितना है ?

श्री चन्दनमल बैद : अभी तक जो रिटर्न है वह 1.82 पर्सेन्ट है।

श्री राजबहादुर : Are you satisfied ?

श्री चन्दनमल बैद : सेटिस्फाई होने का सवाल नहीं है, क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब मैंने दिया है। मैं तो 20 पर्सेन्ट पर भी सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं तो बड़ा डिस्सेटिस्फाइड पर्सन हूं।

श्री हरीश शर्मा (राम गंजमण्डी) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय के पास सभी विभागों के आंकड़े होते हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। यह टाल कैसे रहे हैं ?

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने निश्चित प्रश्न पूछा है और मंत्री महोदय ने गोलमाल जवाब दिया है। 1.82 पर्सेन्ट की असली रकम क्या है ? तीसरे भाग में मैंने पूछा है कितनी राशि है और क्या पर्सेन्टेज है ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने कहा था 1.82 पर्सेन्ट, इसकी पूरी रकम है 107 लाख 14 हजार।

प्रश्न संख्या 313

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री अमीन खां।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्रीमती विद्या पाठक।

देवस्थान की भूमि पर अतिक्रमण

314. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में देवस्थान की भूमि पर अतिक्रमण व अवैध निर्माणों की अनेक शिकायतें राज्य सरकार को वर्ष 1980-81 और 1981-82 में प्राप्त हुई व हो रही हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उनके राजस्व रिकार्ड में हेरा-फेरी की भी अनेक शिकायतें उक्त अवधि में प्राप्त हुई हैं ?

(3) यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस विषय में नीतिगत क्या कदम उठाये ?

राज्य मंत्री, देवस्थान (श्री घासीराम यादव) : (1) जी, हां। इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं।

(श्री घासी राम यादव)

(2) जी हां । विभागीय स्तर पर सर्वेक्षण एवं जांच के पश्चात कुछ मामले प्रकाश में आये हैं ।

(3)1) मन्दिरों की कृषि भूमि के अवैध हस्तान्तरणों व नामान्तरकरणों को निरस्त कर भूमि के वापस मूर्ति के नाम अंकित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जिलाधीशों को भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये जा चुके हैं तथा तदनुसार कार्यवाही भी की जा रही है ।

2) ऐसे पुराने कब्जों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति प्राप्त कर नियमित करने के भी निर्देश दिये जा रहे हैं ।

3) राजकीय मन्दिरों की अचल सम्पदा जैसे मकान, दुकान, रिक्त भूमि आदि पर हुए अतिक्रमणों के सम्बन्ध में सम्पदा अधिकारी के यहां नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही भी की जाती है ।

श्रीमती विद्या पाठक : मंत्री महोदय, मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा था, 80-81 और 81-82 में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और आपने जवाब दिया है कि शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं । माननीय मंत्री महोदय, वार्षिक प्रतिवेदन भी यदि आपने पढ़ा होगा, उसमें भी आंकड़े देखे होंगे. आपने केवल यह कह दिया कि आदेश देते रहते हैं । आप यह बताने की कृपा करें उन पर क्या कार्यवाही हुई ? यह अपेक्षित है या नहीं ? अदालतों में कितने केसेज चल रहे हैं, कितने सरकार के स्तर पर चल रहे हैं ? ऐसे कितने मामले हैं जिनमें स्टे दिया हुआ है, उन पर क्या कार्यवाही हुई ? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टे है, कोई कोर्ट का स्टे नहीं है । कुछ तो बतायें ।

श्री घासीराम यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि देवस्थान कमिश्नर के यहां और स्टेट कमिश्नर के यहां शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, जिलाधीशों को भी सर्कूलर भेज कर आदेश दिये गये हैं कि जहां कहीं इस तरह का गलत हस्तान्तरण हुआ है उसकी जांच की जाय । सारे जिलाधीशों को कई बार परिपत्र भेजे जा चुके हैं । हमारे यहां पर 4578 मामले पकड़े गये जो विचाराधीन हैं और बहुत से मामले रेवेन्यू बोर्ड को भी भेजे जा चुके हैं उन पर फैसले भी हो गये है । उनके सम्बन्ध में रेवेन्यू बोर्ड ने कलेक्टर्स को वापस भेजकर कहा है कि उनको मूर्ति के नाम किया जाय । 193 मामले पकड़े हैं जो कलेक्टर्स के नोटिस में भी लाये गये हैं । ऐसी भूमि, जो नान-एग्रीकल्चरल लैण्ड है उनके केसेज भी नोटिस में आये हैं और सम्पदा अधिकारी इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय मंत्री महोदय, सम्पदा अधिकारी कार्यवाही कर रहे हों, यह मुमकिन नहीं हो सकता । तीन तीन साल तक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टे पड़े हुए हैं कलक्टोरेट और दूसरी जगहों पर दबे पड़े हैं, स्टे की कम्प्लायेन्स नहीं होती है । सरकार को इस विषय में गम्भीरता से कार्यवाही करनी चाहिए । आंकड़े नहीं दिये गये हैं, मेरे प्रश्न का पूरा जवाब नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष : आंकड़े आपने नहीं पूछे हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) 80-81 और 81-82 के आंकड़े मांगे हैं।

श्री अध्यक्ष : भाग (1) क्या यह सही है कि राज्य में देवस्थान की भूमि पर अतिक्रमण व अवैध निर्माणों की अनेक शिकायतें राज्य सरकार को वर्ष 1980-81 और 1981-82 में प्राप्त हुईं व हो रही हैं ?

आपने यह पूछा है। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी पैसे का प्रश्न है लोगों की भावना का प्रश्न है, माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने की इजाजत होनी चाहिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : जमीन बेच दी गई और बेचने के बाद नामान्तरण तस्दीक हो गये हैं। उन्होंने स्टे लेकर कुएं खुदवा लिये, क्या उन जमीनों के सम्बन्ध में आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हीरालाल आर्य, श्री दाऊदयाल जोशी।

कोटा जिले में भूमि सुधार कार्यक्रम में अनियमितताओं की शिकायतें

315 **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) एवं

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में चल रहे भूमि सुधार कार्यक्रम में बरती गई अनियमितताओं तथा व्यय अधिक होने से कैचमेंट नहीं कराये जाने की शिकायतें किसानों ने समय-समय पर अधिकारियों से की हैं ?

(2) यदि हां, तो उक्त शिकायतों को दूर करने के लिए अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां। कुछ गांवों में भू-सुधार कार्यक्रम हाथ में न लेने के लिए कुछ कृषकों ने मांग की थी। ऐसे काश्तकारों का यह कहना था कि पूर्व में किये गये भू-सुधार कार्यक्रम में कुछ कमियां रही हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भू-सुधार कार्य करवाने का ऋण भार बहुत हो जाता है।

पूर्व में किये गये कार्यों में निम्न प्रकार की कमियों बाबत कृषकों की शिकायतें रही हैं :–

1. कुछ कृषकों की भूमि का लेवल सही प्रकार से नहीं होना।

2. नये धोरों से कुछ खेतों में पानी का समुचित रूप से नहीं पहुंचना।

3. कई स्थानों पर पाइप न लगना व कन्ट्रोल स्ट्रक्चर्स और ड्रेनेज के कार्य अधूरे रह जाना।

4. रिअलाइनमेंट के पश्चात् किये जाने वाले अलाटमेंट में गड़बड़ियां।

5. कर्ज का भार अधिक होना।

(2) उपरोक्त सभी खामियों की पूर्ति हेतु एवं उठने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु निश्चित पद्धति एवं समितियों का

(श्रीमती कमला)

निर्माण किया गया है तथा अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने हेतु भी प्रयत्न जारी हैं। ऋण भार कम करने हेतु जो प्रस्ताव है उसे धनाभाव के कारण राज्य सरकार ने स्वीकृति नहीं दी है। लेकिन अन्य प्रशासनिक, मशीनरी व डीजल आदि के खर्चे कम करने के भी निर्देश दिये गये हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि कैचमेंट समितियां गठित की गई हैं। कौन-कौन सी समितियां कब-कब गठित की गईं ? क्या उनमें विधायकों को भी कहीं जोड़ा गया ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, 7 सितम्बर, 1981 को मैं इस क्षेत्र के दौरे पर गई थी। वहां काफी काश्तकारों ने शिकायतें कीं। पांच-सात बातों के मामलों में निश्चित निर्णय मैं उनको देकर आई थी और उसकी अनुपालना के लिये समितियों को कह आई थी। मुझे सूचना मिली है कि उन्होंने कैचमेंट समितियां बना दी हैं। हर महीने उन समितियों की मीटिंग होती है, हर महीने की निश्चित तारीख को अभियन्ता वहां मौजूद होते हैं और वे काश्तकारों की समस्याओं का निराकरण करते हैं। दूसरी शिकायत उनकी यह आई थी कि उनके जो फार्म्स हैं वह राजस्थान कैनाल के लिए बनवाए गये हैं किन्तु वह चम्बल कमाण्ड एरिया के लिए उनको दिये गये हैं। मैंने आदेश दिया था कि इनके जो फार्म्स हैं वह इनकी आवश्यकता के अनुसार बनाये जाय।

तीसरी बड़ी शिकायत यह थी कि जब भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू होता है वह भूमि सुधार खत्म होने के बाद रिअलाटमेंट करते करते हैं। पूर्व में जिसकी जो जमीन थी उसके एवज में जो जमीन दी जाती है वह टुकड़ों में दी जाती है, किसी को कम मिलती है, किसी को ज्यादा मिलती है, किसी को दो टुकड़ों में देते हैं। तो मैंने यह निर्णय लिया कि जब भूमि सुधार कार्यक्रय शुरू करें उसके बाद जमीन का नक्शा एक स्थान पर लगाये, काश्तकारों को नोटिस दें कि हम इस प्लान नक्शे के अनुसार ड्रेनेज सिस्टम बनायेंगे, वाटर कोर्सेज सिस्टम बनायेंगे उसके बाद हम रिअलाटमेंट करेंगे। हमारा जो नक्शा होगा उस पर काश्तकारों से मिलकर, उनकी सलाह लेकर भूमि सुधार कार्यक्रम में रिअलाटमेंट का काम शुरू करेंगे। यह काम उन्होंने शुरू कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर बात है। यह ऐसा प्रश्न है जिससे चम्बल कमाण्ड एरिया के लोगों में बड़ा असंतोष फैल रहा है। मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें....

(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि कैचमेंट समितियां बन गई हैं। जिन काश्तकारों के खेतों में पानी नहीं मिलता, उनको भी 500) रु. बीघा के हिसाब से कर्जा लिख दिया गया है। क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगी कि जब किसान को खेत में पानी मिल जाय उसके बाद उससे पैसा लिया जाय ? दूसरा, माननीय मंत्री महोदय,

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

आपने बताया कि वित्तीय अभाव के कारण पैसा कम नहीं किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कम किया जा सकता है, पिछले सत्र में आपने स्वीकार किया था। डीजल बेचा जाता है, मशीनें खड़ी-खड़ी चलती हैं इस कारण किसान पर ज्यादा भार आता है उसकी कटौती के लिये आपने क्या किया ? तीसरा, मेरा निवेदन यह है कि आपने रिअलाटमेंट की जो व्यवस्था बतायी है उससे काम नहीं चलेगा। भूमि विकास निगम के अन्तर्गत एक एपीलेट कोर्ट होता है, आज अगर फांसी की स्थिति आती है तो राष्ट्रपति के पास याचिका की जा सकती है, लेकिन आपने फाइनल अथारिटी दे दी है एस. डी. एम. को, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। जो अलाटमेंट हो रहे हैं उसमें गरीब लोगों को कम जमीन मिलती है, इसको कोई सुनने वाला नहीं है। हाई कोर्ट में नहीं जा सकते ? इसीलिये मैंने यह प्रश्न उठाया था, माननीय मंत्री महोदय ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, इन तीनों प्रश्नों के बारे में मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहती हूं, प्रथम उन्होंने पूछा कि चम्बल कमाण्ड एरिया के अन्दर अधूरा काम रह गया है, नालियां नहीं बनाई गईं। मैंने उनको खास तौर से लिखा था। उन्होंने मुझे सूचना दी थी कि जो पुराने कामों में अधूरे रह गये थे उसमें 70 पर्सेंट नालियां बनाने का काम किया है। दूसरा आपने कहा, पैसा न होने के बारे में। पैसा न होने का कोई मामला नहीं है। मैं यह चाह रही थी, और मैंने यह कोशिश की कि जो इंजीनियरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज का खर्चा किसानों के ऊपर पड़ रहा है उसमें से 20 पर्सेंट खर्चा भारत सरकार और राजस्थान सरकार वहन करेगी। राजस्थान सरकार वित्तीय अभाव के कारण खर्चा वहन नहीं कर रही है। भारत सरकार कर रही है, भारत सरकार ने बार-बार राजस्थान सरकार को यह तकाजा किया है कि 50 पर्सेंट आपको व्यय करना है, करना चाहिये ताकि काश्तकारों को दिक्कत न हो। लेकिन राजस्थान सरकार की इस समय वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, पहले भी ठीक नहीं थी इसीलिये हमने भारत सरकार के प्रोविजन को नहीं माना है यह मामला अभी तक विचारणीय है। तीसरी बात, आपने कहा कि इसमें उनको अथारिटी न देने से दिक्कत आती है। मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहती हूं कि स्वयं अधिकारियों को कहकर आई थी कि ऐसे मामलों की अपील सुनने वाली एक अथारिटी कायम करनी चाहिये। मैं आशा करती हूं कि उन्होंने की होगी लेकिन अभी तक जो सूचना आई है उसमें इसका ब्यौरा नहीं है। इसलिए मैं समझती हूं कि नहीं किया। इसके लिये मैं निर्देश दूंगी कि यह जरूर कायम करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

इनका प्रश्न यह है कि उनका पैसा ज्यादा खर्च होता है, मशीनें चलती नहीं, डीजल मिलता नहीं। कृपया इसके बारे में बतायें।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा भाग दो के आखिर में लिखा है कि मशीनें पूरी क्षमता के साथ नहीं चलती,

(श्रीमती कमला)

डीजल का अपव्यय होता है, उसको रोका जाय और जो ज्यादा खर्चा उनका होता है उसमें कटौती की जाय । हमने इसके लिये एक कमेटी गठित की है उसकी दो-तीन मीटिंग हुयी हैं। कैसे काश्तकारों के ऊपर कम बोझ पड़े, कैसे पूरा काम करें इस सम्बन्ध में वह अपनी रिपोर्ट थोड़े समय में देने वाली है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : इन्होंने लिखा है कि जो मशीनें नहीं चल रही हैं उनको भी डीजल दिया गया है। इसके बारे में क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । अलग प्रश्न है।

श्रीमती कमला : उसका मैंने सारा ब्यौरा माननीय सदस्य को दिया था कि कौन सी मशीनें कब-कब चलीं, कितना डीजल उठाया, कितना खर्चा हुआ। आप दुबारा पूछ रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय मंत्री महोदय, एक भी मीटिंग नहीं हुई। अगर हुई तो बतायें कि कौन सी तारीख को हुई ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री दाऊदयाल जोशी : सारे कार्यक्रम में कहीं विधायकों को भी बुलाया गया है ?

श्री अध्यक्ष : यह जरूरी है।

श्रीमती कमला : जो कृषक कैचमेंट के अन्दर प्रभावित हैं उनकी कमेटी है, किसी और की नहीं है। अगर ऐसी बात है तो जरूर देखेंगे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह हमारे एरिया का महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर एम० एल० ए० को उस कमेटी में रख दिया जाए तो वह सुझाव रखें । साधारण किसान कमिश्नर को अपनी बात नहीं सुना सकता लेकिन यदि एम० एल० ए० को रखेंगे तो आपको भी सुविधा होगी । यदि उस कमेटी में एम० एल० ए० को रखेंगे तो हम वहां अधिकारियों से मिलकर किसानों की दिक्कतों को रख सकते हैं। क्या आप इसको उचित समझती हैं ?

श्रीमती कमला : कैचमेंट एरिया में जितने कृषक आते हैं उन तमाम कृषकों की कमेटी में अगर एल० एल० ए० को रखें तो उसके अन्दर सारे आ सकते हैं। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि बिना कृषक के वह कमेटी का मेम्बर हो, इसलिये प्रावधान नहीं है।

आपने दूसरी बात उठाई कमेटी की मीटिंग्स के बारे में। प्रति माह निश्चित तारीख पर कमेटी की बैठक होगी । आपने कहा, वह नहीं होती है। अगर ऐसी बात है तो मैं जानकारी करूंगी। मुझे जो अधिकारियों ने गलत सूचना दी है उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगी।

(8)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक सवाल और है। मंत्री महोदया जब कोटा पधारी थी, क्या उन्होंने हमारे क्षेत्र में हमको बुलाने का प्रवास किया ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या आपका दायित्व नहीं था, आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में जा रही हैं....

श्री अध्यक्ष : विषयांतर हो रहे हैं ।

श्री दाऊदयाल जोशी : विषयांतर नहीं हो रहा हूं । हमारे क्षेत्र में मंत्री महोदया जायें और वहां के एल० एल० ए० को बुलावें नहीं, ××× से बात करती हैं ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मैंने इजाजत नहीं दी है, आर्डर प्लीज ।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपने सूचना दी है लोगों को ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अगला प्रश्न । श्री कनकराज मेहता ।

जालोर जिले में अवसायन में आई सहकारी समितियां

316. **श्री कनकराज मेहता** (सांचौर): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जालोर जिले में कब से कितनी सहकारी समितियां अवसायन में हैं ? अवसायन कार्य में आज तक क्या प्रगति हुई है ? कृपया पूर्ण ब्यौरा दें।

(2) क्या यह सही है कि अवसायन की कार्यवाही शीघ्र न होने से राज्य को भारी नुकसान हो रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि ऐसी सहकारी समितियों के निष्क्रिय होने से काश्तकार सहकारिता के लाभ से वंचित हो रहे हैं ?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री रामपाल उपाध्याय) : अध्यक्ष महोदय, सूचना के अभाव में और अपर्याप्त जानकारी के कारण 7 दिन के लिये इस प्रश्न को स्थगित करने की प्रार्थना है ।

श्री अध्यक्ष : ××× ये शब्द कार्यवाही से हटाये जा रहे हैं।

प्रश्न संख्या 316 स्थगित किया गया ।

अगला प्रश्न ।

• ××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई ।

अपंजीकृत निजी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान

317. **श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में कितनी निजी शिक्षण संस्थायें पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बहुत सी शिक्षण संस्थाएं, जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नहीं हैं, राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही हैं ? यदि हां, तो उन्हें अनुदान किन नियमों के अन्तर्गत दिया जा रहा है ?

(3) क्या सरकार ऐसी शिक्षण संस्थाओं का अनुदान बंद करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मंत्री शिक्षा, (श्री बुलाकीदास कल्ला, : (1) राज्य में निजी शिक्षण संस्थाएं, जो पब्लिक ट्रस्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हैं, की सूचना निम्न प्रकार है–

1. महाविद्यालय शिक्षा —7

2. प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षा–10

3. संस्कृत शिक्षा–5

(2) जी हां। राजस्थान अनुदान नियम, 1963 के नियम 1 (3) टिप्पणी 2 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि संस्थाएं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट या अन्य एक्ट, जो कि सरकार द्वारा उल्लिखित हो, के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होने पर अनुदान प्राप्त करने की पात्र हैं।

(3) जी नहीं । राजस्थान अनुदान नियम, 1963 के अन्तर्गत संस्थाएं रजिस्टर्ड होना मात्र ही अनिवार्य है।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं का मतलब आपको महसूस करना चाहिये। शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों का शोषण होता है। क्या सरकार इन शिक्षण संस्थाओं को ट्रेजरी के जरिये पेमेंट कराने का विचार रखती है ? दूसरे, इन प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को मकान भत्ता, मेडिकल आदि दिलाने का सरकार प्रयास करेगी ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री मेघराज तावड़ : मेरे प्रश्न करने का मतलब····

श्री अध्यक्ष : लेकिन आप मतलब समझा नहीं सके। आप अन्य किसी तरीके से पूछ लें। आर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ : कितनी राशि अनुदान की दी जाती है ?

श्री दाऊदयाल जोशी : 5 शिक्षण संस्थाओं के नाम बता दें ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मेरे पास 7 की सूचना है, मंत्री महोदय बता दें कि कौनसा प्रावधान है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री मेघराज तावड़ : अनुदान की राशि वार्षिक कितनी दी जाती है प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को ?

श्री अध्यक्ष : खर्च का कितना प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मूल प्रश्न यह था कि क्या यह सही है कि पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत जो संस्थायें रजिस्टर्ड नहीं होती हैं उनको अनुदान दिया जाता है या नहीं। इसको मैंने खुलासा तौर पर स्पष्ट कर दिया कि संस्थायें जो पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हैं अथवा सोसाइटीज एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हैं या अन्य किसी एक्ट, जो कि सरकार द्वारा उल्लिखित हो, के अन्तर्गत यदि रजिस्टर्ड हैं तो उनको अनुदान दिया जा सकता है। यही आपका प्रश्न था, इसका मैंने खुलासा तौर पर उत्तर दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

ग्राम पंचायतों की आय में वृद्धि के स्रोतों का सर्वेक्षण

318. **श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों की आमदनी बढ़ाने वाले स्रोतों का सर्वेक्षण कराया है ?

(2) यदि हां, तो ग्राम पंचायतें उन स्रोतों से पूरा लाभ उठा रही हैं या नहीं ? क्या इसकी निगरानी की राज्य सरकार ने कोई व्यवस्था की है ?

(3) यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इस विषय में कोई कारगर कदम उठावेगी ?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री शीशराम ओला): (1) जी नहीं। ग्राम पंचायतों की करों द्वारा आमदनी बढ़ाने हेतु राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 64 में प्रावधान किया हुआ है, उसके अनुसार आमदनी बढ़ाने हेतु कर लगाने चाहिये।

(2) जी नहीं। ग्राम पंचायतें स्वायत्तशासी संस्थायें हैं, वह कर लगा कर पूरा पूरा लाभ उठा सकती है। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया गया कर उनकी निजी आय है। इसकी निगरानी की राज्य सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

(3) ग्राम पंचायतों द्वारा यदि कोई मामला ध्यान में लाया जावेगा तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री उम्मेदसिंह : क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में पत्थर की खानें, उद्योगों के काम में आने वाली मिट्टी, चुनाई के काम में आने वाली बजरी आदि ऐसे अनेक स्रोत हैं जिनकी आमदनी पंचायतों में जमा नहीं होती व सरपंच लोग अपनी जेब में रख लेते हैं ? दूसरे, आवारा पशुओं को बंद करने के लिए पंचायतें फाटक नहीं चलाती। जहां यह फाटक चलते हैं वहां इनसे काफी आमदनी होती है। तीसरे, आबादी के लिये मकान बनाने के लिये जो जमीन दी जाती है उनके पैसे लेकर पट्टे नहीं देते हैं जिससे पंचायतों की आमदनी की हानि होती है व ग्रामीण लोग नाजायज दबे रहते हैं।

श्री शीशराम ओला : जो भी नियमों के अन्तर्गत कार्य है उनमें पंचायत अथवा जो भी अधिकारी अनियमितता करते हैं इस प्रकार के केसेज यदि आप सरकार के ध्यान में लायेंगे तो जरूर कार्यवाही की जायगी ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : मंत्री महोदय ने वह बताया कि स्वायत्तशासी संस्था हैं परन्तु राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह इस प्रकार का प्रयत्न करे कि जो आमदनी होनी चाहिये, वसूल नहीं कर पाते·······

श्री अध्यक्ष : ध्यान में लायें ।

श्री देवी सिंह भाटी : ग्राम शिकायतें हैं । राज्य सरकार का कर्तव्य है या नहीं ?

श्री शीशराम ओला : अभी तक इस प्रकार की शिकायत मेरे पास नहीं आई है । शिकायत आवेगी तो कार्यवाही की जायेगी ।

श्री देवीसिंह भाटी : आपकी खुद की पंचायत में है ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : क्या आय बढ़ाने के लिये पंचायतों को जमीन देते······

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं सरकार की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि जितना राजस्व प्राप्त होता है उतना करीब खर्चा हो जाता है । मेरा सुझाव है कि पंचायतों को अधिकार देना चाहिये कि हर पंचायत अपना राजस्व स्वयं वसूल करे ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री देवीसिंह भाटी : कोलायत तहसील की ग्राम पंचायत····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अगला प्रश्न ।

श्री देवीसिंह भाटी : इसी से रेलेवेन्ट है, ग्राम समस्या है । अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतों के अंदर आमदनी के सोर्सेज दिनों दिन घटते जा रहे हैं ।

श्री यदुनाथ सिंह : पत्थर की खान, जो पंचायत के क्षेत्र में आती है, के बारे में माननीय उम्मेदसिंह जी ने प्रश्न पूछा था उसका जवाब नहीं आया ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतों की माली हालत खराब है । इसलिए अगर मंत्री महोदय कुछ कह देते तो ठीक रहता ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पर्याप्त उत्तर आ गया है । अगला प्रश्न ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतों के अन्दर जो स्कीम चालू की जा रही है उसमें इस प्रकार का प्रावधान है कि ग्राम पंचायतें अपने खुद के स्रोत बढ़ावें और अपनी आमदनी से वह चालू करें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषयान्तर हो रहे हैं । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार के पास कोई पंचायत इसके बारे में सुझाव भेजेगी तो सरकार उसके लिए विचार करेगी ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, फिर सरकार क्या काम करती है ? आखिर

(श्री देवीसिंह भाटी)

सरकार का भी तो कोई दायित्व होता है। सरकार का भी कर्तव्य होता है। यह तो सभी ग्राम पंचायतों की ग्राम समस्यायें हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। अगला प्रश्न, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न संख्या 319

श्री गोपाल पचेरवाल।
(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)।

श्री रामसिंह विश्नोई।

प्रश्न संख्या 320

श्री राजबहादुर।
(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)।

ब्रजभाषा को प्रोत्साहन

321. **श्री राजबहादुर** (भरतपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ब्रज भाषा, जो राज्य के पूर्वी क्षेत्र में लगभग 50 लाख नागरिकों की मातृ भाषा है, के विकास और संरक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या नीति है तथा अब तक इस हेतु क्या कोई कदम उठाए गए हैं ?

(2) क्या ब्रज भाषा, जो कि एक सम्पन्न भाषा है और जिसका साहित्य समूचे हिन्दी साहित्य का आधार भूत और प्रमुख भाग है, को अब तक राज्य सरकार द्वारा कोई मान्यता दी गई है ?

(3) राजस्थान विश्वविद्यालय में जिस प्रकार राजस्थानी भाषा का स्वतन्त्र विभाग किया गया है उसी प्रकार क्या ब्रज भाषा का भी स्वतन्त्र विभाग स्थापित करने या कराने पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा ?

(4) क्या राज्य में ब्रज भाषा के लिए प्रचार साधनों अथवा प्रकाशनों के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं को आवश्यक प्रोत्साहन, सहायता और साधन उपलब्ध कराये जाने पर कोई विचार किया जायेगा।

(5) क्या सरकार राजस्थानी साहित्य अकादमी, उदयपुर के साथ-साथ ब्रज भाषा के लिए भी कोई पृथक् साहित्य अकादमी स्थापित करने पर विचार करेगी और इसके प्रचार व प्रकाशन साधनों की व्यवस्था भी की जायेगी ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री बुलाकीदास कल्ला) : (1) ब्रज भाषा हिन्दी भाषा का एक अंग है अतः इसके विकास के सम्बन्ध में राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कार्य किया जा रहा है। सन् 1978-79 में सूरोत्सव साहित्यकार समिति समारोह एवं लेखक सम्मेलन किया गया; 1979-80 में ब्रज भाषा का उपनिषद (सेमीनार) डीग में किया गया था। 1980-81 में राजस्थान नवांकुर लेखक शिविर वैर में किया गया। इसके अलावा ब्रज भाषा के रससिद्ध कवि हरनाथ की "हरनाथ ग्रन्थावली", अकादमी द्वारा प्रकाशित की गयी। ब्रज भाषा के सामुहिक कवियों का संकलन ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध विद्वान श्री गोपाल प्रसाद मुद्गल द्वारा संपादित कराया गया है, जिसको शीघ्र

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

प्रकाशित किया जायेगा । अकादमी की मासिक पत्रिका "मधुमति में भी ब्रज भाषा की रचनाएं प्राप्त होने पर ब्रज प्रसंग" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित की जाती है ।

(2) ब्रज भाषा हिन्दी साहित्य का एक अंग है और उसके विकास के यथा सम्भव प्रत्यन किये जाते रहे हैं ।

(3) हिन्दी साहित्य के अंग के रूप में ब्रज भाषा का साहित्य विश्वविद्यालय पाठ्य-क्रम में शामिल रहता है, अतः पृथक से विभाग स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

(4) ब्रजांचल में हिन्दी साहित्य समिति, भरतपुर, अकादमी की सम्बद्ध सस्था है, जिसको अनुदान दिया जाता है और उसके माध्यम से प्रति वर्ष साहित्यिक प्रतियोगात्मक कार्यक्रम भी किये जाते हैं ।

(5) राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा ब्रजभाषा को पूरी तव्वजाह दी जाती है और उसके प्रचार प्रसार के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाती है । अतः ब्रजभाषा की पृथक से अकादमी स्थापित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती ।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है; प्रश्न के जवाब में यह कहा गया है कि ब्रज भाषा हिन्दी भाषा का एक अंग हैं यह गलत है । क्योंकि ब्रजभाषा से ही हिन्दी भाषा का प्रादुर्भाव हुआ है । हिन्दी की स्थापना ही ब्रज भाषा से हुई है । मेरा तो कहना यह है कि ब्रज भाषा हिन्दी का उद्गम है । दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि क्या मंत्री महोदय ब्रजभाषा को भी जिस तरह से राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र विभाग है उसी तरह मान्यता देने को तैयार हैं ?

श्री यदुनाथसिंह : माननीय मन्त्री महोदय को पता नहीं कि हिन्दी तो मारवाड़ी से निकली है ।

शिक्षा मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : विरोधी दल में आपस में ही मतभेद उत्पन्न हो गया है ।

श्री राजबहादुर : आप चाहे आपस में मतभेद समझें लेकिन आप अपने कर्त्तव्य से विमुख न हों ।

आप तो मुझे यह बतायें कि क्या आप ब्रज भाषा को मान्यता नहीं दे सकते हैं ? आपने जो प्रश्न का जवाब दिया है उसमें मेरे प्रश्न के भाग तीन, चार और पांच का स्पष्ट जवाब नहीं दिया है । एक तो उनका उत्तर आना चाहिये । विश्वविद्यालय में जिस प्रकार राजस्थानी भाषा का स्वतन्त्र विभाग स्थापित किया गया है उसी प्रकार क्या ब्रज भाषा का भी स्वतन्त्र विभाग राज्य सरकार खोलने का विचार रखती है कि नहीं ? मैं कोई साहित्य अकादमी के खिलाफ हूं, यह बात नहीं है । आप राजस्थान साहित्य अकादमी को प्रोत्साहन चाहे दें लेकिन राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा ब्रज भाषा को कहां-कहां से सहायता उपलब्ध होती है और किन-किन को होती है आपको मालूम होना चाहिये । आज ब्रज भाषा की तरफ ध्यान नहीं दिये जाने के कारण जो ब्रज भाषा का साहित्य गांवों में पड़ा हुआ है वह बर्बाद

(श्री राजबहादुर)

हो रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उसको संरक्षण देने के लिये राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? आज आपके पास तो सूचना ही नहीं है कि यह सब कहां-कहां है ? आपके पास ब्रज भाषा की संस्कृति थाती नहीं है। यह आपको मालूम होना चाहिये कि हिन्दी भाषा का उद्गम ही ब्रज भाषा से है। आप ब्रज भाषा के बिना हिन्दी साहित्य की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इसलिये आप इसके प्रोत्साहन के लिये क्या करने जा रहे हैं ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक शिक्षा से लेकर यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रमों में विधिवत हिन्दी साहित्य के साथ ब्रज भाषा को प्रोत्साहन दिया जाता है। इन पाठ्यक्रमों में इसको सम्मिलित किया गया है। ब्रज भाषा के साहित्य के विकास के लिये राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा पूर्व में रससिद्ध कवि हरनाथ की हरनाथ ग्रन्थावली का प्रकाशन किया गया था जो 876 पेज का है, ब्रज भाषा से सम्बन्धित कवियों की कविताओं का संकलन साहित्य अकादमी द्वारा किया जा रहा है।

(व्यवधान)

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, साहित्य अकादमी ब्रज भाषा के लिये कार्यक्रम आयोजित करती है। जो ब्रजांचल में हिन्दी साहित्य समिति, भरतपुर है वह साहित्य अकादमी से सम्बद्ध संस्था है उसको अनुदान भी दिया जाता है। वह इसके विकास के लिये काम कर रही है।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, जो यह संस्था काम कर रही है वह दूसरी बात है। लेकिन ब्रज भाषा के विषय का अलग विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय में स्थापित करने का विचार रखती है या नहीं, यह बतावें ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : यह बतावें, नहीं तो ब्रज प्रदेश की मांग की जावेगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, ब्रजांचल में हिन्दी साहित्य समिति भरतपुर है, वह अकादमी से सहायता प्राप्त करती है। उसके माध्यम से ब्रज भाषा का विकास किया जा रहा है। जैसा कि मैंने निवेदन किया, अकादमी की मासिक पत्रिका "मधुमति" में भी ब्रज भाषा की रचनायें प्राप्त होने पर "ब्रज प्रसंग" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित की जाती हैं। इसके लिये भी साहित्य अकादमी उसको मदद देती है।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने आपको करेक्ट किया कि नहीं कि ब्रज भाषा हिन्दी भाषा का उद्गम है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्रजभाषा के लिये जो प्रचार एवं प्रसार का

(15)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

काम हो रहा है उससे मन्त्री महोदय सन्तुष्ट हैं ? क्या वह पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो इसको प्रोत्साहित करने के लिये उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ब्रज भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिये और जो प्रकाशन ब्रज भाषा के अन्दर होता है उसके लिये साहित्य अकादमी मदद करती है। वह यह ध्यान भी रखती है कि ब्रजभाषा की जो स्वयं सेवी संस्था है वह किसी भी मदद से वन्चित नहीं रह जायं और राज्य सरकार भी इसके लिये जागरूक है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । अगला प्रश्न । माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न संख्या 322

श्री फतेसिंह !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री बन्शीलाल पटवा !

भीलवाड़ा जिले में सीमेन्ट चोरी के मामलों में कार्यवाही

323 **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा में स्वादपुर क्रय विक्रय सहकारी संघ व सहकारी समिति तथा किसी बैंक द्वारा सीमेन्ट चोरी से बेचा गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) भीलवाड़ा जिले में सीमेन्ट चोरी के सन् 1980-81 व 1981-82 में कितने मामले पकड़े गये हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मन्त्री, खाद्य एवं आपूर्ति (श्री घासी राम यादव) : (1) उक्त संस्था द्वारा सीमेंट चोरी से बेचने की कोई शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है ।

(2) वर्ष 80-81 व 81-82 में जिला भीलवाड़ा में सीमेंट चोरी से बेचने का कोई मामला नहीं पकड़ा गया ।

श्री बन्शीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, जो रिप्लाई मन्त्री महोदय द्वारा दिया गया है व बिल्कुल × है और एस्ट्रे है ।

श्री अध्यक्ष : × शब्द को सदन की कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री बन्शीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, रिप्लाई बिल्कुल असत्य है। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या भीलवाड़ा जिले में कोटड़ी सहकारी समिति के माध्यम से चोरी से सीमेंट बेची गयी जो पकड़ी गई और पुलिस द्वारा सीज की गयी उसका पुलिस के द्वारा चालान भी किया जाना था लेकिन इस मामले को पूरी तरह से दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय मेरे पास पूरी डिटेल्स हैं, उनकी फोटोस्टेट कापीज भी हैं । कोटड़ी सेवा सहकारी

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपनोपित किया गया ।

(श्री बन्शीलाल पटवा)

समिति का संस्थापक श्री सत्यनारायण है, जो कि संचालक के पद पर काम करता है उसने इस प्रकार की कार्यवाही की है कि 521 बोरी सीमेन्ट की जगह 421 बोरी सीमेंट बताया और 150 को निल बताया। इस तरह की चोरी के मामले हैं, यह चोरी कोटड़ी सेवा सहकारी समिति ने सीमेंट के लिये की है। अध्यक्ष महोदय, इसकी पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज हुई है और मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया वह बिलकुल ही उल्टा दिया है।

आप उसे छुपा रहे हैं। यदि सत्य है तो हां भरो या ××× है तो ना करो। मैं इसको पेश करने के लिये तैयार हूं। या तो आप इस्तीफा दें या मैं दूं।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय. मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि सीमेन्ट चोरी से बेचने के कितने मामले पकड़े गये। तो चोरी से बेचने का सवाल नहीं है। यह दूसरा सवाल है कि एक संस्था, जो इन्होंने बतायी जो सहकारी समिति सीमेंट वितरण का काम करती है, के पास सवाई माधोपुर की सीमेंट है लेकिन उसने दूसरी सीमेन्ट लोगों को दी। इसकी शिकायत हुई, इसकी जांच हुई, एफ. आई. आर. दर्ज हुई और मुकदमा चला लेकिन चोरी का कोई मामला नहीं है।

श्री बंशीलाल पटवा : मैं एक और सवाल मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। वह सारी बातें चबा रहे हैं। जो फर्जी कार्ड पर 54 बैग्स सीमेंट बेची गयी [उसकी सारी फोटोस्टेट कापीज हैं मेरे पास, इसे आप जानते हैं कि यह चोरी है या नहीं है? यह फोर्जरी है या नहीं? क्या है यह? व्यवस्थापक ने रिपोर्ट की उसमें सारे एलीगेशन्स लगाये हैं। भीलवाड़ा जिला भ्रष्टाचार की राजधानी बनता जा रहा है। हर विभाग में यह हो रहा है। यह तो सीमेंट का मामला है। यह सारे मैं टेबल पर रख सकता हूं। मैं पेश करने के लिए तैयार हूं। आप इन्क्वायरी इम्पोज करें।

श्री घासीराम यादव : मैंने हां भर ली है। मिलावट का मामला पकड़ा गया था। उसकी पुलिस ने इन्क्वायरी की और गोदाम को सील किया। और, माननीय, सदस्य क्या चाहते हैं?

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्तिम मेरा प्रश्न यह है कि अभी पिछले 15 दिनों में इसी कोटड़ी सेवा सहकारी संस्था में जो 100 कट्टे सीमेन्ट के आये उन्हें अलग से छिपाकर रखा और मेनिपुलेशन करके रसद अधिकारी से सीमेंट के 100 कट्टों का परमिट कटवाया इस तरह से उसका गबन किया....

श्री घासीराम यादव : यह तो अलग से प्रश्न है बिल्कुल।

श्री अध्यक्ष : इसकी जानकारी नहीं है। अगला प्रश्न।

श्री बंशीलाल पटवा : पहले तो हां ही नहीं भर रहे थे....

(व्यवधान)

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपजोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न। आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्री बंशीलाल पटवा : आप क्यों असत्य बोल रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा वह यह है कि भीलवाड़ा जिले में सीमेंट चोरी के सन् 1980-81 व 1981-82 में कितने मामले पकड़े गये हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें....

श्री अध्यक्ष : आर्डर। माननीय सदस्य, अगला प्रश्न।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, हाउस में गलत सूचना दी गयी कि कोई मामला नहीं पकड़ा गया....

श्री अध्यक्ष : गलत सूचना दी है तो, उसके लिए नियमों में प्रावधान है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह हमारा हाउस में अधिकार है और प्रिविलेज है कि गलत सूचना मंत्री महोदय द्वारा नहीं दी जाय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। अगला प्रश्न पूछने दीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह चोरी पकड़ी गयी तो इसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या भीलवाड़ा में माथुर प्रतिष्ठान स्थापित किया जाय ? यह बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर मामला है। एक तरफ कहते हैं कि मामला पकड़ा नहीं गया और दूसरे माननीय सदस्य....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह प्रश्न के बाद का मामला है। मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है। उसको अन्य किसी प्रश्न के माध्यम से या अन्य किसी तरीके से पूछें। उन्होंने कह दिया कि मुझे जानकारी नहीं है। आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न। श्री माधवसिंह दीवान।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से बड़ा अहम प्रश्न पूछना चाहती हूं....

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अधिकारी गलत जवाब देते हैं और उसके बाद भी बच जाते हैं। आप चाहें तो इस सदन के पटल पर या इस सदन में आप प्रश्नों के माध्यम से पुलअप कर सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर। माननीय सदस्या, मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्रीमती विद्या पाठक : प्रश्न इस बात का है कि मंत्री महोदय इस अपार्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं या नहीं ? इनकी इन्टेन्शन है या नहीं····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 324

श्री माधवसिंह दीवान।

(अनुपस्थित : आगे देखें)

प्रश्न संख्या 325

श्री चुन्नीलाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज।

जयपुर जिले में शराब से अतिरिक्त आय

326. **श्री भैरूंलाल भारद्वाज** (जमवा रामगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

शराब बन्दी समाप्त करने के पश्चात जयपुर शहर और जयपुर जिले में सरकार को 31 दिसम्बर, 1981 तक कितनी अतिरिक्त आय हुई ?

आबकारी मंत्री (श्री चन्दनमल बैंद) : राज्य में मद्यनिषेध समाप्त होने से जयपुर शहर एवं जयपुर जिले में दिनांक 1-9-80 से 31-12-80 के मुकाबले में दिनांक 1-9-81 से 31-12-81 तक 1,47,18, 546 की आय में वृद्धि हुई है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह जो वृद्धि हुई है इससे आप संतुष्ट हैं कि यह पूरा पैसा वसूल किया गया है ?

श्री चन्दनमल बैंद : जी हां।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : दूसरी बात, माननीय मंत्री महोदय, जैसा कि मेरी जानकारी में है आपके ठेकेदार नाजायज शराब बेचते हैं मेलों में और जमवा रामगढ़ में कई भी मेलों में शराब बेचते हैं। इसकी शिकायत की गयी है। लोग मिले हुए हैं। इससे काफी नुकसान हो रहा है ?

श्री चन्दनमल बैंद : नाजायज शराब बराबर पकड़ी जाती है न केवल जयपुर में बल्कि सारे राजस्थान में।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हीरालाल आर्य, श्री दाऊदयाल जोशी।

पंचायत समिति, सुल्तानपुर के ट्रेक्टर व थ्रेशर

327. **श्री हीरा लाल आर्य** (पीपल्दा) एवं श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सुल्तानपुर पंचायत समिति के पास ट्रेक्टर व थ्रेशर था ? यदि हां, तो क्या वर्तमान में दोनों वहां उपलब्ध हैं ? यदि उपलब्ध नहीं हैं, तो क्यों और वे कब से कहां पर हैं ? उन्हें वापस प्राप्त करने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री शीशराम ओला) : पंचायत समिति सुल्तानपुर के पास ट्रेक्टर या थ्रेशर नहीं। वर्तमान में पंचायत समिति के पास ट्रेक्टर नहीं

(श्री शीशराम ओला)

है। पंचायत समिति द्वारा यह ट्रेक्टर मय ट्राली व उपकरणों के फरवरी, 72 में नीलाम किया जा चुका है।

श्री दाऊदयाल जोशी : थ्रेशर का क्या हुआ ?

श्री शीशराम ओला : है ही नहीं, हमने कह दिया।

श्री दाऊदयाल जोशी : है और तत्कालीन प्रधान के घर आज की तारीख में है। पंचायत समिति का थ्रेशर पड़ा हुआ है।

श्री शीशराम ओला : मैंने जो उत्तर दिया वह यह है कि पंचायत समिति के पास कोई थ्रेशर नहीं है। ट्रेक्टर था।

श्री दाऊदयाल जोशी : वही मैं निवेदन कर रहा हूं कि पंचायत समिति के पास ट्रेक्टर और थ्रेशर था। ट्रेक्टर तो उसने बेच दिया तो थ्रेशर का क्या हुआ ?

श्री शीशराम ओला : मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि कलेक्टर द्वारा जो इत्तला मुझे दी गई है उसमें थ्रेशर नहीं होना बताया गया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन करता हूं कि पंचायत समिति के लिये ट्रेक्टर और थ्रेशर दोनों एक साथ खरीदे गये थे। ट्रेक्टर एक जिम्मेदार व्यक्ति को बेच दिया लेकिन थ्रेशर पंचायत समिति के तत्कालीन प्रधान श्री इन्द्रकुमार जी के घर पर आज की तारीख में पड़ा हुआ है। क्या आप इसकी जांच करवायेंगे ? वह जो काम कर रहा है वह इल्लीगल है।

श्री शीशराम ओला : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सदस्य, जो मुझे इत्तला कलेक्टर कोटा द्वारा दी गई है इस प्रश्न पर उसमें थ्रेशर नहीं होना बताया है....

श्री दाऊदयाल जोशी : तो मैं आपको सूचना दे रहा हूं।

श्री शीशराम ओला : फिर भी आप कहते हैं तो मैं जांच करवा लूंगा। सुनिये, प्रश्न आपका है उसका जवाब है पंचायत समिति सुल्तापुर के पास ट्रेक्टर था 'थ्रेशर नहीं। वर्तमान में पंचायत समिति के पास ट्रेक्टर नहीं है पंचायत समिति द्वारा यह ट्रेक्टर मय ट्राली व उपकरणों के फरवरी, 72 में नीलाम किया जा चुका है।

और सुनिये, पंचायत समिति सुल्तानपुर द्वारा एक ट्रेक्टर दिनांक 31-3-67 को 35,126,79 पैसे में खरीदा गया था। पंचायत समिति द्वारा कोई थ्रेशर नहीं खरीदा गया था। ट्रेक्टर से निरन्तर हानि होने से जिलाधीश कोटा द्वारा गठित समिति द्वारा इसे माह फरवरी, 72 में 17,150 रु० में नीलाम किया गया था। इस ट्रेक्टर को श्री केदारलाल सोसिया, निवासी सुल्तानपुर की नीलाम कमेटी द्वारा बेचा गया था।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहता हूं मंत्री महोदय को कि थ्रेशर भी था....

(20)

श्री अध्यक्ष : यदि गलत उत्तर दिया गया है तो नियमों में प्रावधान है, उनका सहारा लेकर पुनः प्रश्न को लाया जा सकता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा, लिखित में दे देंगे तो जांच करेंगे। यह लिखित में देने की आवश्यकता नहीं है। जो कहा है सदन में उसी पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो सूचना यहां माननीय सदस्य देते हैं वह आथेन्टिक है। अलग से लिखित में देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मेरे ध्यान में है।

श्री रघुवीर सिंह। श्री हीरा लाल।

जिला पशु चिकित्सालय कोटा की प्रयोगशाला

328. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बांरा) एवं श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला पशु चिकित्सालय, कोटा में प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी? इस प्रयोगशाला में अभी तक मिट्टी व चारे के कितने नमूनों की जांच की गई?

(2) जिले की भूमि या चारे में किन किन तत्वों की कमी पाई गई?

विशिष्ट योजना संगठन मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) पशु चिकित्सालय, कोटा में रोग निदान प्रयोगशाला वर्ष 76-77 में स्थापित की गई थी। मिट्टी व चारे का जांच कार्य इस प्रयोगशाला में नहीं होती।

(2) यह प्रयोगशाला परीक्षण नहीं करती।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह प्रयोगशाला किस काम में आती है?

श्रीमती कमला : यह प्रयोगशाला जो कुक्कुट होते हैं उनका डायग्नोसिस करने, इन्जेक्शन देने व उनके पालने वालों को सलाह देने के लिये है। मिट्टी और चारे के परीक्षण के लिये नहीं है। इसकी अलग से प्रयोगशाला है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : इस प्रयोगशाला की क्षमता भी है कि नहीं कि चारे और मिट्टी का परीक्षण कर सके।

श्रीमती कमला : इस प्रयोगशाला में ब्लड, यूरिन, स्टूल आदि का टैस्ट होता है और कोई मौत हो जाती है तो उसका परीक्षण होता है। मिट्टी और चारे का परीक्षण नहीं किया जाता है और न ही यह इसके लिये बनाई गई है। चारे, मिट्टी आदि की प्रयोगशाला बस्सी में है, उसमें टैस्ट किये जाते हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : जिले की भूमि या चारे में किन किन तत्वों की कमी पाई गई है?

श्रीमती कमला : जब मैंने यह कहा कि इन चीजों का इस प्रयोगशाला में परीक्षण नहीं होता है तो क्या क्या कमी पाई गई, इसका प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, भूमि में जिन तत्वों की कमी है उसकी ओर विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है, विभाग सो रहा है और कोई परीक्षण नहीं कर रहा है, इनके पास कोई विशेषज्ञ नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : जो इस प्रयोगशाला से सम्बन्धित है, उसके बारे में ही पूछिये ।

(व्यवधान)

स्थगित प्रश्न। आर्डर, आर्डर।

श्री सूरज पाल सिंह। श्री राम सिंह। श्री माधवसिंह।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 23 फरवरी, 1982)

पाली, जोधपुर व जालौर क्षेत्र में सीमेन्ट व केरोसिन का वितरण सम्बन्धी प्रकरण

18. श्री सूरज पाल सिंह (भीनमाल),

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी),

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत):क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे :—

(1) पाली, जोधपुर व जालौर जिलों में वर्ष 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 में कुल कितना सीमेन्ट प्राप्त हुआ ? उसके वितरण की क्या प्रक्रिया अपनाई गई ? पंचायत समिति वार कितना-कितना सीमेन्ट अलाट किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जुलाई, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक जालौर पाली व जोधपुर जिलों के किन-किन केरोसिन के होलसेल विक्रेताओं के पास कितना-कितना लीटर केरोसिन आया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। इस अवधि में केरोसिन वितरण की प्रणाली आम उपभोक्ताओं हेतु क्या अपनाई गई ?

(3) जुलाई, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक आम उपभोक्ताओं के लिए होलसेल विक्रेताओं द्वारा कितना केरोसिन वितरण किया गया ?

(4) माहवार सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति (श्री घासी राम यादव) : (1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। 1 मई, 1981 में प्रसारित नियमों के अनुसार आवंटित मात्रा में ....

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं पड़ रहा है।

एक माननीय सदस्य : माइक का प्रयोग कीजिये।

श्री घासी राम यादव : आवंटित मात्रा में से 10 से 20 प्रतिशत तक की मात्रा छोटे उपभोक्ताओं को 5 बोरी प्रति तिमाही प्रति राशन कार्ड पर दिये जाने की नीति थी। 1 अक्टूबर, 81 से यह व्यवस्था केवल शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए ही लागू रखी गई। जिलाधीशों ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इस नीति को क्रियान्वित किया है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 28-2-82 को घोषित नीति के आधार पर उपरोक्त व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया है तथा अब नई नीति के अनुसार ही सीमेन्ट वितरण किया जायेगा।

(2) सूची सदन की पटल रख दी गई है जिन औद्योगिक इकाइयों की मांग 10 किलो लीटर या इससे अधिक थी, उनके द्वारा डिपो से सीधे ही कैरोसिन प्राप्त किया जाता था। आम उपभोक्ताओं को खुदरा विक्रेताओं एवं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से कैरोसिन वितरण कराया गया है।

(3) जोधपुर, जालौर व पाली के जिलों में उक्त अवधि में 12401.3 किलो लीटर कैरोसिन तेल उपभोक्ताओं को वितरण किया गया।

(4) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूची कैरोसिन के वितरण की दी गई है जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया, खुदरा व्यापारियों को भी कैरोसिन दिया गया था। इस सूची के हिसाब से तो होलसेल विक्रेताओं ने ही बेचा है। खुदरा व्यापारियों को कुछ नहीं मिला है। अगर मिला है तो अमूमन यह पाया गया है कि कैरोसिन की किसी प्रकार की कमी न होने के कारण होलसेल विक्रेता खुदरा व्यापारियों से ही मिलकर बेच देते हैं। इस तरह खुदरा व्यापारियों को तेल नहीं मिलता है और आम उपभोक्ता को कैरोसिन प्राप्ति से वंचित रहना पड़ता है। यदि मिलता है, तो बहुत लम्बी-लम्बी क्यू लगानी पड़ती है। आप सूची में देख लीजिए, जितना माल बेचा है वह सब होलसेल विक्रेताओं ने ही बेचा है खुदरा व्यापारियों ने नहीं बेचा है। होलसेल विक्रेता इसे क्रूड आयल में मिला कर बेचते हैं। बड़ा जबर्दस्त घोटाला है। मेरे प्रश्न के उत्तर में यह नहीं बताया है कि वितरण व्यवस्था क्या रही है। अगर खुदरा व्यापारियों को कैरोसिन दिया गया है तो जोड़ मिलाकर देख लीजिये। जितना तेल आया है वह होलसेल विक्रेताओं ने ही मिलकर बेचा है और क्रूड आयल मिलाकर बेचा है। मेरा निवेदन है इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिये। जुलाई से दिसम्बर तक जब किसानों के पम्प सैट्स चलते हैं तो कमी रहती है। उसके बाद तो इतनी जरूरत भी नहीं रहती है। इसलिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि क्रूड आयल में जो कैरोसिन की मिलावट होती है उसकी तुरन्त रोकथाम होनी चाहिये। आम उपभोक्ताओं को वंचित रखने के कारण ही होलसेल विक्रेता क्रूड आइल में कैरोसिन मिलाकर बेच देते हैं इसीलिये लम्बी लम्बी क्यू लगी रहती है। 25 जुलाई और दिसम्बर तक 3267 किलो लीटर कैरोसिन आया और बेचा गया है, वह है 3867 यह कैसे? सूची जो दी है उसमें कम आया है और ज्यादा कैसे बेचा है?

श्री घासीराम यादव : बेचने का फिगर कहां है इसमें ?

(व्यवधान)

पाली में जुलाई से दिसम्बर तक 767 है....

(व्यवधान)

श्री कनकराज मेहता (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, जो सूची दी है उसका जोड़ 3267 किलो लीटर होता है और डिस्ट्रीब्यूशन 3867 होता है यह ज्यादा वितरण कैसे हो गया ?

श्री घासीराम यादव : कौन सी सूची में से बता रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : प्राथमिक स्कूल में जाकर जोड़ बाकी सीखो।

श्री घासीराम यादव : 8 अलग-अलग विक्रेता हैं।

श्री कनकराज मेहता : पेज नं 1, जो सूची हमें बताई है, इसमें जो डिस्ट्रिब्यूशन किया है होलसेल विक्रेताओं को उसका टोटल होता है 3267 और जो वितरण बताया है जिलेवार यह बताया है 3867, तो ज्यादा कहा से आ गया ?

श्री घासीराम यादव : पाली में 8 होल सेल डीलर्स हैं उन्होंने रिटेलर्स को दिया। आपको क्या दिक्कत आ रही है ?

श्री सूरजपाल सिंह : जितनी प्राप्ति बतायी है, उससे ज्यादा वितरण कैसे हो गया ? यह समझ में नहीं आया।

श्री घासीराम यादव : पाली जिले में 8 होल सेल डीलर्स हैं-किसी को कितना दिया किसी को कितना दिया। उन्होंने खुदरा व्यापारियों को दे दिया तो इसमें आपको क्या दिक्कत है ?

श्री माणकमल मेहता (पाली) : नहीं, वह तो ठीक है।

(व्यवधान)

मेरी बात तो सुनिये।

श्री सूरजपाल सिंह : यह होलसेल विक्रेताओं ने बेचा है, खुदरा व्यापारियों को देने की बात तो अलग रही उसको जोड़ा जाय तो और अधिक होगा।

श्री घासीराम यादव : यह ठीक है।

श्री माणकमल मेहता : नहीं, मैं जो बात कह रहा हूं वह आप समझ नहीं पाये हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जितना आपने होलसेलर्स को दिया है कैरोसिन उससे ज्यादा तो नहीं बिकना चाहिए न ?

(व्यवधान)

तो उससे ज्यादा आपने जो बेचने के फिगर्स दिये हैं जुलाई से दिसम्बर तक पाली में, उसमें 767, 637, 619, 534, 618, 692, 619 किलो लीटर बताया है और इनका टोटल 3867 होता है, तो यह कैसे बिका ?

श्री सूरजपाल सिंह : अब खुदरा को जोड़ लिया जाय तो और अधिक होगा।

श्री घासीराम यादव : मतलब यह है कि जो सारा मिला है उसके फिगर्स अलग दिये हैं, इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री माणकमल मेहता : जो फिगर्स दिये हैं, उनका टोटल तो ज्यादा होता है । होल-सेलर्स विक्रेताओं द्वारा बेचे जाने वाले केरोसिन एवं होलसेलर्स द्वारा उपभोक्ताओं को वितरित किए गये केरोसिन की मात्रा····

श्री सूरजपाल सिंह : उसकी मात्रा 3867 होती है तो फिर आपने जो नीति खुदरा व्यापारियों को देने की····

श्री घासीराम यादव : यह अलग-अलग महीने की है, जुलाई की अलग है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री सूरजपाल सिंह : क्रूड के अन्दर उसको बेचते रहे और आम उपभोक्ता सब्र करता रहा, इसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री घासीराम यादव : जुलाई का अलग है, सितम्बर का अलग है····

श्री माणकमल मेहता : टोटल जब आप करेंगे तो····

श्री घासीराम यादव : जब जुलाई से दिसम्बर तक बताया है, जो वितरण किया गया वह·········

श्री माणकमल मेहता : यह जो फिगर्स दिये हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं उन्हीं के आधार पर निवेदन कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अगला प्रश्न ।

श्री माणकमल मेहता : इसका जवाब तो आने दें, अध्यक्ष महोदय, कहां से बिका ?

श्री अध्यक्ष : आप लोगों की बात समझ गये न ? आर्डर-आर्डर । माननीय सदस्य का कहना है कि 32 सौ किलो लीटर तो सप्लाई हुआ और 38 सौ किलो लीटर लगभग बेचा हुआ बताया गया । यह 3200 का 3800 कर दिया क्या ?

श्री घासीराम यादव : 3800 कहां से टोटल आ गया ? मान लिया, यह सही भी हो तो इसकी हम जांच करवायेंगे जिलाधीश से ।

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह शंका हो रही है कि क्रूड में तो केरोसिन मिलाकर बेच ही रहे हैं, केरोसिन में भी पानी मिला दिया गया होगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आडर प्लीज । आसन पैरों पर है । शांत रहें कृपया ।

श्री सूरजपाल सिंह : वरना बंट कैसे गया ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : जांच किसकी करवायेंगे यह ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । यदि आपकी अनुमति हो तो अगला प्रश्न ले लें । इसको किसी अन्य तरीके से उठायें । अब समय तो वैसे समाप्त हो गया है—

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप कन्फ्यूज हो गये क्या ?

श्री अध्यक्ष : अन्य किसी तरीके से उठाया जा सकता है।

श्री सूरजपाल सिंह : मिलावट का क्रूड मिले, मिलावट का आयल मिले, इसके लिए सरकार कुछ करेगी भी कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री नन्द लाल मीणा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 27 फरवरी, 1982)

तहसील प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) की विभिन्न सहकारी समितियों की बकाया

133. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि तहसील प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ की सेवा सहकारी समिति, अरनोद, वन श्रमिक सहकारी संघ चिकलाड़ एवं बगड़ाबद गणेश क्रय-विक्रय सहकारी संघ, रायपुर व दलोट, गुड़ खांडसारी सहकारी समिति, रायपुर और ग्राम सेवा सहकारी समिति, खेरोट में विभागीय आडिट के अनुसार हजारों रुपया समिति के सदस्यों में बकाया निकलता है ? यदि हां, तो उक्त समितियों में किस-किस व्यक्ति में कितनी-कितनी राशि बकाया निकलती है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री रामपाल उपाध्याय) : जी हां। आंशिक रूप से सही है क्योंकि प्रश्न में वर्णित समितियों में से रायपुर क्रय-विक्रय सहकारी —

श्री अध्यक्ष : दुबारा पढ़िये, माननीय मंत्री जी।

श्री रामपाल उपाध्याय : जी हां। आंशिक रूप से सही है क्योंकि प्रश्न में वर्णित समितियों में से रायपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति के नाम से कोई समिति पंजीकृत नहीं है। प्रश्न में वर्णित अरनोद व खेरोट ग्राम सेवा सहकारी समिति, जो अब क्रमशः अरनोद व अचलपुर लैम्प में विलीनीकृत हो चुकी हैं अतः इस नाम की कोई ग्राम सेवा सहकारी समिति अब नहीं है। आडिट रिपोर्ट वर्ष 1975-76 के आधार पर उक्त दोनों ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्यों की ओर बकाया का स्टेटमेंट संलग्न है।

शेष रामपुर गुड़ खांडसारी समिति, चिकलाड़ वन श्रमिक सहकारी समिति लि., बगड़ावद वन श्रमिक सहकारी समिति एवं गणेश क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., दलोट के सदस्यों की ओर कोई बकाया वर्ष 1979-80 तक की आडिट रिपोर्ट के आधार पर नहीं है।

(स्टेटमेंट के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जैसा कि आपने बताया गणेश क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., दलोट में कोई बकाया नहीं है। क्या यह सही है कि दिनांक 22 मार्च सन् 1975

(श्री नन्दलाल मीणा)

को उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति ने ग्राडिट किया था उसमें यह बताया गया था कि श्री तख्त सिंह पुत्र श्री लाल सिंह के विरुद्ध 29993.81 पैसे बकाया है ? क्या यह राशि बकाया नहीं है ? यदि हां, तो यह राशि कब जमा करायी गयी ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया श्री तख्त सिंह....

श्री नन्द लाल मीणा : आपने यह फर्माया....

श्री अध्यक्ष उत्तर आने दीजिए।

श्री रामपाल उपाध्याय : आप प्रश्न स्पष्ट करने की कृपा करें।

श्री नन्दलाल मीणा : आपने यह बताया कि गणेश क्रय विक्रय सहकारी समिति के किसी भी सदस्य पर किसी भी प्रकार की कोई राशि बकाया नहीं है। मेरा सवाल है कि क्या यह सही है कि 22 मार्च सन् 1975 को डिप्टी रजिस्ट्रार, उदयपुर ने श्री तख्तसिंह पुत्र लालसिंह के विरुद्ध 29963.81 रुपये की बकाया वसूली निकाली थी ? यदि नहीं....

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, श्री तख्तसिंह के विरुद्ध ग्राडिट रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने जो बकाया वसूली निकाली थी इसके लिये श्री तख्तसिंह ने इस केस को पुनः देखने को कहा। इस पर अभी विचार 117 व 118 के तहत चल रहा है। इसके अलावा श्री तख्त सिंह के विरुद्ध 3577.30 रुपये और 5474.20 रुपये का अलग से जो गबन का मामला आया था, वह मामला चला। धारा 74 के तहत ए. आर. चित्तौड़ में वह मामला चला है और हाल ही में निर्णीत हुआ है। 20-5-80 को वह मामला दर्ज होकर निर्णीत हुआ है। इसकी अविलम्ब कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री नन्दलाल मीणा : एक प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, सिर्फ। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं गुड़ खांडसारी सहकारी समिति, रायपुर जिसके बारे में अभी फर्माया कि उसमें किसी प्रकार की कोई वसूली बकाया नहीं है, क्या श्री नांगी लाल जी जैन, में भारी राशि बकाया नहीं है, जो जमा नहीं करायी है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, विस्तृत जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

ग्रार्डर प्लीज। मैंने इजाजत दे दी थी, समय निकलने के बाद भी। कृपया, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। इस पर मान लीजिए मंत्री महोदय ने यह बताया है....

श्री अध्यक्ष : अनुपस्थिति के लिए—

(व्यवधान)

प्रश्न काल समाप्त हुआ। माननीय सदस्य समय न लें। कार्य सूची आज बहुत लम्बी

(श्री अध्यक्ष)

है । माननीय सदस्य, सहयोग चाहिए आपका ।

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : इसकी जानकारी नहीं है तो इससे ही यह स्पष्ट है कि मूल प्रश्न के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने सदन में गलत बयानी की है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर व शिव पंचायत समितियों का पुनर्गठन

313. **श्री अमीन खां** (शिव):—क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की शिव पंचायत समिति सबसे छोटी है जिसमें 27 पंचायतें हैं ? यदि हां, तो बाड़मेर पंचायत समिति, जो सबसे बड़ी है और जिसमें 36 पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत बूठीया-बीड़कापार, पोधीकपार, गागरिया और कन्टलकापार को शिव पंचायत समिति में क्यों नहीं मिलाया जाता है ?

उत्तर

जी नहीं। पंचायत समिति शिव का क्षेत्रफल 6,61,632 हैक्टेयर है और पंचायत समिति बाड़मेर का क्षेत्रफल 3,65,624 हैक्टेयर है । पंचायत समिति शिव बाड़मेर में क्रमशः 26 व 36 पंचायतें हैं । ग्राम पंचायतें बुठिया, बीडेकापार, पोधीकापार, गागरिया और कन्टलकापार पंचायत समिति बाड़मेर के ही नजदीक पड़ती हैं अतः इन पंचायतों को शिव पंचायत समिति में मिलाये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

इन्द्रगढ़ (कोटा) स्थित बीजासण माताजी का मन्दिर

319. **श्री गोपाल पचेरवाल** (केशोरायपाटन):-क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इन्द्रगढ़ जिला कोटा में बीजासण माताजी का ऐतिहासिक मंदिर है ? यदि हां, तो कितना पुराना मंदिर है तथा क्या सरकार इस मन्दिर के जीर्णोद्धार का इरादा रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मन्दिर को सरकार अपने नियंत्रण में लेने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । मन्दिर श्री बीजासण माता जी, देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियन्त्रित राजकीय मन्दिर नहीं है । इसलिए राजकोष से उक्त मन्दिर का जीर्णोद्धार कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

(2) जी नहीं । अराजकीय मन्दिरों को राज्य सरकार के प्रबन्ध एवं नियन्त्रण में लिया जाना कानूनन सम्भव नहीं है ।

(20)

कृषि प्रसार कार्यक्रम

320. **श्री रामसिंह बिश्नोई** (लूनी):–क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में किन-किन जिलों में कृषि प्रसार कार्यक्रम लागू किया जा चुका है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अभी तक पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में कृषि प्रसार कार्यक्रम चालू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे हैं व अब यह कार्यक्रम इन जिलों में कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

कृषि प्रसार कार्यक्रम राजस्थान में निम्नलिखित 17 जिलों में लागू किया जा चुका है।

1– अलवर
2– भरतपुर
3– अजमेर
4– सवाई माधोपुर
5– जयपुर
6– श्री गंगानगर
7– पाली
8– सिरोही
9– कोटा
10– बून्दी
11– टोंक
12– झालावाड़
13– उदयपुर
14– बांसवाड़ा
15– डूंगरपुर
16– भीलवाड़ा
17– चित्तौड़गढ़

(2) जी हां। कृषि के अलावा पश्चिमी जिलों में पशुपालन भी मुख्य धन्धा है। इन जिलों की योजना हेतु विश्व बैंक से बातचीत की गई थी और वर्ष 82-83 के बजट में इस परियोजना को सम्मिलित भी किया जाना था किन्तु धनाभाव के कारण स्वीकृत नहीं हो सकी।

ग्राम पंचायत गांगड़तलाई (बागीदोरा) द्वारा अवाप्त भूमि की वापसी

322. **श्री फतेसिंह** (कुशलगढ़):–क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गांगड़तलाई ने श्रीमती गोनमड़ी, कचरीया चमार निवासी गांगड़तलाई की खाते की जमीन सरपंच नाथू ने फर्जी कार्यवाही कर तीन बीघा अवाप्त करा ली ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्रीमती गोनमडी के पास पौने सात बीघा ही जमीन है ? क्या सरकार अवाप्त की गई उक्त जमीन वापस दिलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सरपंच, श्री नाथू गांगड़तलाई ने श्रीमती गोमड़ी को बिना पूछे व बिना मुआवजा दिये जमीन पंचायत के कब्जे में कर ली है ?

(4) क्या राज्य सरकार सरपंच, श्री नाथू के खिलाफ कार्यवाही कर पद से पृथक करेगी ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । ग्राम गांगड़तलाई की निवासी श्रीमती गोनमडी पत्नी पूंजा चमार द्वारा उसके खाते की भूमि खसरा न. 185/2 रकबा 3 बीघा सरकाक के हक में स्वयं ने समर्पित की थी ।

(2) जी नहीं । श्रीमती गोनमडी के खाते की कुल 7 बीघा 18 बिस्वा भूमि थी । इसमें से 3 बीघा जमीन समर्पण करने के बाद श्रीमती गोनमडी के खाते में 4 बीघा 18बिस्वा भूमि है। चूंकि श्रीमती गोनमडी ने स्वयं सरकार को 3 बीघा भूमि समर्पित की है, अतः उपरोक्त भूमि को वापस श्रीमती गोनमडी को दिलाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) यह सही नहीं है । श्रीमती गोन-मडी ने स्वयं ने सरकार को 3 बीघा भूमि समर्पित की है अतः बिना पूछे व बिना मुआवजा दिये सरपंच द्वारा उपरोक्त भूमि पर कब्जा करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) जब सरपंच द्वारा भूमि पर कब्जा नहीं किया गया तब सरपंच श्री नाथू के खिलाफ कार्यवाही कर उनको पद से पृथक करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

पाली जिले की डेयरी में दूध संकलन

324. **श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)** : क्या दुग्ध विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) पाली जिले की डेयरी में पिछले 2 वर्षों में औसतन माहवार कितना दूध इकट्ठा किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इस दूध को एकत्रित करने में औसतन माहवार ट्रकों को कितना किराया दिया गया तथा प्रति लीटर दूध एकत्रित करने पर कितना खर्च हुआ ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) फेडरेशन एवं यूनियन द्वारा पिछले वर्ष प्रति माह कितना जीप किराया दिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) पाली जिला दुग्ध उत्पादक सह-कारी संघ लि., पाली द्वारा सहकारी वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 (फरवरी) में क्रमशः औसत प्रति माह 1,94,521 व 1,58,319 लीटर दूध संकलित किया गया । माहवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) इस दूध को एकत्रित करने के लिए सहकारी वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 (फरवरी) में क्रमशः औसत प्रतिमाह 48,287.26 व 55,875.90 रु. ट्रकों को किराये के रूप में भुगतान किया गया व उक्त वर्षों में प्रति लीटर यातायात व्यय 12 पैसे से 61 पैसे तक रहा । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) यूनियन द्वारा सहकारी वर्ष 1980-81 में प्रतिमाह दिये गये जीप किराये की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

(30)

उपहार का हौजरी काउन्टर

325. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर द्वारा संचालित "उपहार" के भवन में एक हौजरी का काउण्टर चलाया जा रहा था ?

(2) यदि हां, तो किस व्यक्ति के द्वारा तथा कब से तथा किन-किन शर्तों के अधीन ? कृपया अनुबंध पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि हौजरी काउण्टर पर बिकने वाले माल की गुणात्मकता तथा उसके मूल्य पर किसी का नियंत्रण नहीं था ?

(4) जब से यह काउण्टर प्रारम्भ किया गया है तब से 'उपहार" को कमीशन या अन्य रूप से कितनी आमदनी प्राप्त हुई ? कृपया वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह काउण्टर मैसर्स स्टाइल के नाम से था । यह काउण्टर अक्टूबर, 1977 से चलाया गया था । जिन शर्तों पर यह काउण्टर दिया गया उसकी प्रति संलग्न है ।

(3) जी नहीं ।

(4) वर्षवार मैसर्स स्टाइल से जो कमीशन "उपहार" को प्राप्त हुआ वह निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	कमीशन
1977-78	4821.85 (अक्टू., 77 से जन., 81 तक)
1978-79	8605.84
1979-80	7680.57
1980-81	4629.76
योग :—	25738.02

(शर्तों के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

संस्कृत पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में अशुद्धियां

239. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा के गत सत्र में कक्षा 9 व 10 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों में जो गलतियां पाई गई थीं उनकी जांच करने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त दो हजार पुस्तकें, विभाग के द्वारा कागज देकर बनवाई गई थी ? यदि हां, तो यह किसके द्वारा तथा किसके आदेश से बनवाई गई थीं ? अशुद्ध छापने वालों से क्या हर्जा खर्चा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त दो हजार पुस्तकें अशुद्धियां होने के कारण विद्यार्थियों के पढ़ने योग्य नहीं है ? यदि हां तो अशुद्ध छापने वालों से

(श्री हंसराज शर्मा)

क्या हर्जा खर्जा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । कक्षा 9 व 10 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य कुसुमांजलि की त्रुटियों की जांच के पश्चात् सम्बन्धित प्रकाशक, मैसर्स प्रभात प्रकाशनालय, अजमेर को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा इस प्रकाशन का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया।

(2) जी हां। संस्कृत गद्य कुसुमांजलि की 2000 पुस्तकें छापने के लिए सम्बन्धित प्रकाशक को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा नियन्त्रित मूल्य का कागज नियमानुसार विक्रय किया था।

(3) संस्कृत गद्य कुसुमांजलि के नाम की पुस्तक में अशुद्धियां होने के कारण प्रकाशक द्वारा छापी गई पुस्तकों को विक्रय योग्य नहीं घोषित करने के कारण सारा खर्चा प्रकाशक को ही भुगतना पड़ा।

दृश्य श्रव्य शिक्षा कार्यालय

240. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दृश्य श्रव्य शिक्षा कार्यालय अजमेर से उदयपुर स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो प्रथम बार यह निर्णय कब लिया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस निर्णय का विरोध होने पर स्वयं मुख्य मंत्रीजी, चिकित्सा मंत्री एवं वन राज्य मंत्री ने यह आश्वासन दिये थे कि यह कार्यालय स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा ?

(3) क्या इन आश्वासनों के बावजूद भी इस कार्यालय के स्थानान्तरण के प्रशासनिक आदेश शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि प्रशासनिक आदेश जारी हो जाने के बाद पुनः मुख्य मंत्रीजी ने इस कार्यालय का स्थानान्तरण नहीं करने का आश्वासन दिया है ? यदि हां, तो क्या उसका पालन करने हेतु कार्यालय के स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर दिये गये हैं ? कृपया इस आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने दिनांक 10-12-81 को आदेश प्रसारित किये कि श्रव्य दृश्य कार्यालय अजमेर को उदयपुर स्थानान्तरित किया जावे।

(2) इस विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार ने इस प्रकरण पर पुनः विचार किया तथा श्रव्य दृश्य कार्यालय अजमेर को उदयपुर स्थानान्तरित करने के आदेश को दिनांक 17-2-82 के आदेश द्वारा स्थगित किया गया।

(4) स्थानान्तरण को स्थगित करने के राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17-2-82

(श्री शिक्षा मंत्री)

के प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(आदेश की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

राजकीय महाविद्यालय, अजमेर द्वारा ऐतिहासिक दस्तावेजों की खरीद

241. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) :-क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय, अजमेर द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त कर सन् 1978 में पीसांगन व भिनाय ठिकानों के 16वीं से 20वीं शताब्दी के बहुमूल्य ऐतिहासिक दस्तावेज खरीदे गये थे ?

(2) यदि हां, तो ये दस्तावेजात कितने मूल्य में खरीदे गये थे ?

(3) क्या यह भी सही है कि खरीदने के बाद इनका रख रखाव ठीक तरह से नहीं हो रहा है और ये बोरियों में बन्द पड़े है?

(4) क्या इस सामग्री का प्रयोग अभी तक किसी शोध अथवा अन्य अध्ययन/अध्यापन के प्रयोजन से हुआ है ? यदि हां, तो कब-कब किस-किस रूप में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) यह दस्तावेज रुपये 15,000/- (रुपया पन्द्रह हजार) में खरीदे गये थे ।

(3) इनका रख रखाव ठीक तरह से हो रहा है । इनमें से बहुत से रिकार्ड का वर्गीकरण हो चुका है तथा शेष का करवाया जा रहा है ।

(4) भिनाय ठिकाने के दस्तावेजों का प्रयोग किया जा रहा है और अन्य का वर्गीकरण होने के पश्चात् ही किया जा सकेगा। भिनाय के ठिकाने के ऐतिहासिक पत्रों पर एक शोध पत्र तैयार करके राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस अधिवेशन में सत्र 1979 में पढ़ा जा चुका है।

पंचायत शिक्षकों के लिये राज्य बीमा योजना

242. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार पंचायत शिक्षकों पर राज्य बीमा योजना लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, नहीं । पंचायती राज कर्मचारियों के लिये अनिवार्य बीमा कटौती योजना लागू करने के लिये भारत सरकार सहमत नहीं है ।

सावित्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर द्वारा छात्राओं से जुर्माने की वसूली

243. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री कैलाश मेघवाल)

(1) क्या यह सही है कि सावित्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर में छात्राओं से टैस्ट में सम्मिलित नहीं होने अथवा अनुत्तीर्ण होने पर जुर्माना वसूल किया जाता है ?

(2) यदि हां, तो यह दाण्डिक प्रक्रिया कब से चालू हुई है और क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से स्वीकृति ली गई है ?

(3) गत दो शैक्षणिक सत्रों में इस तरह के जुर्माने से कितनी राशि एकत्र हुई और उसका क्या उपयोग किया गया ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। गत कुछ वर्षों से छात्राओं की टैस्ट में नगण्य उपस्थिति रही तो प्राचार्य महोदय द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर छात्राओं को दण्डित किया जावेगा। उक्त आदेशों के पश्चात् छात्राओं की उपस्थिति में आशातीत वृद्धि हुई।

(2) राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यादेश, 88 के अनुसार प्राचार्य आदेश निकालने में स्वयं सक्षम हैं। इस प्रकार के आदेश प्राचार्य द्वारा दिनांक 20-1-82 को प्रसारित किये गये।

(3) छात्राओं से अनुपस्थित रहने के कारण किसी प्रकार की राशि वसूल नहीं की गई।

तहसील प्रतापगढ़ के विद्यालयों में अध्ययनरत आदिवासी छात्र

244. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1981-82 में तहसील प्रतापगढ़ के विभिन्न विद्यालयों में कक्षा 6 से 11 तक कितने हरिजन एवं आदिवासी बालक, बालिकाओं ने प्रवेश लिया ? कृपया विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रवेशार्थी छात्र, छात्राओं में से कितने छात्र, छात्राओं ने छात्रवृत्ति के लिये आवेदन किया तथा कितनों को छात्रवृत्ति नहीं मिली ?

(3) तहसील प्रतापगढ़ में अध्ययन करने वाले आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) 1981-82 में तहसील प्रतापगढ़ के विभिन्न विद्यालयों में कक्षा 6 से 11 तक प्रवेश लेने वाले हरिजन एवं आदिवासी बालक, बालिकाओं की विद्यालयवार सूची सदन के पटल पर रखदी गई है।

(2) वर्ष 1981-82 में प्रवेश लेने वाले हरिजन एवं आदिवासी बालक, बालिकाओं जिन्होंने छात्रवृत्ति के लिये आवेदन किया था उनकी संख्या तथा जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली उनकी संख्या की विद्यालयवार सूची सदन के पटल पर रखदी गई है।

(3) समाज कल्याण विभाग द्वारा पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं कराने के कारण 77 बालक व 2 बालिकाओं को छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकी है। आवश्यक धनराशि

(शिक्षा मंत्री)

के लिये समाज कल्याण विभाग से निवेदन किया जा रहा है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

शराब की दुकानों के लिये निर्धारित स्थान

245. **श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)** : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि शराब के ठेकों की दुकानों को मन्दिर, स्कूल, सार्वजनिक स्थानों से दूर रखना आवश्यक है ? यदि हां, तो नियम विरुद्ध नगर के मध्य स्थित ठेकों को हटाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

जी हां। नगर के मध्य नियमों के विरुद्ध ठेका होने की यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच कर नियमानुसार उपयुक्त स्थान ढूंढ कर परिवर्तन कराने की कार्यवाही की जाती है।

कोटा जिले में बिक्री कर की बकाया

246. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : व

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) कोटा जिले में बिक्री कर की कितनी राशि किन-किन पर कब से बकाया चली आ रही है ? कृपया विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त राशि को वसूल करने हेतु सरकार द्वारा कब-कब, क्या-क्या प्रयत्न किये गये ?

(3) उक्त राशि बकाया चले आने के क्या कारण रहे हैं ?

उत्तर

(1) सम्पूर्ण जिले के बाकीदारों के नाम चली आ रही हैं।

बकाया की सूचना हजारों में है अतः पटल पर सूची संलग्न करना सम्भव नहीं है। फिर भी 20,000/- रुपये एवं उससे अधिक राशि के बाकीदारों की सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(2) बकाया की वसूली हेतु सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को समय-समय पर निर्देश दिये जाते हैं। 20,000/- एवं उससे अधिक राशि के बाकीदारों की सूची आयुक्त कार्यालय स्तर पर निगरानी हेतु रखी गई है, इसके नीचे के मामलों पर क्षेत्रीय अधिकारी एवं वृत्तिक अधिकारी के स्तर पर निगरानी की जाती है। वृत्तिक अधिकारियों को भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूली करने हेतु शक्ति प्रदान की गई है। वाणिज्यिक कर की बकाया पर, उच्च दर 18 प्रतिशत से ब्याज लेने का भी प्रावधान है। वसूली हेतु विभाग द्वारा निरन्तर प्रयत्न किये जाते हैं एवं इसके लिए लक्ष्य भी निर्धारित किये जाते हैं।

(3) बकाया रहने के मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं:—

(क) विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश,

(वित्त मंत्री)

(ख) व्यापारी द्वारा व्यवसाय बन्द कर अन्यत्र चले जाने के कारण एवं बाकीदारों की चल-अचल सम्पत्ति न होने के कारण।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

जयपुर चांदपोल मंडी के तेल के व्यापारी द्वारा बिक्री कर की चोरी

247. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि वाणिज्य कर विभाग ने जयपुर में पिछले अक्टूबर मास में चांदपोल मण्डी स्थित तेल के एक व्यापारी पर छापा मारकर लाख रुपये की बिक्री कर की चोरी का केस पकड़ा था?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त व्यापारी का मुख्यालय ग्राम शिवदासपुरा में स्थित है?

(3) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में दोहरे बहीखाते भी जब्त किये गये थे?

(4) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) इस केस का निपटारा दिनांक 15-12-81 को किया जाकर 69,439.12 रुपये का बिक्री कर एवं 1,05,000.00 रुपये की शास्ति आरोपित की जा चुकी है।

दुग्ध संकलन केन्द्र, नगराजपुरा (जयपुर)

248 **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)** : क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि दुग्ध संकलन केन्द्र नगराजपुरा, पंचायत समिति बस्सी 11 नवम्बर, 1980 से चालू है? यदि हां, तो इस केन्द्र पर पशुपालकों से नवम्बर 1980 से 12 जुलाई, 1981 तक कितना दुग्ध संग्रह किया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि इस दुग्ध संग्रह केन्द्र पर पशुपालकों से प्राप्त एवं संग्रह किया गया दुग्ध जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. को भेजा जाता है? यदि हां, तो नवम्बर, 1980 से 12 जुलाई, 1981 तक संघ द्वारा कितने दुग्ध का भुगतान पशुपालकों को किया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि दुग्ध संकलन केन्द्र, नगराजपुरा द्वारा संघ को भेजी गयी दूध की मात्रा में व संघ द्वारा प्राप्त दुग्ध की मात्रा में रोजाना अन्तर आता रहा है? यदि हां, तो क्यों और इस पर क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह भी सही है की संकलन केन्द्र पर दुग्ध उत्पादकों द्वारा दिये गये

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

दुग्ध व संघ में प्राप्त दुग्ध की मात्रा में 1486.3 किलोग्राम का अन्तर आने के कारण दुग्ध उत्पादकों को उनके द्वारा दिये गये दुग्ध का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों, तथा अब भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) दुग्ध संकलन केन्द्र नगराजपुरा, पंचायत समिति बस्सी 12 नवम्बर, 1980 से चालू है। इस केन्द्र पर नवम्बर, 1980 से 12 जुलाई, 1981 तक 43,897 लीटर यानि 44,774 किलोग्राम दूध पशुपालकों से संग्रह किया गया।

(2) स्थानीय बिक्री उपरान्त शेष दूध संघ को भेजा जाता है। नवम्बर, 1980 से 12 जुलाई, 1981 तक संघ द्वारा 44,611 किलोग्राम दूध का भुगतान केन्द्र के माध्यम से पशुपालकों को किया गया।

(3) दूध संकलन केन्द्र नगराजपुरा द्वारा भेजे गये व संघ में प्राप्त दूध की मात्रा में यदा कदा अन्तर आता रहा है। यह अन्तर केन्द्र सचिव एवं दुग्ध परिवहन ठेकेदार की अनियमितता के कारण रहा। भविष्य में सतर्कता से कार्य करने हेतु सचिव को निर्देश दिये गये एवं ठेकेदार से सम्बन्धित अन्तर मात्रा की वसूली कर ठेका निरस्त किया गया।

(4) केन्द्र द्वारा 44,774 किलोग्राम दूध पशुपालकों से संकलन किया गया जिसमें से स्थानीय बिक्री उपरान्त 44,697 किलोग्राम दूध संघ को भेजा गया किन्तु संघ में केवल 43,811 किलोग्राम दूध ही प्राप्त हुआ शेष 886 किलोग्राम दूध में से 800 किलोग्राम दूध का अन्तर दुग्ध परिवहन ठेकेदार व 86 किलोग्राम का अन्तर केन्द्र सचिव की अनियमितता के कारण था। ठेकेदार से 800 किलोग्राम दूध की राशि 1582 रु. वसूल कर केन्द्र को भुगतान कर दिया गया है व सचिव को भविष्य में सतर्कता रखने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

मत्स्य आखेट के ठेके

249. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं चित्तौड़गढ़ में मत्स्य आखेट प्रशिक्षण प्राप्त आदिवासी एवं हरिजन व्यक्ति हैं और इन्होंने अपनी सहकारी समितियां भी पंजीकृत करवा रखी हैं ?

(2) यदि हां, तो मत्स्य विभाग ने वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में किस-किस जिले में छोटे-बड़े तालाबों का ठेका मत्स्य आखेट के लिये इन प्रशिक्षण प्राप्त आदिवासी एवं हरिजन बेरोजगारों को दिया ? कृपया जिलेवार एवं वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 2 उदयपुर में, 6 बांसवाड़ा में, 6 डूंगरपुर में मत्स्य सहकारी समितियां पंजीकृत करवा रखी हैं।

(पशुपालन मंत्री)

प्रशिक्षण प्राप्त मत्स्य पालकों को सम्बन्धित जिलों की मत्स्य पालक विकास अभिकरण के माध्यम से छोटे जलाशय लम्बी अवधि के लिये आवंटित किये जाते हैं जिनकी सूची वर्षवार संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

श्री भंवरलाल सेवा निवृत्त पौध संरक्षण प्रवेशक को पेन्शन

250. **श्री नन्द लाल मीणा** (प्रतापगढ़):–क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री भंवरलाल सीवाणी, पौध संरक्षण प्रवेशक, बांसवाड़ा ने स्वेच्छा से 13 अक्टूबर, 1977 को सेवानिवृत्ति ले ली थी ? यदि हां, तो इन्हें अब तक पेन्शन क्यों नहीं स्वीकार की गई है ?

(2) क्या सरकार सेवानिवृत्त अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को पेन्शन दिलाने के नियमों का ठोस रूप से पालन करती है ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री भंवर लाल सिवाणी को दिनांक 13-10-77 से उनकी प्रार्थना पर सेवानिवृत्त किया जा चुका है। श्री सिपानी से राज्य सरकार की बकाया धन राशि तादादी रुपये 1315.28 पैसे वसूल करने, अवकाश स्वीकृति तथा दिनांक 1-9-1976 के वेतनमान में स्थिरीकरण आदि प्रकरणों में कुछ कमियां रहने की वजह से पेन्शन भुगतान के आदेश प्रसारित नहीं किये जा सके थे अब ये सब प्रकरण निर्णीत कर शीघ्र पेन्शन भुगतान आदेश जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। सरकार, इस ओर पूर्ण रूप से ध्यान देकर पेन्शन दिलाने के नियमों का पालन करती है बशर्ते किसी के विरुद्ध राज्य सरकार की धनराशि इत्यादि का प्रकरण शेष न हो।

संकर बाजरे की पैदावार

251. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आजकल राज्य के काफी बड़े इलाके में बाजरा बोया जाता है ? यदि हां, तो कृपया पिछले वर्ष बोये गये क्षेत्र का जिलेवार ब्यौरा दें।

(2) क्या यह सही है कि इसके लिए उपयोग में लाये जा रहे बीज का प्रबन्ध भी सरकार करती है ? यदि हां, तो कृपया निम्न लिखित सूची सदन की मेज पर रखें :—

1. जिला।
2. क्षेत्रफल जिसमें बाजरा बोया गया।
3. कुल बीज जो बोया गया।
4. कुल बीज जो सरकार ने जिलों को दिया।
5. तारीख जिस दिन बीज पहुंचा।
6. राज्य में पैदा किया बीज की मात्रा।
7. विभिन्न राज्यों से प्राप्त बीज की मात्रा।

(श्री माधवसिंह दिवान)

8. रेट जिससे खरीदा गया।

9. स्टॉक में बचा बीज।

10. कुल पैसा जिसका बीज खरीदा गया।

(3) क्या यह सही है कि सरकारी अधिकारी व्यापारियों से मिल कर राज्य में इस संकर बाजरे का बीज पैदा नहीं करवाते तथा अन्य राज्यों से खरीदने में ज्यादा रुचि लेते हैं? यदि हां, तो सरकार संकर बाजरा राज्य में पैदा करने हेतु क्या योजना बना रही है?

उत्तर

(1) जी हां। सन् 1981 में विभागीय अनुमान के अनुसार लगभग 37,15,000 हैक्टेयर में बाजरा बोया गया था जिसकी जिलेवार सूचना परिशिष्ट (क) में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सरकार क्षेत्रफल के हिसाब से बीज की आवश्यकता को केवल आंशिक रूप से राजस्थान राज्य बीज निगम के माध्यम से पूर्ति करती है। कृषक निजी बीज विक्रेताओं से सीधे भी बीज खरीदते हैं। राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा फसल खरीफ 1981 में वितरित संकर बाजरे के बीज का विवरण परिशिष्ट (ख) में अंकित कर दिया गया है जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। राजस्थान राज्य संकर बाजरा के मामले में आत्म निर्भर नहीं है। अतः बाहर के राज्य, जिनमें कर्नाटक तथा गुजरात मुख्य हैं, से संकर बाजरा बीज क्रय करना होता है। राजस्थान राज्य बीज निगम यह बीज राष्ट्रीय बीज निगम के माध्यम से प्राप्त करता है। राष्ट्रीय बीज निगम से आवश्यकतानुसार संकर बाजरे का बीज उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्य राज्यों के पंजीकृत बीज उत्पादकों से भी राजस्थान राज्य बीज निगम संकर बाजरा बीज क्रय करता है। वर्ष 1980 में राजस्थान में 100 एकड़ क्षेत्र में कुल 217 क्वि. संकर बाजरे का बीज पैदा हुआ था। फसल खरीफ 1981 में संकर बाजरा बीज के अन्तर्गत क्षेत्र 100 एकड़ से बढ़ाकर 500 एकड़ कर दिया गया है जिससे अनुमानतः 800 से 1000 क्वि० बीज पैदा होने की संभावना है। इस बीज का विधायन प्रगति पर है तथा इस बीज का खरीफ 1982 में वितरण किया जावेगा। फसल खरीफ 1982 में 1200 एकड़ क्षेत्र में संकर बाजरे का बीज उत्पादित करने का कार्यक्रम बनाया गया है। संकर बाजरा बीज के अन्तर्गत क्षेत्र में राज्य में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

कृषि उपज मण्डी समिति, केसरीसिंहपुर की सम्पर्क सड़कें

252. **श्री मनफूलराम** (केसरीसिंहपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कृषि उपज मण्डी समिति, केसरीसिंहपुर के अन्तर्गत बनने वाली निम्न सम्पर्क सड़कें, जो काफी समय से निर्माणाधीन हैं वे कब तक पूरी करवायी जायेंगी:—

(1) बी हैड से धनूर बनने वाली सड़क।

(श्री मनफूलराम)

(2) केसरीसिंहपुर से मलकाना खुर्द तक बनने वाली सड़क।

(3) केसरीसिंहपुर-कमीनपुरा रोड में से चक तीन टी. (थ्री टी.) वगैरह की ओर जाने वाली सड़क केवल 1.5 किलोमीटर बना कर ही बन्द कर दी जबकि यह सड़क 2.1 किलोमीटर स्वीकृत हुई थी ?

उत्तर

इनमें से प्रथम सड़क वी हैड से धनूर तक का कार्य जारी है तथा मार्च, 1982 में पूरा हो जायेगा। दूसरी सड़क केसरीसिंहपुर से मलकाना खुर्द तक की निविदा निकाली जा रही है। यह कार्य भी 1982-83 में पूरा किये जाने की सम्भावना है। तीसरी सड़क केसरीसिंहपुर कमीनपुरा की स्वीकृति 2.1 किलोमीटर की ही हुई थी किन्तु कृषि उपज मण्डी समिति केसरीसिंहपुर ने उक्त सड़क को केवल ग्राम 3 टी. तक ही बनाने का निर्णय लिया था अतः केवल ग्राम 3 टी. तक ही सड़क बनाई गई है जिसकी लम्बाई 1.5 किलोमीटर है।

पंचायत समिति चेचट (कोटा) की फल एवं सन्तरा उत्पादन योजना

253. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति चेचट, जिला कोटा के लिए फल एवं संतरा योजना स्वीकृत हो गई है? क्या इस योजना को तेजी से क्रियान्वित करने हेतु किसी भी अधिकारी को रामगंज मण्डी में नहीं लगाया गया? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार किसी अधिकारी को लगाकर इस योजना को गति प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां इस योजना को क्रियान्वित के लिए एक सहायक प्रोजेक्ट अधिकारी की नियुक्ति सन्तरा वृक्षारोपण योजना के तहत की जा चुकी है।

(2) अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है।

कृषि उपज मण्डी समितियों में कनिष्ठ लिपिकों के पदों पर नियुक्ति

254. श्री मनफूलराम (केसरीसिंहपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि कृषि उपज मण्डी समितियों में कनिष्ठ लिपिकों के पदों को भरने हेतु जिला मुख्यालय गंगानगर में कृषि विभाग एवं कृषि उपज मण्डी समिति के अधिकारियों ने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया था जिसे बाद में रद्द कर दिया गया ?

(2) यदि नहीं, तो चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी नहीं करने के क्या कारण हैं ? यह सूची अब कब तक जारी करदी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला श्रीगंगानगर की कृषि उपज मण्डी समितियों में कनिष्ठ लिपिकों के पदों को भरने हेतु जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर में चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिया गया था। चयन में

(40)

(कृषि मंत्री)

अनियमिततायें पाये जाने के कारण अब पुनः किये जाने के आदेश दिये गये है।

(2) प्रश्न के प्रथम भाग में उल्लेख कर दिया गया है।

कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना

255. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य के कृषि विकास तथा अनुसंधान हेतु राज्य में कृषि विश्वविद्यालय की आवश्यकता को सरकार महसूस करती है?

(2) यदि हां, तो क्या छठी पंचवर्षीय योजना में राज्य में कृषि विश्वविद्यालय खोलने का विचार है?

(3) क्या यह भी सही है कि अधिकांश राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत कृषि अनुसंधान केन्द्र कार्य कर रहे हैं तथा राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जहां कृषि विश्वविद्यालय नहीं है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय खोलने का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) सामान्यतः कृषि अनुसंधान केन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत ही कार्य करते हैं। राजस्थान में भी कृषि अनुसंधान केन्द्र कार्य कर रहे हैं एवं यह केन्द्र फिलहाल उदयपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कार्यरत हैं। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय घोषित नहीं होने पर भी वर्तमान में उदयपुर विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान कार्य कर रहा है जितना कि एक कृषि विश्वविद्यालय से अपेक्षित है।

सांगानेर क्षेत्र में बैंकों द्वारा गोद लिये लिये गये ग्राम

256. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर के कौन कौन से गांव को किस किस बैंक ने गोद ले रखा है?

(2) इसके अन्तर्गत क्या क्या सुविधाएं ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जाती हैं?

उत्तर

(1) सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में निम्नांकित बैंकों ने उनके नाम के सम्मुख अंकित ग्रामों को गोद ले रखा है:—

ग्राम के नाम जो गोद ले रखे हैं

मुहाना, केश्यावाला, किशोरपुरा, चतरावाला, पंचालिया, खटवाडा, जगतपुरा, जयपुरा, मनोहरपुरा, टीलावाला महला, खातीपुरा, बालावाला, बीलवा, रामचन्द्रपुरा, कल्याणपुरा, सुखिया, गोल्यावास, बास बीलवा, श्योपुर, चकगेटोर, नगरियावाला, बम्बाला, नेवटा, हसमपुरा, चतरपुरा, रामजीपुरा, स. जयसिंहपुरा, पीपला

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

भरतसिंह, जयसिंहपुरा, मोहनपुरा, मदाऊ. बास भांकरोटा, गणतपुरा, हरवंशपुरा, भांकरोटा, हसमपुरा । मांग्यावास, असूर-पुरा, केशोपुरा, देवरी, वाढ देवरी, गोपाल-पुरा, मान्यावास । लुनियावास, दांतली, सिरोली, भावगढ बन्धा, खोरी, चतरपुरा, मुरलीपुरा, रोपाडा, विधानी, हीरापुरा, सील्यावास । कलवाडा, भगोरिया, अजय-राजपुरा, के समस्त ग्राम प्रस्तावित हैं ।

पंचायत शिकारपुरा के समस्त ग्राम प्रस्तावित हैं ।

दहमीकलां, दहमीखुर्द । वाटिका, भाटा-वाला, दादिया, खेडी गोकुलपुरा, मोहनपुरा, आशावाला, कल्लावाला, श्रीराम की नांगल, सीतापुरा, सूरजपुरा, खेतापुरा । महापुरा, लाल्याका बास, रामचन्द्रपुरा, नरसिंहपुरा, सारंगपुरा, भांकरोटा, ठीकरिया. भांई, बगरूखुर्द, रामपुरा, देवलिया । सहकारी समितियों के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।

(2) अभिकरण द्वारा क्रियान्वित निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न उद्देश्यों के लिए जैसे पशुपालन, लघु सिचाई, कृषि आगत, ग्रामीण दस्तकारी आदि के लिए ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया जाता है:—

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्य-क्रम

(2) ट्राईसम योजना (ग्रामीण नव-युवकों को प्रशिक्षण एवं स्वयं का व्यवसाय कराना)

(3) मांडा योजना

(4) लघु सिचाई योजना

(5) समग्र ग्राम विकास योजना

(6) बाढ़ सहायता ऋण व अनुदान

कोटा जिले में पिछड़े को पहले कार्यक्रम से लाभ

257. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या एकीकृत ग्रामीण विकास एवं विशिष्ट योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला कोटा में "पिछड़े को पहले" कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) पीपल्दा क्षेत्र में इस कार्यक्रम द्वारा अब तक कुल कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ? नाम, पिता का नाम, जाति, गांव तथा किस तरह लाभान्वित हुए सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कोटा द्वारा पिछड़े को पहले कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रयोजनार्थ वर्ष 81-82 में जनवरी, 82 तक 2110 परिवारों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से 56 लाख रुपये का ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया गया। कृषकों की सुविधा की दृष्टि से विभिन्न पंचायत समिति एवं ग्राम स्तर पर ऋण प्रार्थना पत्र तैयार करने व ऋण वितरण करने के लिये शिविरों के आयोजन किये गये ।

(एकीकृत ग्रामीण विकास एवं विशिष्ट योजना मंत्री)

(2) पीपल्दा क्षेत्र में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 81-82 में अब तक 379 व्यक्ति लाभान्वित किये गये। जिसकी सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपाया परिशिष्ट 11 देखें)

चित्तौड़गढ़ जिले में गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना

258. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या विशिष्ट योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1981-82 के लिए चित्तौड़गढ़ जिले में 135 गोबर गैस संयंत्र लगाने का प्रावधान रखा गया था ? यदि हां, तो जिले में अब तक कुल कितने संयंत्र लग चुके हैं ? क्या लगाये गये गोबर गैस संयंत्र में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को भी प्रेरित किया गया है ? यदि हां, तो पिछड़े वर्गों के कितने लोगों ने यह संयंत्र लगाये हैं ?

(2) प्रावधान के अनुसार यदि गोबर गैस संयंत्र न लगे हों तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि वर्ष 1981-82 के लिए चित्तौड़गढ़ जिले में 135 गोबर गैस संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक 2 संयंत्र लग चुके हैं। 63 व्यक्तियों के यहां ले-आउट दिया गया है। उनमें से 8 अनुसूचित जन जाति वर्ग के हैं ?

(2) गोबर गैस संयंत्र के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की जिम्मेदारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की है।

मानसिक चिकित्सालय, जयपुर के कोटे की चीनी का घपला

259. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (सीकर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वारा मानसिक चिकित्सालय जयपुर के अधीक्षक के नाम 300 यूनिट का राशन कार्ड बनाया हुआ है ? यदि हां, तो इस राशन कार्ड के आधार पर अब तक कितनी मात्रा में कब-कब चीनी दी गई ?

(2) क्या यह सच है कि 300 पागलों की चीनी फर्जी ढंग से उठाने का समाचार "दैनिक नवज्योति" पत्र के दिनांक 8 जनवरी, 1982 के अंक में प्रकाशित हुआ था ? यदि हां, तो क्या विभाग ने इस संदर्भ में कोई जांच की ? यदि हां, तो कृपया जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सच है कि माह जनवरी, 1981 की 120 किलो चीनी डीलर द्वारा मानसिक चिकित्सालय, जयपुर के नाम देना दिखा कर उस चीनी को स्वयं ने रखली ? यदि हां, तो क्या डीलर के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

(4) क्या यह सच है कि इस चीनी की अनियमितता की प्रारम्भिक जांच श्री जे. पी. शर्मा द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो जाँच का परिणाम क्या रहा ?

(5) क्या यह भी सच है कि उक्त अधिकारी ने मौके की जांच में उस डीलर को दोषी पाया और उसे दोष मुक्त करने के लिये जांच की मूल रिपोर्ट नष्ट करने के लिये डीलर को ही दे दी ?

(6) क्या यह सच है कि शिकायत की जांच दुबारा की जा रही है ? यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त राशन कार्ड पर समय समय पर दी गई चीनी की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "क")

(2) जी हां। दिनांक 22-6-81 को पहली जांच की गई थी। उक्त मामलों में दुबारा विस्तृत जांच करवाई गई जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। (परिशिष्ट "ख")

(3) जी हां। डीलर के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां। जांच परिणाम के अनुसार जनवरी, 81 की 120 किलो चीनी मानसिक चिकित्सालय को बिक्री दिखाया है परन्तु यह चीनी मानसिक चिकित्सालय द्वारा प्राप्त नहीं की गई। इस प्रकार उचित मूल्य के विक्रेता ने बिक्री का गलत इन्द्राज कर चीनी का दुरुपयोग किया। माह अप्रेल, 81 की चीनी, जिसको बेचने की मयाद दिनांक 30-5-81 तक थी, को मानसिक चिकित्सालय को दिनांक 10-6-81 को बेचा गया और मयाद में रखने के लिये स्टॉक रजिस्टर में दिनांक 30-5-81 अंकित किया गया।

(5) प्रस्तुत मामले की जांच विचाराधीन है।

(6) जी हां। पुनः दिनांक 29 व 30-1-82 को जांच कराई गई एवं व्यापारी को नियमानुसार दिनांक 5-3-82 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

विभिन्न वस्तुओं का कोटा

260. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार को 1980 81 व 1981-82 में कितना सीमेन्ट, कोयला, लोहा, इस्पात, खाद्यान्न, कृत्रिम खाद, चीनी, केरोसिन तेल, डीजल पेट्रोल, टिनशीट और पेस्टिसाइड्स का कितना-कितना कोटा किस-किस समय आवंटित हुआ ?

(2) क्या राज्य सरकार को यह जानकारी है कि किन राज्यों को उक्त वस्तुएं राजस्थान से अधिक मिलती हैं ?

(3) इन वस्तुओं के आवंटन के सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या आधार बना रखे हैं ? यदि ये आधार राजस्थान के हित में नहीं हैं तो उनमें परिवर्तन कराने हेतु क्या प्रयास किये गये ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी, नहीं।

(3) अधिक आवंटन किये जाने हेतु पत्राचार एवं व्यक्तिगत सम्पर्क कर निवेदन किया जाता रहा है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

कपड़ा, चीनी सीमेन्ट की उपलब्धता

261. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई): क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में प्रति व्यक्ति कितना-कितना कपड़ा उपलब्ध था ? क्या यह मांग के अनुरूप था ?

(2) राज्य में वर्ष 1980-81 तथा वर्ष 1981 से 25 जनवरी, 1982 तक चीनी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी कितनी रही ? क्या यह मांग के अनुरूप थी ?

(3) राज्य में जनवरी, 1981 से 25 जनवरी, 1982 तक सीमेन्ट की मांग-पूर्ति की स्थिति क्या रही ?

(4) उपलब्ध सीमेन्ट में से कितना कितना शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित किया गया ?

(5) क्या नदबई, जिला भरतपुर में सीमेंट वितरण में धांधली के विरुद्ध कोई प्रदर्शन किया गया था और जिला प्रशासन से शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो क्या ? इसमें क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1979-80 एवं 80-81 में राज्य को 1044 गांठें नियंत्रित कपड़े की प्रति माह आवंटित हुई हैं जो राज्य की जनता को एक मीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से भी पर्याप्त नहीं थीं। यह मात्रा मांग के विपरीत बहुत कम थी।

(2) वर्ष 1980-81 से चीनी 12757 मै०टन प्रति माह आवंटित हुई है जो राज्य की जन संख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति प्रति माह लगभग 370 ग्राम होती है। यह मात्रा मांग के विपरीत बहुत कम है।

(3) राज्य की सीमेन्ट की मांग प्रति त्रैमास 3.5 लाख मै० टन है जिसके विपरीत 1 3 लाख मै० टन आवंटित होती है जो अत्यधिक कम है।

(4) उपलब्ध सीमेन्ट में से विभिन्न जिलों में शहरी क्षेत्रों में 20 से 65 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 35 से 80 प्रतिशत तक सीमेन्ट का वितरण किया गया है।

(5) जी, हां। प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।

बाड़मेर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन

262. श्री अमीन खां (शिव): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री अमीन खां)

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत कन्टेल कंपारजैसीन्धर स्टेशन मु. सहदादका पार-कानासर में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना नहीं हुई है ?

(2) यदि हां, तो इन पंचायतों में सहकारी समितियों का गठन कब तक हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पुनर्गठन योजनान्तर्गत सक्षम इकाई हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सम्भावना की जानकारी की जा रही है।

ग्राम सेवा सहकारी समिति, धनसोटी (भरतपुर)

263. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) ग्राम सेवा सहकारी समिति, धनसोटी (भरतपुर) को कीटनाशक औषधि क्रय-विक्रय करने का लाइसेन्स किस तिथि को जारी किया गया था एवं लाइसेन्स की संख्या क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) लाइसेन्स जारी होने की तिथि से 31 जनवरी, 1982 तक कितनी मात्रा में औषधियों का क्रय एवं विक्रय किया गया ? औषधि प्राप्त करने का स्थान एवं विक्रेता की सूची मय तिथि बिल संख्या एवं मात्रा के विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., धनसोटी (भरतपुर) के लिये कार्यालय उप निदेशक, कृषि, भरतपुर द्वारा पौध संरक्षण औषधियां बेचने का लाइसेन्स क्रमांक 112 दिनांक 2-1-78 को जारी किया गया था।

(2) लाइसेन्स जारी होने की तिथि से 31-1-82 तक किसी औषधि का क्रय विक्रय किया जाना नहीं पाया जाता।

पंचायत समिति, सुल्तानपुर एवं सांगोद (कोटा) को ग्राम सेवा सहकारी समितियों में बकाया

264. श्री दाऊदयाल जोशी दीगोद)
श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति, सुल्तानपुर एवं पंचायत समिति, सांगोद की कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर किस-किस मद की कबसे कितनी-कितनी धनराशि बकाया चली आ रही है ?

(2) उक्त वसूली हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये एवं उक्त राशि को सरकार अब कब तक वसूल कर लेगी ?

उत्तर

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर एवं सांगोद की क्रमश: 21 व 19 ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर निम्न प्रकार ऋण बकाया है—

सरकारी ऋण

(राशि लाखों में)

नाम पं. स.	कब से बकाया	किस्म ऋण			योग
		गोदाम	फर्नीचर	मशीनरी	
सुल्तानपुर	73-74	1.09	0.56	1.03	2.68
सांगोद	73-74	1.01	0.40	–	1.41

बैंक ऋण

नाम पं. स.	किस्म ऋण					
	अल्पकालीन		मध्यकालीन		मध्य परिवर्तित	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
सुल्तानपुर	30	94.92	24	1.05	1	0.57
सांगोद	18	23.65	11	0.99	12	2.23

(2) सरकारी गोदाम एवं फर्नीचर ऋण की किश्तें समय पर वसूल हो रही है। मशीनरी ऋण के लिए मशीनरी सरकार के दृष्टिबन्धक रहन है। बकाया किश्तों की वसूली दृष्टिबन्धक रहन मशीनरी को बेचकर की जावेगी।

केन्द्रीय सहकारी बैंक के ऋणों की वसूली के लिए राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही चालू है।

ग्राम खाजलपुरा (चाकसू) का स्कूल भवन

265. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार को अनेक बार शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि चाकसू पंचायत समिति के ग्राम खाजलपुरा में स्कूल भवन बहुत जीर्णशीर्ण स्थिति में है और कभी भी गिर सकता है ?

(2) यदि हां, तो वह भवन कब तक मरम्मत करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। भवन क्षति ग्रस्त होना बताया गया है परन्तु वह गिरने की स्थिति में नहीं है।

(2) इस भवन हेतु बढ़िया शिक्षा कार्यक्रम योजना में 4,260 रुपये स्वीकृत किये गये हैं। सरपंच को कार्य तुरन्त आरम्भ

(पंचायत मंत्री)

करने के भी निर्देश दिये जा चुके हैं। शीघ्र ही मरम्मत का कार्य पूर्ण हो जावेगा।

आदर्श ग्राम योजना

266. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आदर्श ग्राम योजना क्या है? आदर्श ग्राम घोषित करने का क्या आधार है?

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं?

(3) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर के कौन-कौन से गांव आदर्श गांव घोषित किये गये हैं और कब-कब? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सांगानेर तहसील के ग्राम रामपुरा अंती को सरकार ने आदर्श ग्राम घोषित किया है?

उत्तर

(1) वर्तमान में इस प्रकार की कोई योजना राज्य सरकार द्वारा नहीं चलाई जा रही है। अतः आदर्श गांव घोषित किये जाने का आधार बताया जाना संभव नहीं है।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

ग्राम पंचायत डोलीका के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही

267. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

ग्राम पंचायत डोलीका के भूतपूर्व सरपंच, श्री मीण्डूराम मीना के विरूद्ध राज्य सरकार के पास क्या कोई कार्यवाही विचाराधीन है? यदि हां, तो उस पर अभी तक निर्णय नहीं करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

जी नहीं। अलबत्ता जिलाधीश, जयपुर को ग्राम पचायत डोलीका के विरुद्ध काम के बदले अनाज योजना में गबन किये जाने की शिकायत माह अगस्त, 1979 में प्राप्त हुई थी। जांच में दो कार्यों के मूल्यांकन में रु० 328.00 कम होना पाया गया, जिसकी वसूली की कार्यवाही चालू है।

पंचायत समिति, खेरवाड़ा

268. **श्री गुलाबचंद कटारिया** (उदयपुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विकास अधिकारी, पंचायत समिति, खेरवाड़ा द्वारा 1-1-1981 से 31-12-1981 तक समिति की जीप पर पैट्रोल, डीजल, मरम्मत पर कितना व्यय किया गया? कृपया मासिक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंचायत समिति में 1-1-1981 से 31-12-1981 तक टेलीफोन

(58)

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पर, ट्रंक काल एवं लोकल काल पर कितना खर्चा हुआ ?

(3) विकास अधिकारी ने 1-1-1981 से 31-12-1981 तक चिकित्सा पुनर्भरण की कितनी राशि उठाई ? कृपया मासिक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विकास अधिकारी ने 1-1-1981 से 31-1-1981 तक कहां कहां यात्राएं कीं एवं यात्रा भत्ते की कितनी राशि उठाई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति खैरवाड़ा द्वारा दिनांक 1-1-1981 से 31-12-1981 तक पैट्रोल पर 19,823.79 रु. एवं जीप मरम्मत पर 10,586.15 रु. व्यय किये गये हैं। मासिक विवरण के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(2) दिनांक 1-1-1981 से 31-12-1981 तक टेलीफोन पर निम्न प्रकार व्यय हुआ:—

टेलीफोन किराया एवं लोकल काल्स	1,530-00
ट्रंक काल पर व्यय	167-00
योग	1, 697-00

(3) विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 1-1-1981 से 31-12-1981 तक कुल 475.09 चिकित्सा पुनर्भरण की राशि उठाई गई। मासिक विवरण के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(4) विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 1-1-1981 से 31-12-1981 तक पंचायत समिति क्षेत्र में भ्रमण एवं उदयपुर मीटिंग में भाग लिया, जिसके यात्रा भत्ते के रूप में कुल 2,280.10 रु. की राशि उठाई गई है।

पंचायत समिति, भीण्डर

269. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर):—क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भीण्डर द्वारा 1-1-1981 से 31-12-1981 तक समिति की जीप पर पैट्रोल, डीजल, मरम्मत पर कितना व्यय किया गया ? कृपया मासिक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विकास अधिकारी द्वारा 1-1-1981 से 31-12-1981 तक टेलीफोन के लोकल काल एवं ट्रंक कॉल पर कितना व्यय किया गया ?

(3) विकास अधिकारी द्वारा 1-1-1981 से 31-12-1981 तक चिकित्सा पुनर्भरण की कितनी राशि उठाई गई ?

(4) विकास अधिकारी ने 1-1-1981 से 31-12-1981 तक कहां कहां यात्राएं कीं तथा यात्रा भत्ते की कितनी राशि उठाई ? कृपया मासिक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति भीन्डर द्वारा 1-1-1981 से 31-12-1981 तक पैट्रोल पर 11,514.54 रु. एवं जीप मरम्मत पर 8,383.44 रु. व्यय किये गये हैं जिसका मासिक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) दिनांक 1-1-1981 से 31-12-1981 तक टेलीफोन के लोकल काल एवं ट्रंक काल पर कुल 2,319.50 रु. व्यय हुए है।

(3) विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 1-1-1981 से 31-12-1981 तक 997.62 रु. चिकित्सा पुनर्भरण के रूप में उठाये हैं।

(4) विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 1-1-1981 से 31-12-1981 तक पंचायत समिति क्षेत्र में भ्रमण एवं उदयपुर की यात्राओं पर कुल 3688.05 रु. की राशि उठाई गई हैं जिसकी सूचना सदन की मेज पर रखी गई तालिका में अंकित कर दी गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

केशवरायपाटन क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान

270. **श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) केशवरायपाटन क्षेत्र के गांवों में पेयजल की समस्या के समाधानार्थ कितने गांवों में नये कुए निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि गत 3 वर्षों में स्वीकृत की गई ?

(2) उक्त स्वीकृत राशि से कितने कुए पूर्ण कराये जा चुके हैं तथा कितने अपूर्ण हैं ?

उत्तर

(1) केशवरायपाटन क्षेत्र के गांवों में पेय जल की समस्या के समाधानार्थ 84 गांवों में कुल 87 नलकूप निर्माण हेतु गत तीन वर्षों में 11,26,700 रुपये की धन-राशि स्वीकृत की गई।

(2) उक्त स्वीकृत राशि से 13 कूप पूर्ण कराये जा चुके हैं एवं 74 कूप निर्माणाधीन हैं।

राज्य की पंचायत समितियां

271. **श्री मालाराम (खेतड़ी)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितनी पंचायत समितियों में विकास अधिकारी लगे हुए हैं तथा कितनी पंचायत समितियों में विकास अधिकारियों के पद रिक्त हैं ? सरकार इन रिक्तियों को भरने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

(2) राज्य की कितनी पंचायत समितियों में जीप आवंटित हैं ? क्या जीपों के उपयोग के सम्बन्ध में कोई पाबन्दियां हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(3) झुंझुनू जिले में कितने सरपंचों के खिलाफ गबन के केस उप-जिलाधीश एवं जिलाधीश कार्यालय में चल रहे हैं, तथा उन पर कब तक निर्णय लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) 236 पंचायत समितियों में से 205 पंचायत समितियों में विकास अधिकारी लगे हुए हैं तथा 31 पचायत समितियों में विकास अधिकारियों के पद रिक्त हैं जिन्हें शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) विभाग में अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार 188 पंचायत समितियों में जीप उपलब्ध है। 8 पंचायत समितियों में जीप उपलब्ध नहीं है। शेष 40 पंचायत समिति से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जीप के उपयोग पर पंचायत समिति के कार्यों हेतु कोई पाबंदी नहीं है।

(3) जिलाधीश से प्राप्त सूचना के अनुसार जिलाधीश एवं उप जिलाधीश स्तर पर कुल 28 मामले प्रारम्भिक जांच हेतु चल रहे हैं। जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी पाये गये सरपंचों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। इसके अलावा 7 मामले राज्य सरकार द्वारा विस्तृत जांच के लिये भी जिलाधीश को भिजवाये गये हैं जिनमें जांच कार्यवाही चालू है। इस तरह कुल 35 मामले सरपंचों के खिलाफ उप जिलाधीश एवं जिलाधीश के स्तर पर चल रहे हैं।

केसरीसिंहपुर क्षेत्र में पक्की डिग्गियों का निर्माण

274. **श्री मनफूलराम** (केसरीसिंहपुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) निर्वाचन क्षेत्र केसरीसिंहपुर के अन्तर्गत पड़ने वाले गांवों में नई स्कीम के तहत चालू एवं गत वित्तीय वर्ष में कहां-कहां नई पक्की डिग्गियों का निर्माण करवाया गया है? कृपया ग्रामवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) कितनी डिग्गियां बन चुकी हैं और कितनी निर्माणाधीन हैं?

(3) कहां कहां पक्की डिग्गियों की कमी रह गई है और कितने ऐसे हरिजन बहुल मोहल्ले हैं जहां पक्की डिग्गियां बनाई गई हैं?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) 34 डिग्गियां पूर्ण हो चुकी हैं एवं 18 डिग्गियां निर्माणाधीन हैं।

(3) जिन गांवों में पक्की डिग्गियों की कमी रह गई है उसका विवरण सदन की मेज पर रखी गई सूची में अंकित कर दिया गया है व 7 ऐसे हरिजन बाहुल्य मोहल्ले हैं जहां पक्की डिग्गियां बनाई गई हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

अनुपस्थिति अनुमति

श्री अध्यक्ष : अनुपस्थिति के लिए अनुमति।

श्री चन्द्रवीर सिंह को 23 फरवरी, 1982 से 17 मार्च, 1982 तक सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं

(श्री अध्यक्ष)

कि श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा ने अपने बड़े भाई का स्वर्गवास हो जाने के कारण 23 फरवरी, 82 से 17 मार्च, 82 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें 23 फरवरी, 82 से 17 मार्च, 82 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है—

अनेक माननीय सदस्य : आवाज नहीं आ रही है।

श्री हंसराज शर्मा : माइक काम नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : चैक कर लीजिए।

(1) सर्व श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सवाई माधोपुर में भूमि विकास बैंक के प्रशासक द्वारा छोटे काश्तकारों को तंग करने के विषय में।

(2) श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से अकालग्रस्त क्षेत्रों के लघु एवं सीमान्त तथा अनुसूचित जाति के कृषकों आदि को खाद, बीज आदि समय पर वितरित न करने के विषय में,

(3) श्री रामकिशोर मीणा व सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर सेन्ट्रल जेल के एक प्रहरी....

(व्यवधान)

....श्री जगदीशप्रसाद के पिछली 11 जनवरी के गायब हो जाने के विषय में।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसको रिपीट कर दें, साहब। श्री रामकिशोर से रिपीट कर दें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर मीणा व सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर सेंट्रल जेल के एक प्रहरी श्री जगदीशप्रसाद के पिछली 11 जनवरी से गायब हो जाने के विषय में,

(4) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा नगर के वार्ड गोर्धनपुरा में मार्च के प्रथम सप्ताह में एक नवयुवक की हत्या के विषय में,

(5) श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, सदस्य विधान सभा की ओर से नागौर जिले के अकाल-ग्रस्त गांवों में लोग पेड़ों की छाल खाकर जी रहे हैं, इस विषय में,

(6) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से अजमेर नगर में बीड़ी निर्माण के श्रमिकों के शोषण के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(7) सर्वश्री मेघराज तावड़, त्रिलोकसिंह व यदुनाथसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से पिलानी में शहीद भगतसिंह के स्टेच्यू को क्षतिग्रस्त कर देने के सम्बन्ध में।

इस मामले में एक अन्य प्रस्ताव पर सरकार से सूचना आ गई है जिसका अध्ययन किया जा रहा है।

(8) श्री भंवरलाल शर्मा व श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में कृषि भूमि के रूपान्तरण व नियमितिकरण के सम्बन्ध में बनाये गये नियम कठोर एवं अव्यावहारिक हैं, इस विषय में।

इसी सम्बन्ध में एक अन्य प्रस्ताव पर राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हो गई है, जिसका अध्ययन कर निर्णय लिया जाएगा।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं:—

(9) **श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह** : ग्राम केरिन्दड़ा तहसील जैतारण, जिला पाली के एक किसान की फसल पर डाका डाल कर उसे लूट ले जाने के विषय में। यह एक व्यक्तिगत मामला है।

(10) **श्री अनंगकुमार जैन व श्री बालचन्द्र आर्यवीर** : झालावाड़ जिले में पेयजल की समस्या। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय नहीं है।

(11) **श्रीमती विद्या पाठक** : जयपुर नगर में यातायात की दुर्व्यवस्था। यह भी स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हो गई है:—

(1) **श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह** : जिला झुंझुनू की तहसील उदयपुरवाटी में मिट्टी ढह जाने से दो व्यक्तियों की मृत्यु।

मैंने इस विषय में माननीय मुख्य मंत्री महोदय से बात कर ली है और उन्होंने सूचित किया है कि लाशों के निकालने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

(2) **श्री दाऊदयाल जोशी** : गत 30 जनवरी को ग्राम कनवास तहसील सांगोद जिला कोटा में सत्यनारायण कंडक्टर की हत्या। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है और मुल्जिम गिरफ्तार हो गया है।

(3) **श्री कैलाश मेघवाल** : अजमेर में पेयजल की अव्यवस्था। सरकार ने सूचित किया है कि नगर में 182 हैण्ड पम्प कार्य कर रहे हैं और 80 नये हैण्ड पम्प लगाये जाने की योजना है, साथ ही इस समस्या के स्थाई समाधान हेतु बनास योजना भी सरकार के विचाराधीन है।

(4) **श्री गोपाल पचेरवाल** : चूरू में समाजसेवी, श्री प्रदीप शर्मा की पुलिस द्वारा पिटाई। इस मामले में सरकार द्वारा की गई जांच से पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हुये हैं।

(श्री अध्यक्ष)

(5) **श्री बंसीलाल पटवा** : भीलवाड़ा जिले में एक दिन में 3 डकैतियां व एक अन्य डकैती। ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण अवश्य हैं, परन्तु पुलिस द्वारा अभियोग का अन्वेषण जारी है और मुल्जिमों की तलाशी की जा रही है।

(6) **श्री देवीसिंह भाटी** : राजस्थान नहर निर्माण के दौरान तहसील कोलायत में कुछ काश्तकारों को भूमि का मुआवजा न देने के सम्बन्ध में। इस विषय पर राज्य सरकार की ओर से 15 मार्च, 1982 को सदन में एक वक्तव्य दिया जायेगा।

(7) **श्रीमती विद्या पाठक** : जयपुर जिले में किसानों की फसलों में कीड़े लग जाने के विषय में। आज सदन में फसलों पर रोली लग जाने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य होना है, उस समय माननीय सदस्या इस प्रश्न पर भी चर्चा कर सकती हैं।

(8) **श्री कनकराज मेहता** : सांचोर में डाक्टर का स्थान रिक्त होने के विषय में। राज्य सरकार द्वारा नये डाक्टरों की नियुक्तियां करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और शीघ्र ही इस रिक्त पद पर भी नियुक्ति कर दी जायेगी।

श्री हंसराज शर्मा : साहब, सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष : (9) **श्री मोहनलाल मोदी** : नीम का थाना नगर पालिका के चुनावों के दौरान मार-पीट। इस मामले में पुलिस द्वारा न्यायालय में 25 फरवरी को चालान पेश कर दिया गया है और इस घटना का सम्बन्ध नगर पालिका के चुनावों से नहीं बताया जाता है।

(10) **श्री बंसीलाल पटवा** : भीलवाड़ा स्थित गांधी अस्पताल के डाक्टर द्वारा विकलांगों को आवश्यक प्रमाण-पत्र न देने। राज्य सरकार ने इस विषय में सूचित किया है कि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और न ही प्रमाण-पत्र देने में कोई अनियमितता बरती गई है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सुनाई नहीं पड़ रहा है, साहब।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माईक काम नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रबन्ध किया जा रहा है।

(11) **श्री जीतमल जैन** : अलवर के बजाजा बाजार में त्रिपोलिया भवन जीर्ण-शीर्ण हो जाने के विषय में। राज्य सरकार की ओर से इस विषय में एक वक्तव्य होगा, जिसकी तिथि बाद में तय की जायेगी।

(12) **श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : भरतपुर जिले में सिनसिनी गांव में 20 डकैतों द्वारा एक डकैती। सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि इस घटना के अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है।

(13) **श्री कैलाश मेघवाल** : अजमेर के केन्द्रीय आदर्श कारागृह के बाल अपराधियों के साथ दुर्व्यवहार। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा की गई जांच में समस्त आरोप निराधार और कपोल कल्पित पाये गये हैं।

(श्री अध्यक्ष)

(14) **श्री भगवानदास शास्त्री** : अजमेर मेडिकल कालेज के डाक्टर मैत्रेय के स्थानांतरण की मांग को लेकर किये गये आन्दोलन। इस स्थगन प्रस्ताव में उल्लिखित घटना कालेज के छात्रों के गुटों में मारपीट की बताई गई है और इसका सम्बन्ध डाक्टर मैत्रेय के स्थानांतरण से नहीं है।

(15) **श्री गोपाल पचेरवाल** : निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ में मोबाइल सर्जिकल कैम्प में भर्ती एक मुस्लिम लड़की के साथ दुर्व्यवहार। इस सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर जांच की जा रही है।

(16) **श्री जीतमल जैन** : अलवर के थाना हाउस का एक भाग जर्जर हो जाने के विषय में। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा भवन की मरम्मत हेतु आवश्यक व्यवस्था की जा रही है।

(17) **श्री हीरालाल आर्य** : कोटा जिले के मांगरोल कस्बे के थाने में ए. एस. आई. द्वारा एक युवती के साथ बलात्कार। इस घटना के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अन्वेषण किया जा रहा है।

(18) **श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नीलाल** : जिला सवाई माधोपुर के थाना चौथ का बरवाड़ा में देवीशंकर गूजर की हत्या। इस मामले में भी न्यायालय में शीघ्र ही चालान पेश किया जा रहा है।

(19) **श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : जयपुर में वीरेन्द्र नामक युवक की हत्या। इस मामले में अभियोग का अन्वेषण जारी है।

उपरोक्त आधारों पर मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव जो व्यवस्था में सम्मिलित नहीं किये गये हैं:—

सर्वश्री गोपाल पचेरवाल, गुलाबचन्द कटारिया व यदुनाथसिंह–आयुर्वेद विभाग के निदेशक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही। यह एक व्यक्तिगत मामला है और इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती। माननीय सदस्य ने एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी दी है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है।

व्यवस्था का प्रश्न

सत्रावधि में पंचायत समिति आदि की बैठक

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

माननीय अध्यक्ष, इस आर्डर के सम्बन्ध में आपने व्यवस्था दी थी। एबसेंट माइंडेड केबिनेट है बिलकुल। आपने व्यवस्था दी थी कि जब असेम्बली चले तब कोई भी मीटिंग नहीं होगी एम. एल. एज. की, कोटा की हो या कहीं की भी हो। आगे 15 तारीख की मीटिंग है पंचायत समिति चेचट की।

श्री अध्यक्ष : कृपया मुझे बताने का कष्ट करें, क्या कह रहे हैं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जानकारी दी थी, 20 संकल्प के विषय में प्रभारी मंत्री जी ने मीटिंग रखी थी

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

फिर उन्होंने कहा मैंने कैन्सिल कर दी है। चेचट पंचायत समिति की फिर मीटिंग हो रही है। प्रभारी मंत्री महोदय, जरा इस प्रकार का सर्कूलर सरकार के द्वारा जिलाधीश को भेज दें, जो मीटिंग वह काल कर रहे हैं, एम. एल. एज. का होना आवश्यक है, विधान सभा चल रही है, हम नहीं जा सकते ऐसी मीटिंग नहीं बुलवायें। वह लगातार मीटिंग बुलवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। चूंकि इस अवधि में कानून के अनुसार पंचायत समितियों के कुछ मेम्बर को-आप्ट करने पड़ते हैं अथवा समितियों के चुनाव कराने पड़ते हैं। उसका अध्ययन करके उसके बाद में मैं निर्णय दूंगा, कुछ समय पश्चात्।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्व अभियान के जो अलॉटमेंट कैम्प हैं उनकी 13 तारीख रखी गई है। आमेर पंचायत समिति में राजस्व अभियान के लिये····

श्री अध्यक्ष : दूसरी जितनी बैठकें बुलाई गई हैं, वह कैंसिल कर देंगे। उसके बारे में हम थोड़ा सोच रहे हैं कानून की दृष्टि से क्या हो सकता है क्योंकि मियाद समाप्त होने के बाद····

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, आपने आश्वासन दिया था, मैं सब जिलाधीशों को आदेश दे रहा हूं, ऐसी मीटिंग नहीं कॉल करें····

श्री अध्यक्ष : मैंने जो जानकारी ली, मंत्रीजी को शायद पूरा ध्यान में नहीं होगा। तीन महीने की मियाद है वह समाप्त होने जा रही है····

श्री हरीश शर्मा : टोटली इम्पासिबल।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो विधान के हिसाब से या नियम के हिसाब से मीटिंग बुलानी है, बुलायें। लेकिन ऐसी मीटिंग जिनसे····

श्री अध्यक्ष : दूसरी के लिये अपने यहां से सर्कूलर गये हुए हैं उसके बारे में और सर्कूलर निकाल देंगे, मीटिंग नहीं हो।

श्री राजबहादुर : गये हुए हैं, उनकी अवहेलना हो रही है, मैं यही नोटिस में लाना चाहता था आपके।

श्री अध्यक्ष : वह देख लूंगा मैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : पांच तारीख को मीटिंग हो गई, सीकर कलेक्टर के यहां पर।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा ना, इसमें बात यह है कि कमेटियों की जो सब-कमेटियां पंचायत समिति की हैं उनके चुनाव होने को है। दूसरी कमेटियों के बारे में राज्य सरकार ने भी कह दिया है, मैं भी इस ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर दूंगा कि दूसरी कोई कमेटी नहीं बुलायी जाय, इसके बारे में अब मैं निर्णय लूंगा।

स्थगन प्रस्तावों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की सूचना

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक पाइन्ट आफ आर्डर है मेरा।

58

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर क्या है ? पहले इस बिजनेस को समाप्त करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसी से सम्बन्धित है।

हम आपको जो प्रस्ताव देते हैं, उनमें से कुछ प्रस्तावों को आप स्वीकार करते हैं, कुछ प्रस्ताव अस्वीकार करते हैं, कुछ को राज्य सरकार की जानकारी के लिये भेजते हैं। राज्य सरकार की जानकारी के लिये भेज देते हैं कुछ प्रस्ताव। राज्य सरकार से जानकारी आये इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है कि तीन दिन में आ जायेगी या चार दिन में आ जायेगी। जब भी आती है, तब सीधे आपके पास आती है। उसके आधार पर आप यह निर्णय करते हैं कि इसको रिजेक्ट किया जाय या एक्सेप्ट किया जाय। आप रिजेक्ट करते हैं, आप यहां सदन में पधारते हैं तब उसकी घोषणा करते हैं कि आज इसको रिजेक्ट किया है। उसके पहले माननीय सदस्य को जानकारी नहीं होती कि उसका प्रस्ताव कब रिजेक्ट होगा।

श्री अध्यक्ष : यह सम्भव ही नहीं है जानकारी देना। मैंने इस प्रश्न को देख लिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, यह कठिनाई है माननीय सदस्यों की, आप यहां पर बिना हमारी पूर्व जानकारी के फर्मा देते हैं कि आपका प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया है, आप इस पर बोलें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को उपस्थित रहना चाहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपस्थित तो रहेंगे, उपस्थित रहने में आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सम्भव नहीं है कि सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस दें कि यह होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्यों के कई प्रस्ताव होते हैं, कौनसा आप एक्सेप्ट करेंगे, कौनसा रिजेक्ट करेंगे किस किस की रोज तैयारी करते आवें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यहां उपस्थित रहें।

श्री भंवरलाल शर्मा : देखिये, उनकी सुविधा के लिये कोई मार्ग निकालें।

श्री अध्यक्ष : यह सम्भव नहीं है, माननीय सदस्य। इस पर मैंने विचार कर लिया है, यह सम्भव नहीं है। अधिक से अधिक मैं इतना ही कर सकता था जितना मैंने किया है। माननीय सदस्यों को यह सहूलियत दे दी है....

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। आगे कार्यवाही को नहीं टालें। वरना तो ऐसा होगा कि रोजाना उस दिन हमारी तैयारी नहीं होगी....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : यह सम्भव नहीं है, माननीय सदस्य। जो कुछ मैं कर सकता था अधिक से अधिक मैंने कर दिया। दो-दो मिनट, तीन मिनट यदि आपके....

(श्री अध्यक्ष)

(महिला दर्शक दीर्घा से सदन की अवमानना)

आर्डर प्लीज ।

एक माननीय सदस्य : अरे भाई, है कहां चन्दन मल जी ?

एक माननीय सदस्य : गये वह तो पहले ।

एक माननीय सदस्य : वह तो आपके पास जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : समय ना लें, माननीय सदस्य ।

श्री भंवरलाल शर्मा : हमारी यह समस्या है, इसका समाधान कहां ढूंढेंगे ?

श्री अध्यक्ष : मैं तो यह सोच रहा हूं, इस पर सीमा लगा दी जाय । दिन भर में तीन चार से अधिक स्थगन प्रस्ताव आवें नहीं, थोड़े आवें । दिन पर दिन स्थगन प्रस्तावों की संख्या 25-30 से ऊपर हो गई है । दो दो मिनट भी हों तो भी डेढ घंटे का समय लगता है । इस संबंध में जो मैंने व्यवस्था दी है, व्यावहारिक दृष्टि से उससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक बात मैं इसलिये कहना चाहता था, उपस्थित और अनुपस्थित का प्रश्न नहीं है उन्होंने 12 दिन पहले स्थगन प्रस्ताव मूव किया था एक्जेक्टली, आज नाम मेरा भी आ गया है दो स्थगन प्रस्तावों के बारे में । क्या उन सारे स्थगन प्रस्तावों की सूचना मैं हर दिन लेकर यहां आऊंगा ? यह सम्भव हो सकता है ? मैं इसलिये चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : तो फिर बोलें ही नहीं । हमने अस्वीकार कर दिया, आप हम पर छोड़ दीजिये । जो जनहित का विषय होगा उस पर सरकार का उत्तर लेकर हम व्यवस्था कर देंगे और अन्य आप उपस्थित हों तो दो मिनट में अपनी बात कह दीजिये ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह बात सच है, माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट बात कहने के पहले जो मेटर संबंधित था, जिस दिन आवश्यक होने के कारण स्थगन प्रस्ताव मूव किया हुआ था, आज उसकी भी स्मृति उतनी तरो ताजा होगी ?

श्री अध्यक्ष इस संबंध में मैंने आज ही चार बजे बैठक बुलाई है उसमें उपस्थित होवें । आपके जो सुझाव आयेंगे उन पर विचार कर लूंगा ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, तहसील....

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): इस संबंध में एक बात कहना चाहूंगी, माननीय अध्यक्ष महोदय । मैंने 27 तारीख को स्थगन प्रस्ताव दिया । गवर्नमेंट का उत्तर आया था 5 या 6 तारीख को । आपने यह भी कहा था उस पर स्टडी की जा रही है । 11 तारीख हो गई कब तक इस पर स्टडी की जायेगी ? कृषि भूमि के बारे में जो मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा आज उसका उत्तर आया । 5-6 दिन हो गये यह विषय बहुत गंभीर है ।

श्री अध्यक्ष : अब उसका अध्ययन कर रहे हैं । माननीय सदस्या जानती हैं छुट्टी आ गई, बीच में मंत्रियों के, सरकार के

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

वक्तव्य लग रहे हैं, मैं अध्ययन करके जल्दी ही इस पर व्यवस्था दूंगा।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह।

(अनुपस्थित)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अनंगकुमार जैन : पेयजल की समस्या, झालावाड़ के श्री बालचन्द्र आर्यवीर। संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) माननीय अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में पेयजल की समस्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सुनेल कस्बे के ऊपर ध्यान दिलाना चाहता हूं। आर्य नगर में पानी के कनेक्शंस हैं, वहां पर उन लोगों से मिनिमम चार्ज लिया जाता है और पेनल्टियां भी की जाती हैं किन्तु उन लोगों को पानी नहीं मिल पाता। वहां पर लोगों को बड़ी दिक्कत उठानी पड़ रही है। इसी प्रकार एक सिहोली गांव है, वहां पर लोगों को पानी नहीं मिल पाता। वहां पर पाइप लगा रखे हैं, पाइप टूट जाने से लोगों को पानी नहीं मिल पाता। उनसे मिनिमम चार्ज लिया जा रहा है। इस प्रकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह ध्यान दिलाना चाहता हूं, डग कस्बे में हरिजन बस्ती में, शिड्यूल्ड कास्ट्स बस्ती में पाइप लाइन नहीं है। लोगों को दिन पर दिन इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों में मैंने इस प्रकार एक गांव का उदाहरण आपके सामने रखा था। हीगडया एक गांव है जहां पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीब लोग, शिड्यूल्ड कास्ट के लोग रहते हैं वहां पर दो तीन मील से पानी ढोकर लाते हैं, उनको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, सुनेल कस्बे के सिहोली और हीगडया जो गांव हैं, वहां सर्वे किया जाय। उन लोगों को पानी क्यों नहीं मिल पाता जब कि कनेक्शनधारी हैं? वह मिनिमम चार्ज देते हैं, उनके ऊपर पेनल्टी भी की जाती है तो इसकी जांच कराके उनको पानी देने की व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक। जयपुर नगर में यातायात की दुर्व्यवस्था के संबंध में।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव एक घटना विशेष के सम्बन्ध में था। 7 मार्च को विधान सभा क्षेत्र में ड्यूटी पर लगे हुए एक सिपाही दिलीपसिंह की बस से टक्कर होकर मृत्यु हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केवल दिलीप सिंह की ड्यूटी पर रहते हुए मृत्यु हुई हो ऐसा नहीं है, यद्यपि इसमें बस भी पकड़ी गई और बस का चालक भी पकड़ा गया परन्तु उसी दिन जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर एक जोंगा जीप से टकरा कर एक टैक्सी ड्राइवर घायल हुआ। उसी दिन

(श्रीमती विद्या पाठक)

टक्कर से एक साइकिल सवार घायल हो गया पांच बत्ती पर स्कूटर मोटर की टक्कर से एक 22 वर्षीय नवयुवक घायल हुआ। माधोसिंह रोड़ पर एक अज्ञात व्यक्ति और भी दुर्घटना में घायल हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में बार-बार यह प्रश्न आता है। पांच एक्सीडेंट पर डे हो रहे हैं। पिछले तीन साल में जयपुर शहर में 1099 एक्सीडेंट्स में घायल हुए और 260 के करीब मर चुके हैं और उससे पिछले तीन साल में केवल 78 मरे थे। अध्यक्ष महोदय, सड़क व्यवस्था और ट्रेफिक व्यवस्था इतनी खराब है कि हमारे पास लोग रोज आकर मिल रहे हैं। न केवल लोग मिल रहे है बल्कि हम सब एम. एल. ए. भी सड़कों पर से कम से कम इस एक महीने, विधान सभा के सत्र के दौरान आ जा रहे हैं। मैं सोचती हूं कि पूरा सदन ही इस बात से सहमत होगा कि यातायात व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिपाहियों के कारण और सिपाहियों के अभाव के कारण भी ट्रेफिक की स्थिति इतनी खराब है। इसका मतलब प्रशासन पर अंकुश नहीं है या समुचित व्यवस्था नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर मंत्री महोदय ने पिछली बार जवाब दिया था सदन में। जब उनसे पूछा गया कि क्या जयपुर शहर में ट्रेफिक की व्यवस्था खराब है, तो उन्होंने जवाब दिया था-नहीं। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था खराब है, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि कुछ सड़कें खराब होने की वजह से यातायात खराब है जिन्हें बहुत जल्दी सुधारा जा रहा है परन्तु, अध्यक्ष महोदय, स्थिति आज भी वही है जो पिछले साल थी।

श्री अध्यक्ष : समय का ध्यान रखें।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, समय का नहीं, लोगों के मरने का ध्यान करना पड़ेगा हमको। किस तरह से रोज-रोज समस्या बढ़ रही है और असुविधा हो रही है इस पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं सोचती हूं कि क्या आप यह नहीं सोचते कि यह व्यवस्था ऐसी है जिस पर मंत्री महोदय का वक्तव्य दिलाया जाय कि वे यातायात में सुधार के लिये क्या कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्या, मैंने अपनी व्यवस्था दे दी।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर में भी रहते हैं, व्यवस्था खराब है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आबादी बढ़ी हुई है, भीड़ अनाप-शनाप है। बेहतर बन्दोबस्त सरकार को करना चाहिये यह हमेशा....

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रेफिक-वीक मनाया गया है उस पर हजारों, लाखों रुपये खर्च हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा सैल है, प्रशासन है और वह कुछ नहीं करें इस

(श्रीमती विद्या पाठक)

पर आप कुछ कमेंट नहीं करेंगे ? मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री दाऊ दयाल जोशी। तहसील सांगोद, जिला कोटा में सत्यनारायण कंडक्टर की हत्या। संक्षेप में अपनी बात कहेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, 30-1-82 को शाम को 7 बजे कनवास के मुख्य बस-स्टेण्ड पर सत्य-नारायण राठौड़, जो कि एक जातीय सम्मेलन से लौट कर आ रहा था, को मामूली बात पर याकूब और मुजीब नाम के दो अपराधियों ने चाकुओं से गोद डाला। कोटा लाते-लाते सत्यनारायण की मृत्यु हो गई। निवेदन करना यह है कि यह घटना हुई 7 बजे। साढ़े सात बजे थाने में रिपोर्ट कराई गई। 9 बजे याकूब एक साइकिल पर बैठकर वहां से 8 किलोमीटर दरा स्टेशन पर आया और यहां से चलकर मोडक, जहां उसका बड़ा भाई पुलिस में नौकरी करता था, शरण प्राप्त करने के लिए गया। रात को दो बजे तक दूसरा मुलिजम गांव में घूमता रहा, पुलिस हरकत में नहीं आई। ढाई बजे अपराधियों के परिवार ने एक ट्रक किराये पर लिया और पूरे अपराधियों का परिवार गांव छोड़ कर गया। रात के ढाई बजे तक पुलिस हरकत में नहीं आई। आखिरकार, उसके बाद सारा गांव बन्द हो गया। दूसरे दिन लाश आई। लाश आने के बाद लगातार 5 दिन तक सारा गांव हड़तालग्रस्त रहा। पूरा का पूरा गांव बन्द रहा। उसके बाद, बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये। संक्षेप से मतलब नहीं है, आपको कोई शिकायत हो तो....

श्री दाऊदयाल जोशी : संक्षेप में, मूल शिकायत यह है....

श्री अध्यक्ष : मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : सात बजे से ढाई बजे तक पुलिस नहीं आई। दूसरी बात, मुजीब जिस पर 307 का एक केस रजिस्टर है उम्मेदसिंह के द्वारा 8 बजे के पहले उसको नहीं पकड़ा। दूसरे मुजीब के खिलाफ पुलिस के एक हैड कांस्टेबल द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई उस पर कोई केस नहीं बनाया। उसके बावजूद, अध्यक्ष महोदय, मुजीब नाम का....

श्री अध्यक्ष : यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। श्री कैलाश मेघवाल। स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरी शिकायत यह है कि मुजीब ने....

श्री अध्यक्ष: शिकायत होने से स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बनता, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : मुजीब के पिता को कोटा लाया गया और पुलिस के हाथ से मुजीब का पिता गायब हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि मुजीब एक आदतन अपराधी है जो आज तक पुलिस के हाथ नहीं आया। उसके बाद,

(श्री दाऊदयाल जोशी)

8 दिन पहले कनवास में फिर एक 69 वर्षीय डोकरी की हत्या हुई।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : आदतन अपराधी को नहीं पकड़ा जाता।

अंत में एक और बात कहना चाहता हूं। सत्यनारायण राठौड़ के एक तीन साल का और एक सात साल का, दो बच्चे हैं। अकेला सत्यनारायण परिवार का पालन करने वाला था। आज तक मृतक सत्यनारायण को कोई सहारा रोडवेज की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। यह एक अहम् प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी कोटा जिले में सबसे ज्यादा डकेतियां, लूट, हत्या हुई। कोटा जिला पूरा इस प्रकार से अपराध ग्रस्त हो गया है, अपराध का गढ़ बन गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उन बच्चों के भरण पोषण की माननीय मंत्री महोदय व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव अजमेर में पानी की समस्या को लेकर था। पिछले दिनों माननीय जल प्रदाय मंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि युद्ध स्तर पर अजमेर में पानी उपलब्ध कराया जायेगा उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं पिछले दो-तीन सत्रों में लगातार इस प्रश्न को उठा रहा हूं। 24-24 घंटे में एक एक बार पब्लिक हाइड्रेन्ट पर अगर पानी मिले तो उस स्थान की क्या स्थिति होगी। वहां की आबादी वर्तमान में 3 71 लाख के करीब है और फ्लोइङ्ग पापूलेशन मिला कर 4 लाख की आबादी हो जाती है। इसको जितने पानी की आवश्यकता है, अध्यक्ष महोदय, उसका एक तिहाई पानी नहीं मिल पा रहा है। अभी तो मार्च चल रहा है। अप्रेल मई, जून में पानी का हाहाकार मचने वाला है। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं सरकार को कि सारे पानी वितरण की नल व्यवस्था, यंत्रों का पुनर्मूल्यांकन करके अजमेर में ठीक ढंग से नागरिकों को पानी मिले, यह व्यवस्था करनी चाहिये। माननीय जल प्रदाय मंत्री जी ने जो घोषणा की है कि युद्ध स्तर पर कार्यवाही करेंगे वह युद्ध स्तर की कार्यवाही युद्ध स्तर पर हो यह निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकारियों के भरोसे घोषणा की जाती है उसके आधार पर काम चलने वाला नहीं है। मानीटरिंग मंत्री जी को करना पड़ेगा, सरकार को करना पडेगा और अजमेर के प्रत्येक नागरिक को ठीक समय पर पानी मिले यह व्यवस्था करनी पड़ेगी, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।
(अनुपस्थित)

श्री बंसीलाल पटवा : भीलवाड़ा जिले में एक दिन में 3 डकेतियां और अन्य डकेतियों के बारे में। संक्षेप में।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले में पिछले माह एक ही रात में चार डकेतियां माण्डल से लेकर हमीरगढ़ रेलवे स्टेशन के

62

(श्री बंसीलाल पटवा)

बीच में पड़ीं। इससे पूर्व बहुत बड़ी डकेती मूसी में पड़ी, उससे पूर्व सेवा सदन ग्राम भारती में डकेती पड़ी और उससे पूर्व जीतियां में सशस्त्र डकेती पड़ी। हजारों का माल ले गये और छोटी मोटी चोरियां—जैसे मूर्तियां ले गये जैनियों के मंदिर से। आये दिन इस प्रकार की घटनाएं घटती जा रही हैं। भीलवाड़ा नगर में, खास तौर पर जिले भर में वातावरण क्षुब्ध हो रहा है, रोष पनप रहा है। पिछले दिनों मांडल में एक साथ 7 घटनाएं घटीं। किसी के पांव काटने की नौबत आई। इस प्रकार की स्थिति है। कहने का मतलब यह है कि लॉ एण्ड आर्डर टूटता जा रहा है। चोरियों की बरामदगी नहीं हो रही है। इसके लिये जो कारगर प्रयत्न करने चाहिये वह भी नहीं किये जा रहे हैं। इसके साथ साथ पुलिस का पेट्रोलिंग भी बराबर नहीं है। मेरा निवेदन आपके माध्यम से यह है कि एक के बाद एक डकेती पड़ती जा रही है, औरतें भयभीत हो रही हैं, महिलाएं रात्रि को घूम नहीं पाती हैं। इसके अतिरिक्त चोरियां का लगातार तांता लगा हुआ है। पिछली बार जो सूचना मिली थी पुलिस के बारे में, कितनी चोरियां हुई, कितनी बरामद हुई, कितने अपराध हुए, उससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस असमर्थ है। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है इस स्थगन प्रस्ताव के द्वारा कि इस पर विचार-विमर्श होता, डिस्कशन होता। मेरा यह निवेदन है कि कारगर प्रयत्न किये जायं और कारगर प्रयत्न नहीं किये गये तो भीलवाड़ा जिले में लॉ एण्ड आर्डर टूटेगा, जन असन्तोष बढ़ेगा। एक के बाद एक डकेतियां बढ़ रही हैं। और भी इसमें वृद्धि होगी। मेरा निवेदन है कि इस पर अंकुश किसी तरह से लगाया जाय ताकि लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन हो। मेरा यह भी निवेदन है कि जितनी डकेतियां, चोरियां हुई हैं........

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल पटवा : ....उनको बरामद करवाया जाय।....

श्री अध्यक्ष : आप कुछ कहना चाहेंगे डाक्टर की नियुक्ति के बारे में ?

श्री कनकराज मेहता (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। सांचोर में पी. एच. सी. एक है। दो लाख की आबादी है और डाक्टर एक है। मेरा यह निवेदन है कि सांचौर तहसील काफी बड़ी है, जनसंख्या के हिसाब से भी। एक पी. एच. सी. में एक डाक्टर काम नहीं कर सकता है। काफी लोग आते हैं, निराश होकर लौटना पड़ता है। एक डाक्टर भारी संख्या में आने वालों को ठीक तरह से अटेन्ड नहीं कर सकता है। एक डाक्टर है वह भी दमा का पेशेन्ट है। काफी परिवार नियोजन के केसेज भी आ रहे हैं। एक डाक्टर से समूची व्यवस्था नहीं हो पा रही है और न लोगों को ठीक उपचार ही मिल पाता है। समय पर डाक्टर का मिलना कठिन है। डाक्टर की गैर मौजूदगी में अस्पताल के अन्दर ठीक ढंग से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि इतनी बड़ी पंचायत समिति में एक पी. एच. सी. हो, वहां एक डाक्टर कम है।

(श्री कनकराज मेहता)

सांचौर में तुरन्त डाक्टर नहीं लगाया गया तो जनता को उपचार मिलने में काफी असुविधा होगी और लोगों को नुकसान हो सकता है। लोगों को ठीक उपचार न मिलने के कारण बाहर भागना पड़ता है। गरीब लोग भारी खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं। इसलिये इसकी व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी। नीम का थाना में नगरपालिका चुनाव के दौरान मारपीट।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। नीम का थाना में नगर-पालिका चुनावों में 13 तारीख की रात्रि को कुछ हरिजनों के घर में घुसकर उनको मारा-पीटा गया है। उनके वोट डालने में रुकावट डाली गई। पुलिस में रिपोर्ट की गई। पुलिस समय पर नहीं आई। इन लोगों के साथ में बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। पुलिस ने रिपोर्ट के बाद, काफी बाद में चार आदमियों का चालान पेश किया है। अध्यक्ष महोदय, जो चालान पेश किया गया है वह दफा 451 और 147 में पेश किया गया है जबकि घर के अन्दर घुसकर मारा गया है। इसमें दफा 452 लगनी चाहिए थी जो नाकाबिले जमानत होती है। इस तरह हरिजनों के साथ में अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है। वोट न डालने दिया जाय, इस तरह की व्यवस्था है। इसमें लोगों को बहुत दिक्कत होती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्पेशल अदालत है उसमें इसका चालान पेश किया जाय और वहीं पर इस केस की सुनवाई होनी चाहिये, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री बंसीलाल पटवा। गांधी अस्पताल, भीलवाड़ा के संबंध में, विकलांगों को प्रमाण पत्र....

श्री बंसीलाल पटवा (भीलावाड़ा) : दो दिये हैं। हुकूम कौनसा है ?

श्री अध्यक्ष : एक विषय पर दो दिये ही क्यों ?

श्री बंसीलाल पटवा : अलग अलग तारीखों में दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : भीलवाड़ा स्थित गांधी अस्पताल के डाक्टर द्वारा विकलांग को आवश्यक प्रमाण पत्र न देने के बारे में।

श्री बंसीलाल पटवा : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं, मेरे पास में डाक्यूमेन्टरी आधार है कि यह विकलांग वर्ष है इस वर्ष में किस तरह से फर्जी सर्टिफिकेट दिये जा रहे हैं इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, गांधी अस्पताल में आरथोपेडी सर्जन है वह भीलवाडा जिले में कैम्प्स लगाते हैं। यह विकलांग वर्ष है इसमें विकलांगों को ज्यादा सुविधाएं मिले, राहत मिले, उनको किसी न किसी रूप में राहत मिले, इस दृष्टि से ये कैम्प्स लगाये जाते हैं। वहां पर विकलांगों को प्रमाण पत्र दिये जाते हैं। उनको सहायता किसी तरह से मिले, इस तरह से विकलांग होने का प्रमाण पत्र दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, वहां पर करप्ट प्रेक्टिस

उद्

(श्री बंसीलाल पटवा)

चल रही है। जहां पर कैम्प लगा उसका एक प्रमाण पत्र मेरे पास में इस तरह का है कि शाहपुरा में कैम्प लगा, वहां पर जिस व्यक्ति को रिफ्यूज कर दिया कि वह विकलांग नहीं है उसी व्यक्ति को 15 दिन बाद प्रमाण पत्र दे दिया जाता है कि वह विकलांग है। वास्तव में यह विकलांग था लेकिन पहले उसको प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। बाद में उसने उनके घर पर जाकर रुपये दिये, फीस दी तो उसका प्रमाण-पत्र बना दिया गया। यदि आप आवश्यक समझें तो मैं सदन की टेबल पर दोनों प्रमाण-पत्र रख सकता हूं। एक ही डाक्टर के हैं और दोनों पर एक ही व्यक्ति का नाम लिखा है। यह इनकी फोटो स्टेट कापी है। एक बार उसको रिफ्यूज कर दिया गया और दूसरी बार उसको प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया। यह विकलांग वर्ष है। विकलांग में आर्थपेडिक सर्जन गांधी अस्पताल इस तरह करप्ट प्रेक्टिस करे, चीटिंग करे विकलांगों के साथ में, मैं सोचता हूं, यह सरकार के लिये शर्म की बात है। यहां पर हैल्थ मिनिस्टर नहीं हैं, उनको इसका रिप्लाई देना चाहिये। दोनों प्रमाण-पत्र मेरे पास में है। एक ही डाक्टर के हैं। एक ही व्यक्ति के नाम पर हैं। एक में रिफ्यूज किया और दूसरे में जारी कर दिया है। यह करप्ट प्रेक्टिस है। ऐसे डाक्टर को सजा मिलनी चाहिये। डाक्टर यह कहता है कि वह अधिकारियों को घूस देता है, पैसा पहुंचाता है। यहां तक कि मंत्रीजी पर आरोप लगाता है कि मैं × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर···· आर्डर···· बिना पूर्व सूचना के आरोप न लगावें।

श्री बंसीलाल पटवा : ····यह फर्जी प्रमाण-पत्र मेरे पास में हैं। मैं इन दोनों का फोटो स्टेट कापी सदन की टेबल पर रखता हूं, जो उस डाक्टर के द्वारा दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी। भरतपुर जिले में डकेती के संबंध में····

श्री बंसीलाल पटवा : मैं इनको सदन के पटल पर रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : इसका उद्देश्य तो यही है कि माननीय सदस्य इसका उपयोग करना चाहें तो कर सकते है।····

श्री बंसीलाल पटवा : हमारे लिये और कौनसा माध्यम है। आपके सिवाय और कहां हम जाकर कहेंगे। इस तरह की गलत प्रेक्टिस है। आप सीरियस एटीट्यूड लेंगे तो निश्चित तौर पर इस पर कार्यवाही होगी।····

श्री अध्यक्ष : श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, आपने सूचना दी है कि डकेत गिरफ्तार हो गये हैं। मैं इतना-सा निवेदन करना चाहता हूं कि जो डकैत गिरफ्तार हुए हैं वे पूरे नहीं हुए हैं। आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, पता नहीं सरकार ने कौनसा सर्कूलर भेज रखा है कि डकेतियों की रिपोर्ट दर्ज

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

मत करो, चोरियों की करो। मैं चाहता हूं, आपके माध्यम से, राज्य मंत्री गृह यहां पर बैठे हैं, वे बतावें। लगातार डकेतियां हो रही हैं। फायर का प्रयोग किया जा रहा है। लोगों को जान से मारा जा रहा है। उस समय आपका यह सर्कूलर है. पता नहीं क्या है, जिसके कारण डकेतियों की एण्ट्री नहीं हो रही है, चोरियों की एण्ट्री करने की चर्चा की जा रही है। यह गलत है। यह बिलकुल ठीक नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने इस सर्कूलर को ठीक करें। वहां पर लोगों की ठीक प्रकार से रिपोर्ट दर्ज हो और उसके अनुसार तफतीश की जाय, यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई सर्कूलर जारी नहीं किया गया है कि डकेतियों की रिपोर्ट दर्ज न की जा करके चोरी की रिपोर्ट दर्ज की जाय।....

श्री दाऊदयाल जोशी : कोटा में डाका पड़ा....

श्री अध्यक्ष : आप इनसे बात कर लीजिये। सदन में चर्चा न करें।....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : कोटा में डाका पड़ा....

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री दाऊदयाल जोशी : डाकू एक लाख रुपये का माल लूट कर ले गये। पुलिस वाले कहते हैं यह डाका नहीं है, चोरी है। वहां पर पुलिस को कारतूस मिले हैं। गोलियां चली हैं। कोटा का एस.पी. कहता है यह डाका नहीं है यह चोरी है। यह अखबार की रिपोर्ट है।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष श्री कैलाश मेघवाल।

श्री दाऊदयाल जोशी यह डाकुओं को संरक्षण देना है।....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : राज्य सरकार इसकी जांच करे। कोटा के पास डाका पड़ा है कोटा का एस.पी कहता है डाका नहीं है, चोरी है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री मेघवाल। जेल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : निश्चित कहना है। इसलिए कहना है कि इतना गंभीर, घृणित घटना जेल में रहने वाले बाल अपराधी के साथ हुई है। सोडोमी क्राइम बैरक में, जेल में बाल अपराधियों के साथ हुआ, किन शब्दों में कहूं ?

(श्री कैलाश मेघवाल)

मैं निवेदन करना चाहता हूं इस विषय पर सरकार ने जिस तरह का जवाब भेजा है, मुझे, अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कहना है, आपने जो व्यवस्था दी है वह व्यवस्था तो आपने उसी आधार पर दी है जो सरकार ने जवाब दिया है। लेकिन मैं पुनः एक चीज रखना चाहता हूं, जैसा माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी ने निवेदन किया कि कुछ तथ्य होते हैं और उन तथ्यों के आधार पर ही हम किसी भी नियम के आधार पर, प्रावधान के अन्तर्गत अपने मसले उठाते हैं। इस केस में अदालत में इस तरह का बयान है, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बाल अपराधी लड़के के साथ जेल में सोडोमी क्राइम अमानवीय व्यवहार किया उसको यहां नहीं रख सकें, मुझे यह मालूम नहीं था।

यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बाल अपराधी पुखराज, जिसने कि सोडोमी क्राइम की शिकायत की है, उसके साथ कैदी जेल में बेरोक टोक मजे कर रहे हैं, रात भर उसके साथ सोडोमी करते हैं और उस शिकायत करने वाले पुखराज के हाथ तोड़ दिये, दो कैदियों। ने माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अजमेर जेल की हालत ठीक नहीं हैं। मुझे खुशी होती अगर सरकार इन घटनाओं को गम्भीरता से लेती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके जो भारत भूषण भट्ट नामक व्यक्ति हैं, जो जेल अधिकारी हैं, जो कि जेल के जेलर हैं, उन्होंने जब उन लड़कों के साथ बातचीत करनी चाही, उनके बयान लेने चाहे तो उसको कैदियों ने पीटा। पीटने के बाद में उसको बता दिया गया उच्च अधिकारियों की ओर से कि तुम आगे शिकायत मत करो, इसकी जांच मैं कर लूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह राज्य मंत्रीजी बैठे हैं, माननीय जेल मंत्रीजी बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिन जेलों में सोडोमी क्राइम हो रहा है उनमें बाल अपराधी भेजे जाते हैं या नहीं, वहां पर बाल अपराधियों को रखा जाता है या नहीं? और अगर रखा जाता है तो अजमेर के न्यायालय में इस तरह की शिकायतें हुई या नहीं हुई हैं कि बाल अपराधियों के साथ सोडोमी क्राइम किया है। एक बात और, माननीय अध्यक्ष महोदय। आप स्वयं जानते हैं कि बम्बई से एक अखबार निकलता है। मैंने जो स्थगन प्रस्ताव में दिया है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि बम्बई के ब्लिटज के आधार पर ही मैं यह स्थगन प्रस्ताव दे रहा हूं। 27 फरवरी को अखबार निकला, हमारे माननीय राज्य मंत्रीजी का उसमें फोटो है और जिसके साथ सोडोमी हुई उस लड़के का फोटो देकर यह छापा है कि 22 बाल अपराधियों के साथ यह हुआ है। आज आप छोटी मोटी गलतियों, छोटी मोटी भूलों के लिये तो स्पष्टीकरण छाप देते हैं, सरकारी विज्ञप्तियां निकलती हैं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी घटना हुई, जितनी बड़ी घटना कानपुर में हुई थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर में जो सोडोमी की घटना हुई, एक बाल अपराधी ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी, सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया और नोटिस लेकर सारा रिकार्ड मंगाया। उस पृष्ठभूमि में ब्लिटज ने इसको छापा है कि 22 अपराधियों के साथ में यह कुकर्म हुआ। फोटो छापा है, मंत्री महोदय, श्री दिनेश राय डांगी का और उस बाल अपराधी का फोटो

(श्री कैलाश मेघवाल)

छपा है। अदालत का रिकार्ड बोल रहा है कि सोडोमी हो रही है, अधिकारियों के साथ मारपीट हो रही है फिर भी इसकी जांच नहीं कर रहे हैं। कैदी इस तरह से उच्छृंखल बन रहे हैं और सरकार यह जवाब दे रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि सरकार इस पर पुनः विचार करे। आपकी व्यवस्था पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे पता होता कि इस तरह का सरकार जवाब देगी तो मैं अदालत में जो कार्यवाही चल रही है जो सोडोमी के केस की कार्यवाही हो रही है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपियां लाकर पेश कर सकता था....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : इसलिये, अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मसला है इस गम्भीर मसले को जिस सतही आधार पर रखने का अवसर मिला है, सतही इसलिये कह रहा हूं कि मुझे आपने बोलने का मौका दिया नहीं था, दो मिनट बोलने की व्यवस्था की है, इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए आपने मुझे दो मिनट ज्यादा मौका दिया है, लेकिन सरकार से कुछ सवाल तो करते, क्या आपने कोई अधिकारी जांच के लिए भेजा है ? जिस अधिकारी को भेजा है क्या वह अधिकारी सोडोमी करने वालों के पक्ष वाला तो नहीं है ? मुझे आपसे निवेदन करना है कि यहां पर जेल राज्य मन्त्री जी बैठे हैं, आज जेलों के ऊपर से लेकर नीचे तक दो गुट बन गये हैं, जेल कर्मचारियों और अधिकारियों तक आई. जी. पी. और गृह राज्य मन्त्री आज आमने सामने खड़े हैं, झगड़ कर रहे हैं जिससे जेल का वातावरण बिगड़ रहा है, उससे अव्यवस्था हो रही है····

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : उसके बारे में जांच करवाना नहीं चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आई. पी. सी. की धारा 377 सोडोमी की धारा से घृणिततम कोई अपराध है क्या ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या है ? उस अपराध के प्रति यहां पर कोई गम्भीरता नहीं चल रही है। नामजद अपराधियों के नाम लिये जा रहे हैं, उसका जवाब क्या है। आपके पास सिवाय शेम शेम के कहने को कुछ नहीं है। मेरा निवेदन है कि····

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : आप अगर तथ्यों की जानकारी कर सकें तो जो बात मैंने कही उसके आधार पर जांच करवा सकें तो सदन में कहना सार्थक होगा, मेरा यह बात उठाना सार्थक होगा और राजस्थान के बाल अपराधी आपके आभारी होंगे। जो आपके 14 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं और जिनके साथ में राजस्थान की जेलों में कुकर्म किये जा रहे हैं उसको समाप्त करने का आप माध्यम बनें, मुझे आपसे यही निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री भगवानदास शास्त्री।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपने सतही तौर पर रिजेक्ट कर दिया पर मंत्री

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

महोदय बैठे हैं, अखबारों में लगातार चर्चा हो रही है इस सम्बन्ध में सब चर्चा हो रही है उसके लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मैंने इस पर व्यवस्था दे दी है....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था तो....

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दी है सरकार से जानकारी....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्री दाऊदयाल जोशी : इसका खण्डन तो करने दीजिये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री मेघराज तावड़ : यहां पर सरकार की ओर से बयान दिलवायें ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री जीतमल जैन ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसका सम्बन्ध राजस्थान के....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । मैंने इस पर व्यवस्था दे दी है ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इसके बारे में, अव्यवस्था सारे राजस्थान में हो रही है, कुछ मन्त्री महोदय बतायें, घटना कितनी गम्भीर है । मैं जानता हूं, वे यह नहीं कह सकते हैं, खण्डन भी नहीं कर सकते हैं, पता नहीं कौनसी दुविधा है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । आर्डर प्लीज ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न आपकी इजाजत से....

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । आर्डर आर्डर ।

श्री मेघराज तावड़ । जवाब नहीं दे रहे हैं, जांच नहीं करा रहे हैं । मन्त्रीजी को त्याग पत्र देना चाहिए....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शान्त रहें । कार्य सूची काफी लम्बी है । माननीय सदस्य, समय न लें ।

श्री नाथूसिंह : आपकी जो व्यवस्था है वह सही है, रूल्स के हिसाब से मैं बिलकुल एतराज नहीं करता हूं लेकिन सदन में चर्चा चल रही है । कुछ विषय ऐसे होते हैं जो मानवता से सम्बन्ध रखते हैं....

श्री अध्यक्ष : आसन जब व्यवस्था देता है तो सभी पक्षों पर विचार करके देता है ।

श्री नाथूसिंह : मंत्री महोदय यहां पर बैठे हैं....

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, इस विषय को यहां पर रखते हुए भी शर्म लगती है, पता नहीं माननीय गृह मन्त्रीजी और माननीय जेल मन्त्रीजी यहां पर····

श्री अध्यक्ष : आप समय ले रहे हैं। श्री जीतमल जैन।

श्री दिनेश डांगी (राज्य मन्त्री, कारा-गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी जैसी आज्ञा है वैसा जवाब भिजवा चुका हूं। जो सूचना विभागीय स्तर पर मिली है स्थगन प्रस्ताव आने से पहले डी. आई. जी. रेंज के अधिकारी को, जो छपा है, उसकी सूचना मंगाने भेज दिया था

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : खण्डन करें।

श्री दिनेश डांगी : मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन लें। जो सूचना आयी उसको भिजवा दिया है। अपनी ओर से तो कुछ नहीं कह सकता हूं फिर, अध्यक्ष महोदय, आप जैसी व्यवस्था दें, मैं कार्यवाही करने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं व्यवस्था दे चुका हूं

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप इसकी जांच नहीं करवाना चाहते हैं ? कोर्ट में भी····

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। आर्डर, आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, शान्त रहें।

श्री दिनेश डांगी : कोर्ट की कापी भिजवा दें, मैं अलग से जांच करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया समय जा रहा है। श्री जीतमल जैन।

श्रीमती उजला अरोड़ा : व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के नींद ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में पहले व्यवस्था दी जा चुकी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अभी तक होश में नहीं हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : अमीन खां साहब जाकर जगाइये।

(व्यवधान)

राजस्थान की मिनिस्ट्री सो रही है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, क्या व्यवस्था है इस बारे में। नींद लेना मना है य_ नियमों में लिखा है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, कोई विधान सभा में सो सकता है क्या ?

श्री दाऊदयाल जोशी : राजस्थान की किस्मत सो रही है····

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह नींद लेने का वक्त नहीं है। आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। श्री जीतमल जैन।

(श्री अध्यक्ष)

अलवर के बजाजा बाजार में त्रिपोलिया भवन जीर्णशीर्ण हो जाने के विषय में। इसमें कहना चाहेंगे क्या ? राज्य सरकार की ओर से इस विषय में वक्तव्य होगा।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। पिछली विधान सभा की अवधि में प्रश्न के माध्यम से मैंने इस प्रश्न को उठाया था और इसके बाद माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय को एक पत्र लिख कर भी सूचित किया था कि जो थाना हाउस है उसके पास नगर परिषद् ने एक बोर्ड लगा रखा है "कृपया इस बिल्डिंग से दूर रहें।" इसका अर्थ यह है कि निश्चित रूप से बिल्डिंग इतनी खतरनाक स्थिति में है कि कभी भी वह गिर सकती है और उससे जन और धन की हानि हो सकती है। लेकिन आज 6 महीने का काल बीत जाने के पश्चात्, मेरे लिखने के बाद और विधान सभा में क्वेश्चन उठाने के पश्चात् सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही की गई है। माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय का एक पत्र मुझे 6 सितम्बर का लिखा मिला, "अलवर में थाना हाउस का विद्यालय चलता है उसकी मरम्मत के सम्बन्ध में आपका जो पत्र दिनांक 26-8-81 मिला, मैं इसकी जानकारी करके उचित निर्देश दूंगा।" इस सारे मामले के अन्दर सैकड़ों बच्चों के साथ खिलवाड़ हो सकता है, फिर उसके साथ-साथ सड़क है, रास्ता है जो कि हमारे कलेक्टोरेट को जाता है, तो बिल्डिंग गिर जाने से राहगीरों को भी नुकसान हो सकता है लेकिन सरकार की इतनी उदासीन है कि प्रश्न विधान सभा में आने के पश्चात्, मेरे पत्र लिखने के पश्चात् भी आज तक 6 महीने के अन्दर सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। सरकार से इस वास्ते क्या आशा की जा सकती है कि वह शीघ्र ही प्रबन्ध करेगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, किसी भी समय, जिस प्रकार आमेर में दुखद घटना दो वर्ष पूर्व हुई उसी प्रकार की दुखद घटना अलवर के अन्दर हो सकती है और लोगों के नौनिहालों का उसके अन्दर जीवन नष्ट हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री जीतमल जैन : सरकार इस संबंध में उचित कार्यवाही करें, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री हंसराज शर्मा, जिला सवाई माधोपुर के थाना चौथ का बरवाड़ा में देवीशंकर गूजर की हत्या।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैंने एक प्रस्ताव दिया था कि थाना चौथ का बरवाड़ा में तारीख 1-1-82 को देवीशंकर गूजर की हत्या कुछ लोगों ने कर दी थी। जिस समय वह दूध लेकर जा रहा था सवेरे 7 बजे उन लोगों ने आक्रमण किया और 7–8 व्यक्तियों ने उसको मारा, जिससे बुरी तरह से वह घायल हो गया। उसके बाद में उसको थाना बरवाड़ा में ले गये लेकिन उसका किसी प्रकार का बयान नहीं लिया गया। उसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती

(श्री हंसराज शर्मा)

करा दिया गया लेकिन वहां भी किसी प्रकार बयान कलमबन्द नहीं कराये गये। इसी के साथ-साथ मुख्य मसला यह है कि उसके पास उस समय उसकी मां भी थी, मुल्जिमान ने उसकी माता के पैर की कड़ियां, कुनाड़ी, पाइप जो जेवर थे वह सारे के सारे उतार लिये और उसकी मां को भी बन्द कर दिया। लेकिन पुलिस में रिपोर्ट करने के बावजूद वह सारे के सारे जेवर वहां का गंगासिंह थानेदार मुल्जिमान से लेकर उचन्त के उचन्त खा गया। करीब 20-22 हजार के जो जेवर थे उनको बरामद नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, इस घटना को पूर्व में बताया नहीं है। अपमानजनक, मानहानिकारक, आरोपित न करने वाला मसला, इसको उठाने की इजाजत नहीं दूंगा माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री हंसराज शर्मा : जिन्होंने मारा और जो जेवर खा गया उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा गृह मन्त्री जी से कि वे किसी प्रकार से बरामद नहीं हो रहे हैं। मेरा निवेदन है कि पुलिस में रिपोर्ट कराई और सब कुछ कराया तो आज तक जेवर बरामद नहीं करने का क्या कारण है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं थानेदार ने जो घटना की उसकी जांच कराई जावे। वह खुद जांच नहीं कर सकता इसलिए मेरा निवेदन है थानेदार को पृथक किया जाय और अन्य अधिकारियों से जांच कराई जाय और जेवर बरामद किये जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, जयपुर में वीरेन्द्र नामक युवक की हत्या।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि तफतीश चल रही है। बड़े आश्चर्य और कष्ट का विषय है कि जयपुर और कोटा इन दोनों स्थानों पर तो लॉएण्डआर्डर की सिचुएशन ऐसी खराब हो गई है, इतनी निकृष्टतम हो गई है कि कोई भी दुर्घटना सरे आम, बाजार में हो जाती है, सूचना पुलिस को मिल जाती है न उसकी तफतीश हो रही है, न कोई अपराधी पकड़ा गया। अपराधी होटल में ठहरा है, उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं कर सकी। राजस्थान की पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी। एक तरफ बजट में आम चर्चा करते समय कहा है लॉएण्डआर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी रही, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में चर्चा हो रही है और दूसरी ओर सरकार की नाक के नीचे, पुलिस की नाक के नीचे, जयपुर में इस प्रकार की घटनायें एक के बाद एक होती चली जा रही हैं और अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं। यह निकृष्टतम अवस्था है राजस्थान सरकार की। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सरे बाजार, सरे आम यह घटना हुई। पुलिस को एक्टिव करिये, जो अधिकारी कार्य नहीं करें उनका तबादला करिये, दूसरी जगह भेजिये, ठीक अधिकारी लगाइये जिससे इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हो सके। सरकार बिलकुल इस बारे में फेल हो गई है। लॉएण्डआर्डर को कन्ट्रोल करने में किसी भी कीमत पर सफल नहीं हो रही

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

है। जयपुर में चोरियां हो रही हैं, कत्लेग्राम हो रहा है और एक भी व्यक्ति पकड़ा नहीं गया है, यह चर्चा की जा रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार को, कुछ व्यवस्था ठीक करे, जन जीवन की सुरक्षा के उपाय ढूंढिये। यही निवेदन है मेरा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पश्चिमी राजस्थान में पशुओं के लिए पेयजल की अपर्याप्त व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खां, पश्चिम राजस्थान में पशुओं के पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था न होने की ओर जन-स्वास्थ्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री अमीन खां (शिव) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो पश्चिमी राजस्थान के सभी माननीय सदस्य और आप स्वयं पश्चिमी राजस्थान के हैं, जानते हैं पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर जिले का एक सब-डिवीजन, पूरा जैसलमेर, बाड़मेर जिला पूरा, बीकानेर जिले का कुछ हिस्सा, कुछ नागौर जिले का हिस्सा, जोधपुर जिले की तीन तहसीलें, आपकी स्वयं की कान्स्टीट्युएन्सी, फलौदी, ओसियां, शेरगढ़ यह ऐसा एरिया है जहां पर पीने का पानी कई कई गांवों में तो मिलता ही नहीं और कहीं कहीं पानी है तो 600 फीट से लेकर 900, 1000 फीट तक गहराई में पानी मिलता है। वहां के लोगों का जो रहन-सहन है, वहां पशुओं के बिना एक दिन भी लोग नहीं रह सकते। अकाल में भी वहां लोग बाहर चले जाते हैं और अपने-अपने पशुओं को ले जाने के लिये सरकार को भी मजबूर करते हैं। पशुओं के कारण से लोगों का बाहर जाना पड़ता है। पशुओं के पीने के लिये पानी की व्यवस्था गांव में नहीं हो तो पशुपालक लोगों को अपने पशुओं को बाहर कहीं ले जाना पड़ता है। गांव खाली करना पड़ता है और बाहर रोजगार के लिये आदमी चला जाता है। जहां गांवों में आदमियों के पीने के पानी के लिये पानी नहीं मिलता है वहां पशुपालक आदमियों की हालत बिलकुल खराब हो जाती है। हां, यह सही है कि यह समस्या आज की नहीं है समस्या कदीमा है। मैंने तो मेरे जीवन में यही देखा है कि वहां जैसलमेर और बाड़मेर जिले में, कुछ आपके जिले में जो परिवार व जो लोग हैं उन्होंने पशुओं के पीने के पानी के लिए बड़े-बड़े तालाब बनाए थे। उन तालाबों के जरिये पशुपालक लोग आज तक कायम रहे हैं। उन तालाबों की वजह से वहां रहने लगे नहीं तो पशुपालक लोग वहां रह नहीं सकते थे। आज पशुपालकों के दिल में असन्तोष इसलिए पैदा होता है कि लोकतांत्रिक सरकार होने के बावजूद इन्सान के जीवित रहने का इन्तजाम नहीं कर रही है। आज शहरों में बड़े-बड़े कस्बों में फूल पैदा करने के लिए भी पानी की व्यवस्था की जाती है। फूल उगाते हैं मजदूर और इनाम दिया जाता हैं बड़े-बड़े आदमियों या उनकी औरतों को। पशुपालक जो एरिया है, खास तौर से पश्चिमी राजस्थान, उसमें खास किस्म की गाय होती है, जो सारे हिन्दुस्तान में जाती है, उससे सारा हिन्दुस्तान लाभान्वित होता है। आप स्वयं जानते

(श्री अमीन खां)

हैं कि बाड़मेर जिले के पशुओं से मध्य प्रदेश भी लाभान्वित हुआ है। वहां जिस नस्ल के बैल हैं कई बार सरकारी स्तर पर खरीदे जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको स्वयं को मालूम है कि सरकार की तरफ से अकाल राहत कार्य खोलने के बाद पशुपालकों के लिए घास के डिपो का जिस तरह से संवत् 2025 से 26 में इन्तजाम किया गया था वैसा इन्तजाम नहीं हो सका है। फिर भी पशु वहां के जिन्दा हैं और आज भी कोई पशु नहीं मरा। इसका कारण है कि आज जैसलमेर के जिले का ऊपरी जो सीमावर्ती हिस्सा है उसमें बरसात, मौसम के बाद भी अच्छी हुई थी। बाड़मेर जिले में....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री अमीन खां : और जोधपुर और नागौर जिले के लोग मवेशी उधर जाकर बेच रहे हैं। जून में वहां सरकार ने घास भेजी है। एक बात की हमें खुशी है कि जैसलमेर जिले में एक बहुत बड़ी स्कीम पशुओं के लिये सरकार ने मंजूर की है। उसके लिए सरकार को धन्यवाद। आगे हमारी यह शिकायत है कि पीने के पानी की जो स्कीम जिस क्षेत्र में बनी है उस क्षेत्र में पशुओं के लिए पानी का कोई प्रावधान नहीं है। इस कारण से पीने के पानी में भी लोगों में खलल पैदा होता है और लोग आराम से नहीं रह पाते। इसलिए मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि आप स्वयं भी इस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हैं, भविष्य में जो रीजनल पाइप लाइन आप सेंक्शन करें उसमें पशुओं का प्रावधान तो हर हालत में करें, क्योंकि गांव पशुपालकों के हैं। दूसरी मेरी शिकायत है कि कानून और लेबोरेटरी के जो कायदे हैं वह आप धरती की हवा और गुणों पर छोड़ दें। जो कायदे-कानून की प्रक्रिया है उसको आप पश्चिमी राजस्थान में लागू मत करो। अध्यक्ष महोदय, अपने उधर के तालाबों में जब पानी होता है तो उसमें आधा जानवरों का पेशाब होता है जिससे पानी का रंग हरा हो जाता है। वह पानी जानवर भी पीते हैं और मनुष्य भी पीते हैं। किसी मनुष्य को शिकायत नहीं है कि हम इस पानी से बीमार हुए हैं। वह पानी आज बोतल में भरकर अफसरों को या माननीय सदस्यों को बताया जाय तो वह कहेंगे यह तो जहर है। ऐसा पानी उस इलाके में, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : सदस्यों को बताया जाय, अफसरों को पिलाया जाय।

श्री अमीन खां : मेरी यह अर्ज है कि थोड़ा नमकीन पानी होता है। नलकूप खोदे जाते हैं, फिर उन्हें फौरन बन्द कर देते हैं। नलकूपों पर जो खर्चा हुआ वह पर्याप्त समझते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि ऐसे नलकूपों को आप पशुओं के लिये भी बनवायें क्योंकि पशुओं के साथ वहां इन्सान रहते हैं। वहां की धरती के गुणों के साथ वहां का पानी खराब नहीं है। दूसरे, मंत्री महोदय से यह शिकायत है कि आपके विभाग ने कई ऐसे गांवों की स्कीमें बनाई हैं जिन गांवों में पीने के पानी की कोई

(74)

(श्री ग्रमीन खां)

समस्या नहीं। गांव के नाम ज्यादा जोड़ने के लिए उन गांवों की स्कीम को ग्राप पहले तैयार करें जिन गांवों मे लोगों को दस-दस मील दूर बाहर जाना पड़ता है, जिनमें गर्मियों में पानी पहुंचाने के लिए सहायता विभाग द्वारा टैंकरों पर सालों साल लाखों रुपया बर्बाद कर देते हैं, उनको प्राथमिकता नहीं देते हैं। यह कारण हमारी समझ में नहीं ग्राता। ग्राज उन गांवों में ग्राप पहले पानी का इन्तजाम करो, चाहे किसी भी ढंग से करो। मेरा निवेदन है कि उन गांवों में जहां टैंकरों द्वारा सालों साल लाखों रुपया खर्च करके पीने के पानी का इन्तजाम करते हैं ग्रौर....

श्री ग्रध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री ग्रमीन खां : तालाबों की जो खुदाई है वह भी पशुग्रों के लिए पानी का इन्तजाम करने के मामले में बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। ग्राप तालाबों की खुदाई करें, जहां ट्यूबवैल की जरूरत हो उन ट्यूबवैलों को बिजली से जोड़ें ग्रौर पशुग्रों के लिये इन्तजाम करें ताकि वहां के लोग ग्रकाल में भी सरकार को मजबूर न करें ग्रौर पशु भी ग्राराम से रहें। एक मिसाल के तौर पर मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर जिले में जो स्कीम बनाई है, एक गांव में उसमें तीन हजार गैलन प्रति घंटा ट्यूबवैल में पानी ग्राता है, जब कि वहीं से चार मील दूर पर दस-दस बार हमने बताया, तो ग्राजमाइश के तौर पर ट्यूबवैल में खुदा है उसमें पच्चीस हजार गैलन प्रति घंटा पानी निकला है। तो हमारे कहने से ऐसी स्कीमें बनाते नहीं, जहां ग्रफसरों का रास्ता सीधा होता है, ठहरने का रास्ता ग्रारामदेह होता है वहां ट्यूबवैल की खुदाई करते हैं। मैं ग्रापको नोट कराता हूं ग्रापके विभाग ने भी मान लिया है जोगदास गांव, जो पशुपालक एरिया है, में चालीस हजार लीटर प्रति घंटा पानी निकला है। इतना पानी है! उसमें स्कीम नहीं बनाई, लेकिन जहां तीन हजार लीटर पानी निकला वहां स्कीम बनाई। उसमें पच्चीस गांव ले लिये जिसमें से ग्राधे गांवों को ग्राज तक पानी नहीं पहुंचा। ग्रगर जोगिदास गांव में वह स्कीम शुरू करा देते हैं तो ग्रापका खर्चा ग्राधा होगा ग्रौर पशुग्रों को पानी मिलेगा ग्रौर मनुष्य भी पानी ग्राराम से पी सकेंगे। चालीस हजार लीटर पानी एक घंटे में मिलता है तो उससे ज्यादा वहां क्या हो सकता है? इस प्रकार मैं मंत्री महोदय का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, एक बार मैं ग्रापके साथ था, ग्राप स्वयं थे ग्रौर स्वर्गीय माणिक्य लाल जी वर्मा थे। सूंदड़ा गांव में डाबाड़ स्थान है वहां हमने खाना खाया था। बाड़मेर जिले का सबसे ग्रधिक पशुपालक एरिया है वहां पर भी ग्राप इन्तजाम करें। बाड़मेर जिले में रामसर तहसील है जो मवेशियों का एरिया है वहां भी दो-तीन ट्यूबवैल पशुग्रों के लिये बनवायें तो वहां के लोग ग्रच्छी तरह से जिन्दा रह सकते हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : समाप्त कीजिये। इस पर विस्तृत चर्चा नहीं करें। ग्रापने ध्यान ग्राकर्पित कर दिया।

श्री अमीन खां : बाड़मेर तहसील में 19 गांव ऐसे हैं जिनमें 15 किलोमीटर से नजदीक कोई पीने का पानी नहीं है। सालों साल लाखों रुपया टैंकरों पर खर्च होता है वहां की स्कीम आपने स्वीकार भी की है। आप उस स्कीम को युद्ध स्तर पर शीघ्र शुरू करवायें। और इसी साल में पानी का इन्तजाम करवायें यह चारूआ पालका, वृद का पार, सजन का पार, इन गांवों की औरतें पोरों में बैठी रहती है घड़ा लेकर के। अध्यक्ष महोदय, कोई भी देख ले, इन्सान को दया आती है और लोग बड़े परेशान हैं। चार गांव इसी साल आप जोड़ने का आदेश दें। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री परसराम मदेरणा

(मंत्री, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन नियम 131 के अन्तर्गत शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने पश्चिमी राजस्थान के पशुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने हेतु और खास तौर से बाड़मेर जिला, जैसलमेर जिला और जोधपुर जिले के बारे में कहा है कि वहां इतना गहरा पानी है, फिर भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया सरकारी वक्तव्य इस प्रकार है।

वर्तमान में केन्द्रीय के सरकार द्वारा स्वीकृत मानदंडों के अनुसार ही राज्य में पेयजल योजनायें बनाई जा रही हैं। इसके अनुसार पशुओं के लिए अलग से पेयजल का कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नीति के अनुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग 40 से 50 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से पेयजल योजनायें बनाकर कार्यान्वित करता है। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के अलावा अन्य प्रकार की योजनाओं पर साधारणतया पशुओं के लिए भी इन्हीं योजनाओं के तहत पानी उपलब्ध हो जाता है। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं में लंबी पाइप लाइन होने की वजह से सीमित मात्रा में ही स्रोत गांव के अलावा दूर गांवों तक पानी पहुंचाया जा सकता है।

राज्य सरकार इस समस्या से भली-भांति परिचित है। सभी प्रकार की जल प्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत जानवरों के पानी पीने के लिए खेलियां बनाई जाती हैं। यहां तक कि जिन गांवों में हैंड पम्प लगाये जा रहे हैं उनमें भी कम से कम खेली बनाने का प्रावधान रखा जाता है।

गांवों में पानी उपलब्धि के परम्परागत साधनों की क्षमता बढ़ाने के लिए भी राज्य सरकार के सहायता विभाग द्वारा प्रतिवर्ष गांव के कुओं को गहरा कराने तथा तालाबों व जोहड़ों से मिट्टी निकलवाकर उन्हें पक्का कराने के कार्य किये जाते हैं जिससे इन स्रोतों की क्षमता बढ़ती है व इनसे मनुष्य व पशुधन सभी पानी का उपयोग करते हैं। डी. डी. पी. और डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत इसी वर्ष से कुण्ड, खेलियां व तालाबों की मरम्मत का कार्य भी हाथ में लिया गया है।

राज्य के पशुओं के लिये भी पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रयास करने की सोची गयी थी लेकिन अगर सिर्फ 11 मरुस्थलीय जिलों में ही यह

(श्री परसराम मदेरणा)

व्यवस्था की जाय तो इसके लिये करीब 100 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है जबकि राज्य के 24,000 समस्याग्रस्त गांवों में से अब लगभग 9,700 गांवों में पेयजल की व्यवस्था का कार्यक्रम शुरू नहीं किया जा सकता है। फिर भी विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में पशुओं के लिये विशेष रूप से गत दो तीन वर्षों में भीषण अकाल की वजह से पीने के पानी के अभाव में पशुओं का निष्क्रमण रोकने के लिए पीने के पानी की व्यवस्था पाली डिग्गा क्षेत्र में की गई जिसके अन्तर्गत इस क्षेत्र में जहां कि चारा प्राकृतिक रूप से समुचित मात्रा में उपलब्ध है, पाईप लाइन बिछाकर पानी उपलब्ध करवाया गया। 85 लाख रुपये की लागत की पशुओं के पानी पीने की व्यवस्था के लिये निम्न चार योजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं। (1) आसुका तला (2) कोरिया लूनार, (3) पाली डिग्गा चतुर्थ चरण एवं (4) घोलिया खेतीलाई।

ग्रीष्म ऋतु के आगामी चार माह में इन योजनाओं को अविलम्ब हाथ में लिये जाने के फलस्वरूप आंशिक रूप से पशुओं को पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा।

श्री अमीन खां : बाड़मेर जिले में कोई स्कीम नहीं बनाई पशुओं के लिये। एक आधा शिव तहसील में भी स्कीम लो। हमारा सून्दरा बड़ा गांव है इसमें सारे जो पशु चरते हैं बाड़मेर जिले में भी कोई क्षेत्र नहीं था। जहां पर घास हो····

श्री अध्यक्ष : दूसरे जिले की····

श्री परसराम मदेरणा : क्यों, जोधपुर और बाड़मेर के पशु पाली डिग्गा क्षेत्र में जाने के लिए इच्छुक हैं। वह कन्जर्व भी हो सकती है क्योंकि पानी की सुविधा नहीं है। जब सेंट्रल स्टडी टीम के सामने यह मसला रखा गया तो उन्होंने स्पेशल तार से कैटल को बचाने के लिये भीषण अकाल में चार योजनाओं की स्वीकृति दी जो 85 लाख रुपये की है। उनकी वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है और काम अविलम्ब हाथ में लिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, पेयजल योजनाओं के अंदर पशुओं को शुमार न करना या खेलियां वगैरह बनाना या हैंड पम्प्स का पानी निकालकर पशुओं को पिलाना और कुओं को गहरा करना क्या ये चीजें इतनी व्यावहारिक हैं ? व्यावहारिक नहीं थी इसलिये हमारी पार्टी ने पिछले सत्र के अन्दर पहाड़िया सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा। व्यावहारिक रूप में काम करने वाले लोगों से हम उम्मीद कर रहे थे लेकिन अभी व्यावहारिक मंत्री होने के बाद में भी व्यावहारिक रूप में समस्या जानते हुये भी समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में किसी तरह की कोई भी कार्यवाही नहीं की है जबकि पिछले सत्र में स्वयं माननीय सदस्य के रूप में कह रहे थे कि जो पिछली योजनायें हैं जिनके अन्दर पशुओं को शुमार नहीं किया जा रहा है या हैंड पम्प····

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जिस सोर्स से मंत्री महोदय ने पशुओं को पेयजल उपलब्ध कराने की जो चीजें बताई हैं वह तो व्यावहारिक रूप में हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं हैं ? हैंड पम्प से पशुओं को पानी पिलाया नहीं जा सकता, हैंड पम्प चलाते चलाते गड्ढा ही नहीं भरता है तो पशु कहां से पायेंगे ? ऊंट कितना पानी पीते हैं, मुझसे भी ज्यादा मंत्री महोदय को मालूम है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से पशुओं को शुमार न करके और पशुओं को पानी उपलब्ध कराने से सरकार का कितना····

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा।

श्री महाराम चौधरी : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि पशुओं को अगर पानी पिलाकर ठीक ढंग से रखा जा सकता है तो करोड़ों रुपये फॉरेन एक्सचेंज के अपने राजस्थान में, अपने हिंदुस्तान में आ सकते हैं, शाही रेल से····

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा।

श्री महाराम चौधरी : इस तरह की योजनाओं पर पैसा अनाप-शनाप खर्च किया जा रहा है, वह पैसा····

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : यह पशुओं के पानी का मामला हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया। आर्डर आर्डर। श्री देवीसिंह।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जानवर प्यासे मर रहे हैं और मुझे आप बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, आर्डर प्लीज।

श्री महाराम चौधरी : पश्चिमी राजस्थान में जहां पशुओं के खाने के लिये मांगते नहीं, कुछ करने के लिये कहते नहीं, सिर्फ पानी के लिये बोलते हैं, इतना भी हमारा अधिकार नहीं है ? पानी की बात है वह भी पशुओं के लिये है। पशु बेचारे बोलते नहीं हैं, उनकी हम तरफदारी कर रहे हैं····

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह। मंत्री महोदय ने उत्तर दिया, स्पष्टीकरण के तौर पर एकाध प्रश्न पूछ लिया, स्थान ग्रहण करें, आर्डर प्लीज····

श्री महाराम चौधरी : जो ध्यान माननीय सदस्य ने आकर्षित किया था····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री महाराम चौधरी : जो उन्होंने जवाब दिया कि पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या राज्य सरकार ने क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं में पशुओं की संख्या को भी शामिल कर योजना आयोग को प्रस्ताव भेजा है ? उसमें योजना आयोग ने अब तक क्या स्वीकृति दी है या क्या विचार किया है ? दूसरा, एक छोटा सा प्रश्न पूछना

(श्री देवीसिंह भाटी)

चाहूंगा। मंत्री महोदय के भाषण में भी है कि जैसे जैसे पश्चिमी क्षेत्र में उपनिवेशन क्षेत्र लागू होता है जैसे घोषणा की जाती है तो उसके अंदर जो पुराने तालाब छोटी तलाइयां हैं उनका आवंटन किया जा रहा है, तो जब तक ऐसी कोई सरकार से स्वीकृति नहीं आ जाय उन पर रोक लगाने का मंत्री महोदय और सरकार विचार करेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि पश्चिमी राजस्थान की इकानामी एनीमल हस्बैंडरी पर बेस्ड है। कोई भी रीजनल पाइप लाइन योजना बनती है अगर उसमें पशुओं के पीने के पानी का समावेश नहीं है टेल एण्ड पर वे खुद ही नहीं पीते हैं वह पशुधन को पानी पिलाते हैं दूसरे स्रोत से जिस इलाके में पानी नहीं होता है। यह बात सही है कि पशुओं के लिये रीजनल पाइप लाइन के अन्तर्गत अगर प्रावधान नहीं किया गया तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में निश्चित तौर पर वे जल प्रदाय योजनायें सफल नहीं हो सकेगी। हालांकि मैंने योजना आयोग के सामने इस मुद्दे को नहीं रखा है लेकिन संबंधित मंत्रालय के सामने रखा है और अभी मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में भी इस मामले को रखा है कि जो प्रावधान पीने के पानी उपलब्ध कराने के लिये राजस्थान में है पीने के पानी को उपलब्ध कराने के लिये 108 करोड़ का प्रावधान और आउट साइड प्लान जो है वह 50 करोड़ रुपये है। तो कुल मिलाकर 158 करोत रुपये होते हैं। 158 करोड़ रुपये के मुकाबले के अन्दर जो समस्याग्रस्त गांव रह गये हैं पश्चिमी राजस्थान के अन्दर जो प्राब्लमेटिक विलेज हैं उनके अन्दर जो क्राइटेरिया निर्धारित किया है वह है वन इज टू छः किलोमीटर में अगर कोई पानी उपलब्ध नहीं है तो समस्याग्रस्त गांव माना जायेगा। वहां पर गांव जो है उसमें एक ट्यूब वैल को खोदने के बाद भी गांव के पास ढाणियों के समूह में जो रहते हैं वह पांच चार मील में रहते हैं। आज पानी को ट्रान्सपोर्ट करने के लिये जो क्राइटेरिया अकाल राहत विभाग ने निर्धारित कर रखा है, जहां पानी का स्रोत पांच किलोमीटर में नहीं हो वहां पर पानी को ट्रान्सपोर्ट किया जायेगा। इस प्रकार की स्थिति राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में है। दूर-दूर तक लोग बसते हैं इनका मुख्य धन्धा पशुपालन ही है। यह बात अभी भारत सरकार के भी सामने आयी किन्तु इस संबंध में भारत सरकार ने भी कोई निर्णय नहीं लिया है लेकिन सेन्ट्रल स्टडी टीम जब यहां पर आई तो हमने पहली बार इस बात को कहा कि अगर पश्चिमी राजस्थान के अन्दर पीने के पानी के लिये और पशुओं के पीने के पानी के लिये अलग योजना स्वीकृत नहीं करेंगे तो पश्चिमी राजस्थान की जो असली पशुओं की नस्ल है, जो पशुधन है यह धीरे धीरे खतम हो जायेगा और इससे भयंकर स्थिति पैदा हो जायेगी। आज जहां पर सेविन घास और जो दूसरी घास होती है वहां पशु जा सकते हैं लेकिन पशुओं को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसलिये भारत सरकार ने विशेष तौर पर एक स्पेशल योजना मन्जूर की है जो कि 185 लाख रुपये की है और आगे जल्दी ही प्रारम्भ होने जा रही है। मैं यहां पर इतनी बात

(श्री परसराम मदेरणा)

और निवेदन करूंगा कि इन जिले के अन्दर अगर पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया गया तो जो हमारी छठी पंचवर्षीय योजना है उसके अन्दर पश्चिमी राजस्थान के आठ या 10 जिलों के लिये हमने एक तकमीना बनाया है उसमें कुल मिलाकर 165 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन 165 करोड़ रुपये से हम इन आठ दस जिलों को पीने का पानी ही मुहैया करा सकते हैं उसमें से कुछ पशुओं के लिये भी काम में आ सकता है। यह बात सही है जैसा कि, अध्यक्ष महोदय आप जानते हैं कि जो हमारे परम्परागत सोर्स पानी के हैं जैसे तालाब और जोहड़ वगैरह जिनको हम बरसात में खुदवा कर उनमें पीने के पानी के लिये पानी इकट्ठा करते हैं इन तालाबों और जोहड़ों में मवेशी भी पानी पीते हैं और मनुष्य भी पानी पीते है। सहायता विभाग ने इसको उपयोगी समझ करके इसके लिये अलग से योजना स्वीकृत की है। इसमें, अध्यक्ष महोदय, डी० पी० ए०पी० और डी०डी०पी की योजनायें चलती हैं। मैं समझता हूं कि यह समस्या बड़ी गम्भीर समस्या है और इस गम्भीर समस्या के होते हुए आज जो हमारे यहां पर धनराशि उपलब्ध है इससे छठी पंच वर्षीय योजना में पश्चिमी राजस्थान के दस जिलों की हम पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं कर सकेंगे। लेकिन जैसा कि भारत सरकार का आदेश है कि छठी पंचवर्षीय योजना में कम से कम एक स्रोत तो पीने के पानी का उपलब्ध करा ही दिया जाय। एक स्रोत उपलब्ध कराने से पश्चिमी राजस्थान में जहां लोग ढाणियों में फैले हुए हैं, उनकी समस्यायें हल नहीं हो सकती हैं, भारत सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। आगे क्या स्थिति होती है वह अलग बात है लेकिन उस सम्बन्ध में अलग से प्रावधान होना चाहिये। हमने तो यह भी कहा है कि जो भी फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स या और जो संस्थायें हैं वह या जो दूसरे मुल्क हैं अगर वह हमारी व्यापक तौर से मदद नहीं करेंगे या भारत सरकार हमारी व्यापक तौर से मदद नहीं करेगी तो हम इस समस्या का समाधान छठी पंचवर्षीय योजना में भी नहीं कर सकेंगे। इसलिये धनाभाव के कारण और उपलब्ध संसाधनों की कमी के कारण यह काम सार्थक नहीं किया जा सकता है। जो आज योजना स्वीकृत की जा रही है इसमें अलाटमेन्ट आफ फण्ड पश्चिमी राजस्थान की स्थिति को देख कर होगा। आगे आने वाले वर्षों में भी जो स्टाफ की स्वीकृति होगी वह निश्चित तौर पर समस्या को देखते हुए की जायेगी। समस्या की डाईनेमिकता को देखते हुए धनराशि का एलोकेशन किया जायेगा, ऐसा मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहूंगा।

(1.32 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय के स्टेटमेन्ट होने के बाद कोई भी सप्लीमेंट्री प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के स्टेटमेन्ट के बाद मैंने

(श्री देवीसिंह भाटी)

एक सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछा था जो तालाब और तलैया है उनके बारे में।

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत ही जरूरी प्रश्न है। पशुओं के पीने के पानी के बारे में है। बेचारे पशु बोलते नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक सप्लीमेन्ट्री प्रश्न मंत्री महोदय से पूछा था शायद मंत्री महोदय उसका उत्तर देना भूल गये होंगे। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि सहायता विभाग द्वारा तालाब और तलैया खुदवाने के लिये प्राथमिकता ऐसे क्षेत्रों में दी जाती है तो मेरा निवेदन है कि उपनिवेशन क्षेत्र में जहां पहले से ही तालाब और तलैया हैं जो अब नीलाम की जा रही हैं और आवंटित की जा रही हैं उनको रोकने हेतु राज्य सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार करेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : अलग से प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। कृषि मंत्री श्रीमती कमला, प्रदेश के अनेक जिलों में गेहूं व जौ की फसल में रोली (रस्ट) का भयंकर प्रकोप के संबंध में एक वक्तव्य देंगी।

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रश्न पूछना है।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत एक माननीय सदस्य ने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। जिन माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है सिर्फ वही माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं अन्य किसी माननीय सदस्य को कोई अधिकार नहीं है कि मेरा ध्यान आकर्षित करें। इसकी पूर्व में मुझे सूचना दी जानी चाहिये।

श्री नाथूसिंह : हमने पूर्व में सूचना दी है।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं रूल के खिलाफ में कोई भी काम करने वाला नहीं हूं। आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस संबंध में मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है।

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा नियमों के खिलाफ में आज तो सैंकड़ों काम हो जाते हैं यह तो पशुओं के पीने के पानी का सवाल है। यह कोई मामूली मामला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री नाथूसिंह : यह बहुत ही गम्भीर मामला है पश्चिमी राजस्थान के इलाकों का।

श्री उपाध्यक्ष : सभी मामले गम्भीर हैं। कौन सा गम्भीर नहीं है ?

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : जब माननीय मंत्री महोदय, ने स्पष्टीकरण कर दिया है फिर क्या बात है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य सवाल नहीं पूछें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर, आर्डर प्लीज।

अंकित नहीं हो।

श्री महाराम चौधरी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय।

व्यवस्था का प्रश्न

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर वक्तव्य के बाद प्रश्न करने का अधिकार

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है नियम 131 के अन्तर्गत....

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बात हुई। मेरे पास किताब नहीं है कोई भी किताब निकाल कर कह देते हैं पाइन्ट आफ आर्डर। मैं भी कह देता हूं पाइन्ट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow his....

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो इनके पास किताब है। मेरे पास किताब नहीं है। मैं भी कह दूं किताब निकाल कर। मैं तो एक सवाल मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह रूल के अन्दर....

(व्यवधान)

श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, आप तो डरा रहे हैं माननीय सदस्य को।

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

82

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। आर्डर आर्डर।

आप कहिये आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है। आप बताइये आपका पाइन्ट आफ आर्डर का प्रश्न मैं आपको अलाऊ कर रहा हूं।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, नियमों में कोई सदस्य जब नोटिस देता है उस विषय पर....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री महाराम चौधरी : इसके बाद तो मुझे बोलने का मौका देंगे ? मेरा सिर्फ एक सवाल है।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह मुझे इजाजत दी है।

श्री उपाध्यक्ष : अपने पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है। आपका कोई सवाल हो तो ?

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है।

श्री नाथूसिंह : मेरा तो सवाल है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत ही लिहाज करता हूं। मै तो आपके कहने से बैठ जाता हूं। आप मुझे टाइम दें....

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 131 के अन्तर्गत मैंने भी इसी विषय पर एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, जब मंत्री महोदय का यहां पर ध्यान आकर्षण किया जाय तो जितने मैम्बर्स उस विषय पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव देते हैं तो उन्हें कम से कम उस विषय में जानकारी करने का उचित अवसर दिया जाय। यह परम्परा रही है कि सदन के अन्दर उन्हें उचित अवसर दिया गया है....

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, आपका कोई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं है।

श्री नाथूसिंह : मैंने इस पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है 131 के अन्तर्गत।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, देख लिया है मैंने। मैं 131 पढ़ रहा हूं आप बिराजिये "There shall be no debate on such statement at the time it is made. Not more than one such matter shall be raised at the same sitting."

(श्री उपाध्यक्ष)

तो मन्त्री महोदय के बयान के बाद कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता....

श्री नाथूसिंह : डिबेट नहीं है। क्लेरीफिकेशन चाहिए। डिबेट में और क्लेरीफिकेशन में अन्तर है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : कोई नया रूल नहीं बना है।

श्री नाथूसिंह : पांचवा पढ़िये आप, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज....

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इन रूल्स में यह भी प्रोविजन है कि एक बार एक सबजेक्ट पर....

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow. It is no point of order.

राजस्थान में पशुओं के लिये पेयजल की अपर्याप्त व्यवस्था

श्री महाराम चौधरी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि राजस्थान के अन्दर और पश्चिमी राजस्थान के अन्दर पशुधन मर रहा है इसलिए वहां पर अव्यवस्था फैली हुई है....

श्री उपाध्यक्ष : पशुधन के पानी के लिए व्यवस्था की जा रही है। मुझे मालूम है।

श्री महाराम चौधरी : ....इसलिए सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय। भारत सरकार के पास में और राजस्थान सरकार के पास में धन का अभाव है। धन का अभाव होते हुए पशुओं को जिन्दा रखना बहुत जरूरी है इसलिए शहरी क्षेत्र के अन्दर जो बाग, बगीचे, लैट्रिन और ऐसी जगहों पर जो पैसा खर्च कर रहे हैं वह पैसा यदि पश्चिमी राजस्थान के पशुओं के पानी के मद में डाल दिया जाय तो व्यवस्था ठीक हो सकती है। यह मेरा सुझाव है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन में सुझाव तो दिया है किन्तु उनका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव बहुत स्पेसिफिक है। जैसलमेर, बाड़मेर और फलौदी तहसील के संबंध में पूछा गया था और यह इसकी परिधि के बाहर है। अभी उत्तर देने में असमर्थ हूं। वहां कोई बाग बगीचा है या नहीं, यह अलग से प्रश्न पूछ रहे हैं। पहले इस पर ध्यान आकर्षण कीजिए ताकि जहां यह पानी उपलब्ध है वहां के संबंध में मैं जानकारी दे सकूं।

यहां पर बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उनका भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेयजल के संबंध में था। तो पेयजल के संबंध में शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने जब ध्यान आकर्षित किया है सरकार का तो मेरा इसमें समावेश हो जाना चाहिए था। वह अलग से प्रश्न है। उन्होंने ध्यान आकर्षण स्पेसिफिक प्रश्न पर किया है। कार्यसूची में आपकी बात भी आ जाती और वहं रख दी जाती। इसका संबंध आसन से है और आसन से आप क्लेरीफिकेशन सीक कीजिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका जो प्रश्न है वह दूसरे मामले से सम्बन्धित है। इस मामले से सम्बन्धित है ही नहीं।

श्रीमती कमला : मामला ही दूसरा है।

श्री नाथूसिंह : कहां दूसरा है, पढ़िये।....

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, पढ़ लिया मैंने।

श्री नाथूसिंह : आप पढ़िये, मैं पढ़कर सुनाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास।

(व्यवधान)

कृपया मुझे व्यवस्था कायम रखने में मदद दीजिए, सहयोग कीजिये। कार्यवाही में बाधा न डालिये, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : मैं आपकी पूर्ण मदद करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि आगे गर्मी का मौसम आ रहा है। गर्मी के मौसम में यह स्थिति और भी भयंकर होने वाली है....

श्री उपाध्यक्ष : आपका है ही नहीं। अंकित न हो।

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ही नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, 17 मार्च को पी. एच.ई.डी. के संबंध में डिमाण्ड के ऊपर इस सदन में चर्चा होगी। जो भी आपको ध्यान आकर्षण करना है आपको डिबेट में पार्टीसिपेट करना है डिबेट में कुछ भी बात उठा सकते हैं और उनका उत्तर होगा। जो जो मुद्दे आप यहां पर उठायेंगे निश्चित तौर पर मैं आपको सन्तोषजनक उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कमला।

शासकीय वक्तव्य

प्रदेश के अनेक जिलों में गेहूं व जौ की फसलों में रोली (रस्ट) का भयंकर प्रकोप

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने प्रदेश के कुछ जिलों में फसलों में रोली का रोग लग जाने की बाबत में काफी चिन्ता प्रकट करते हुए अपनी भावनायें प्रकट की हैं और सरकार से यह चाहा है कि उस सिलसिले में क्या व्यवस्था की जा रही है उससे सदन को अवगत करायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले काफी समय से बरसात तो अच्छी हुई लेकिन उसके साथ साथ में बादल बराबर बने रहे और धूप कम निकली इसके कारण से फसलें अच्छी खड़ी होने के बाद बादल होने से रोली का रोग जौ में और गेहूं में काफी बड़े क्षेत्र के अन्दर व्यापक रूप से लगा।

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजबहादुर : इसके अलावा ओले भी पड़े।

श्रीमती कमला : वह अलग चीज है।

इसके सम्बन्ध की सबसे पहली सूचना जो विभाग को प्राप्त हुई वह अजमेर जिले से जनवरी के आखिरी हफ्ते में विभाग के पास में इस प्रकार की सूचना आई कि कुछ क्षेत्रों में रोली के रोग का प्रसार शुरू हो रहा है। उस वक्त में विभाग ने तमाम जिलों के अधिकारियों को टेलीग्राम जारी किए और उनके माध्यम से उनको सतर्क किया और उनको यह पाबन्द किया कि वह तमाम क्षेत्रों में जाकर इस मामले में देखें और जहां जहां भी इस तरह की कोई आशंकायें उत्पन्न हो रही हैं या इस तरह के रोग का प्रकोप हो चुका है वहां कृषकों को जाकर कार्यकारी दल इस प्रकार से समझाये कि किस प्रकार से इस रोग की रोकथाम की जाय और जो हो चुका है उसको किस प्रकार से नष्ट किया जाये। इसी के साथ-साथ में विभाग के द्वारा रेडियो से भी दो तीन बार प्रसारण किया गया कि काश्तकारों को इस मामले में किस प्रकार से सचेष्ट रहकर कार्यवाही करनी है। कुछ दैनिक पत्रों से भी इस बाबत में सूचना और निर्देश जारी किये गये और लोगों को समझाया गया कि किस प्रकार से व्यवस्था की जाये। उपाध्यक्ष महोदय, इस रोग के फैलने से काफी क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। अब तक जो सूचना हमारे पास उपलब्ध हुई है विभिन्न जिलों से उसके मुताबिक अजमेर खण्ड के जयपुर कृषि जिले में 11230 हैक्टेयर क्षेत्र में रोली का प्रभाव हुआ है तथा काश्तकारों ने अपने स्तर पर 467 हैक्टेयर में नियंत्रण उपाय किये हैं। दौसा कृषि जिले 24500 हैक्टेयर क्षेत्र में रोली का प्रकोप आंका गया है इसमें 2582 हैक्टेयर क्षेत्र में रसायनों का प्रयोग किया गया है। अजमेर जिले में 2577 हैक्टेयर में रोली का प्रकोप हुआ है तथा 500 हैक्टेयर क्षेत्र में इसकी रोकथाम का उपचार किया गया है। अलवर जिले में 500 हैक्टेयर में रोली का प्रकोप हुआ और 25 हैक्टेयर में कुछ काश्तकारों ने विभाग के सहयोग से रसायनों का प्रयोग करके रोकथाम शुरू की है। कोटा खण्ड के कोटा जिले में 3986 हैक्टेयर क्षेत्र में रोली के रोग का प्रकोप हुआ है। 1515 हैक्टेयर में इसकी रोकथाम का कार्य किया गया है। बूंदी जिले में 110 हैक्टेयर में प्रकोप हुआ। तथा 40 हैक्टेयर में नियंत्रण कार्य प्रारम्भ किये हुए हैं। झालावाड़ जिले में 4000 हैक्टेयर में रोली का प्रकोप हुआ एवं 500 हैक्टेयर में संरक्षण उपाय अपनाये गये हैं। जोधपुर खण्ड के पाली जिले में 930 हैक्टेयर में रोली का प्रकोप हुआ है और 217 हैक्टेयर में कार्य किये जा रहे हैं। उदयपुर खण्ड में कांकरोली कृषि जिले में 17 हैक्टेयर में रोली का प्रकोप हुआ और 13 हैक्टेयर में इसका कार्य किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, रोली के प्रकोप की जो महामारी फैलती है इसी प्रकार की पौधों में भी महामारी फैलती है। उसमें आम तौर पर यह प्रावधान है कि उस क्षेत्र के जिलाधीश जी अपने क्षेत्र में उस महामारी की घोषणा करके राज्य सरकार को अवगत करें और राज्य सरकार उसके तहत पैसे का प्रावधान करके उसकी रोकथाम की व्यवस्था करे। हालांकि किसी भी जिलाधीश ने इस प्रकार की सूचना नहीं दी है। यह हमें कृषि विभाग से ही सूचना प्राप्त हुई है और महा

मारी घोषित होने की सूचना नहीं है लेकिन राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया है कि इसकी रोकथाम करने के लिये व्यवस्था की जाय। राज्य के जिन जिन जिलों में यह प्रकोप होता है उस में पौध संरक्षण उपचार के लिये जो रसायन काम में लिया जाता है उसमें आम तौर पर गन्धक का जो चूर्ण होता है उसको छिड़कवा कर रोकथाम की जाती है। इसके अलावा अभी इसकी और कोई विधि नहीं है। उसकी रोकथाम के लिये काश्तकारों को अनुदान उपलब्ध कराया जाय। इस अनुदान के अन्दर जो स्माल और मार्जिनल फार्मर है उनको 25 प्रतिशत गन्धक का चूर्ण होगा वह देने की व्यवस्था कर रहे हैं।

आम तौर पर जो प्रचलित दर है उसमें एक हैक्टेयर के अन्दर 35) रु० से लेकर 40) रु० तक इसकी रोकथाम के लिये और उपचार के लिये खर्चा आता है। इसके लिये हमने निर्णय लिया है कि सरकार तुरन्त जिन जिन क्षेत्रों और जिन जिन काश्तकारों के खेतों में इस प्रकार की रोली का प्रकोप हुआ है वहां कम से कम 10) रु. प्रति हैक्टेयर या 25 प्रतिशत जो भी कम हो, काश्तकार को राशि पहुंचाई जाय और रोकथाम की अग्रिम कार्यवाही की जाय और जो रोग लग चुका है उसको खतम करने के लिये ज्यादा से ज्यादा तत्परता से काम किया जाय।

इस व्यवस्था, जो पैसों की है, का मैंने अभी उल्लेख किया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग के पास इस काम के हेतु कोई प्रावधान नहीं था—मात्र एक लाख का टोकन प्रोविजन था। इसलिये शुरू में जो उपचार किये जाने चाहिये थे वे नहीं किए। इसके बारे में जो कार्यवाही प्रारम्भ कर रखी थी, उस सन्दर्भ में ही अभी दो दिन पहले पैसा उपलब्ध हुआ है। इसलिये हम बहुत तत्परता से तमाम जिलों में और तमाम कृषकों के पास यह पैसा पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों को यह अवगत कराना चाहती हूं कि जितनी चिन्ता इस मामले में आपको है उतनी ही चिन्ता राज्य के सभी लोगों को हो सकती है, क्योंकि इस बार अच्छी फसलें खड़ी थीं और बहुत उम्मीद थी कि बहुत उत्पादन होगा लेकिन बरसात का बार बार प्रकोप बना रहा और बादल बने रहे इससे काफी बीमारियां हो गई।

साथ में जैसा माननीय सदस्यों ने कहा है हालांकि इसमें नहीं है लेकिन आपकी इजाजत हो तो मैं निवेदन कर देती हूं। अबकी बार ओलों से और तेज बरसात से जो काफी नुकसान हुआ है उसके बारे में कहना चाहती हूं।

प्रदेश के 14-15 जिलों से जो अभी तक सूचना आई है उसमें कहीं 25 प्रतिशत, कहीं 15 प्रतिशत और कहीं 40 से 50 प्रतिशत तक गेहूं, जौ और चने में नुकसान ओले और बहुत तेज आंधी से हुआ है। तो जहां तक रोली का सवाल है वह मैंने आपको निवेदन कर दिया और जो इस पौध को बचाने का सवाल है उसका प्रावधान हमारे पास है और वह किसानों को पहुंचा रहे हैं। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्राकृतिक प्रकोप से नष्ट हो गई है फसलें उनके बारे में कृषि विभाग में प्रावधान नहीं है। मैंने अपनी

तरफ से राजस्व विभाग, जो कि फ्लड फेमिन रिलीफ तथा प्राकृतिक प्रकोपों को देखता है और धनराशि वगैरह उपलब्ध कराता है, को विभाग की तरफ से लिखा है कि राज्य में इतने जिलों में काफी व्यापक पैमाने पर अति वृष्टि और ओला वृष्टि से नुकसान हुआ है। इसलिये राज्य सरकार हमें जल्दी से जल्दी पैसा देने की कार्यवाही करे। जैसे ही वह पैसा मिलेगा तो जिन जिन काश्तकारों को नुकसान हुआ है उनको हम राहत देने की कोशिश करेंगे।

(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मेरा स्थगन प्रस्ताव है....

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं ही बोल रहा हूं। मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले शुक्रवार को मैंने यह स्थगन प्रस्ताव दिया था। 6 दिन बाद मंत्री महोदया ने आज उत्तर दिया है। शनिवार को उत्तर देना था किन्तु वे कतरा गई।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह कलेक्टर की ड्यूटी है कि वह एपेडेमिक घोषित करे। 14 फरवरी को उदयपुर विश्वविद्यालय के दुर्गापुरा अनुसंधान केन्द्र ने खतरे की घंटी के रूप में यह चेतावनी दी थी कि फसलों में यह रोग लग रहा है और इसकी रोकथाम रोग आने से पहले हो सकती है किन्तु आपका डिपार्टमेंट सो रहा है। आज आपने आंकड़े पढ़ कर सुना दिये। मैं पूछना चाहता हूं कि किस एजेन्सी से आंकड़े लिये हैं कि इतनी रोली लगी है। मैं कोटा से आया हूं और कोटा व बूंदी घूमकर आया हूं। आपके अधिकारियों को पता नहीं है, किसने सर्वे किया है, फर्जी आंकड़े आपने रख दिये। आपने तो गन्धक चूर्ण जितना दुकानों से बिका है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके कह दिया कि उपचार किया गया है। रोली के लिये किसी क्षेत्र में सल्फर डिस्ट्रिब्यूट नहीं हुआ है। धनिये के लिये जो सल्फर लिया गया, उसके दुकानों से आंकड़े लेकर कह दिया कि कोटा क्षेत्र में एक हजार हैक्टेयर में छिड़काव हो गया। विभाग क्या कर रहा है? विभाग को यह पता ही नहीं है। आपके कलेक्टर की ड्यूटी है। दुर्गापुरा अनुसन्धान केन्द्र ने सूचना दे दी थी किन्तु ध्यान न देने से लहलहाती फसलें नष्ट हो गई, 50 प्रतिशत जौ की फसल नष्ट हो चुकी है। गेहूं में रोली लग गई, एक बार रोली लगने के बाद में मामूली रोकथाम हो सकती है, उपचार नहीं हो सकता है। आपके विभाग के कृषि अधिकारी क्या कर रहे थे? 14 फरवरी को डिपार्टमेंट को सूचना मिल गई थी किन्तु ये इन्तजार कर रहे थे कि कलेक्टर करेगा। आपके अधिकारी खेतों में जाकर देखते नहीं हैं कि रोली लग गई है फसलों में। मैं स्वयं ए. ई. ओ. को लेकर खेतों में गया हूं। उसको यह देखने में भी दिक्कत हुई कि रोली कैसी होती है। वहां के किसानों ने बताई कि रोली यह होती है। आपका डिपार्टमेंट सो रहा था और किसान पिस

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

रहा था, बरबाद हो रहा था। मेरे स्थगन प्रस्ताव के बाद में ये जवाब देने की स्थिति में आई हैं कि हम 10 रु. प्रति हैक्टेयर अनुदान दे रहे हैं। यह सत्र नहीं चलता तो अनुदान देने की घोषणा नहीं होती।

डिपार्टमेंट को यह सूचना तक नहीं है कि किस प्रकार इसमें क्या कार्यवाही करनी चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा क्षेत्र में चम्बल कमान्ड एरिया में जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सर्वेलेन्स आफिसर हैं वे तीन साल से रिपोर्ट दे रहे है कि चम्बल कमान्ड एरिया क्षेत्र में रोली लगती है। जब तीन साल से लगातार यह रिपोर्ट आ रही है तो उस क्षेत्र को एन्डेमिक घोषित किया जाना चाहिये था। लेकिन सरकार को, डिपार्टमेंट को कोई ध्यान नहीं है कि रोली से कितना नुकसान होता है। राष्ट्रीय उत्पादन का जो नुकसान है और राष्ट्रीय उत्पादन में जो क्षति होती है उसके लिये कृषि विभाग के डाइरेक्टर जिम्मेदार हैं। जिलाधीश से एपेडेमिक घोषित करने का इन्तजार कर रहे हैं। इस प्रकार इस रोली से किसानों की करोड़ों रुपये की फसल नष्ट हो गई, लहलहाते खेत नष्ट हो गये। रोली से किसान दुखी हो रहा है। वह किसी भी अधिकारी के पास जाता है तो वह कहता है हम हैल्पलेस हैं, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। चूंकि उनके पास कोई उपकरण नहीं है।

मैं माननीय मंत्री महोदया जो कृषि विभाग की मंत्री हैं, से पूछना चाहता हूं क्या आपको जरा भी चिन्ता नहीं है। आपने जिलाधीश पर छोड़ दिया। वे तो सरकारी नौकर हैं और अपनी प्रशासनिक चिन्ता करते हैं। तो मेरा निवेदन है करोड़ों रुपयों की जो फसल नष्ट हो रही है इसकी रोकथाम के लिये तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये और तुरन्त अनुदान दिया जाना चाहिये। उपकरण पूरे नहीं हैं तो उनकी व्यवस्था की जानी चाहिये और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये जिन्होंने अभी तक इस रोली के प्रकोप के आने के बाद भी सूचना नहीं दी है। आपके विभाग को पता नहीं है, आपके ए. ई. ओज. को पता नहीं है, आपके डाइरेक्टर सो रहे हैं और आप कौनसी जग रही हैं। आपके डाइरेक्टर को कतई चिन्ता नहीं है कि किसानों के खेतों में रोली लग गई है। यह तो मेरे स्थगन प्रस्ताव के बाद शायद आपको याद आई कि रोली लग गई है जब कि सूचना आपके पास पहले ही आ गई थी। अजमेर के जिलाधीश महोदय ने सूचना दे दी थी। उपाध्यक्ष महोदय, यह किसानों की किस्मत से जुड़ा हुआ प्रश्न है। भगवान की कृपा से उन किसानों पर ध्यान दीजिये और उन्हें तुरन्त अनुदान पहुंचाइये। मैं जानता हूं एक महीने तक यह अनुदान देने वाले नहीं है। एक महीने में फसल कट जायगी....

(व्यवधान)

आपने जो यह हाथ से इशारा किया है, उसका जवाब देता हूं।

आपका यह अनुदान अधिकारियों तक ही अटक जायगा। उनकी भेंट पूजा होगी तब जाकर वह अनुदान वहां से निकलेगा। आपकी जो सब्सिडी गई है तिलहन की

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

उसमें कितने प्रतिशत का उपयोग हुआ है, कितने पर्सेन्ट लैप्स हो गई ? लैप्स होने का कारण यह है कि बिल जब बनता है तब पैसे मिलते हैं। इसलिये ऐसा न हो यह अनुदान का पैसा अटक जाय और किसान के खेत तक सल्फर नहीं पहुंचे । अगर पहुंचे भी तो ऐसा न हो कि समय पर नहीं पहुचे । अगर समय पर नहीं पहुंचा तो वह कितना काम करेगा । आप नमूनों की जांच भी नहीं होने देते हैं कि कितने पर्सेन्ट दवा फर्जी है । आपकी प्रयोगशाला में क्षमता नहीं कि उनकी जांच कर लें। नमूने आयेंगे भी तो वापस भेज देंगे, चालान करने की परमिशन नहीं देती है, मैन्युफेक्चररर से मिले हुए हैं आपके अधिकारी । उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार 300 नमूने सब-स्टेण्डर्ड पाये गये थे—क्या हुआ उन नमूनों का ? बाकी नमूनों का इसलिए चालान नहीं किया गया क्योंकि डिप्टी डायरेक्टर मैन्युफेक्चरर से मिला हुआ है, उनसे पैसे खाता है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में दो फेक्टरी पकड़ी गयी, राज्य सभा में चर्चा हुई लेकिन राजस्थान सरकार को चिन्ता नहीं है । ये दवाइयां काम करेंगी या नहीं करेंगी, इसकी चिन्ता नहीं है । इनके अधिकारी मिले हुए हैं, कोड नम्बर लिखकर यदि कोई डी. ओ. भेज दे, कोई इन्सपेक्टर भेज दे, उपाध्यक्ष महोदय, तो यहां से पूछा जाता है कि मैन्युफेक्चरर का नाम लिखो जब कि कानून है कि कोड नम्बर आना चाहिए। क्यों ये पूछते हैं कि मैन्युफेक्चरर कौन है ? क्योंकि मैन्युफेक्चरर उनको पैसा देता है । यदि पैसा देता है तो उनका चालान नहीं होता, कितने शर्म की बात है कि तब 300 नमूने सब स्टेण्डर्ड सिद्ध हुए और चालान 18 का हुआ । बाकी का चालान क्यों नहीं हुआ ? कौन दोषी है ? कौन किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहा है ? कौन फर्जी दवाइयां बिकवा रहा है, कई कम्पनी हैं जिनके 20-20 नमूने सब स्टेण्डर्ड सिद्ध हुए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय मन्त्री महोदया से कि ये आपकी दवाइयां काम करेंगी या नहीं करेंगी ? उपकरण भी उपलब्ध होंगे या नहीं होंगे ? ये सब्सिडी किसान तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी ? आप इस पर विचार कर लें, किसानों पर दया आप करें कम से कम और इसके लिए तुरन्त कार्यवाही करें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशोर मीणा।

श्री बाऊ दयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशोर मीणा।

(अनुपस्थित)

श्रीमती विद्या पाठक ।

(अनुपस्थित)

श्री बंशी लाल पटवा ।

श्री बंशी लाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रोली के प्रश्न पर मेरे पूर्व साथी ने अपने विचार दिये । मन्त्री महोदय के भी विचार हमने सुने । मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भीलवाड़ा जिले से सम्बन्धित था, मैं आपको अर्ज करूं,

(श्री बंसीलाल पटवा)

भीलवाड़ा जिले में रोली का प्रकोप हुआ है किन्तु जो स्टेटमेन्ट आया, उसमें कुछ जिलों का हवाला दिया उन जिलों में कितने प्रतिशत दवाइयां छिड़क दी गयीं, कितने प्रतिशत रोली लगी, ये सारे आंकड़े फर्जी हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, जो अनुदान की बात की गयी, आज दिन तक हमारा पिछला अनुभव है, पिछली बार खाद के लिए अनुदान दिया गया, सारी फसलें बो दी गयीं, उसके बाद अनुदान दिया गया, किसानों ने अनुदान का उपयोग नहीं किया और अनुदान उनको प्राप्त नहीं हो सका। पिछली बार इसी तरह इसे बीज निगम ने बीज दिया उनके रिजल्ट भी ठीक नहीं निकले। उसी तरह से ये जो अनुदान की बात कही गयी, मैं समझता हूं कि इस रोली के प्रकोप की रोकथाम के लिए जो अनुदान की बात कही गयी, 15 दिन बाद फसलें कट जायेंगी क्योंकि होली के बाद फसलें सूखनी शुरू हो जाती हैं। फसलों में मैं समझता हूं भीलवाड़ा जिले में 50 प्रतिशत नुकसान हुआ है और फसलें खराब हुई हैं। पिछले लगातार तीन साल से अकाल हमारे यहां बराबर चल रहे हैं। यह देश कृषि प्रधान देश है, हमारा सारा ढांचा कृषि पर आधारित है उसके बाद भी कृषि विभाग एलर्ट नहीं है। भीलवाड़ा जिले से कृषि विभाग की कोई इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं भेजी गई, आज तक इनके पास रिपोर्ट नहीं आयी। मैं भीलवाड़ा जिले में घूम कर आया हूं। खेतों में रोली लगी हुई है, उनको दवाइयां कब पहुंचेंगी, यह अनुदान कब पहुंचेगा ? मैं समझता हूं यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में लाया गया उसके बाद मन्त्री महोदया जगीं और यह सरकार भी जगी। अन्यथा मैं समझता हूं रोली के बारे में कुछ नहीं होता और नुकसान हो जाता। इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि भीलवाड़ा जिले के साथ साथ पूरे जिले में फसलों में जो रोली लगी हुई है, उससे 50 प्रतिशत तो नुकसान हो चुका है। अब अनुदान की बात कही जा रही है। मैं समझता हूं कि सारा मामला चौपट हो जायेगा यदि सरकार उदासीन है। कृषि हमारा आधार होते हुए भी उनका जो अनुदान की बात कही गयी है, उसका उपयोग पूरा नहीं होगा। पिछले इस तरह के अनुभव रहे हैं। जो इन्होंने काम किया है उससे कृषि को बहुत आघात लगा है। यह डिपार्टमेन्ट बिल्कुल फेल्योर है। मैं समझता हूं रोली के बारे में भीलवाड़ा जिले से कृषि डिपार्टमेन्ट को रिपोर्ट नहीं दी तो मन्त्री महोदया क्या कार्यवाही करने जा रही है ? आखिर क्यों नहीं रिपोर्ट मिली ? जिलाधीशों ने रिपोर्ट नहीं दी। जिलाधीश इस तरह के हैं। फिर काम में एक्सपर्ट रखिये। कृषि डिपार्टमेन्ट फिर किस दृष्टि से खोल रखे हैं ? आज दिन तक जितने कृषि डिपार्टमेन्ट खोल रखे हैं उनके फंक्शन क्या है ? उनके ए. ई. ओ. होते हैं, कोई दूसरे होते हैं वे होटलों पर जाते हैं। गांवों में उनसे मिलकर आ जाते हैं और वे कहते हैं कि—

श्री उपाध्यक्ष: कृषि मन्त्री जी सुन रही हैं। सब समझती हैं, इस बात को।

श्री बंसीलाल पटवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, ग्राम सेवक गांव में जगह जगह बैठे हैं, कृषि विभाग के ए० ई० ओ० जाते हैं, फंक्शन करते हैं तो

(श्री वंशीलाल पटवा)

क्यों नही इस बात की रिपोर्ट भेजी गयी और क्यों इस तरह का नुकसान हुआ ? मैं समझता हूं कि यदि कृषि डिपार्टमेन्ट कारगर ढंग से प्रयत्न करता तो उनकी एक्टीविटी जो गांवों में प्रतिदिन चलती रहती है, प्रतिदिन ए० ई० ओ० के प्रवास होते हैं, तो क्या उनको अनुभूति नहीं हुई ? निश्चित रूप से अनुभूति हुई है लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं की। परिणाम यह हुआ कि रोली लग गयी। मैं नहीं समझता हूं कि कृषि मन्त्री महोदया किस तरह का एक्शन लेंगी जब कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी है। तो मेरा निवेदन है कि अनुदान की बात, दवाइयां छिड़कने वाली बात तत्काल की जाय। यदि युद्ध स्तर पर प्रयत्न नहीं किया गया तो फसलों को अधिक नुकसान होगा। मेरा यही आपके माध्यम से निवेदन है। अनुदान राशि जो तय की गयी है 25 प्रतिशत 90 रुपये के अन्दाज। मैं सोचता हूं कि किसानों की फसलें वैसे ही उजड़ गयी हैं। 3 अकाल बराबर चल रहे हैं। 25 प्रतिशत अनुदान से कुछ नहीं होगा। सरकार को सारी दवाइयां मुहैया करानी चाहिये और सारी नहीं करे तो कम से कम 50 प्रतिशत अनुदान दे और किसानों की फसलों की रक्षा करे। अगर नहीं किया तो उत्पादन पर असर होगा और यह सरकार उसके लिए जिम्मेदार होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी।

श्री तेज पाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, रोली का मैं मुक्त भोगी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री तेजपाल यादव : बोलने के नाम का तो मुझे पता नहीं है। रोली रोग से फसलें नष्ट हो गयीं, अनुदान नहीं दे....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, फसलें नष्ट हो गयीं और मैं इस मामले में....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। अंकित न हो।

श्री तेजपाल यादव : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री तेज पाल यादव : ×××

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मन्त्री महोदय का स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये जो ध्यान आकर्षित किया है. मुझे बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि जो वक्तव्य उन्होंने दिया है, अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि जनवरी के महीने में अजमेर से हमको सूचना प्राप्त हो गयी थी कि

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

रोली लगने के चांसेज हो गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी बात नहीं है, 14 फरवरी को तो फोन से कान्टेक्ट करके रिसर्च विभाग ने डिपार्टमेन्ट को, डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर को यह सूचना दे दी। 16 तारीख को पत्र दे दिया। आप बता दें, जवाब दे दें। 16 फरवरी को एक पत्र रिसर्च विभाग दुर्गापुरा स्टेशन से वहां के डायरेक्टर महोदय ने, जो डायरेक्टर एग्रीकल्चर, हैं लिखकर दिया। मैं चाहूंगा, मन्त्री महोदय उस पत्र को सदन में पढ़ें। अगर वे हिम्मत रखती हैं कि जिन शब्दों में रिसर्च डायरेक्टर ने सारी स्थिति का अवलोकन करने के पश्चात डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर को पीली काली रोली राजस्थान के एक एक क्षेत्र के अन्दर फैलने की दृष्टि से सूचना दी है, मैं चाहता हूं, मन्त्री महोदय उस पत्र को सदन में पढ़ें और उसके बाद साबित करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 16 फरवरी को यह पत्र आ गया। 16 फरवरी से लेकर अभी शनिवार को उनको वक्तव्य देना था। मैं तो चैलेंज करना चाहता हूं माननीय मन्त्री महोदया को, 16 फरवरी को पत्र लिखा, 14 फरवरी को फोन हुआ तो 16 फरवरी को पत्र लिखने के और 14 फरवरी को सूचना मिलने के पश्चात् शनिवार को मन्त्री महोदय को वक्तव्य देना था उसके बीच में राज्य सरकार ने क्या किया ? मैं आरोप लगाता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 30 हजार लोग हैं, तीन हजार लोग इस काम में लगे हुए हैं ऊपर से लेकर नीचे तक फील्ड से सम्बन्ध रखते हैं, किसानों से सम्बन्ध रखते हैं। डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर को देखना चाहिए था। 16 तारीख को सूचना आने के पश्चात् भी सारे विभाग ने कोई काम शुरू नहीं किया। सुपरवाइजरी नेग्लीजेंस, नेग्लीजेंस आफ ड्यूटी राज्य सरकार और मन्त्री महोदय की है। उनको बरखास्त करने की आवश्यकता है। करोड़ों रुपयों का नुकसान किसानों का हुआ है माननीय मन्त्री महोदया की नेग्लीजेंस के कारण। अगर वे इस्तीफा नहीं देना चाहतीं, माननीय मुख्य मन्त्री यहां पर हों तो मैं कहना चाहता हूं कि उनको निश्चित रूप से निकालने की आवश्यकता है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की नेग्लीजेंस रही है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ के बारे में बताना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों से सूचना मिल रही है कि एन्डेमिक क्षेत्र घोषित करो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें प्रिवेंटिव मैथड्स चलते हैं इसमें क्यूरेटिव मैथड्स नही चलते। एक बार रोली लगने के पश्चात उसको समाप्त करने के लिए स्प्रे करने की चर्चा माननीय मन्त्री महोदया कर रही हैं। स्प्रे करने से क्या हो जाएगा ? स्प्रे करने से केवल दस प्रसेंन्ट असर होगा, केवल दस प्रसेंन्ट। प्रिवेंटिव मैथड्स तो हो सकते हैं। एन्डेमिक एरिया घोषित कर दिया दो ढाई साल पहले से लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, माननीय मन्त्री महोदय बतावें कि पिछले दो ढाई साल से, तीन साल से जिले में एन्डेमिक क्षेत्र घोषित करने के पश्चात् कौनसे प्रिवेंटिव मैथड्स उन्होंने उठाये। मैं माननीय मन्त्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि अजमेर से जनवरी में इस प्रकार की सूचना आने के पश्चात् रिसर्च

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

विभाग से 16 फरवरी को पत्र देने के पश्चात् और 14 फरवरी को फोन करने के पश्चात् प्रिवेंटिव मैथड्स की दृष्टि से उन्होंने क्या किया ? कुछ नहीं किया उन्होंने प्रिवें-टिव मैथड्स की दृष्टि से। इससे आज राजस्थान के हजारों किसानों में एक प्रकार का मातम छा गया है। करोड़ों रुपयों का नुकसान है उनको। मैं कहना चाहता हूं कि उनको मुआवजा देने की आवश्यकता है। केवल दवाइयों का मुआवजा देने से काम नहीं चलेगा। बीज कोआपरेटिव सोसाय-टियों से उन्होंने लिया है लेकिन जौ की ऐसी फसल आएगी, ऐसी गेहूं की फसल आएगी, बिल्कुल पिचकी हुई, दम नहीं रहेगा इस रोली के लगने के पश्चात्। मैं कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से कि जो बीज उनको दिया गया है वह बीज फसल के रूप में नष्ट हो जाएगा, इसलिए आवश्यकता यह है कि उस बीज पर कोआपरेटिव से जितना लोन दिया गया है उसको माफ किया जावे। उनको फसल का मुआवजा दिया जावे। मन्त्री महोदय को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जावे। आज किसनों की स्थिति, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हू, रोली के लगने के पश्चात् सुपरवाइजरी नेग्लीजेंस के कारण बनी है इस दृष्टि से मन्त्री महो-दया से इस्तीफा लेने की बनती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर ! माननीय सदस्य. आपस में बातें नहीं करें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से ले। अभी माननीय मंत्री महोदया यहां पर बैठी हैं, वे भी इस बात को मानेंगी कि एक बार रोली लगने के पश्चात्....

(व्यवधान)

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चतुर्वेदी साहब से पूछना चाहूंगा कि यह रोली कौन से हिस्से के अन्दर लगती है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : शुरू होती है नीचे से और ऊपर तक जाती है।

(व्यवधान)

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : मैं इसीलिए आपको निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य। आपस में बातें नहीं करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय मंत्री महोदया जरा जानकारी करने की कोशिश कीजिए....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आर्डर आर्डर !

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह सब माननीय मंत्री महोदया की नेग्ली-जेंस से हुआ है....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सदस्य, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री महाराम चौधरी : न कोई इनको पता है और न कोई उनको पता है, हमको पता है कि रोली, चेपा, दीमक किसको लगती है, कहां लगती है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं....

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो विभाग भी जानता है कि रोली कहां लगती है और कहां नहीं लगती है। मैं यह चारा लाई हूं जो सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री महाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये किसी के खेत से चोरी करके ले आई। किसी के गेहूं के खेत पर से ले आई....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या। आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जिन-जिन क्षेत्रों में इफेक्ट हुआ है उनका सर्वे करवाया जावे। सर्वे कराने के पश्चात् उनको मुआवजा दिया जावे। आवश्यकता यह है कि जो कोआपरेटिव लोन बीज के लिए मिला है, फसलें नष्ट हो गई हैं, उनको माफ किया जावे। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि करोड़ों रुपयों के नुकसान की जिम्मेदारी जिन पर है, माननीय मंत्री महोदया पर है, उनका मंत्रालय छीना जाय, उनको यहां से निकाला जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : ये किसान हैं, उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं जिनका प्रस्ताव है उन्हीं को बोलने दूंगा।

श्री यदुनाथसिंह : हम जानते भी हैं और हम इलाज भी बताते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बातें नहीं, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

हां कहिये ना। आप शुरू कीजिए।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है कि रोली नीचे लगती है या ऊपर लगती है। सवाल यह भी नहीं है कि रोली किस भाग में लगती है। दर्द है, हाथ में हो चाहे पैरों में हो। आखिर दर्द दर्द है। रोली किसी भी किसान पर लगेगी····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : भाई, ये किसान नहीं हैं। आप क्यों हंसते हैं।

श्री नाथूसिंह : क्या, उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री उपाध्यक्ष : आप कहिये।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो वे भी जानते हैं और मुझे भी मालूम है। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य अच्छी तरह से समझते हैं कि रोली कहां लगती है। चौमू से आने वाले माननीय सदस्य को ध्यान है इस बात का।

उपाध्यक्ष महोदय, तो सवाल यह नहीं कि रोली कैसे लगती है, क्या प्रोसेस है। सवाल इस बात का है कि रोली लगती है और रोली लगने के पश्चात् फसलों का कितना नुकसान होता है। माननीय सदस्यों को आभास है इस बात का, वे जानते हैं इस बात को और माननीय मंत्री महोदय जो बैठी हुई हैं वे भी इस बात को अच्छी तरह से समझती हैं कि इस रोली का प्रभाव फसलों पर क्या होता है। मैं तो सिर्फ मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि इस रोली की सूचना यदि आपको मिल गई थी और जैसा कि मौसम से पता लग गया था कि इस साल रोली लगेगी तो सरकार को सावधानी बरतनी चाहिए थी। इस बार फसल बम्पर थी, यदि फसल सुरक्षित मिल जाती किसान को इस बार तो आपको अमेरिका से जो गेहूं मंगाना पड़ता है उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। ऐसी परिस्थितियों में सबको यह चिन्ता थी कि या तो ओले पड़ सकते हैं या कोई रोग लग सकता है। फसल इतनी अच्छी थी तो सरकार को पूर्वानुमान के अनुसार सावधानी बरतनी चाहिए थी। सरकार ने इस सम्बन्ध में सावधानी नहीं बरती। मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि आपको इस मामले की जानकारी, जैसा आपने बताया, जनवरी में ही हो गई थी, फिर फरवरी में आपको चेतावनी दी गई थी तो आपने किसानों को पहली बार इसकी चेतावनी कब दी ? अलग-अलग डिस्ट्रिक्टवाइज एक्सटेंशन आफिसर, कृषि विस्तार अधिकारी आपने हर जिले में नियुक्त कर रखें हैं उनके नीचे और दूसरे अधिकारी ग्राम सेवक....

श्री उपाध्यक्ष माननीय सदस्य, ये सब अधिकारी कलेक्टर की मार्फत ही इत्तला करते हैं।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह वही निवेदन कर रहा हूं। कोई भी हो सकते हैं....

श्री महाराम चौधरी : कृषि विस्तार अधिकारी तो पंचायत समिति लेवल पर रखे जाते हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्लेक्टर्स सो रहे हैं, उनको चिन्ता नहीं है। विभाग क्या करता है, प्रश्न यह है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का नहीं है कि दोषी ये हैं या दोषी कोन है। सवाल इस बात का है कि किसान की फसल नष्ट हो चुकी है आधी से ज्यादा। वह जो फसल नष्ट हो गई उसके लिए जिम्मेदार सरकार है, माननीय मंत्री महोदया है। जोइन्ट रेस्पांसिबिलिटी होती है, क्लेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी होती हैं मंत्रिमण्डल की। यदि दूसरे विभाग का कोई भी व्यक्ति रेस्पांसिबल हो तो पूरी सरकार की जिम्मेदारी है तो फिर बैठे-बैठे ये लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि किसानों को पहली बार इसके सम्बन्ध में चेतावनी कब दी? रेडियो पर इसका प्रसारण कब करवाया? दूसरा जो आपने उपाय किये वे उपाय कब से प्रारम्भ किये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें तो एक्सपर्ट नहीं हूं, फिर भी कुछ जानता हूं। कुछ जानकारी मुझे है। माननीय सदस्य जो अभी बात कर रहे थे उनकी तरह मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। लेकिन इस रोली रोग का जो वास्तव में नाम है, वह पक्सानिया ग्रेमिक्स है। इसको रोकने के लिए इस रोग के लिए, इस रोग के प्रिवेन्शन के लिये कैसे रोक सकते हैं, कैसे इसे नष्ट किया जा सकता है, बार बार अनुसंधान हुए हैं। उन अनुसंधानों की रिपोर्ट के आधार पर ज्ञात हुआ है कि एक बार रोली लग जाने के पश्चात् इसको पूर्ण रूप से समाप्त करना बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन इसको रोका जा सकता है। माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं, आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता, जो आंकड़े जिलाधीश के आफिस में बैठकर बनाये जाते हैं उनके आधार पर अधिकारी आंकड़े देते हैं, और बिना माइन्ड एप्लाइ किये उनको लाकर विधान सभा में बोल देते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की नाक के नीचे जयपुर जिला है. मंत्री महोदया का चुनाव क्षेत्र भी इसी में है आपने जयपुर जिले में घूम कर देख लिया होता, और आंकड़े दिये गये हैं उनकी सत्यता की जांच कर लेते, यह आंकड़े कितने सच्चे हैं कितने झूठे है इनकी तह में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन अधिकतर फसल इस समय रोली के रोग से प्रभावित है, फसल नष्ट हो चुकी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, किसानों को समय पर सूचित नहीं किये जाने, समय पर उपाय नहीं किये जाने के लिए जो अधिकारी दोषी हैं, वह किसानों की कड़ी मेहनत पर सफेद हाथी की तरह पंखों के नीचे और एयर कंडीशन में बैठकर किसानों का माल खा रहे हैं उन किसानों के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारी हैं? आप मत भूलिये आप किसान हैं. उनके वोट लेकर जीत कर आते हैं। एक तरफ रोली के रोग से किसानों की फसल नष्ट हो गई, दूसरी तरफ बिजली पर टैक्स। बजट पर बोलेंगे तब बतायेंगे, किसानों को दूसरे तरीके से, मारा जा रहा है। किसानों से आखिर क्या चाहते हो? किसान के पीछे लट्ठ लेकर क्यों पड़े हो? आप स्वयं किसान हैं, आप चुनाव क्षेत्र में जायेंगे सभी माननीय सदस्यों से निवेदन

(श्री उपाध्यक्ष)

क रना चाहता हूं वह मजाक में नहीं लें, इस चीज को श्राप चुनाव क्षेत्र में जायेंगे वह किसान वोट के बजाय लट्ठ लेकर पीछे पड़ेगा तो मालूम पड़ेगा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रोली किसी क्षेत्र में लगी हो, यह किसानों की बात का सवाल है, यह श्रनाज है । जिससे श्राप सब लोग पले हो, यहां बैठे हुए हो । श्रगर रोली लगा हुश्रा श्रनाज खायेंगे तो श्रापके कोई भी श्रंग नहीं लगेगा, श्रापके शरीर के रोली लग जायगी ।

श्री सूरजपालसिंह श्राप रोली की बात कर रहे हो या रोले की ?

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, श्रापने समय पर प्रिवेन्टिव उपाय नहीं किये, समय पर सचेत नहीं किया. इस समय जिस शिथिलता से काम कर रहे हैं उसी तरह से काम किया । श्रगर नहीं तो श्राप बता दें । मैं श्रारोप लगाता हूं इस सरकार पर, यह सरकार इस समय कितनी घोषणा करें इस सभय फलां जगह छिड़क रहे हैं. फलां जगह यह काम कर रहे हैं । इस समय उन गांवों में हालत देखें, जहां रोली लगी हुई है, वहां किसानों से कोई जाकर बात नहीं कर रहे हैं । जहां जहां प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनके यहां थोड़ी बहुत दवाई छिड़क कर श्रा जाते हैं । श्राकर कह देते हैं बहुत सारा काम कर रहे हैं । इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जांच करने के लिये एक इनक्वायरी कमेटी बैठायें । श्रापको इससे यह सुविधा जानने की होगी कि श्रागे किस तरह से रोग श्रागे नहीं फैले । यह रोग हवा से फैलता है, श्रापको ध्यान है । फसल पकने पर श्रा गयी, यह हवा भी चल रही है, इस हवा के माध्यम से रोली श्रागे बढ़ेगी, सारी फसल चौपट कर देगी । इसलिये तुरन्त रोकने की श्रावश्यकता है । इसको रोकने के लिये क्या कारगर कदम उठाने जा रही हैं, श्रौर क्या पूरे मामले की जांच के लिये एक समिति नियुक्त करेंगी ? दोषी व्यक्ति जो भी हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगी ?

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक मिनट में समाप्त करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, श्राधा मिनट में ।

फसल के बीमा की बात करते हैं । कई चीजों का बीमा होता है । इण्डस्ट्री का बीमा होता है, दूसरी श्रौर चीजों का बीमा होता है, लेकिन फसल के बीमा के सम्बन्ध में समय समय पर चर्चा उठी है, सदन के सभी माननीय सदस्यों ने इस पक्ष में श्रपने विचार रखे हैं । जहां तक मैं जानता हूं मंत्री महोदया इस पक्ष में होंगी, फसल का बीमा होना चाहिये, वह बीमा तो दूर जाने दीजिये, इन समय किसान की फसल जितनी नष्ट हो गयी मैं समझता हूं, वह किसान की गलती के कारण नष्ट नहीं हुई है, वह सरकार की गलती के कारण हुई है । सरकार की गलती के कारण जो फसल नष्ट हो गयी, क्या सरकार इसकी एवज में किसान, जिसकी फसल नष्ट हो गई है, उसको पैसे का भुगतान करेगी ? उसका मुश्रावजा देगी ? इसके बदले राहत देगी ? देगी तो कब तक देगी ? इस संबंध में श्राप क्या विचार कर रहे हैं । श्रापकी इस संबंध में क्या राय है ? इस संबंध में श्राप सदन को श्रवगत कराये । नहीं तो, मैं

98

(श्री नाथूसिंह)

ग्रारोप लगाऊंगा इस सरकार पर, यह सरकार सरासर किसान विरोधी सरकार है ग्रौर किसानों के हितों की इसको चिन्ता नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी विश्वास के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदया किसानों की भलाई के लिये कुछ घोषणा करेंगी, सदन में ग्रापने समय दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

(व्यवधान)

इनको हक है कहने का। कहने दीजिये, ग्राप शांति से सुनिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान इधर रोली से परेशान है, उधर हम लोग इनके रोले से परेशान हैं।

हमको ग्रपनी बात तो कहने दीजिये। मैं माननीय मंत्री महोदया से दो तीन सवाल पूछना चाहता हूं, जब ग्राप ग्रपना वक्तव्य दें तो कृपया इनका स्पष्टीकरण करें।

ग्रापने ग्रपने वक्तव्य में कहा कि जनवरी महीने में ही पता लग गया था कि रोली का रोग प्रारम्भ हो गया है। उस सूचना के बाद ग्रापने यह भी कहा कि टेलिग्राम दिये गये थे। वह किस तारीख को दिये गये? एक बात यह बताइये? उनमें क्या सूचना दी थी, यह बताइये? तीसरा यह बताइये, इसको रोकने के लिये क्या-क्या उपाय सरकार कर सकती थी? इस रोग को रोकने के लिये क्या-क्या उपाय होते हैं, उनमें से कौन-कौन से उपाय किये, कौन से उपाय नहीं किये? जो उपाय किये उनका क्या परिणाम निकला? इन बातों का जब ग्राप ग्रपना उत्तर दें, तब मुझे जवाब दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृषि मंत्री। ग्राप उत्तर दीजिये।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रब तक की बहस रोली के बारे में निर्गुण हुई है....

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव दिये थे, उन्हीं को मौका दिया है, बाकी को नहीं दिया है।

श्री यदुनाथ सिंह : ग्रब तक की बहस निर्गुण बहस हुई है रोली के बारे में....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ग्रंकित न हो।

(व्यवधान)

बैठ जाइये। मैंने कहा स्थान ग्रहण कीजिये।

ग्रंकित न हो।

श्री यदुनाथसिंह : ×××

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : ×××

श्री महाराम चौधरी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों के विरुद्ध मैं काम नहीं करता ।

श्री महाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रोली के सम्बन्ध में सरकार ने कार्यवाही की····

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री महाराम चौधरी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदया जवाब दे रही हैं ।

श्री महाराम चौधरी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो । आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य । माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज । अंकित नहीं हो रहा है । क्या फायदा बोलने से ।

श्री महाराम चौधरी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है । माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज । आर्डर आर्डर, आर्डर आर्डर । आर्डर प्लीज । स्थान ग्रहण कीजिये । माननीय सदस्य ।

श्री महाराम चौधरी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित तो हो नहीं रहा है, क्या फायदा । रिकार्ड नहीं हो रहा है ।

माननीय सदस्य, मुझे बाध्य ना कीजिये । नियमानुसार कार्यवाही करने को बाध्य ना कीजिये । आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य । ग्रहण कीजिये ।

श्री महाराम चौधरी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं । स्थान

(व्यवधान)

अंकित नहीं हुआ है ।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : आपकी अनुमति से, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर विषय है ।

श्री यदुनाथ सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये । माननीय सदस्य, फिर मुझे आपको नाम से संबोधित करना पड़ेगा । Please, sit down.

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, जो मामला सदन के सामने....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा ।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नियमों के विरुद्ध नहीं, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय की बात सुनिये । अंकित नहीं हो रहा है । मैं आपको नाम से संबोधित करूंगा, माननीय सदस्य । स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है, उपाध्यक्ष महोदय ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो ।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री यदुनाथ सिंह : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । क्या पाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री यदुनाथ सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर यह है, उपाध्यक्ष महोदय, जो अब तक बहस हुई है रोली के बारे में वह निर्गुण बहस हुई है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है । अंकित नहीं होगा ।

श्री यदुनाथ सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष . बैठ जाइये । आप विराज जाइये ।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने रोली रोग के प्रकोप के संबंध में जानकारी सदन को दी थी उसके बाद माननीय सदस्यों ने बहुत सारे प्रश्न और स्पष्टीकरण के तौर पर बातें फिर से उठाई । मैं आपके माध्यम से पहली बात तो इस सदन को और जिन माननीय सदस्यों ने खास तौर से बहुत जोर जोर से इस बात को कहा है उनको जानकारी देना चाहती हूं कि आपने कहा कि 14 फरवरी को दुर्गापुरा रिसर्च सेंटर ने यह चिट्ठी भेजी, यह टेलिग्राम दिया, यह टेलीफोन किया । मैं आपको बता रही हूं, दुबारा आपको बता देना चाहती हूं कि 14 फरवरी तो आपकी बहुत बाद में तारीख आती है, हमने 22 जनवरी को ही तमाम जिलों में सेविंगग्राम्स भेजे हैं जिनमें विस्तार से उनको कहा गया है कि इस तरह की हमको जानकारी प्राप्त हो रही है कि इलाकों में रोली रोग बढ़ने की आशंका हो रही है इसलिए आप तुरन्त इस मामले में इलाकों में जाकर पूरी पाबन्दी करें, इस मामले की रोकथाम के लिये काश्तकारों को समझायें, आगाह करें और क्या व्यवस्था की जा सकती है इस बारे में तत्परता से अपने अपने क्षेत्रों में काम करें । इसके साथ साथ उनको यह भी कहा गया कि आपके क्षेत्र में कहां कहां इस प्रकार की स्थिति हो रही है इस बारे में सूचना देते रहें । इसके लिये यह कहना कि 14 फरवरी से पहले आपने हाउस में स्थगन प्रस्ताव दिया, उसके पहले विभाग ने कार्यवाही नहीं की, मैं आपको बता रही हूं....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : तार की कौन सी तारीख है ?

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्रीमती कमला : 22 जनवरी। आप 14 फरवरी बोल रहे हैं, मैं 22 जनवरी बोल रही हूं। कौन सी पहले होती है कौन सी पीछे....

(व्यवधान)

जब आपने कहा है तो पूरी बात भी सुनने की कोशिश करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप साबित करना चाहते हैं कि स्थगन प्रस्ताव आया....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : No statement आर्डर प्लीज। Sit down पूरी बात सुनिये। अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोकसिंह : × × ×

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य द्वारा जो आपत्ति पेश की गई है यह सरासर बेबुनियाद है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जो माननीय सदस्यों ने यहां पर स्थगन प्रस्ताव रखा है....

श्री उपाध्यक्ष : मिस्टर त्रिलोकसिंह, आप स्थान ग्रहण कीजिये। आप बाधा डाल रहे हैं, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह : पूरा मुआवजा दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री रामकंवार बैरवा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बाधा डाल रहे हैं। बाधा न डालिये।

श्रीमती कमला : बीच में कहां व्यवस्था का प्रश्न हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय के वक्तव्य के पहले व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, पूरी बात सुन लीजिये उसके बाद व्यवस्था का प्रश्न हो तो दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बाद में सवाल कर लीजिये फिर मैं देखूंगा। माननीय सदस्य, आप आसन की बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री रामकंवार बैरवा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बार-बार वार्निंग देने पर भी नहीं मान रहे हैं आप।

श्री रामकंवार बैरवा : एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : कोई तरीका है यह। आप बाधा डाल रहे हैं कार्यवाही में।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरी बात कहूं उससे पहले ही आप....

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती कमला)

(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों को जाहिर कराना चाहती हूं, अवगत कराना चाहती हूं और उनको खुलासा करना चाहती हूं कि आपका स्थगन प्रस्ताव तो अभी आया है, मार्च में आया है और दुर्गापुरा की रिपोर्ट 14 या 16 फरवरी को आई लेकिन विभाग की तरफ से जो प्रिकाशन लिये गये वे 22 जनवरी को ही शुरू कर दिये गये। आप सुनने की चेष्टा करिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : प्रिकाशन लिये नहीं गये।

श्री उपाध्यक्ष : आपमें सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिये।

श्री नन्दलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। माननीय मंत्री महोदया गलत बयानी कर रही हैं।

श्रीमती कमला : कैसे नहीं है। आप गलतबयानी कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : किस पंचायत समिति में....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंकित नहीं होगा।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : × × ×

श्री त्रिलोकसिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंकित नहीं किया जाय।

श्री त्रिलोकसिंह : × × ×

श्रीमती कमला : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहती हूं, एक ही बात के ऊपर आपको सन्देह है। मैं जो तारीख बता रही हूं वह गलत है तो नियमों में प्रावधान के अनुसार उस पर आप कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र हैं। लेकिन आप मेरे को सुनने की चेष्टा करें।....

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो माननीय सदस्यों ने कही है, वह यह है कि आपने कुछ जिलों की रिपोर्ट्स दी है बाकी कुछ जिलों की रिपोर्ट्स आपने नहीं दी है। क्या उन जिलों के अन्दर खराबा नहीं है। मैंने जैसा कि अपने पूर्व के बयानों में कहा है, अभी तक जो हमको सूचना प्राप्त हुई है उसके मुताबिक इन सारे कारणों से खराबा हुआ है। लेकिन मैं इस बात को मानती हूं कि जितने जिलों का जितना खराबा आया है वहां पूरा खराबा दर्ज नहीं हुआ है। जिन जिलों का खराबा नहीं आया है वहां भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें खराबा हुआ है। इसलिये हमने राज्य सरकार के राजस्व अधिकारियों को यह आदेश जारी करने के लिये लिखा है कि तमाम क्षेत्रों में जहां-जहां खराबा हो रहा है या होने की संभावना है कि इतना खराबा हो जायेगा

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती कमला)

उन सब की विशेष गिरदावरी की जाय जिससे कि तमाम क्षेत्रों की जानकारी ग्रा जाय कि कितना-कितना खराबा हुग्रा है ।....

(व्यवधान)

इतना इतना खराबा हुग्रा है यह जानकारी सरकार के पास ग्रा जायेगी। इसके उपरान्त दो कार्यवाही करने के लिये....

श्री उपाध्यक्ष : ग्रापने कोई प्रिवेन्टिव एक्शन, मेजर्स लिये हैं, वह बताइये। सुनिये ।....

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : इतना जोर से बोलने से न तो खराबा रुकेगा ग्रौर न खराबा ज्यादा होने वाला है। सुनने की कोशिश कीजिये । ....

(व्यवधान)

सुनना तो पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्रार्डर प्लीज।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो बात ग्रापके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं वह यह है कि बहुत से इलाकों में जहां पर इसका प्रकोप हुग्रा है उसकी रोकथाम के लिये दो व्यवस्थाएं की गई हैं। मैंने ग्रापसे पूर्व में कहा है, ग्रभी भी कहा है, इस रोकथाम के करने के बावजूद भी खराबा हुग्रा है ग्रौर खराबा होगा, क्योंकि....

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहती हूं, मैं गलत सूचना नहीं दे रही हूं।....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।....

(व्यवधान)

ग्राप इनकी बात सुनिये।

श्रीमती कमला : इस प्रकोप को रोकने के लिये जो व्यवस्था की गई है वह पर्याप्त नहीं है पूरे इलाके में नहीं पहुंची है। जैसा मैंने ग्रापसे निवेदन किया कि इस मामले में ग्रनुदान के लिये राजस्व विभाग के पास ग्रभी तक कोई प्रावधान नहीं था ग्रब तीन, चार दिन पहले भारत सरकार की तरफ से यह पैसा मन्जूर होकर ग्राया है। विशेष तौर पर हमने लिखा था। इसलिये ग्रनुदान का जो प्रावधान हमने किया है वह जिस वक्त से स्वीकृति ग्राई है उस वक्त से कर रहे हैं। लेकिन काश्तकार इस बीमारी की रोकथाम के लिये क्या करें, उनको सुझाव देना, उनको समझाना ग्रौर मौके पर उनको ग्रागाह करना, यह सारी कार्यवाही कहां कहां कितनी-कितनी की गई है, इसकी सूचना मैंने पूर्व में दी है। लेकिन विशेष शिकायत की सूचना के बाद जो कार्यवाही की गई है, वह किये जाने के बाद भी उसका ग्रसर नहीं हुग्रा, हम इसको पूरी तरह से मानते हैं। बहुत व्यापक पैमाने पर खराबा होगा ग्रौर किसानों को नुकसान होगा इसलिए विशेष गिरदावरी जो कि जा रही है उसका मकसद यह है जिन काश्तकारों को नुकसान

(104)

(श्रीमती कमला)

होगा उनसे राजस्व वसूली स्थगित की जाय और जिन काश्तकारों को नुकसान हो गया है ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य । श्री महाराम चौधरी, स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : ....माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहती हूं कि जिलाधीश की सूचना का इससे ताल्लुक नहीं है। सूचना हम कृषि विभाग के माध्यम से मंगवाते हैं लेकिन अधिनियम के प्रावधान के मुताबिक अगर व्यापक पैमाने पर कहीं महामारी के रूप में कोई रोग फैलता है तो उसकी घोषणा कलेक्टर द्वारा होगी । बाकी सूचना के लिये हम कलेक्टर के इन्तजार में नहीं रहते हैं । इसलिये जो सूचना आई है वह हमारे विभाग के माध्यम से आई है, जिलाधीश ने दी है तो वह भी इसमें शामिल है। लेकिन मैं सदस्यों के इस एतराज से काफी हद तक सहमत हूं कि बहुत से क्षेत्र से सूचना पूरी नहीं आई है और जितनी आनी चाहिए थी वह अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है । जैसा जयपुर के मामले में था, मैं स्वयं मानती हूं जयपुर के इलाके में बहुत जगह इस तरह की स्थिति है, जयपुर क्षेत्र की पूरी सूचना नहीं है । दौसा क्षेत्र की जो आनी थी वह हमारे पास में है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्रीमती कमला : ....विशेष व्यवस्था की जा रही है। इस सारे मामले में तत्परता से राजस्व विभाग और कृषि विभाग दोनों सम्मिलित रूप से जांच कर के पूरी रिपोर्ट दें जिससे कि काश्तकारों को राहत दी जा सके और राजस्व वसूली स्थगित की जा सके। इस सारी कार्यवाही के बारे में सरकार अपनी तरफ से सचेत है ।....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।....

(व्यवधान)

चर्चा समाप्त हुई ।

श्री चतुर्वेदी ।

(व्यवधान)

(2.48 म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, सभापति, पदासीन)

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, आपसे निवेदन है कि आपस में बात न करें । जो कहना है वह चेयर के माध्यम से कहें ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस प्रकार की भाषा का प्रयोग उचित नहीं है ।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्या ।

(व्यवधान)

निवेदन है कि आप आपस में बातें न करें।

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) : एक घंटा हो गया है रोली और रोला चल रहा है। माननीय सदस्यों को यह पता नहीं है कि रोली होती क्या है....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : कृपया रोला न करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य....

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप स्थान ग्रहण करें। मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, माननीय सदस्य। आप रोला कर रहे है। आप बिराजें। हाथ जोड़कर सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि आपस में वार्ता न करें, शोर न करें, सबको अगर बोलने की जरूरत होगी तो मौका दिया जायेगा ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदया का शुक्रगुजार हूं। उन्होंने एक ओर तो किसानों को राहत पहुंचाने की कुछ बातें कही हैं कि गिरदावरी कर लेंगे, अनुदान देने की कोशिश करेंगे, लेकिन सारे उनके वक्तव्य में न तो रेडियो पर सूचना देने का जो स्पेसिफिक सवाल किया था उसका जवाब आया....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : न 21 जनवरी के प्रसारण की बात करने की कोशिश की है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहता हू कि चाहे 21 जनवरी की बात करें, चाहे 14 फरवरी की बात करें, चाहे 16 फरवरी की बात करें; न उनके यहां से प्रॉपर सूचना सारे राजस्थान के किसानों को भेजी गयी, न अधिकारियों ने ठीक ढंग से सूचना पहुंचायी। मेरा फिर आरोप है कि प्रिवेन्टिव मैथडस वहां काम करते हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर। बैठे बैठे बातें न करें।

एक माननीय सदस्य : रिपीटिशन हो रहा है। वही बात कह रहे हैं। पहले भी यही बात कही जा चुकी है।

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपको नाम लेकर पुकारूंगी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण डूडी : आप इधर की बात कर रही हैं उधर की नहीं कर रही हैं। वे रोला कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर रिपीटिशन करेंगे तो मैं रोकूंगी। आप बीच में न बोलें। उनको बोलने का अधिकार है, आपको भी बोलने का अधिकार है। आपको भी अवसर दूंगी। स्थान ग्रहण करें, कृपया

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री रघुबीर सिंह कौशल : मेरा प्रस्ताव था....

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : हमारी तरफ से ये ही....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजें, बोलने वाले बोलेंगे। सभी को बोलने का मौका मिलेगा

(व्यवधान)

मैं, माननीय सदस्य, आपसे निवेदन कर रही हूं कि आप बीच में न बोलें। आपको बोलने का मौका मिलेगा, आप बीच में न बोलें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : आप बैठें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नियम बतायें।

श्री सभापति : मैं पूछ लूंगी। आप कृपया न बोलें। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उठाने दीजिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : सभापति महोदया, मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है वह नियम 290 के तहत दिया है। नियम 290 में यह स्पष्ट है कि वक्तव्य के बाद में कोई प्रश्न नहीं होगा। फिर भी आप स्वीकृति देती हैं तो एकाध प्रश्न शांति से पूछ सकते है। मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि रस्ट' और फस्ट यह दोनों नेचरल केलेमिटीज हैं। अगर यह पूछा जाय कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया इससे अवगत करायें....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह व्यवस्था का प्रश्न है क्या ?

श्री सभापति : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है आप बैठें, माननीय सदस्य

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : इनको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि नियम 290 के तहत कोई वक्तव्य दिया गया हो तो प्रश्न पूछने का अधिकार है या ? नहीं है यह बतायें आप।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप उन्हें पांच मिनट बोलने का मौका दीजिये। आपको भी मौका मिलेगा।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : 290 के तहत ये कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह प्रस्ताव मेरा था, मैं अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति : आप पहले इन्हें बोलने दें। आपको भी मौका दूंगी...

(व्यवधान)

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप मेहरबानी करके बैठ जाइये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : यह पुस्तक है इसमें नियम 290 है। 290 के तहत ही यह वक्तव्य दिया गया है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह स्थगन प्रस्ताव है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : आप दूसरा नियम बता दें। अगर यह नहीं है तो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, क्या आसन के बार-बार कहने पर आप ध्यान नहीं देंगे। मुझे बड़ा दुख है। मैं आपसे बार-बार निवेदन कर रही हूं, मुझे अफसोस है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं नियमों का उल्लेख कर रहा हूं, पाइन्ट आफ आर्डर रेज कर रहा हूं। आपकी स्वीकृति लेकर ही बोल रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप ऐसा न करें। कार्यवाही चलने दें। अगर कोई अवहेलना होगी तो आसन व्यवस्था करेगा। आप बीच में न बोलें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैंने आसन से ही निवेदन किया था।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदया, मुझे और कुछ नहीं कहना है। इतना ही कहना चाहता हूं कि जो सुपरवाइजरी ड्यूटी एज ए मिनिस्टर है उसमें निश्चित रूप से मंत्री महोदया नाकामयाब रही हैं, कोई सूचना नहीं दे पाई, रेडियो पर इस प्रकार का प्रसारण नहीं करा पाई She is only responsible उनको इसके लिये त्यागपत्र देने की आवश्यकता है या मुख्य मंत्री को उनको निकालने की आवश्यकता है।

(2-57 म.प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : यह बहस का अवसर है ही नहीं। यह अनधिकृत बहस है, तो यह निगुर्णी होती है और क्या होती है ?

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर प्लीज । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब सरकार की ओर से स्थगन प्रस्ताव पर कोई वक्तव्य दिलाया जाता है तो उसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसके ऊपर कोई पूरी चर्चा होगी । सदन के अंदर सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जाता है, एक दो माननीय सदस्य स्पष्टीकरण के तौर पर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं । उनके उत्तर दिलाये जायेंगे····

एक माननीय सदस्य : वही कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : वह नहीं कर रहे हैं । इसमें लगभग दो घंटे का समय हो गया है····

((व्यवधान)

आर्डर प्लीज । सदन के सामने कार्य सूची होती है वह सदन स्वयं तय करता है

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश के ऊपर करता है । जीरो आवर है उसमें कौनसे विषय आवें यह विधान सभा के अध्यक्ष के ऊपर छोड़ा गया है । जो विषय महत्वपूर्ण होते हैं वह इसमें आते हैं । दुर्भाग्य की बात है कि बहुत लम्बे समय तक बादल रहे, नमी भी हवा में बनी रही और ऊपर से बरसात होती रही उसके कारण से रोली हो गयी । यह आप भी जानते हैं कि रोली से फसलों को बचाने की कोई परिपक्व व्यवस्था, समुचित व्यवस्था, इस आधुनिक युग में भी यू. एस. ए., कनाड़ा, आस्ट्रेलिया, चीन और रूस आदि के अन्दर भी नहीं हो सकी है । मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने····

श्री नाथूसिंह : उनमें है ।

श्री अध्यक्ष : देखा है । जितनी उनके पास सूचनायें थीं, उपलब्ध करवा दी हैं । सरकार इस सम्बन्ध में क्या करना चाहती है वह आपको उन्होंने निवेदन कर दिया । आप यह जानते हैं कि कार्य सूची काफी लम्बी है । बहुत से महत्वपूर्ण विषय हैं जो सदन के समक्ष विचाराधीन हैं····

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, यह भी महत्वपूर्ण है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । आवेश में आने की बात नहीं है, माननीय सदस्य । इसमें जो कुछ मंत्री महोदय को जानकारी थी और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है उससे उन्होंने माननीय सदस्य और सदन को अवगत करा दिया है । अब इसमें कोई संतुष्ट होता है और कोई नहीं होता है तो संतुष्टि तो····

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, ललित किशोर जी ने आरोप लगाया है मेरे ऊपर····

श्री अध्यक्ष : किसान तो ऐसा है, जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया उसका कई तरह की आपदाओं से सामना होता रहता है । इसलिये इसकी कोई समुचित व्यवस्था कर सकें, ऐसा सम्भव नहीं है । मैं समझता हूं कि इस विषय पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है....

श्री नाथूसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : जब आसन पैरों पर हो तो कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होगा।

श्री नाथूसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं इस विषय पर चर्चा समाप्त करने की घोषणा करता हूं;....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : विषय बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को काफी समय मिल गया है जिसमें उन्होंने सरकार के समक्ष कठोर शब्दों में अपनी बात कह दी। आपकी नाराजगी का जो कारण था वह आपने सरकार और सदन के सामने रखा। राज्य सरकार ने आपके पक्ष को अच्छी तरह सुन लिया। मैं समझता हूं कि अब इसमें कोई गम्भीर चर्चा की गुंजाइश नहीं है इसलिए मैं इस विषय पर चर्चा यहीं समाप्त करता हूं। एक माननीय सदस्य कोई पाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहते थे। श्री रघुवीरसिंह कौशल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि आसन से दो मिनट पहले यह व्यवस्था हुई थी कि आपको बोलने का अवसर दिया जायेगा। यह व्यवस्था हुई है कि समय दिया जायेगा इसलिए मैं आपकी अनुमति चाहता हूं, दो मिनट के लिए।

श्री अध्यक्ष : सरकार की तरफ से उत्तर नहीं आयेगा। दो मिनट में माननीय सदस्य का भाषण स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। दो मिनट बोल लीजिये।

(व्यवधान)

क्योंकि रोली का विषय है। गेहूं तो सम्पूर्ण प्रदेश में होता है. प्रत्येक माननीय सदस्य इसमें हिस्सा लेना चाहेंगे।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज, मैं इजाजत नहीं दूंगा। चूंकि मेरे से पहले चेयरमेन महोदया ने फर्मा दिया है इसलिए इजाजत दे रहा हूं। श्री कौशल।

श्री यदुनाथ सिंह : यह सब निर्गुण बहस हो रही है। अध्यक्ष महोदय, इसका कारण क्या है, निदान कुछ हो रहा है, मेरे को जानकारी है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, श्री कौशल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदया ने बताया, वह जानकारी से चिन्तित हैं। यह रोली रोग ऐसा है कि इसके प्रिकाशनरी मेजर्स लेने के बाद रोकथाम कुछ पर्सेन्टेज में हो सकती है। जब जनवरी में सूचना आ गई तो आज यह अनुदान घोषित करने की बात आई है। जनवरी से आपने रोकथाम के लिए अनुदान घोषित क्यों नहीं किया। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, यह सारी रिपोर्ट आई, मैं डी. ए. ओ. से मिलकर आया हूं, ए.ई.ओ. से मिलकर आया हूं, सरकार से कोई सूचना गई है ऐसा किसी को भी पता नहीं है। पंचायत समितियों की मीटिंग हुई किसी सरपंच को इत्तला नहीं दी गई है कि रोली

(110)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

रहेगी इसलिए इसका उपचार किया जाना चाहिये। रोली के उपचार के जो आंकड़े दिये गये हैं यह सारे असत्य हैं। सल्फर तो दूसरी बीमारियों के लिए दी गई थी। इस दृष्टि से आपका विभाग एकदम निष्क्रिय रहा है और किसानों की चिन्ता इस विभाग को करनी चाहिये थी वह बिलकुल नहीं हुई है। आज भी आपने 10 रुपया हैक्टेयर सब्सिडी घोषित की है, क्या यह पर्याप्त है? 80 से 100 रुपया हैक्टेयर तक का खर्चा आया है। दस रुपया देकर आप क्या करना चाहते है? असेम्बली में घोषणा हो गयी और किसान उसका उपयोग नहीं कर सकते। मैं मांग करूंगा कि अनुदान कम से कम 50 पर्सेन्ट घोषित किया जाना चाहिये। साथ ही उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये जो इसमें निष्क्रिय रहे हैं। यह जो अनुसन्धान शाला ने रिपोर्ट दी वह रिपोर्ट कहां दबी रही....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : दुर्गापुरा फार्म की रिपोर्ट कहां दबी रही ? क्या माननीय मन्त्री महोदया बतायेंगी कि कोटा के सर्वेलेन्स आफिसर, सर्वेलेन्स स्टेशन कोटा ने जो तीन साल से लगातार रिपोर्ट भेजी कि यहां रोली आती है तो उसे एन्डेमिक एरिया घोषित क्योंकि नहीं किया गया....

श्री अध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : क्या मन्त्री महोदया, इसका उत्तर दे सकती हैं ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो दो मिनट में मैं जवाब दे दूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय ललित किशोरजी ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने एक आरोप यह लगाया कि हमने जो प्रिकाशनरी मेजर्स लिये जिनका हमने उल्लेख किया है वह गलत बयानी की है, और हमने ऐसे कोई मेजर्स नहीं लिये जैसे कि सेविंग ग्राम, रेडियो या पेपर में प्रसारण। उनका कहना है तारीख नहीं बताई इसलिए गलत बयानी कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से चुनौती के साथ कहना चाहती हूं हमने यह सब प्रिकाशन्स लिये हैं। तारीख से ही आपका मन भरता है तो मैं आपको बताना चाहती हूं 21-1-82 को हमने सेविंग ग्राम्स दिये, 18 फरवरी को रेडियो से ब्राडकास्ट किया। 19 और 20 फरवरी को हमने अखबारों में दिया है और उसके बाद में दुबारा और टेलीग्राम हमने दिये कि आपके यहां की तुरन्त सूचना बताइये।

दूसरा प्रश्न यह किया कि आपने यह अनुदान पहले से क्यों नहीं देना तय किया। मैंने स्वयं ने आपको बताया, नेचरल केलेमिटीज का पैसा हमारे पास नहीं है भारत सरकार से मिलता है उसकी हम कोशिश में थे। अभी चार दिन पहले ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको वह पैसा उपलब्ध हुआ है। इसलिए अब हमने सारा अनुदान जिलों के अन्दर....

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : भारत सरकार को कब लिखा था ?

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : इसके बावजूद मैंने कहा है मैं मानती हूं कि इससे अधिक राहत नहीं मिलेगी क्योंकि फसल खराब हो चुकी है । इसलिए स्पेशल गिरदावरी कराई जा रही है, जो खराबा हो गया उस अनुमान से काश्तकारों की राजस्व वसूली स्थगित की, उसको राहत पहुंचाने के लिये जो व्यवस्था की जा सकती है वह की जा रही है । यह सारा बयान किया है ।

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : इस अनुदान राशि को बढ़ाने का विचार है क्या ? इस अनुदान राशि को बढ़ायेंगी या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर, कृपया स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य, बैठ जावें । अब मैं इजाजत नहीं दूंगा । चर्चा समाप्त हुई ।

सहकारिता मन्त्री महोदय ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा ने 50 प्रतिशत सब्सिडी दी, क्या मंत्री महोदया, पचास प्रतिशत सब्सिडी····

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मुग्रावजा देंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सहकारिता राज्य मन्त्री महोदया एक वक्तव्य देंगे ।

राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ में व्याप्त गुटबाजी एवं अव्यवस्था

श्री रामपाल उपाध्याय (राज्य मन्त्री सहकारिता) : अध्यक्ष महोदय, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के अध्यक्ष व जनरल मैनेजर में अनवन, कर्मचारियों की गुटवाजी, पक्षपात, मारपीट, अव्यवस्था आदि का उल्लेख करते हुए और इस व्यापारिक संस्थान को आगे बढ़ने की बजाय अवसायन की ओर अग्रसर होने का उल्लेख करते हुए स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

जैसा कि सर्वविदित है कि हरेएक संस्था में जहा कर्मचारी अधिक तादाद में हों, एक से अधिक यूनियन कार्यरत रहती हैं और वह अपनी मांगों को लेकर समय समय पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में प्रवृत्त रहती हैं । जिस किसी भी संस्थान में एक से अधिक यूनियन होती हैं तो आपस में प्रतिस्पर्धा हो जाना स्वाभाविक है । कुछ इसी प्रकार की स्थिति उपभोक्ता संघ में भी पाई जाती है । जहां पर विभिन्न यूनियनें अपनी मांगों को लेकर समय-समय पर शक्ति प्रदर्शन करती रहती हैं । वर्ष 1978-79 में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ में कुछ ऐसे कर्मचारी नियुक्त हुए जिनका रवैया काफी उग्र अनुशासहीनता एवं अराजकता पूर्ण रहा है । इनमें से कुछ कर्मचारी आमरण

(श्री रामपाल उपाध्याय)

अनशन पर बैठे तथा संघ के प्रशासन के प्रभावशाली कदमों से ये संघ कार्य को ठप्प करने में सफल नहीं हो सके। परिणामतः इनकी साख को धक्का लगा। यही तत्व कर्मचारियों को डरा धमका कर जबरन चन्दा वसूल करने, कर्मचारियों को धमकियां देने व दूसरी यूनियन के उपाध्यक्ष पर प्राणघातक हमला करने में सक्रिय रहे हैं और इसके लिये पुलिस द्वारा कानूनी कार्यवाही की गई है। इन तत्वों द्वारा संघ के अधिकारियों व कर्मचारियों को दी गई धमकियों के सम्बन्ध में प्राथमिक सूचना व रिपोर्ट सम्बन्धित थानों को भेज दी गई है एवं जिसके फलस्वरूप इन तत्वों में से एक कर्मचारी, जो कि संघ की दो यूनियन में से एक यूनियन का अध्यक्ष भी है, के विरुद्ध पुलिस द्वारा फौजदारी कानून के अन्तर्गत न्यायालय में मामला दायर किया गया है।

इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि उपभोक्ता संघ के वातावरण को बिगाड़ने का कुछ तत्वों ने प्रयास किया जो कि सफल नहीं हो सके हैं। इन तत्वों में से अधिकांश वे कर्मचारी हैं जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही या तो कर दी गई है अथवा विचाराधीन है।

चालू वर्ष में संघ द्वारा किये गये कार्यों में निम्न प्रगति उल्लेखनीय रही है:—

सहकारी वर्ष 1981-82 की प्रथम छमाही (जुलाई, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के प्रधान कार्यालय एव उसकी विभिन्न शाखाओं द्वारा चीनी तथा सीमेन्ट शाखा को छोड़कर कुल रुपये 3,34,70,057/– का व्यवसाय किया गया जो कि पिछले सहकारी वर्ष 1980-81 की प्रथम छमाही (जुलाई, 1980 से दिसम्बर, 1980 तक) में किये गये रुपये 2,66,69,057/– के व्यवसाय के मुकाबले 25.5 प्रतिशत अधिक है।

इसी अवधि में संघ ने भारत सरकार के प्रतिष्ठान भारत लेदर कार्पोरेशन द्वारा निर्मित चमड़े के जूते व अन्य वस्तुयें विक्रय हेतु जयन्ती बाजार में चर्मिका नामक विक्रय केन्द्र स्थापित किया है और इससे संघ के व्यापार को एक नई दिशा प्राप्त हुई है।

कुल बिक्री सितम्बर से दिसम्बर तक 1.75 लाख की हुई है। इसी वर्ष की प्रथम छमाही में ही राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार आयुर्वेदिक औषधियों के व्यापार के सम्बन्ध में सम्पूर्ण व्यवस्था करली गई है और इसी माह से जयपुर नगर में दो स्थानों (राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान आमेर रोड व लक्ष्मी नारायणपुरी) से आयुर्वेदिक औषधियों की बिक्री प्रारम्भ की जा रही है।

इसी छमाही में संघ द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने की दृष्टि से पांच स्थानों भरतपुर, गंगानगर, जोधपुर, अजमेर व कोटा में क्षेत्रीय कार्यालय एवं क्षेत्रीय वितरण केन्द्र स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है जिनमें से चार स्थान गंगानगर, जोधपुर, भरतपुर व अजमेर में ऐसे कार्यालय एव वितरण केन्द्रों ने कार्य भी प्रारम्भ कर दिया है। इन वितरण केन्द्रों के माध्यम से

(श्री रामपाल उपाध्याय)

इनके कार्य क्षेत्र में कार्यशील सहकारी समितियों को दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं सीधी निर्माताओं से प्राप्त कर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी।

इसी वर्ष में संघ प्रशासन द्वारा जयपुर शहर में दो विभागीय भण्डार जवाहर नगर तथा शास्त्री नगर तथा एक वृहत बिक्री केन्द्र ज्योति नगर में स्थापित करने की कार्यवाही आरम्भ की गई है जिससे कि संघ के व्यापार में प्रगति के साथ ही क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ताओं को भी राहत दिलाई जा सके। अतः यह मानना उचित नहीं होगा कि संघ अवसायन की ओर अग्रसर है। वास्तविकता यह है कि संघ निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। माननीय विधायक महोदय ने कुछ प्रश्नों का उल्लेख किया है। अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी के बीच अनबन की शिकायतें दृष्टिकोण की भिन्नता कही जा सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि कर्मचारियों द्वारा धमकियां देने आदि के कारण संघ प्रशासन को अन्य कर्मचारी एवं अधिकारियों की सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्यवाही करनी पड़ी, यहां तक कि उनको आवश्यकता पड़ने पर उच्चाधिकारियों को भी लिखना पड़ा। कर्मचारियों ने जो आन्दोलनात्मक रवैया अपनाया था और आमरण अनशन किया, उसको शान्तिपूर्वक निपटाने के लिए अध्यक्ष एवं संघ के कर्मचारियों की एक यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच दिनांक 25-8-81 को समझौता हुआ जिनकी लगभग सभी नियमित शर्तों की क्रियान्विति की जा चुकी है। यूनियन के कर्मचारियों ने संघ प्रशासन के विरूद्ध शिकायत भी की थी, उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि कर्मचारियों द्वारा उत्पन्न की गई अशांति पूर्ण स्थिति एवं दी गई धमकियों के फलस्वरूप जनरल मैनेजर ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति दिनांक 27-8-81 प्राप्त कर 4 सुरक्षा गार्ड गोलियथ डिटेक्टिव के माध्यम से नियुक्त किये. 2 अन्य गार्ड ड्राइवर के पद पर नियुक्त किये हुए हैं। जहां तक स्टाफ कार का प्रश्न है, जनरल मैनेजर ने जहां पर भी व्यक्तिगत रूप से कार्य में ली है उसका स्वीकृत नियमों के अनुसार 1 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से जमा कराया है। कुछ विशेष कार्य के लिए जो कि काफी समय से अपूर्ण पड़ा हुआ था, पूर्ण करने के लिए अनुभवी सेवा निवृत्त कर्मचारियों को नियुक्ति दी गई है, इनमें से स्टेनोग्राफर्स के लिए तो राज्य सरकार से छूट है तथा अन्य कर्मचारियों को कार्य करने हेतु ठेके (कान्ट्रेक्ट) रूप में नियुक्त किया गया है। जिन कर्मचारियों को नियम विरुद्ध आर्थिक लाभ पहुंचाने का उल्लेख किया गया है, उनमें श्री विष्णुदत्त शर्मा की सेवायें समझौते के अनुसार समाप्त की गई थीं परन्तु नियमित रूप से चयन हो जाने के पश्चात् उनकी नियुक्ति की गई। रिक्त स्थानों पर नियमित नियुक्तियां विज्ञापन प्रकाशित करने, परीक्षा लेने एवं साक्षात्कार के पश्चात् ही की गई हैं परन्तु इस प्रणाली में समय लगने के कारण एवं व्यापारिक संस्थान होने के नाते तुरन्त कर्मचारियों की आवश्यकता होने पर तदर्थ रूप में भी नियुक्तियां की जाती रही हैं। इस प्रकार की नियुक्तियां लगभग प्रत्येक व्यापारिक संस्था में की जाती हैं। जिन कर्म-

(श्री रामपाल उपाध्याय)

चारियों को नियमित वेतन श्रृंखला नही दी गई उनका चयन स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा न होने का कारण हैं, न कि द्वेषता के फलस्वरूप। जब किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है तो यह स्वाभाविक है कि वह किन्हीं भी अधिकारी पर उसका विरोध होने और कुछ न कुछ बहाना ढूंढता रहता है। इसी प्रकार महिला कर्मचारी द्वारा शिकायत की है, उसकी उच्चाधिकारी द्वारा जांच करवाई जा रही है। यदि संघ के कर्मचारियों की एक यूनियन के ही कुछ कर्मचारी यह कहें कि असामाजिक तत्वों को प्रलोभन देकर उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उचित प्रतीत नहीं होता। इसका कोई सबूत भी नहीं दिया गया है केवल रिपोर्ट दर्ज कराना ही काफी नहीं है जब तक कि पुलिस द्वारा किये गये इन्वेस्टीगेशन का परिणाम सामने नहीं आता, तो इस प्रकार का आरोप लगाना उचित नहीं है। यह सही है कि श्री महेशचन्द जैन, सहायक रजिस्ट्रार को संघ की शाखा उपहार में लगाया गया था परन्तु संघ प्रशासन ने व्यावसायिक दक्षता एवं कार्य निष्पादन की दृष्टि से यह उचित समझा कि उपहार में अन्य अधिकारी को लगाया जाय और इनकी सेवा का सही उपयोग अन्य पद पर हो। इसकी स्वीकृति ली गई है फिर भी इसकी विस्तृत जांच करवाई जा रही है। आडिट रिपोर्ट वर्ष 74-75, 75-76, 76-77 व 77-78 के मुख्य "अ" भाग की अनुपालना की जा चुकी है। जहां तक "ब" भाग की अनुपालना का प्रश्न है, उसके लिए संघ को निर्देशित किया गया है कि तीन माह की निर्धारित अवधि में पूर्ति कर रिपोर्ट भेजें। जो भी राशि श्री अशोक जैमन व ओमप्रकाश के विरुद्ध निकलती थी वह जमा की जा चुकी है।

यह सही है कि मैसर्स प्रेमदान दीवानसिंह पानीपत (मक्कड़ हैंण्डलूम) के कपड़े को न खरीद करने के लिये जनरल मैनेजर द्वारा समस्त भण्डार एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों को निर्देश जारी किये गये थे परन्तु जब उक्त फर्म ने संघ के सुझावानुसार शर्तें स्वीकार कर लीं जो कि संघ एवं समितियों के हित में थी, तो पुनः उक्त शर्तों के अनुसार कपड़ा खरीदने के लिए आदेश जारी कर दिये गये। जो माल उपहार के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों को सप्लाई किया जाता है वह या तो उपहार में उपलब्ध होता है अथवा संघ से उत्पादकों से निविदा प्राप्त कर स्वीकृत दरों के आधार पर ही सप्लाई किया जाता है। यह कहना सही नहीं है कि सभी सामान स्थानीय दुकानदारों के मार्फत डेढ़ दुगुने दामों पर सप्लाई किया जाकर अनुचित लाभ उठाया जाता है। बम्बई के एक निर्माता मैसर्स सिलवर स्टील से 2.25 लाख रुपये के बर्तन कन्साइनमेंट बेसिस पर प्राप्त कर बेचे जाते हैं, वह शर्तें संघ के हित में ही नहीं हैं बल्कि संघ की पूंजी बिना लगाये निर्धारित पांच प्रतिशत मुनाफा की शर्त पर प्राप्त किये गये हैं। जैसे जैसे बिक्री होगी राशि उक्त फर्म को दी जायेगी और जो बर्तन विक्रय नहीं होंगे वापस लौटा दिये जायेंगे। जो भी रिकार्ड आडिटर्स द्वारा मांगा जाता है संघ के संबंधित अधिकारी

(श्री रामपाल उपाध्याय)

द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाता है, ऐसा कोई उदाहरण जानकारी में नहीं आया है कि रिकार्ड मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया गया हो। जो भी माल, विदेशी माल, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के माध्यम से बम्बई से लाया गया उसका रिकार्ड रखा गया है और इसकी बिक्री आम जनता को उपहार, समृद्धि व अन्य संस्थाओं के माध्यम से की जाती रही है। इन वस्तुओं की बिक्री की दरें भारत सरकार के कस्टम विभाग द्वारा निश्चित की जाती हैं और बिक्री विक्रय पत्र से की जाती है। जयपुर के अतिरिक्त जोधपुर शहर में भी काफी अर्से बाद सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार जोधपुर के माध्यम से बिक्री करने की व्यवस्था की गई है। संघ में जो भी विदेशी सामान प्राप्त होता है उसकी जांच कस्टम विभाग के अधिकारियों द्वारा समय समय पर की जाती रही है ताकि ऐसी वस्तुयें उपभोक्ता को ही प्राप्त करवाई जा सकें।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीन अध्यक्ष महोदय, आपने जैसा अभी रिमार्क किया कि प्रगति रिपोर्ट पढ़ी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सवाल रखना चाहता हूं। उन सवालों का जवाब अगर मंत्री महोदय देते तो मुझे खुशी होती और यह जो इनका स्टेटमेंट है उसका मैं स्वागत करता।

श्री अध्यक्ष : आपके सवाल स्थगन प्रस्ताव में तो नहीं हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने 4 तारीख को नोटिस दे दिया, कुछ मन्त्रियों के खिलाफ मुख्य मंत्री को दे दिया, सचिवालय को दे दिया और इस संघ के अध्यक्ष को दिया जिनको आज गायब किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री परसराम मोरदिया सवेरे यहां थे। विधान सभा से भ्रष्टाचार को बचाने के लिये, दबाने के लिये किस तरह की कोशिश की जा रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इस बात का प्रमाण है। इस संघ के मन्त्री स्तरीय अध्यक्ष, श्री परसराम मोरदिया को मेरे सामने सहकारिता मन्त्री यहां से उठाकर ले गये, अब वह नहीं दिख रहे हैं। मेरा इसमें यह सीधा सवाल था कि इस संघ के जनरल मैनेजर ने परसराम जी मोरदिया को दबाने के लिये पुलिस से 15 सिपाही भेजे, परसराम मोरदिया के यहां गये। उनसे कहा कि तुम गबन करते हो, हम तुमको गिरफ्तार करने आये हैं। अब यह सवाल मैंने इसलिये, अध्यक्ष महोदय, किया कि जो उपभोक्ता संघ के मन्त्री स्तरीय अध्यक्ष हैं, उन मन्त्री स्तरीय अध्यक्ष को राज्य मन्त्री ने इस तरह दबाकर गायब किया है, इसका मुझे अफसोस है। वह स्पष्टीकरण नहीं कर सकें इसलिये उनको गायब कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा····

(व्यवधान)

श्री भैरू लाल भारद्वाज : वह कह रहे थे कि कैलाश मेघवाल की वजह से जा रहा हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरी वजह से गायब हुये हैं तो चलो मेरे में इतनी क्षमता है कि मेरे कहने से विधायक गायब होता

(116)

(श्री कैलाश मेघवाल)

है ? चलो उसमें भी मुझे कोई एतराज नहीं। जो विधायक कह रहे हैं अगर वह सत्य है तो उसको स्वीकार करने में एतराज नहीं है आप अपने चेम्बर में बुलाकर पूछ लेना चूंकि उधर से प्रमाणित जानकारी आई है कि मेरी वजह से वह गायब हुए हैं। आप चेम्बर में उन विधायक को बुला कर पूछ लें कि क्या मैंने उनको गायब होने के लिये कहा है ? कांग्रेस के माननीय विधायक ने मुझ पर आरोप लगाया है, मैं इस आरोप का प्रतिवाद करता हूं। उनको गायब इसलिये किया है कि भ्रष्टाचार को पनपाना चाहता है यह सरकार।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस उपभोक्ता संघ के अध्यक्ष ने आज तक 5 चिट्ठियां आपको और 9 चिट्ठियां मुख्य मन्त्री को लिखी हैं। क्या लिखा है ? इस संघ में भ्रष्टाचार हो रहा है, इस संघ में अनियमित कार्यवाहियां हो रही हैं, इस संघ को सचिवालय के बड़े वरिष्ठ अधिकारी अपने चौके का माध्यम बना रहे हैं, इस संघ को राजस्थान मन्त्रिमण्डल के कुछ सदस्य अपने चौके का माध्यम बनाये हुये हैं। ये चिट्ठियां मैंने नहीं भेजीं। इस संघ के मन्त्री स्तरीय पहाड़िया सरकार और भूतपूर्व सहकारिता मन्त्री श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर द्वारा मनोनीत अध्यक्ष ने ये पत्र लिखे हैं। उसके बाद डराने के लिये पुलिस भेजी गई या नहीं ? तो यह मेरा सवाल था, मुझे कोई एतराज नहीं। यह जो स्टेटमेंट अभी दिया इससे ज्यादा निर्लज्जता की कोई घटना नहीं हो सकती कि 4 मार्च 1982 को उपभोक्ता संघ पर एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट का छापा पड़ता है। 4 मार्च को 50 हजार का विदेशी सामान वहां से गायब था। उसके बाद, आज तक जो मेरी सूचना है, एक लाख का विदेशी सामान वहां से गायब था। मैंने लिखा है कि लूट हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस लूट करने वालों को बचाने की कोशिश क्यों ? क्योंकि विदेशी सामान गोदाम में था गोदाम में काम करने वाले लोग थे उनको छुट्टी पर भेजा गया। जांच चली, गोदाम सील कर दिये गये। उसके बाद सचिवालय में बैठने वाले वरिष्ठ श्रृंखला के 7 वरिष्ठ सचिव हैं उनके घर पर वह सामान है, कोई सामान भेज रहा है कोई पैसा भेज रहा है। मुख्य सचिव ने डांटा उनको बुलाकर कि सामान क्यों भेजा ? मुख्य सचिव उसमें शामिल। हमारे सतर्कता आयुक्त भ्रष्टाचार की आधार भूमि पर किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा सकता है, इसमें माहिर है। सारे तथ्य सहकारिता आयुक्त राजस्थान के रजिस्ट्रार के सामने आ चुके थे। 4 तारीख को घटना हुई, 5 तारीख को उपभोक्ता संघ के जनरल मैनेजर एक प्रेस कान्फ्रेंस बुलाते हैं। 4 तारीख को राजस्थान का भ्रष्टाचार निरोधक विभाग छापा मारकर 50 हजार का विदेशी सामान गायब होना बताता है। आज तक एक लाख का गायब है। 5 तारीख को जनरल मैनेजर प्रेस कान्फ्रेंस में वही स्टेटमेंट पढ़ता है, घिसी पिटी, पुरानी, जो अखबारों में छपी, जो अभी राज्य मंत्री ने पढ़ी।

इस पृष्ठभूमि में क्या उम्मीद की जा सकती थी, यह मुझे मालूम था। 4 तारीख

(श्री कैलाश मेघवाल)

को छापा पड़े और पुलिस कार्यवाही नहीं करे। 7 सचिव लगे हुए हैं इस काम में, कैसे भ्रष्टाचार मिटे ? अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं मैंने सवाल किया है आडिट रिपोर्ट का पेज देते हुये। इस पर आपने कह दिया, इसके निर्देश दे दिये गये। आडिट रिपोर्ट विभाग को 1980 में मिल गयी। उसमें जनरल मैनेजर पर आरोप है कि 20 हजार के सैल्स टैक्स राजस्थान की चोरी की है। क्या कहना है सहकारिता मंत्रीजी ? आपने आडिट रिपोर्ट देखी है फिर ध्यान से देखिये। उसमें सहकारिता विभाग के आडिटर ने यह आरोप लगाया है इस उपभोक्ता संघ के जनरल मैनेजर पर कि 20 हजार की राजस्थान के सैल्स टैक्स की चोरी की है। क्या जवाब है इसका ? 1980 में आ गई थी यह सूचना, इसके बाद गबन किया। उस समय कुछ अग्रिम पैसा ले लिया, जमा नहीं हुआ, उसके आंकड़े हैं। कुछ पन्ने खरीदे उसके आंकड़े हैं। मैंने तो सारा अध्ययन करके पेज बताते हुए आरोप लगाये थे। उसके बारे में आपने कुछ कहा है कि क्या कार्यवाही करेंगे ? आज तक आपके पास सूचना होगी उसके आधार पर आप स्वीकार करें आपको मालूम है, सहकारिता मन्त्रीजो छापे को आपने डाइल्यूट कराया, मुख्यमन्त्री से कह कर डाइल्यूट कराया कि सहकारी संस्था का बहुत बड़ा मसला है और सहकारिता इससे बदनाम हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं सहकारी संस्थाओं के आधार पर आप यह व्यवस्था बन्द कीजिये। उपभोक्ता संघ को अधिकार है, क्या अधिकार है ? सामान खरीदने वाले सरकारी विभागों को टेन्डर नहीं मंगाने पड़ेंगे। पिछले साल 31 मार्च के पहले केवल एक हफ्ते में, मैंने स्थगन प्रस्ताव भी रखा था, मुझे याद है 70 लाख रुपये के आर्डर्स आ गये थे विभिन्न विभागों के कि हमको फर्नीचर चाहिये। क्या किया ? फर्नीचर बनाने वालों से मिल गये, 50 रुपये की कुर्सी हमको दे दो 100 रुपये में, तुम 60 रुपये लो। इस प्रकार बिलिंग करके सारे राजस्थान के विभागों को उपभोक्ता संघ द्वारा फर्नीचर सप्लाई किया गया। एक लाख रुपये की लूट।

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या इसीलिये सहकारिता है ? आखिर कहां है सहकारिता ? किधर है सहकारिता ? इस समय सारे सरकारी विभागों में लूट मच रही है। ××× जो अधिकारी बता रहे सारी हैं। चीजों पर मैं कहना चाहता हूं थोड़ा सा बताया है....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री कैलाश मेघवाल : बिलकुल संक्षेप में।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट और दूंगा।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : दो मिनट नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे ही सरकार भ्रष्टाचार पर तुली हुई है, ×××

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई।

(श्री कैलाश मेघवाल)

(व्यवधान)

अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी बात कह दें और साबित करें कि राजस्थान भ्रष्टाचार को पनाह देने के लिये....

श्री अध्यक्ष : आवेश में न आयें, उसके लिये उचित माध्यम अपनायें कि भ्रष्टाचार को कैसे मिटायें। यह अल्पावधि का माध्यम है, थोड़ा समय दूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं थोड़ा निवेदन करता हूं। प्रमाणित आडिट रिपोर्ट्स के जिन कर्मचारियों के खिलाफ मैंने पेज नंम्बर दिये हैं, पैराग्राफ नम्बर दिये हैं आडिट रिपोर्ट के जिनमें उन कर्मचारियों के खिलाफ है। जैसे सुरेश जैन है। उनके लिये क्या कहते हैं ? ओम प्रकाश शर्मा का है। उसके बाद 4-5 कर्मचारियों के हैं। उन सबको की (key) स्थानों पर लगा रखा है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। 1977-78 के भ्रष्टाचार और शार्टेज के आंकड़े इसमें हैं। आपने अभी जो प्रगति रिपोर्ट पढ़ी है उसमें कर्मचारी कहां हैं जिन कर्मचारियों को आपने पनाह दे रखी है, उन कर्मचारियों के खिलाफ शार्टेज और गबन के आरोप हैं। आप देखिये। शर्मा का मैंने कहा। मैंने प्रस्ताव किया था, असिस्टेंट रजिस्ट्रार को लगाने का अधिकार मंत्री को होता है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार को लगाया गया उपहार में। इसके अन्दर और आगे कार्यवाही नहीं हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की एक यूनियन ने भ्रष्टाचार के कारनामों को उजागर किया है। वहां के अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार साबित हुआ है, अध्यक्ष महोदय। मैं पूछना चाहता हूं सहकारिता मन्त्री से कि उन्होंने उसके खिलाफ में क्या कार्यवाही की। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात तो समझा दें, यहां पर सारे लोग बैठे हुए हैं, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है जो उस यूनियन का मेम्बर है जिसने हड़ताल की उसका एक पदाधिकारी ने ट्रान्सफर कर दिया है, जयपुर से गंगानगर को। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, 6 कर्मचारी हैं। अध्यक्ष महोदय, 6 पदाधिकारी, मेरा यह एडजोर्नमेंट मोशन आने के बाद सभी का ट्रान्सफर कर दिया हैं। किसी को जयपुर, किसी को अजमेर, किसी को धौलपुर, किसी को भरतपुर, इस तरह सभी ईमानदार कर्मचारियों को वहां से हटा दिया। आप यह क्या कर रहे हैं ? आपने उन पर डाके डाले हैं। आपने खुद ने कहा कि एक मापदण्ड बना दिया है उसके अनुसार ही माल लिया जावे। आपने यह कह दिया कि हैण्डलूम कम्पनी का कोई भी कपड़ा नहीं खरीदा जाय। पहले यह कह दिया गया पर बाद में उसको चैम्बर में बुलाया। चेम्बर में जनरल मैनेजर ने अपना कमीशन तय किया और कमीशन तय होने के बाद यह कह दिया कि कपड़ा इसके यहां से खरीदो। अगर वह चोर था तो उसको आपने माफ क्यों किया, आपने उसके साथ समझौता क्यों किया, बताइये सहकारिता मन्त्री जी ?

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री कैलाश मेघवाल : इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आप स्वयं चाहते हैं और मानते हैं कि राजस्थान में सहकारिता ठीक तरह से चले। मन्त्री जी, आपने तो सहकारिता में भ्रष्टाचार को

(श्री कैलाश मेघवाल)

मिटाने की बात कही थी, पर यह क्या किया । अशोक जैन ने, महाप्रबन्धक ने यही स्टेटमेंट पांच तारीख को प्रेस कान्फ्रेन्स में पढ़ा । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुझे बड़ी शर्म आती है, आप क्या जवाब दे रहे हैं। यह सदन के सामने आप क्या कह रहे हैं । मैंने जो सदन के सामने मुद्दे उठाये हैं, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने कहा कि वहां पर एक सुरक्षा कर्मचारी की अध्यक्ष के आदेशों के द्वारा नियुक्ति की गई है । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक केवल एक ही नहीं इस तरह के कई आदेश हुए हैं । सुरक्षा कर्मचारी लगाने की जो स्वीकृति एक महीने के लिये ली गई थी वह 6 महीने तक चली । अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष ने एक नहीं अनेक आदेश किये होंगे किन्तु उनके दूसरे आदेशों की तो पालना नहीं की गई । एक महिला कर्मचारी ने लिखित में शिकायत की थी । आपने कहा कि जांच होगी । वहां जो 200 और 225 कर्मचारी हैं उनमें से 150 कर्मचारियों ने लिखित में शिकायत की है । वहां पर कार का दुरुपयोग हो रहा है । एक महाप्रबन्धक तीन तीन कारें लेकर चलता है । एक आगे एक पीछे एक और बीच में जनरल मैनेजर सुरक्षा कर्मचारी के साथ । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यह कुछ मुद्दे मैंने मन्त्री महोदय के सामने उठाये हैं उनका जवाब आना चाहिये ।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि सदन के अन्दर सरकार की ओर से चाहे आप आश्वासन दें, चाहे और कोई मन्त्री जी दें कि विदेशी सामान की लूट जिन अधिकारियों द्वारा की गई है, जिन अधिकारियों के घर वह माल है, मन्त्रियों के घर पर वह माल है उस मामले को दबाया नहीं जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : यह मिस्टर जैमन कितने समय से वहां पर हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, यह मिस्टर जैमन भ्रष्टाचार के आरोप में जनता राज आते ही वहां से भाग गये थे । ज्यों ही जनता राज गया वह वापस वहां पर आगए । यह हमारे सहकारिता मन्त्रीजी के मुंह लगे हुए हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिस आदमी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के लिये जांच हुई और आरोप प्रमाणित भी हो चुके थे पिछली बार भी सदन में मैंने कहा था ।

(व्यवधान)

हमारे सामने अगर यह आडिट रिपोर्ट आ जाती तो मैं उनको सपेस्न्ड करता । अध्यक्ष महोदय, मैं आज भी कहना चाहता हूं कि अगर मेरे समय में यह रिपोर्ट आ जाती तो मैं उनको निलम्बित करता । पर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके खिलाफ में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई । यही कारण है, अध्यक्ष महोदय, ज्यों ही जनता राज्य आया वह वहां से भाग गये और ज्यों ही जनता राज गया वह भागकर वापस आ गये । अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा और कहेंगे कि क्या छोटी छोटी बात करता हूं । लेकिन यह सही है कि विदेशी चप्पलों के बोरे भर कर वापस आये हैं । जब मैंने यह स्थगन प्रस्ताव रखा तब उनको मालूम हुआ । यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, जो 20 हजार रुपये की

(श्री कैलाश मेघवाल)

राजस्थान सरकार के सेल्स टैक्स की चोरी की बात आडिट रिपोर्ट में लिखी गयी है वह पैसा कहां गया ? वह सारा का सारा पैसा अफसरों के घर पर गया ।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य ।

श्री कैलाश मेघवाल : तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि 20 हजार रुपये के सेल्स टैक्स की चोरी हुई उसके लिये उनके खिलाफ में कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? क्या आपमें उनके खिलाफ में कार्यवाही करने की हिम्मत है ? आपमें वह हिम्मत नहीं है, क्योंकि वहां की कार आ जाती है और आपको वहां से सामान मिल जाता है । इसका क्या जवाब है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री कैलाश मेघवाल : तो मैं इसलिये निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपको बताना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के आई० ए० एस० शृंखला के सात वरिष्ठ अधिकारी हैं । इनमें आपके मुख्य सचिव भी हैं और सहकारिता आयुक्त भी हैं वह इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं । मैंने अध्यक्ष महोदय, × × × ऐसा सुना है । जब यह हालत है तो क्या होगा, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिये ।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह कह दिया कि उसकी कोई सुनने वाला ही नही है । जनरल मैनेजर ने यह कह दिया कि बेचारा शिड्यूल्ड कास्ट का है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं । मैंने मुख्य मंत्रीजी से इस बारे में निवेदन किया था, वह उसका जवाब दें । आपको भी शायद पत्र मिल गया होगा, अध्यक्ष महोदय, कोई दिक्कत नहीं मुझे । मेरे कहने का मतलब यह है, अध्यक्ष महोदय, कि उसका जवाब क्या आया ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत लम्बा भाषण हो गया है आपका । कृपया समाप्त कीजिये ।

श्री कैलाश मेघवाल : तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं····

(व्यवधान)

भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते हैं तो यह आडिट रिपोर्ट जब आ गई तो उनको निलम्बित क्यों नहीं किया गया ? इतना ही नही, अध्यक्ष महोदय, मिस्टर जैमन के आने के बाद उन सभी लोगों को वापस नौकरी में लगाया जिनके खिलाफ में

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई ।

(श्री कैलाश मेघवाल)

भ्रष्टाचार के आरोप थे। इसका कोई जवाब है मंत्री महोदय के पास।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, सहकारिता मंत्री जी, आप क्यों मंत्रिमण्डल और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करते हैं। जो-जो स्पष्ट चार्जेज मैंने लगायें हैं उनका स्पष्ट रूप से जवाब दें।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है समय को बचाने के लिये जो माननीय सदस्य ने आरोप लगाये हैं वह निश्चित हवाले के साथ में लगाये हैं रेफरेन्सेज भी दिये हैं इसके लिए मंत्री महोदय लिखित में सूचना पेश कर दें अन्यथा एक घण्टा इन्होंने लिया और एक घंटा मंत्री जी लेंगे। बेहतर है कि वह लिखित में जवाब दे दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सहकारिता मंत्री जी।

श्री मेघराज तावड़ : भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए तवारीख में एक और अध्याय जोड दिया।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री कैलाश मेघवाल : यह एक, अध्यक्ष महोदय, साइक्लोस्टाइल्ड पेपर है। इसमें नियुक्तियों के लिये दिया है। भ्रष्टाचार करने के लिये साइक्लोस्टाइल किया हुआ है। दो-दो हजार रुपये में, एक-एक हजार रुपये में अनेकानेक नियुक्तियां हुई हैं और कहा कि लूटो करो, भ्रष्टाचार।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। सहकारिता मंत्री जी।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन में सतरह मुद्दे उठाये हैं····

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह : आपको अधिकारियों के××× बताया गया है। यह बहुत ही आपत्तिजनक है।

(व्यवधान)

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के विभेद सहकारिता के आन्दोलन को नहीं ले जाना चाहता हूं। मैंने पहले ही निवेदन किया कि, माननीय सदस्य, सहकारिता जीवन दर्शन है। हम सभी लोगों को रचनात्मक दृष्टिकोण से सहकारिता में सहयोग देना चाहिये। मैं यह भी मानने के लिए तैयार हूं ....

(व्यवधान)

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(122)

श्री दीपेन्द्र सिंह : आप सुनें तो सही, सही बात को।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं यह मानने को तैयार हूं कि जिस राजस्थान उपभोक्ता सहकारी भण्डार के माध्यम से करोड़ों रुपये का कारोबार होता है....

(व्यवधान)

कृपया सुनने की कोशिश तो कीजिये।

अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य, जो पहले जनता राज के समय में सहकारिता मन्त्री थे, के बहुत पहले से करीब 6-7-8 साल की आडिट रिपोर्ट नहीं पहुंच पाई। अब जब पहुंची है तो उसका द्रुतगति से सारा लेखा जोखा किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सदन के तमाम माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार में लिप्त चाहे कोई बड़े से बड़ा कर्मचारी हो, कोई अधिकारी हो, कोई दूसरा व्यक्ति हो उसको यह सरकार कभी नहीं बख्सेगी। इसके परिणाम, इसके कदम आप कुछ थोड़े समय में देखेंगे। आप द्वारा उठाये गये यह जितने भी प्रश्न हैं इनके सम्बन्ध में आपने अपने तौर तरीके से, जैसा मैंने निवेदन किया कि दृष्टि भेद है, व्याख्या की, लेकिन मैं बाअदब यह निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारी को बख्शना सहकारिता के दर्शन के विपरीत है चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कितना ही बड़ा कर्मचारी हो या कोई भी कितना बड़ा क्यों न हो।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अध्यक्ष मनोनीत किये हैं इस सरकार द्वारा उनको मंत्री स्तरीय दर्जा देने की और न जाने क्या क्या बातें कीं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और सहकारिता में कार्यरत हर विचारवान व्यक्ति जानता है कि उनकी सीमायें कार्य करने की कितनी है, नीतिजन्य मामलों में उनको कितना दखल करना चाहिए और कार्यकारी मामलों में कितना हस्तक्षेप करना चाहिए। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है और अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य महानुभाव आज इसका अहसास करेंगे कि उन्होंने जो जो कदम उठाये, जैसा आपने बताया कि 15 सिपाही वर्ग रह की नियुक्ति की, जो कुछ है उन्होने इस संघ की सुरक्षा के लिए किया था। मैं ज्यादा आपका ध्यान नहीं दिलाता हूं केवल एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि श्री देवीसिंह की नियुक्ति संघ में 14-10-78 को हुई और श्री त्रिपुरेश कुमार की नियुक्ति संघ में 18-4-79 को हुई केवल इन दो साथी कर्मचारियों के जरा इतिहास का मैं वर्णन करूं तो आप दांतों तले अगुली दबायेंगे कि यह संघ के संरक्षक हैं अथवा संघ को कहां ले जाना चाहते हैं।

मुझे आपने अधिकारियों का ××× नाम से सुशोभित किया। इसके लिए मैं आपको आपकी संस्कृति के लिए मुबारकबाद देता हूं, आप जानें, आप क्या कैसे कहें। नियम, अधिनियम, उपनियम और जो जीवन के दृष्टिकोण हैं चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी साथी हो, चाहे आप हों या मैं हूं हम सब को उनके अनुसार सुसंस्कृत और सभ्यता का व्यवहार रखना चाहिए। वह मैं रखता हूं

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामपाल उपाध्याय)

इसका मुझे गर्व है। इस पार्टी को गर्व है कि वह भारतीय संस्कृति में जीती है और राष्ट्रीय संस्कृति में जीती है।

आपने मुख्य सचिव, सहकारिता सचिव, रजिस्ट्रार और अन्य सात अधिकारियों का उल्लेख किया था। मुझे पता नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि छापा 4 मार्च को एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट ने विदेशी माल के लिए या दूसरे काम के लिए वहां डाला है और वहां सील कर रखा है तो उसके लिए मैं भी यही चाहूंगा कि सहकारिता के पवित्रीकरण के लिए इसकी विशाल जांच हो। इसके लिए उच्चतम अधिकारी को मैं लगाऊंगा ताकि उसके आधार पर दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और यह संस्था, जो आम आदमी के जीवन से संबधित है, स्वस्थ ढंग से जी सके और स्वस्थ ढंग से बढ़ सके। इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। मैं इजाजत नहीं दूंगा। आर्डर, आर्डर।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आधा घंटे की चर्चा, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : .... 4 तारीख को छापा पड़ा था उस कर्मचारी को छुट्टी लेकर क्यों बैठना पड़ा....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ : और मंत्री जी उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं अलाऊ नहीं करूंगा। आर्डर प्लीज। आधा घंटे की चर्चा। आर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ : बड़ा इम्पार्टेन्ट सवाल है। यह सामान केवल अधिकारियों और मन्त्रियों के लिए नहीं, तमाम मन्त्रियों के यहां भी गया....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ : और अधिकारियों के यहां भी गया। ऊपर से नीचे तक सारे लिप्त हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मेघराज तावड़ : यह इस सहकारिता को फेल करने का तरीका है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है। कृपया नियमों का ध्यान रखें। आर्डर प्लीज। श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि अधिकारियों पर आरोप लगाये गये हैं और अब जांच अधिकारी करेंगे....

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नही दूंगा। माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री मेघराज तावड़ : विदेशी माल अधिकारियों और मंत्रियों के पास गया है

(श्री मेघराज तावड़)

उसकी जांच करने के बारे में माननीय मंत्री महोदय क्या आश्वासन देना चाहते हैं ....

श्री अध्यक्ष : समय नहीं है, माननीय सदस्य ।

श्री मेघराज तावड़ : 75 हजार रुपये के विदेशी माल की बन्दर बांट की गई है उसके बारे में मंत्री महोदय क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं यह घोषणा करें ।....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य ।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, यह ऊपर के लेवल पर चोरियां होती हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठे। आधा घंटे की चर्चा, माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की व्यवस्था रही है कि हाफ एन आवर के बाद कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं । इस प्रकार के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं । 19 हजार की सैल्स टैक्स की चोरी हुई और 50 हजार का माल गायब मिला । माननीय मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया....

श्री अध्यक्ष : समय नहीं है, माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज । आधा घंटे की चर्चा आसन पैरों पर है कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठ जाइये कृपया । आधा घंटे की चर्चा, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ।

आधे घंटे की चर्चा

कृषि उपज मण्डी, उदयपुरवाटी (झुंझुनू) की स्थापना

(तारांकित प्रश्न सं. 50 दिनांक 24 फरवरी, 1982)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी स्थापित करने की 1 मार्च, 80 को समिति की घोषणा कर दी गई थी । उसके बाद में शासन बदला और कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई । वह क्षेत्र झुंझुनू जिले का सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है और कृषि उपज देने वाला क्षेत्र है । कृषि उपज मण्डी द्वारा किसानों को बिचौलियों से बचाने का सरकार का बहुत बड़ा उद्देश्य है उसका उपयोग होना चाहिए था या राहत मिलनी चाहिए थी और बिचौलियों के द्वारा और शोषण नहीं होना चाहिए था । उसको दिनांक 16-11-81 को वर्तमान कृषि मंत्री, श्रीमती कमला जी द्वारा नवलगढ़ क्षेत्र में मिला दिया गया । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस क्षेत्र का शत प्रतिशत विद्युतीकरण है 68 गांव विद्युतीकृत हैं और तकरीबन पांच हजार कुओं पर बिजली लगी हुई है । अब नवलगढ़ क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि इसके सिर्फ 43 विलेज विद्युतीकृत हैं और सिर्फ बारह सौ और कुछ कुओं पर बिजली लगी हुई है । मैं यह माननीय मंत्री

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

महोदया से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि इस क्षेत्र को नवलगढ़ के नीचे लगाने का क्या मापदण्ड था ? एक अधिकारी से जब मैं मिला तो उसने कहा कि कृषि उपज मण्डी नवलगढ़ की आमदनी ज्यादा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो आंकड़े मैंने प्रस्तुत किये हैं जहां पर कृषि उपज ज्यादा होती हैं और बड़े बड़े गांव हैं वहां पर....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : वहां आमदनी अधिक नहीं होकर नवलगढ़ में किस तरह से हो गयी ? इसके बारे में मेरा स्पष्ट मंत्री महोदया पर आरोप है कि उन्होंने पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से उदयपुरवाटी क्षेत्र के साथ उपेक्षा का बर्ताव किया है। जो वहां पर कृषि उपज मण्डी स्थापित हो चुकी थी उसको आपने किसके कहने से नवलगढ़ क्षेत्र में मिला दिया ? उन्होंने वहां के महाजनों से 20 हजार रुपया लेकर माननीय मंत्री महोदया पर दबाव डालकर यह घोषणा करवाई है जो कि बहुत अन्यायपूर्ण है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदया से निवेदन है कि स्पष्टीकरण दें और इस क्षेत्र के किसानों का जो शोषण हो रहा है, उसको खतम कर शीघ्र उदयपुरवाटी की मण्डी की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहला स्पष्टीकरण तो माननीय सदस्य को यह देना चाहती हूं कि यह कार्यवाही कतई तौर पर एक प्रतिशत, आधा प्रतिशत भी कोई दुर्भावना से या पक्षपात की दृष्टि से या चूंकि माननीय सदस्य हमारे दल के विधायक नहीं हैं, इस कारण से या अन्य किसी कारण से भी नहीं की गई है। यह शुद्ध मापदण्डों के आधार पर की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें गलती शुरुआत में कुछ हुई है इसलिये उसको सुधारने में जो दूसरे एक्शन लेने पड़े उससे इनको ऐसा प्रतीत होता है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उसमें भी कोई पक्षपात हुआ होगा ?

श्रीमती कमला : मैं पक्षपात नहीं कहती, लेकिन गलत आधारों पर उसको कायम किया गया था इसलिये उसको दुरुस्त करने की जो प्रक्रिया मुझे अपनानी पड़ी उसको शायद इन्होंने पक्षपात माना है लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है, अध्यक्ष महोदय। स्थिति, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है कि 1977 से पहले इस उदयपुरवाटी के कुछ गांव नीमकाथाना कृषि उपज मण्डी में थे। 1977 के बाद में उदयपुरवाटी की नगरपालिका भी और पंचायत समिति, उदयपुरवाटी पूरा क्षेत्र नीम के थाने के अन्तर्गत लगाया गया था। उसके बाद में 5-7-79 की अधिसूचना के द्वारा इसको एक अलग से नई कृषि उपज मण्डी बनाने की घोषणा की गई। उसकी अधिसूचना जारी की गई उसके तहत में कुछ सदस्यों की नामजदगी भी की गई। इस बीच में यह पत्रावली जब मेरे सम्मुख

(श्रीमती कमला)

आई तो मैंने एक विवरण विभाग से मांगा कि अगर इसको स्वतन्त्र मण्डी बनाया जाता है तो इसकी सालाना आमदनी कितनी होगी, इसका विवरण दिया जाय । उसमें एक रिपोर्ट तो एक जूनियर मार्केटिंग आफिसर ने यह दी कि इसकी सालाना आमदनी सम्भवतः दो लाख हो सकती है । जो पूर्व में कार्यवाही की गई थी उसके आधार पर हमने कहा 3 लाख की "सी" क्लास की मण्डी होनी चाहिये लेकिन यह दो लाख की है तो सम्भवतः आगे प्रगति कर लेगी अतः इसको कायम कर दिया जाय लेकिन बाद में जो मैंने कहा यह वेग सूचना दी है, सम्भवतः यह नहीं है ।

यह क्षेत्र पहले नीम के थाने में था इसलिए पिछले तीन-चार सालों की इस क्षेत्र की आमदनी क्या रही, यह आंकड़े वहां से मंगवाये जायं । जब आंकड़ें मंगवायें तो निश्चित रूप से, माननीय अध्यक्ष महोदय, वे बहुत कमजोर आंकड़े थे ।

1975-76 में इस क्षेत्र से कुल 2525) रु. की आमदनी हुई, 76-77 में कुल 519) रुपयों की आमदनी हुई और 77-78 में कुल 150) रु. की आमदनी हुई । जिस वर्ष में इसको घोषित करके रखा गया था उस वर्ष में कोई भी कलेक्शन नहीं हुआ । इसलिए मुझे यह आदेश देना पड़ा कि चूंकि इसकी जो आमदनी है वह हमारे निर्धारित मापदण्डों पर नहीं है, उसके मुताबिक नहीं है अतः गौण मण्डी भी हम स्थापित करते हैं तो लगभग 30 हजार की आमदनी उस मण्डी की होनी चाहिये । 30 हजार की आमदनी का यह अन्दाज है कि जो छोटे-मोटे खर्चे लगे रहते हैं उन खर्चों को निकालने के बाद कम से कम दो किलोमीटर सम्पर्क सड़क बना सकें । इस तरह की स्थिति जरूर होनी चाहिए ।

इसके बाद में हमने तीन लाख की 'सी' क्लास की मण्डी का रखा वह 3 लाख से 5 लाख तक का रखा । 5 लाख से ऊपर अथवा 5 लाख से 10 तक की 'बी' क्लास की मण्डी होगी और 10 लाख से ऊपर की 'ए' क्लास की मण्डी होगी । तो मण्डी के प्रावधान और शर्तों के आधार पर गौण मण्डी जो हमारी होती है, उसके मापदण्ड में यह नहीं आ रही थी इसलिए यह निर्णय किया कि इसको नजदीक की जो मण्डी नवलगढ़ झालरेडी बनी हुई है, उसमें शामिल कर दिया जाय ।

(3.54 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत सभापति पीठासीन)

और साल दो साल इसके आमदनी के आंकड़े देखने के बाद में हम तय कर लेंगे कि इसको स्वतन्त्र मण्डी बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं । अगर स्वतन्त्र मण्डी नहीं बनती है तो गौण मण्डी के यार्ड बनाने लायक हम इसको आंक लें । यह सम्भव हो सकता है कि चूंकि पहले नीम का थाना मण्डी में थे, बीच में नई मण्डी बनाई गई तो इसके आंकड़े पूरे नहीं आये हैं आमदनी के लेकिन जो आंकड़े उपलब्ध हैं जिनके आधार पर हम एक्शन करते हैं वे आंकड़े बहुत ही कमजोर हैं उनके आधार पर हम कोई स्वतन्त्र मण्डी बनाने की स्थिति में नहीं

(श्रीमती कमला)

होते थे इसलिए नजदीक की जो स्वतन्त्र मण्डी पहले से बनी हुई थी—नवलगढ़ उसमें इसको शामिल किया है। एक-दो साल प्रगति देखने के बाद जिस स्तर की मण्डी बनने की स्थिति होगी, उस स्थिति में इसको कायम कर दिया जायेगा। इसमें कोई दुर्भावना या भेदभाव की बात नहीं है।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, नवलगढ़ की क्या आमदनी थी जिसके आधार पर आपने उसको जोड़ा है ?

श्रीमती कमला : मैं नवलगढ़ के लिये इसलिये नहीं कहती कि नवलगढ़ तो बन चुकी थी और काफी पुराने समय से बनी हुई थी। इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहती हूं कि जब मैंने मापदण्ड निर्धारित किये तो बहुत सी मण्डियां ऐसी थीं जिनकी किसी की 40 हजार, किसी की 48 हजार, किसी की एक लाख और किसी की डेढ़ लाख की आमद थी। उन सब मण्डियों को मैंने नोटिस जारी करवाये हैं कि एक साल के अन्दर अन्दर या तो आपकी मण्डी की आमदनी तीन लाख हो जानी चाहिये अगर यह आमदनी नहीं पहुंचेगी तो हम इसको मुख्य मण्डी बनाने के लिये असमर्थ रहेंगे। हमें ऐसी मण्डी को पुनः गौण बनाना पड़ेगा। ये नोटिसेज हमने जारी किये हुए हैं। जिन जिन मण्डियों की इस तरह की आमदनी है....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : भरतपुर में मुसावर में क्यों खोली गई है ?

श्रीमती कमला : इस तरह की 14-15 मण्डियों को नोटिसेज जारी किये हैं। एक साल की उनको मोहलत दी हुई है। एक साल के अन्दर अन्दर इम्प्रूव नहीं करती हैं तो उनको मजबूरन गौण मण्डी बनाने पर विचार करना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : इन्होंने पूछा है नवलगढ़ की क्या आमदनी है ? वह आप बता नहीं सकीं।

श्रीमती कमला : नवलगढ़ के लिये मैं तैयार होकर नहीं आई। मुझे जानकारी नहीं थी कि आप नवलगढ़ के बारे में पूछेंगे।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : सभापति महोदया, जिस मण्डी के नीचे हमारी कृषि मण्डी को लगाया गया उसकेलिये आपने यह मापदण्ड रखा है कि उसकी आमदनी ज्यादा है। जब हमारा इलाका सरसब्ज है उसको सूखे के नीचे रख दिया, तो उदयपुरवाटी क्षेत्र का शोषण नवलगढ़ के क्षेत्र के साथ करवाना चाहती हैं। इससे आपकी दुर्भावना प्रकट होती है। जैसा मैंने आरोप लगाया था कि आपका व्यवहार बिलकुल पक्षपातपूर्ण है सिर्फ इसलिए कि आपके सम्बन्धी वहां पर हैं। इसलिये जो बनी हुई मण्डी है उसकी स्थापना होने के बाद क्योंकि कृषि मंत्री आप हैं इसलिये आपने उसको नवलगढ़ के नीचे लगा दिया। इस आरोप का स्पष्ट शब्दों में खण्डन करिये कि जो शत प्रतिशत बिक्री केन्द्र है, जहां के किसानों का शोषण बिचौलिये करेंगे उसको बचाने का आपका मानस है या नहीं या आप उनसे मिली हुई हैं ? उन व्यापारियों से आप किसानों का शोषण करवाना चाहती हैं ?

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदया, माननीय विधायक महोदय ने जो एक सन्दर्भ दिया है कि चूंकि आपके रिश्तेदार वहां से हार गये हैं इसलिये आप वहां नहीं खोलना चाहती हैं तो शायद आपको यह जानकारी नहीं होगी कि किसी भी हारे हुए उम्मीदवार के साथ में कोई काम करके इलाके में यदि प्रगति की जाय तो उससे उस रिश्तेदार की इज्जत बढ़ेगी, उससे इज्जत घटेगी नहीं क्योंकि आपके नाम तो वह लिखी जायेगी नहीं, वह लिखी जायेगी कांग्रेस सरकार के नाम। इसलिये आप यह सोचें कि वह आपके नाम लिखी जायेगी, गलत है और इसीलिये मैं नहीं कर रही हूं। यह तो जो हुकूमत करेंगे उनके नाम ही लिखी जायेगी। यह तो खुशी का मौका होना चाहिये कि मैं रिश्तेदार को ओब्लाइज करूं बजाय इसके कि आपके प्रति दुर्भावना रख करके इतना अच्छा काम न करूं। इसलिये इस मण्डी का एक साल का जो ब्यौरा है, उसको देखने के बाद हम यह तय करेंगे कि यह स्वतन्त्र मण्डी रह सकती है या नहीं रह सकती है। यह भी हमको एक साल के बाद ही पता लग जायेगा। उसके बाद ही हम कुछ निर्णय कर सकेंगे।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : माननीय सभापति महोदया, मेरा एक प्रश्न था नवलगढ़ के बारे में जो कि आमदनी का था, आपने कहा तैयार होकर नहीं आई तो इसको दूसरे दिन के लिये स्थगित कर देते। जो मूल भावना थी वह यही थी कि जो एक हरा भरा इलाका है वहां के किसानों की उपज पर जो सैल्स टैक्स लगे उसका फायदा उन्हें नहीं मिले, उसका उपयोग वे नहीं कर सकें।

श्रीमती कमला : एक बार बता दें आपके इस इलाके की आमदनी बहुत ज्यादा है। मैं सर्वेक्षण करके अन्दाजा लगाऊं तो फिर मैं कर सकती हूं। आपके यहां तो मण्डी है नहीं, जिस मण्डी में लगी हुई है उसकी रिपोर्ट मैंने बताई है। अब जिसमें लगाया है उसका साल भर बाद पता लगेगा। यह तो आप मुझे बतायें कि उदयपुर वाटी प्रॉपर में जो लेन देन हो रहा है उसका सर्वेक्षण करा लें। मुझे यह तसल्ली होगी कि उस सर्वेक्षण में आप जो कह रहे हैं वह निकल आये तो मैं वैसा कर दूंगी। मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदया ने जो सहयोग का रवैया बताया है उसके लिये मैं निवेदन करूं कि उदयपुरवाटी खुद एक मण्डी है। वहां के आसपास के क्षेत्रों का क्रय विक्रय करने का संगठन एक उदयपुरवाटी है, एक गुढा है। इस तरह तीन-चार जगह के आंकड़े मंगवा लें तो आप खुद सन्तुष्ट हो जायेंगी। अगर आप विवेक रखेंगी कि वहां मण्डी की स्थापना होनी चाहिये तो अवश्य कर सकती हैं। 10–20 व्यापारी उदयपुरवाटी में हैं, गुढ़ा में 40-50 व्यापारी हैं। उदयपुरवाटी तहसील हैडक्वार्टर है, पंचायत समिति हैडक्वार्टर है, आप यह सोचिये, सराय, सूडपुरा का रहने वाला नवलगढ़, जो वहां से 70 मील दूर है, अपनी उपज बेचने जायेगा? किस तरह से किसान का शोषण हो रहा है।

(श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह)

क्या आपके मन में बिल्कुल विचार नहीं आता कि उनके शोषण को रोका जाय ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : वाद विवाद समाप्त हुआ।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा मन्त्री महोदय ने खुद पूछा था, इसका जवाब दें।

श्रीमती कमला : मैं जवाब दे चुकी हूं, पहले आपने जो कहा, उसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री सभापति : जवाब दिया जा चुका है। आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : आज पूरे राजस्थान में एग्रीकल्चर लैण्ड के जो कन्वर्शन का प्रश्न है, 26 मार्च आखरी तारीख है पैसा जमा कराने की, उसको लेकर विभिन्न समस्याएँ खड़ी हुई हैं। मैंने इसके लिए स्थगन प्रस्ताव दिया था और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि रिपोर्ट आ गयी है और वे सदन में आज कुछ न कुछ निर्णय उस पर करेंगे।

श्री सभापति : मेरे पास....

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा आपसे निवेदन यह है कि 26 तारीख समीप है।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण कीजिए। ये सदस्य बोल रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : मेरा प्रश्न अभी खतम ही नहीं हुआ, ये बीच में ही बोल पड़े....

श्री सभापति : ये जवाब दे चुकीं, मन्त्री महोदया।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : यह किसानों से जुड़ा हुआ एक अहम् सवाल है। जवाब से मुझे संतोष नहीं है। माननीय सभापति महोदया, यह तो कह देंगी हम ये करेंगे, वह करेंगे, उत्तर स्पष्ट होना चाहिए।

श्री सभापति : क्षमा करेंगे, उनको जो जवाब देना था, आप देखियेगा, दे चुकीं। आप क्या कह रहे थे ?

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : यह किसानों से जुड़ा हुआ बहुत अहम् सवाल है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जुड़ा हुआ है तो आपने जो कहा उसका जो उत्तर उनको देना था, दे चुकी हैं।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : उत्तर नहीं दिया, सभापति महोदया, या तो ये कहें कि नवलगढ़ की जो आमदनी का क्राइटेरिया इन्होंने बताया है, उसका स्पष्टीकरण किसी दूसरे माध्यम से दे देंगी, मेरे को उत्तर लिखित में दे देंगी ?

श्री सभापति : आप इनसे बाद में मिल लें, बताना होगा, बता देंगी। अभी बताने में असमर्थ हैं। कह चुकी हैं वे।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : माननीय मन्त्री महोदय, समय निश्चित करके बतायें, कब मिलूं, मैं आपसे ?

श्रीमती कमला : मैं अभी कह चुकी हूं, आपका कोई और विश्लेषण बाकी रह गया तो आप बाद में पूछ लीजिए। क्या रह गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन था, मैंने यह प्रस्ताव दिया था कि दिनांक 26 दिसम्बर, 1981 को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (अलाटमेन्ट कन्वर्शन एण्ड रेगूलराइजेशन)....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह कागजात मेरे पास पड़े हैं, क्षमा करें, आप....

श्री भंवरलाल शर्मा : आफ एग्रीकल्चरल लैण्ड फॉर रेजीडेंशियल एण्ड कामर्शियल पर्पजेज इन अरबन एरियाज) रूल्स, 1981 के प्रावधानों के अव्यावहारिक व कठोर होने से व कृषि भूमि पर निर्मित भवनों के मालिकों से उनके भूखण्डों का नियमन कराने हेतु....

श्री सभापति : यह स्थगन प्रस्ताव तो अस्वीकृत कर दिया गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : ....आवेदन-पत्र जो मय शुल्क एवं शास्ति सहित विभाग द्वारा प्राप्त करने के लिए इनको बाध्य किया जा रहा है। इस स्थिति में भयंकर रोष ही नहीं अपितु इससे....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री भंवर लाल शर्मा : एक सैकण्ड। अनिश्चितता एवं जन साधारण में आंतक का वातावरण उत्पन्न हो गया है और व्याप्त है। इस प्रकार के नियमन कराने हेतु दिनांक 26 मार्च, 1982 की अन्तिम तिथि होने से यह समस्या और भी जटिल व गम्भीर हो गयी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इससे सारे राजस्थान का जन जीवन....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इसके ऊपर माननीय स्पीकर साहब ने जो निर्णय देना था वह दे दिया। अभी वह निर्णय नहीं है मेरे पास। आप....

श्री भंवर लाल शर्मा : हां, वह निर्णय देने की जानकारी हमको नहीं है। उसके नहीं होने के कारण आज जनता में बड़ा असंतोष है।

श्री सभापति : अभी आपको इसके ऊपर बोलने की अनुमति नहीं दी गयी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, मैं बोलूंगा नहीं।

श्री सभापति : तो बिना अनुमति के ही बोलना चाहते हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं तो बोल ही रहा हूं। मैं तो केवल व्यवस्था चाहता हूं कि आप क्या करने वाले हैं। जो 26 मार्च को इन्होंने कहा है, पैसा जमा कराओ, नियमों में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। इससे लोगों में बड़ा आंतक और अनिश्चितता का वातावरण पैदा हो गया है। हमने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(श्री भंवरलाल शर्मा)

के द्वारा। एक यह प्रस्ताव भी दिया है तो हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने आपको बात कही है, ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे जिससे जनता को जानकारी मिले ताकि 26 तारीख को जो आने वाला संकट है, जो तलवार लटक रही है, उससे उनको निजात मिल सके, कोई राहत मिल

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

सके। इस सम्बन्ध में मैं जानकारी चाहता हूं आपसे कि क्या आप सरकार से कोई स्टेटमेंट दिलवाऐंगे ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय ने इसके ऊपर निर्णय रिजर्व रखा है। अध्यक्ष महोदय यहां आयें, तब पूछ लीजिएगा। उन्होंने व्यवस्था रिजर्व कर रखी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आज उसका निर्णय करा देंगे ?

श्री सभापति : आप पूछ लीजिए। अभी पता लग जायेगा। अभी पता लगा लेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : पता करके निवेदन करूंगा दुबारा।

श्री सभापति : श्री सूर्यकुमार जी।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री सूर्यकुमार: (नंनवा)माननीय सभापति महोदया, सदन बजट अनुमान सन् 82-83 पर विचार कर रहा है। आज से पूर्व सदन के दोनों पक्षों की ओर से ही इस सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये गये, उसका निष्कर्ष यदि मैं निकालू तो मुझे लगेगा कि यह बजट किसान विरोधी है इसलिए किसान आन्दोलन के कगार पर हैं। मैंने यह भी सुना कि इस बजट में राज्य कर्मचारियों के लिए भी कुछ नहीं है इसलिए कर्मचारी भी आन्दोलन के रास्ते पर हैं। मैंने यह सुना कि यह बजट आम आदमियों के खिलाफ है, आम आदमी पर वजन डालने वाला है इसलिए आम आदमी भी वर्तमान कांग्रेस सरकार से संतुष्ट नहीं है। कुल मिलाकर बजट प्रावधान सदन में बोलने वाले माननीय सदस्यगण को स्वागत योग्य नहीं लगा और उससे लगा कि असंतोष की एक पराकाष्ठा इस बजट ने पहुंचा दी है और जब मेरे दिमाग में यह आया कि अगर असंतोष की पराकाष्ठा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रांस के इतिहास का वह पन्ना, वह पृष्ठ जो 24 फरवरी, 1848 को फड़फड़ाया, वहां पर दूसरी क्रान्ति हुई और दूसरा गणराज्य वहां पर बना, उसकी भूमिका है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रूस की जो 1917 की क्रान्ति थी उसके पहले की यह कोई भूमिका है। माननीय सभापति महोदया, वास्तव में इस सदन में जो चर्चा हुई, उससे मैं बड़ा गम्भीर हुआ। मेरी स्मृतियां इतिहास के पृष्ठों से तैरती-तैरती राजस्थान के उन तथ्यात्मक आंकड़ों पर आयीं जिन पर कुछ इस सदन में प्रकाश डाला गया है।

माननीय सभापति महोदया, दो बातों को लेकर इस सदन में बजट की तीव्र आलोचना की गयी, पहली यह कि इरिगेशन

(श्री सूर्यकुमार)

के चार्जेज सवाये कर दिये गये हैं, 25 पर्सेन्ट इसमें बढ़ोतरी कर दी गयी है। दूसरा मसला यह कि इलेक्ट्रिसिटी के एग्रीकल्चर जिनके पास कलेक्शन्स हैं, उनकी फ्लेट रेट दुगुनी कर दी गई है। मैंने बहुत ध्यान से राजस्थान के इन आंकड़ों को देखा। यह सभी को मालूम है, पूरे राजस्थान को मालूम है कि राजस्थान का इलाका, क्षेत्र है, उस क्षेत्र में केवल 2 करोड़ और कुछ हैक्टेयर जमीन ऐसी जमीन है जो होल्डिंग की तारीफ में आती है, जिस पर कोई न कोई किसी न किसी प्रकार टिनेन्ट है। यह भी आंकड़ों में साबित किया हुआ तथ्य है कि केवल 1.54 करोड़ हैक्टेयर जमीन पर ही खेती होती है, बुआई होती है। यह भी आंकड़ों से ही साबित किया हुआ एक तथ्य है कि उस 154 करोड़ हैक्टेयर बोयी हुई जमीन में से केवल करीब 33 लाख हैक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हैं और जो 33 लाख हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हैं, जो इरिगेशन के सोर्स है मेरा कहने का आशय यह है कि कैनाल्स से भी उनकी सिंचाई होती है, टैंक्स से भी होती है और कुओं से भी उन पर सिंचाई होती है। लेकिन अगर इस 33 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र को हम बांटना चाहें तो करीब 12 लाख हैक्टेयर जमीन वह है जो नहरों और तालाबों से सिंचित होती है। बाकी 21 लाख हैक्टेयर जमीन कुओं से सिंचित होने वाली जमीन है। इससे मैं यह समझा हूं, इरिगेशन के चार्जेज में जो बढ़ोतरी हुई, उन इरिगेशन के चार्जेज से केवल 10 लाख 12 लाख हैक्टेयर जमीन ही प्रभावित होने वाली पड़ी है। अगर हम पूरे राजस्थान के हिसाब से इस पर सोचें तो कहां तो 2 करोड़ हैक्टेयर के लगभग वह जमीन है जो खेती के काम में आने वाली है और कहां सिंचाई की सुविधा प्राप्त वह क्षेत्र है जो केवल 33 लाख हैक्टेयर है। मुश्किल से 1/20 भाग पर हम सिंचाई के साधन उपलब्ध करा पाये हैं। जो सिंचित जमीन है उसमें भी केवल 12 लाख हैक्टेयर वह जमीन है जो कि फ्लेट रेट से प्रभावित होने वाली है।

मैं केवल आंकड़ों की पुस्तक के पृष्ठों तक ही सीमित नहीं रहा, सभापति महोदया, मैंने उससे कुछ आगे भी जाने की कोशिश की है। मैंने यह देखा कि कैनाल से सिंचित होती है जमीन वह राजस्थान के कौन कौनसे हिस्से में होती है। जो जानकारी मुझे सदस्य महोदय से मिली है कि कहां सिचाई के साधन नहीं हैं, कहां पर बिजली उपलब्ध नहीं हैं उनके आधार पर भी इसको एकदम से किसान विरोधी बजट कह देना उचित नहीं है! मैंने वास्तव में थोडी बहुत जानकारी करने का प्रयत्न किया है। मैंने इसको आगे देखा, सभापति महोदया, इरिगेशन बाई कैनाल केवल कुछ जिलों में होता है जिनका नाम में आपको बताता हूं, केवल दस लाख हैक्टेयर जमीन है, जो कैनाल से सिंचित होती है उसका ब्रेक अप करता हूं तो गंगानगर में 6, 35,650 हैक्टेयर है, कोटा में 1,33,884 हैक्टेयर है, बूंदी में 73888 हैक्टेयर है, सवाई माधोपुर में 36010 हैक्टेयर है, भरतपुर में 22271 हैक्टेयर है, जोधपुर में 17435

(श्री सूर्यकुमार)

हैक्टेयर, बीकानेर में 17274 हैक्टेयर है, टोंक में 10676 हैक्टेयर है और जालोर में 1956 हैक्टेयर है, यह लगभग दस लाख हैक्टेयर जमीन है जो 9 जिलों में है। राजस्थान 26 जिलों का बना हुआ है उनमें से 9 जिलों में यह दस लाख हैक्टेयर, कैनाल से सिंचित जमीन फैली हुई है। ठीक इसी प्रकार से अगर तालाबों से सिंचित होने वाली जमीन का ब्रेक अप हम देखें तो वह है उदयपुर में 20491 हैक्टेयर पाली में 26805 हैक्टेयर, भीलवाड़ा में 23511 हैक्टेयर, जयपुर में 21723 हैक्टेयर, चित्तौड़गढ़ में 16167 हैक्टेयर, बूंदी में 10736 हैक्टेयर, बांसवाड़ा में 9171 हैक्टेयर, सवाई माधोपुर में 8478 हैक्टेयर, टोंक में 8186 हैक्टेयर, इस प्रकार से यह 9-10 जिले हैं जिनमें कुछ जिले तो कामन हैं। कुल मिला कर अगर हम सिंचाई की दरों के बढ़ने से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के बारे में तथ्यात्मक जानकारी करें तो राजस्थान के 26 जिलों में से, मैं समझता हूं, केवल आठ या दस जिले हैं जो इससे प्रभावित होते हैं। अगर ये आठ या दस जिले प्रभावित होते हैं और सिंचाई के साधन इन क्षेत्रों में उपलब्ध हैं या वह दूसरे क्षेत्रों को उपलब्ध नहीं है, उदाहरण के रूप में, सभापति महोदया, आप लीजिए एक कुए से सिंचित होने वाली जमीन है उस जमीन के लिए आदमी कुआं खोदेगा, कुएं को बंधायेगा, उसके लिए पैसा उपलब्ध करेगा, या तो बैल या चड़स से उससे सिंचाई करेगा या फिर सिंचाई करेगा बिजली के कनेक्शन से। लेकिन एक कैनाल और टैंक से सिंचाई करने के साधन जिस काश्तकार को उपलब्ध हैं, अगर उसको राज्य के कोष में दूसरे छोटे किसानों की भलाई के लिए कोई चार्ज देना पड़ता है तो मैं समझता हूं कि यह प्रजातन्त्र में उसका फर्ज है। प्रजातन्त्र के इस जमाने में उसका कर्त्तव्य है जिस कर्त्तव्य को उसको निभाना चाहिए। ऐसी स्थिति में यह कहना कि राजस्थान का आम किसान इरिगेशन रेट से प्रभावित होगा और आम किसान में इस इरिगेशन की रेट में बढ़ोतरी को लेकर असंतोष है तो कम से कम यह जो आंकड़े मैंने प्रस्तुत किये हैं वह इस तर्क को गलत साबित करते हैं। कम से कम मुझे इस तर्क में किसी प्रकार का आधार नजर नहीं आता।

ठीक इसी प्रकार से, सभापति महोदया, फ्लेट रेट की बात बहुत जोरों से कही गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर. एस ई. बी. विद्युत वितरण के मामले में सर्वथा असफल रहा है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जहां कहीं जिन क्षेत्रों में भी बिजली उपलब्ध कराई गई है, उन क्षेत्रों में भी बिजली की व्यवस्था सर्वथा असंतोषजनक है। यह एक सर्वविदित तथ्य है, सभापति महोदया, राजस्थान में कुल 33305 गांव हैं जो बसे हुए हैं। इन 33305 गांवों में से हम अभी तक केवल 16097 गांवों में बिजली पहुंचा पाये हैं। आधे से अधिक गांव अभी भी बिजली से महरूम हैं। जिन 16097 गांवों में हम बिजली पहुंचा पाये हैं उनके कितने कुओं को हम कनेक्शन दे पाये हैं जैसे कि इस पुस्तक में आंकड़े हैं, करीब 2 लाख 23 हजार कुओं को हम बिजली के कनेक्शन अभी तक, जनवरी, 82 तक दे पाये हैं।

(134)

(श्री सूर्यकुमार)

जो कनेक्शन बिजली के दिये हैं उसमें फ्लेट रेट कौन कौनसे जिलों में कितने-कितने लोगों ने आप्ट किये हैं, इसके भी आंकड़े, सभापति महोदया, उपलब्ध हैं। ये आंकड़े हैं–जयपुर में 42,742 कुओं को बिजली के कनेक्शन दिये हैं इन 42,742 में से 14,601 काश्तकारों ने फ्लेट रेट आप्ट की है। सीकर में कुल 17,874 कुओं पर बिजली के कनेक्शन हैं उनमें से केवल 8525 काश्तकारों ने फ्लेट रेट आप्ट की है। ठीक इसी प्रकार से जो आर. एस. ई. बी. का सर्किल है तीन जिलों को मिला कर, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर–उनमें 5267 कुल कुओं पर कनेक्शन हैं उनमें से केवल 281 काश्तकारों ने फ्लेट रेट आप्ट की है। ठीक इसी प्रकार से झुंझुनू में 12,039 कुओं पर कनेक्शन हैं उनमें से 4410 काश्तकारों ने फ्लेट रेट आप्ट की है। ठीक इसी प्रकार से कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर में पच्चीस हजार कुछ कुओं पर कनेक्शन हैं जिनमें से केवल 3107 काश्तकारों ने फ्लैट रेट आप्ट की है। ठीक इसी प्रकार से भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का मिला हुआ सर्किल है उसमें केवल 1650 लोगों ने फ्लेट रेट आप्ट की है जब कि कुओं पर कनेक्शन की संख्या करीब तीस हजार है। ठीक इसी प्रकार से अलवर, भरतपुर के 23 हजार कुओं पर कनेक्शन हैं उनमें से केवल 2428 काश्तकारों ने फ्लेट रेट आप्ट की है। बीकानेर, चूरू, गंगानगर में 3578 कुओं पर कनेक्शन वालों में से केवल 650 काश्तकारों ने फ्लेट रेट आप्ट की है। 16270 कुएं के कनेक्शन में से 4159 काश्तकारों ने अजमेर और नागौर में फ्लेट रेट आप्ट की है। ठीक इसी प्रकार से जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर और सिरोही, इनमें कुल मिला कर 29451 कुओं पर कनेक्शन थे उनमें से 5577 लोगों ने फ्लेट रेट की है। कुल मिला कर 45390 काश्तकार ने इस फ्लेट रेट आप्ट की हुई है। मैं उचित और अनुचित की बात को एक तरफ रखते हुए थोड़ी देर के लिए यह कहता हूं कि अगर थोड़ी देर के लिये यह फ्लेट रेट बढ़ाई हुई मान भी ली जाय, यह बढ़ भी जाय और राज्य सरकार इस पर पुनर्विचार न करे तो केवल 45390 काश्तकारों को अफेक्ट करने वाला यह एक प्रावधान है। 45390 से ज्यादा आज की तारीख में इससे काश्तकार अफेक्टेड नहीं होते हैं। इसलिए यह तर्क देना कि यह राजस्थान के आम किसानों को प्रभावित करने वाली बात है या इससे आम किसान बड़े आन्दोलित हैं और बड़े उद्वेलित हैं, निराधार साबित हो जाता है। प्रश्न यह है कि क्या फ्लेट रेट बढ़ाया जाना उचित है या अनुचित है। इस प्रश्न को अगर हम विद्युत वितरण व्यवस्था के साथ में जोड़कर देखें तो ज्यादा अच्छा होगा। विद्युत वितरण की व्यवस्था चूंकि सर्वथा असंतोषजनक है इसलिए हमें निश्चित रूप से विद्युत वितरण की व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। फ्लेट रेट एकदम से दुगुनी बढ़ाने का जो प्रावधान किया है, व्यक्तिश: मेरी राय यह है कि यह दुगुनी नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, इसमें कुछ कमी करने पर सरकार को विचार करना चाहिए ताकि जितने लोगों पर भी इसका असर पड़ता है उन लोगों

(श्री सूर्यकुमार)

पर भी इसका वजन नहीं पड़े । बिजली की अव्यवस्था के कारण कुछ काश्तकारों को पहले नुकसान हुआ है । वैसे फ्लेट रेट अगर देखा जाए तो वास्तव में किसानों के हित में किसानों के द्वारा ग्राण्ट की हुई व्यवस्था ही है । इसको कोई थोपा नहीं गया है । वैसे एक साधारण उपभोक्ता होने के नाते मैं इसे उचित समझता हूं कि जो जितनी बिजली का उपभोग करे वह उतना पैसा देवे । अगर उस हिसाब से, उस आधार से, मीटर के आधार पर काश्तकार बिजली का उपभोग करे और उसी के आधार पर उसका पेमेंट करे तो उसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था या किसी प्रकार का असंतोष होने की कोई बात पैदा नहीं होनी चाहिए ।

ठीक इसी प्रकार से, सभापति महोदया, एक बात जो कही गई, वह यह है कि यह विकास की गति को अवरुद्ध करने वाला बजट है। मेरी समझ में नहीं आया कि विकास की गति कैसे अवरुद्ध होगी ? क्या राजस्थान नहर का काम बन्द हो जाएगा ? या जितनी बड़ी बड़ी सिंचाई की योजनाओं का निर्माण का कार्य है वह बन्द हो जाएगा, या सड़कों का काम बन्द हो जाएगा ?

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

किस प्रकार से इससे विकास की गति अवरुद्ध हो जाएगी ? यह कम से कम मेरी समझ में नहीं आया । विकास का अर्थ एक निरन्तर गतिशील विकास है । विकास की गति रुकने वाली नहीं है । विकास की गति को देखने का ही अगर इतना चाव था तो मैं समझता हूं कि उनको देखना चाहिए था इस बजट प्रावधान में सिंचाई और बिजली के लिये क्या प्रावधान किया है । योजना मद में क्या प्रावधान किया गया है, और दूसरे क्या प्रावधान हैं । कृषि के मद में क्या प्रावधान किया गया है, यह देखने की बात है । विकास ? किस प्रकार का विकास ? भारतीय अर्थ व्यवस्था साफ कहती है कि विकास के लिए प्रति व्यक्ति की आय में, दीर्घकालिक बढ़ोतरी हो । यह बढ़ोतरी कैसे हो ? जब तक आप जनसंख्या की वृद्धि पर रोक नहीं लगायेंगे तब तक वह दीर्घकालिक आय उस प्रति व्यक्ति की बढ़ेगी कैसे ? इस जनसंख्या पर रोक लगाने वाला कार्य था उस पर तो आपने सन् 77 में चुनावों में माहौल बना कर ही रोक लगा दी । यही कारण था कि सन् 77 में जनता पार्टी का शासन आने के बाद में यह परिवार कल्याण का जो काम था और वासक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के आपरेशन से जनसंख्या पर रोक लगाये जाने वाला जो कार्यक्रम था उसको बड़ा सैट बैक लगा, वह बड़ा पिछड़ा । सन् 1980-81 में, जो कांग्रेस का शासनकाल था, एक लाख लोगों द्वारा जनसंख्या पर रोक लगाने वाला कार्यक्रम अपनाया गया ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

77-78 और 78-79 में जनता पार्टी के शासन में एक लाख तक नहीं पहुंच पाये ।

आप कहते हैं विकास करें । आप कहते हैं विकास की गति को अवरुद्ध करने वाला यह बजट है । मैं कहता हूं, विकास की गति

(श्री सूर्यकुमार)

को अवरुद्ध तो आपने उसी वक्त कर दिया, जिस समय परिवार कल्याण कार्यक्रम, इस जनसंख्या को रोकने वाले कार्यक्रम को आपने राजनीति और चुनाव का मसला बनाया। उसी वक्त विकास की गति पर अवरोध लगा दिया था। विकास की गति आज अवरुद्ध होने वाली नहीं है। विकास की गति निरन्तर बढ़ेगी। विकास की गति बढ़ेगी कैसे? कृषि पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने से। कृषि पर ज्यादा से ज्यादा कैसे देंगे? जो बड़े काश्तकार हैं, जिन बड़े काश्तकारों को आजादी के बाद सिचाई योजनाओं से लाभ मिला है गांधीजी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के आधार पर, गांधीजी की ट्रस्टीशिप का सिद्धांत यह था....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सक्षेप में कहें।

श्री सूर्यकुमार : मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री सभापति : 15 मिनट हो रहे हैं आपको।

एक माननीय सदस्य : गांधीजी का मामला है, साहब।

श्री सूर्यकुमार : ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधीजी का था। गांधीजी ने यह कहा था जो लोग समाज में सामर्थ्यवान हैं, जो पूंजी उनके पास है, जो क्षमतायें उनकी हैं, उस पूंजी और क्षमता को उनका ट्रस्टी मानना चाहिए। वह समाज के लिए ट्रस्टी हैं, वह पूंजी और क्षमता उनकी नहीं हैं, वह समाज के लिए ट्रस्टी हैं। मैं जब यह कहता हूं, गांधीजी के सिद्धांत में और मार्क्सवादियों और साम्यवादियों के सिद्धांतों में एक नाजुक डिफरेंस है, तो वह यही है, जिस पूंजी के लिए गांधीजी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अनुसार उन्हें ट्रस्टी माना उन्होंने उसको जबर्दस्ती समाज में बांटने की बात कही। वह ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लागू किया जाय, उन लोगों के ऊपर जिन की आज क्षमता है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जहां तक छोटे काश्तकार हैं, आपको उनके लिए प्रबन्ध करना पड़ेगा वह किस प्रकार से अपनी छोटी जोतों में खेती कर सकें, उसके लिए आपको सहकारिता के माध्यम से उनको ऋण दिलवाना पड़ेगा। मैंने देखा बजट के पृष्ठों में इस दृष्टिकोण से तो उसमें छोटे काश्तकारों के लिए एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग के लिए उपयुक्त प्रावधान है। मैंने देखा बीज और उर्वरक के लिए तो छोटे काश्तकार, या लघु और सीमान्त कृषकों को उर्वरक और बीज बांटने के लिए, अच्छी क्वालिटी के बीज बांटने के लिये, उपयुक्त प्रावधान है। इसलिए मैं कह सकता हूं, जो भारतीय अर्थ व्यवस्था की जड़ है, जो मूल है वह भारतीय कृषि है। जब तक भारतीय कृषि की व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, विकास नहीं होगा, तब तक यह नहीं हो सकेगा। उसके विकास और उसके सुधार के लिए निश्चित रूप से जो सिद्धांत हैं उनका पालन करना होगा। विपणन की व्यवस्था की गई है, इसमें गोदामों के निर्माण की व्यवस्था की गई है। विपणन की व्यवस्था के लिए मार्केटिंग सोसाइटी की व्यवस्था की गई है। मंडियों की व्यवस्था की गई है। उनमें माल को लेने, माल को संग्रह करने की व्यवस्था की गई है। उचित मूल्य किसान को मिले,

(श्री सूर्यकुमार)

इसकी व्यवस्था की गई है। यह सारी की सारी व्यवस्थायें इस बजट में मौजूद हैं। मैं कह सकता हूं, जो मूल रूप से कृषि व्यवस्था को सुधारने वाली बातें हैं, यह पूरी हद तक बजट में मौजूद हैं।

एक बात और अन्त में कहना चाहूंगा। इस बजट के लिए यह भी कहा गया है, यह औद्योगिक उत्पादन को निरुत्साहित करता है प्रोत्साहित नहीं करता। मैं कुछ हद तक इस तर्क से सहमत हूं, और मैं कुछ हद तक इस तर्क से सहमत भी नहीं हूं।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं): इस बजट से स्टील बहुत पैदा होगा।

श्री सूर्यकुमार : जहां तक बजट में यह प्रावधान किया गया है, जो खुद माल का उत्पादन करने वाले व्यापारी हैं उनकी सीमा दस हजार से 25 हजार तक बढ़ायी है। खुद माल उत्पादित करके बेचने वाले व्यापारी का टर्न ओवर बढ़ाया है, मैं कह सकता हूं, यह उत्पादन को प्रोत्साहन देने वाला कदम है। जहां तक आपने सहकारी समिति के टर्न ओवर को 50 हजार से 75 हजार किया है, या 25 हजार से 50 हजार किया है, वह सहकारिता को प्रोत्साहन देने के लिए आपने किया है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

जहां तक 50 हजार से 75 हजार के व्यापारी के लिए किया है, मैं उससे सहमत नहीं हूं।

श्री सभापति : सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : आदरणीय सभापति महोदया....

श्री सूर्य कुमार : यह बहुत आपत्तिजनक बात है। मैं जब बोलकर बैठा तो मुझसे यह कहा गया माननीय सदस्य के द्वारा, आप बोल चुके आपसे चन्दनमल जी खुश हो गये। मैं समझता हूं सदन की गरिमा के लिये एक अपमानजनक बात है। इस प्रकार की बात किसी भी सदस्य के लिये नहीं कही जानी चाहिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): वह भी आपकी पार्टी के द्वारा।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : आदरणीय सभापति महोदया, राजस्थान का जो बजट पेश किया गया है, उससे राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता आस लगाये बैठी थी, लोगों को बड़ी उम्मीद थी, माननीय चन्दन मल जी के द्वारा रखा जाने वाला बजट यकीनन रूप से राजस्थान के लिये एक वरदान के रूप में साबित होगा। मुझे बड़ा दुख हुआ, इस बजट को देख कर। सुनकर लगा कि माननीय चन्दनमलजी बैद के कंधों पर बन्दूक रखकर इस बजट को पेश कराने का सुनियोजित षड़यन्त्र था, इसका मुझे बड़ा खेद है। आप इस षड़यंत्र के शिकार कैसे हो गये। अरे, अच्छा होता, ऐसा बजट पेश करने से बेहतर था आप इस्तीफा दे देते, मन्त्री पद से। राजस्थान की जनता की आंखों में चढ़ जाते....

श्री चन्दनमल बैद : बन्दूक रखने वालों में आप भी एक थीं।

सुश्री पुष्पा जैन : जितनी इज्जत आपकी आज है, वैदजी, इससे कई गुणा ज्यादा इज्जत हो जाती। मैं जानती हूं, यह बजट आपसे क्यों पेश कराया गया। यह बजट आपका लिखा हुआ नहीं, महज पढ़ा हुआ है। पूरे मन्त्रिमण्डल की रेस्पांसिबिलिटी होती है। आपने क्यों पढ़ा? अरे, कई किसान मन्त्री बैठे थे, माननीय परसराम जी पढ़ देते, माननीय कमला जी पढ़ देतीं, आप क्यों शिकार हुए? खैर, यह आपका जाति मामला है। यह जताता है कि आपको कुर्सी से कितना मोह था।

माननीय सभापति महोदया, वर्तमान बजट जो पेश किया गया यह किसान के लिये तो अभिशाप है ही, लेकिन राजस्थान की जनता के लिये भी, मैं यह कहूं, कि यह अभिशाप के रूप में साबित होगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सभापति महोदया, इन्होंने अपने अतिरिक्त घाटे का कारण बजट में बताया। 142.63 करोड़ रुपये अकाल और बाढ़ सहायता के लिये इन्होने बतायें। मैं बहुत विस्तार में उल्लेख नहीं करूंगी, बाढ़ में लोगों को सहायता किस प्रकार दी गई, इसका एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगी। सभापति महोदया, मेरे विधान सभा क्षेत्र में रामपाल कुम्हार नामक व्यक्ति बाढ़ के कारण वह गया। 20-8-81 को उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी। 18-7-81 को वह व्यक्ति बहा। 20-8-81 को तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त हो गयी। लेकिन उसे जो पांच हजार रुपये सहायता के रूप में मिलने चाहिये थे, वह नहीं मिले। विधान सभा का जब सैशन आया, मैने सवाल दिया। आपको ताज्जुब होगा सुनकर, सवाल का उत्तर जिस दिन यहां देना था, उसके तीन दिन पहले उसको सहायता पहुंचायी गयी ताकि विधान सभा के प्रांगण में आप कह सकें कि आपने सहायता दे दी। यह तस्वीर है आपकी बाढ़ सहायता की। आप क्यों सहायता करेंगे? आपने तो घाटे का कारण अकाल और बाढ़ सहायता बताया, इससे मुझे बड़ा दुःख हुआ। सभापति महोदया, इन्होंने पंचायत चुनाव के कारण 18.94 करोड़ रुपये का अतिरिक्त घाटा बताया। आवश्यकता क्या थी अतिरिक्त घाटे की? इस समय तो पंचायतें अच्छी तरह से चल रही थीं, पांच साल का उनका कार्यकाल था....

श्री रामसिंह विश्नोई : आवाज साफ नहीं आ रही है।

एक माननीय सदस्य : ध्यान से सुनो।

सुश्री पुष्पा जैन : आप सुनेंगे तो आवाज आयेगी। आप भी इनके साथ सुनना नहीं चाहेंगे तो आवाज आयेगी ही नहीं और अंतरआत्मा जागेगी भी नहीं।

श्री रामसिंह विश्नोई : हम तो आपकी आवाज सुनना चाहते हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं कोशिश करूंगी, मेरी आवाज आप तक पहुंचे, आपकी अन्तरात्मा तक पहुंचे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका टोकना उचित नहीं है आवाज के लिये।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदया, पंचायतों का कार्यकाल पांच साल का था।

श्री रामसिंह विश्नोई : माइक व्यवस्था खराब है।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : आप तरफदारी क्यों कर रहे हैं। बैठो ना आप।

श्री सभापति : आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदया, पंचायत चुनावों का जिक्र करते हुए 18.94 करोड़ का अतिरिक्त घाटा बताया। मैं पूछना चाहूंगी, मंत्री महोदय, पंचायत चुनावों की इस समय क्या आवश्यकता थी जब हमारा राज्य, हमारी जनता बहुत दुष्कर परिणामों से गुजर रही थी, बाढ़ और अकाल हमारे सिर पर थे तो हमें पूरे प्रयास करने की आवश्यकता थी। ऐसे में 5 साल से घटाकर तीन साल करके जबर्दस्ती पंचायत चुनाव कराने की क्या आवश्यकता पड़ी? यह एक राजनैतिक सुनियोजित षड्यन्त्र था। पार्टी के साथ षड्यन्त्र में शरीक होकर आपने पंचायत के चुनाव कराये। और यह घाटा आपने जनता पर चुनाव थोप कर, चुनाव कराकर कराया।

सभापति महोदया, वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये आपने कुछ कारगर कदम उठाने की चर्चा की। वसूली प्रक्रिया को तेज किया जायेगा। अकाल और बाढ़ से पहले किसान मरे हुए हैं, उस पर वसूली प्रक्रिया तेज करेंगे। मैं समझती हूं कि बहुत बड़ी समझदारी का नमूना पेश होगा? जो मरा हुआ किसान है, जिसके लिये बजट में तो प्रावधान नहीं कर पाये, आप वसूली करे तो कीजिये। यह कांग्रेस का प्रतिबिम्ब जो प्रदर्शित किया है आपने, यह आने वाले समय में जनता आपको दर्पण में दिखायेगी। राजस्व कमाने वाला विभाग अपने निश्चित टार्गेट्स को पूरा करे। इसके लिये उनका बराबर मोनिटरिंग किया जाये। बहुत खूब, वित्त मंत्रीजी, बहुत खूब। राजस्व कमाने वाला विभाग, मैं बहुत से विभागों की तो इस समय चर्चा नहीं करूंगी, लेकिन सिर्फ एक विभाग, जिसे लाटरी विभाग कहते हैं, महज राजस्व कमाने के लिये रख रखा है। इसमें कितनी बड़ी अनियमितताएं हुई? इससे, मैं समझती हूं आप अनजान नहीं हैं। मैं बताना चाहूंगी, इस लाटरी विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर हरिराम मीणा और श्याम लाल ने लाटरी ड्रा में कितनी ही अनियमितताएं कीं, 80 लाख के टिकट राजस्थान से उधार बेच दिये। क्यों बेचे गये उधार जबकि आपका प्रोविजन साफ है? फाइनेंस रूल में लिखा है—

Tickets will be supplied to agents on payment of full price. Unsold tickets will not be taken back."

एक तरफा आपका रूल यह है, दूसरी तरफ 80 लाख के एडवान्स दे दिये गये। वह इसलिये दिये गये, सभापति महोदय, श्री हरिराम जी मीणा एक एजेंट से पार्टनरशिप करना चाहते थे, पार्टनरशिप के लिए उन्हें पैसा चाहिये था। लिहाजा वह पार्टनरशिप उन्होंने उधार देकर कायम की। मैं आपको बताऊं, उस 80 लाख में से आज भी 18 लाख बकाया है। यह घाटा कौन पूरा करेगा? यह तो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था आपका राजस्व कमाने का। इसमें अनियमितताएं हुई, वह

(सुश्री पुष्पा जैन)

आपको मालूम नहीं। यही नहीं, सभापति महोदय, हरिराम मीणा ने 13 दिन के उस टयूर का 14 हजार रुपये का बिल उठाया एडवान्स, जो उन्होंने तमिलनाडु और महाराष्ट्र का टयूर किया 13 दिन ; 3.50 रु. प्रति किलोमीटर टैक्सी का उठाया गया। मैं समझती हूं, राजस्थान में ही नहीं इस देश में 3.50 रुपये प्रति किलोमीटर टैक्सी का कोई किराया नहीं है। लेकिन माननीय हरिराम जी ने उठा लिया। 400 किलोमीटर सिटिंग अलाउन्स उठाया टैक्सी का। 400 किलोमीटर प्रति दिन टैक्सी में कोई चल ही नहीं सकता। माननीय मंत्री महोदय, आप तो बहुत सफर करते हैं, आप ईमानदारी से बताइये। उन्होंने जयपुर से तमिलनाडु और महाराष्ट्र का सफर हवाई जहाज से किया लेकिन तमिलनाडु और महाराष्ट्र में सिटी में वह घूमे उसका टी. ए बिल 400 किलोमीटर प्रतिदिन का उठाया। उस टी. ए. बिल को, मेरी जानकारी है, एन्टी करप्शन वाले ले गये होंगे लेकिन उस समय माननीय तिवारी जी का ट्रांसफर हो गया जो कि अभी तक खटाई में पड़ा हुआ है। मंत्री महोदय, डेढ़ लाख का बिल एडवर्टाइजमेंट का एडवान्स उठाया गया है। उस नाम की न तो कोई फर्म है और न एडवर्टाइजमेंट करवाया है। यह हरिराम मीणा, डायरेक्टर वही हैं जिनको अजमेर की जनता ने बलात्कार के काण्ड में जूता मारकर भगाया था। आपने क्या किया उनके साथ ? आपके चीफ सैक्रेटरी ने उन्हें एप्रिशियेशन लैटर दिया और आपने उनको प्रमोशन दिया। ये तरीके हैं आपके राजस्व बढ़ाने के। एक तरफ गरीब काश्तकारों पर करों का भार लादना चाहते हैं ; दूसरी तरफ आपके अधिकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बिल उधार सप्लाई कर रहे हैं और आपको उसका इल्म नहीं। अगर आपको रेवेन्यू बढ़ानी है तो इन डिपार्टमेंट्स की ओर ध्यान दीजिये। मैं कहना चाहूंगी; अगर हालात यही रहे तो आने वाली लाटरी का ड्रा नुकसान में जायेगा।

(4.32 म.प)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, 40 लाख टिकट छपवा लिये गये अगले ड्रा के लिये, जब कि करीब 8 लाख टिकट बिकेंगे। 10 लाख का नुकसान होगा लेकिन हमारी सरकार सो रही है, किसी को चिन्ता नहीं। रेवेन्यू वाले डिपार्टमेंट्स को इन हालात की चिन्ता नहीं है लेकिन चिन्ता है कि काश्तकारों को बिजली दे रहे हैं, काश्तकारों के लिये साधन जुटा रहे हैं इसलिये काश्तकारों पर टैक्स लगा दिये जायं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने फ्लैट रेट दुगुनी कर दी। मेरी समझ में नहीं आया, यह सरकार इतनी कायर क्यों है कि जो कुछ करना चाहती है उसे बुलन्दी के साथ कहने की हिम्मत नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानती हूँ, आप करना क्या चाहते थे। जनता सरकार ने पट रेलेट कायम की थी। जो राज्य सरकार के अधिकारी घपला करते थे फ्लैट रेट की मीटर्स रीडिंग में और दूसरे कामों में, उनको हटाने के लिये जनता सरकार ने अच्छे कदम उठाये थे, फ्लेट रेट कायम की, उसको आप खतम करना चाहते हैं; क्योंकि आप एक लॉबी

(सुश्री पुष्पा जैन)

में फंसे हुए हैं। उस लॉबी ने आपको सजैस्ट किया कि फ्लैट रेट खतम की जाय ताकि काले कारनामे वापिस चालू कर सकें। आपमें हिम्मत नहीं थी फ्लैट रेट को खतम करने की, लिहाजा आपने बड़ा अच्छा तरीका सोचा, आपने फ्लैट रेट दुगुनी कर दी ताकि मरे हुए किसान मांग करें कि फ्लैट रेट हटा दी जाय और हमारे मीटर्स वापस चालू करवा दिये जायं। यही करना चाहते थे ना आप ? अरे, फ्लैट रेट खतम करना चाहते हैं तो हिम्मत के साथ कहते कि फ्लैट रेट को खतम करना चाहते हैं। आपमें हिम्मत नहीं है। ××× की माफिक बैठे हुए हैं। अरे, आपके मुख्य मंत्री जी ने तो 6 माह पहले एक संवाददाता को इन्टरव्यू दिया था कि तमन्ना है-कुछ कर गुजरें। मुझे बड़ा अचम्भा हुआ। मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि तमन्ना है कुछ कर गुजरें और करना चाहते हैं वह करने की हिम्मत नहीं है। उल्टे सीधे, टेढ़े-बांके तरीकों से आप अपनी नीतियों पर आना चाहते हैं। तो, मंत्री महोदय, राजस्थान की जनता इतनी ××× नहीं है जितनी आप समझे हुए हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि यह जो तरीके अख्तियार किये हैं गरीब किसानों को मारने के, वे ज्यादा दिन चलेंगे नहीं। अगर आपने जबरदस्ती चलाये तो बहुत जल्दी उसके दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : आपणी चिन्ता घणी ही है आनें।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं तो, वित्त मंत्री जी, आपकी तो कम से कम शुभचिन्तक हूं। आप जानते हैं मन में।

श्री चन्दनमल बैद : आप अपनी चिन्ता कीजिये, हमारी छोड़ दीजिये, मेरा कहने का यह मतलब था।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं और किसी की करूं या न करूं लेकिन आपकी जरूर करूंगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, बीच में टोका-टोकी नहीं हो तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, आप कुछ करें इतनी कुव्वत आपमें आ भी सकती है ? उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत है, मैं कुछ पोर्शन पढ़ना चाहूंगी, और पढ़ कर यह साबित करूंगी कि आपमें कुछ करने की ताकत भी नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपमें वह कुव्वत ही नहीं। आपके मंत्रिमण्डल में कैसे कैसे आदमी बैठे हुए हैं उनकी तस्वीर उजागर करना चाहूंगी।

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आवाज ठीक नहीं आ रही है। माइक ठीक नहीं है।

सुश्री पुष्पा जैन : यह माइक भी वर्तमान सरकार के हाथ में है।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री उपाध्यक्ष : चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं।

सुश्री पुष्पा जैन, उपाध्यक्ष महोदय, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, क्रम-1 जयपुर जिला जयपुर का यह फैसला है।

नकल में 25-8-68 को काट कर 28-8-68 की गई स्पष्ट प्रतीत होती है। इ एक्स पी 3/1 के भाग सी-टू-डी में आज शब्द काट कर दिनांक 25-8-68 अंकित की गई प्रतीत होती है जिसमें उस लाइन का तात्पर्य ही परिवर्तित हो जाता है। यदि इस आदेश की मूल लिखावट में पढ़ा जावे तो सी-टू-डी में अभियोगी की उपस्थिति 28-8-68 को सिद्ध हो जाती है। पर उसको काट कर 25-8-68 अंकित करने से तात्पर्य निकलता है कि दिनांक 28 8-68 को वह मौजूद नहीं है। इस तरह उक्त असल दस्तावेज को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि यह दस्तावेज अभियुक्त सं० 1 ने फर्जी तैयार किया क्योंकि उसमें कांट छांट उसकी मूलत. को समाप्त कर देती है। जहां तक किसी अन्य अभियुक्त का प्रश्न है दस्तावेजों से उनका इस कार्यवाही में शामिल होना विदित नहीं होता। अतः सशपथ बयानों व दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त सं० 1 ने दिनांक 28-8-68 को फर्जी दस्तावेज तैयार किया। जहां तक उस आदेश का प्रश्न है अभियुक्त ने उस आदेश को एस० डी० एम० की हैसियत से किया था। "उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताती हूं, "उक्त विवेचन के आधार पर उपलब्ध दस्तावेजों व सशपथ बयानों पर विश्वास करके इस अभियुक्त सं० 1 के विरुद्ध धारा 466 भा०दं०सं० का अपराध प्रथम दृष्टया में बनना प्रतीत होता है। लिहाजा अभियुक्त श्री सी० एल० कंवरिया के विरुद्ध धारा 466 भा०दं०स० के तहत प्रथम दृष्टया आरोप बनने के कारण प्रसंज्ञान लिया जाता है।

मैंने इजाजत ली है, मदेरणा साहब। उपाध्यक्ष महोदय, यह साधारण नियम है कि किसी अधिकारी या कर्मचारी पर यदि प्राइमाफेसी कोई केस बनना पाया जाता है तो ड्यूरिंग हिज सर्विस उसे सस्पेण्ड किया जाता है। किसलिये? सिर्फ इसलिये कि ड्यूरिंग दी ट्राइल वह ट्राइल को अफैक्ट न करे, किसी तरह का प्रभाव न डाले। सिर्फ इसलिये। मामूली कर्मचारी, अधिकारी कोई भी हो। मुझे बड़ा ताज्जुब है कि राजस्थान की गद्दी पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री विराजमान है। 466 का केस चल रहा है। पांच पेशियां पड़ चुकी हैं। आज तक उन्होंने तामील नहीं किया है। मुलजिम पकड़ा नहीं गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह दुःख की बात है, जब इस तरह के मंत्री राजस्थान के मंत्रिमण्डल में हों तो मौजूदा बजट का घाटा बढ़ेगा ही। माननीय मुख्य मंत्री जी ने रेडियो प्रसारण किया 'मुख्य मंत्री आम आदमी के बीच'। माननीय मुख्य मंत्री जी, आप कहां से आम आदमी के बीच में हो गये? हरिराम मीणा, जिन्होंने अजमेर में बलात्कार काण्ड किया और जनता ने जिनको मार मार कर भगाया, आपने उन्हें प्रमोशन दिया। श्री सी० एल० कंवरिया, जिन पर 466 के आरोप हैं, आपने मंत्री बना कर बिठा दिया है। अरे, आप तो अधिकारियों और मंत्रियों के बीच में हैं। आप आम आदमी के बीच हो ही नहीं सकते। आपकी पहुच ही नहीं है। आपके सोचने का नजरिया ही नहीं है।

(सुश्री पुष्पा जैन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने एक अपील की थी....

श्री उपाध्यक्ष : Whether he has been charge sheeted ? चार्ज-शीट सुनाई गई है कंवरिया साहब को ?

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : चार्ज शीट तो तब सुनाई जाये जब मुजरिम पेश हो। उपाध्यक्ष महोदय, प्राइमा फेसी केस बन गया है। उनको सम्मन तामील होने के लिये इश्यू कर दिये गये हैं किन्तु राज्य सरकार का मंत्री गायब है। सम्मन तामील नहीं हो रहे हैं। एक मामूली सा चपरासी सम्मन लेकर जायेगा तो उसमें हिम्मत कहां है कि वह मंत्री के बंगले में घुस कर सम्मन तामील करा सके। इस तरह का प्रभाव रखने वाले पद पर मौजूद होंगे तो वह ट्रायल फेयर होगी। इसमें बहुत बड़ा मुझे शक है, शक ही नहीं विश्वास है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। यह गलत बात है। आप डायरेक्ट बात न करें।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

यह सारे पुरुष मिल कर अकेली को टोका टाकी कर रहे हैं। आप इनकी रक्षा कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर। No talk.

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने मेरे प्रति जो सहानुभूति प्रकट की है उससे मुझे खुशी है। लेकिन यह सहानुभूति आप अपने मन्त्रियों के लिये करिये तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे तो इन पर सहानुभूति हो रही है। कहां फंस गये। वित्त मंत्रीजी, आप कहां फंस गये हैं।

एक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दे रहा है। क्या कह रही है? वापिस कहिये।

श्री उपाध्यक्ष : जरूरत नहीं है।

माननीय सदस्या, पांच मिनट और हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : ....आर एण्ड आर एन पी ने अनाज उठाने के लिये कहा। लेकिन आपने अनाज नहीं उठाया। यह बर्डन पचास प्रतिशत कम हो सकता था। अगर आप अनाज उठा लेते तो जनता का बोझ हल्का हो जाता और यह जो घाटा बताया है वह कम होता। लेकिन आपने अपनी जिद्द के कारण, अपनी नाकाबलियत के कारण अनाज नहीं उठाया।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं एक विज्ञापन की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी, यद्यपि मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया हुआ है। मुझे इस पर ज्यादा डिसकस नहीं करना है। राजस्व विभाग ने एक विज्ञापन निकाला है राजस्थान पत्रिका

(सुश्री पुष्पा जैन)

में। "राजस्थान सरकार--राजस्व विभाग–कृषि भूमि के अवैध रूपान्तरण को नियमित कराने का एकमात्र सुनहरा अवसर। इस अवसर को न गंवावें। 26 मार्च के पूर्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें और इस एकमात्र अवसर का लाभ उठावें।" ऐसा लग रहा है जैसे किसी नौटंकी का यह विज्ञापन हो। यह विज्ञापन है, यह राज्य सरकार का विज्ञापन है। शर्म आनी चाहिये। यह राजस्थान सरकार विज्ञापन निकालती है। उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : Issued by whom ?

सुश्री पुष्पा जैन : Issued by Rajasthan Government.

श्री उपाध्यक्ष : इसमें दस्तखत हैं ? किसके हैं ?

सुश्री पुष्पा जैन : इस पर किसी के दस्तखत नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : That is what I doubted.

सुश्री पुष्पा जैन : ....मैं बधाई दूंगी अगर यह सरकार डिनाई करे, यह विज्ञापन राजस्थान सरकार ने नहीं दिया है प्रेस में। उपाध्यक्ष महोदय, हर तरह की भूमि जिस पर चाहे नाजायज कब्जा कर रखा हो, चाहे असेम्बली की भूमि पर कब्जा कर लिया हो, के लिये आप 26 मार्च के पहले आवेदन पत्र मय दक्षिणा के पेश कर दें....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, बिना दस्तखत का यह आॅथेन्टिक कैसे है ?

सुश्री पुष्पा जैन : तो, माननीय उपाध्यक्ष, यह मना कर दें। सरकार मना करे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इन्क्वायरी कीजिये किसने छपाया है इसको।

सुश्री पुष्पा जैन : जवाब नहीं दे सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, इस विज्ञापन को पढ कर मुझे बड़ा अजीब सा लगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और यह विज्ञापन एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्ट्रेडिक्ट्री है; कहीं पर मैच नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : That is what I doubted. यह डाउटफुल है।

सुश्री पुष्पा जैन : इस विज्ञापन के अनुसार पैसे दे दिये या प्रार्थना पत्र दे दिये। मैं बताना चाहूंगी, मन्त्री महोदय, एक नहीं आपने 15 कानूनों का उल्लंघन किया है। जो कि आपने स्वयं ने बनाये हैं उनका आपने उल्लंघन किया है। अगर आप आवेदन पत्र लेने के बाद, उनके हक में फैसला नहीं करेंगे तो बेचारों को कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। मैं पूछना चाहूंगी कि राजस्थान की जनता की सम-

(सुश्री पुष्पा जैन)

स्याओं को कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं ? सैकड़ों की तादाद में केसेज चले जायेंगे कोर्ट के अन्दर। लोग परेशान हो जायेंगे। आज की तारीख में बताना चाहूंगी कि हजारों दलाल, जिन्होंने विज्ञापन निकाल दिया है इस विज्ञापन के निकलने के बाद लोगों की गर्दन पर चढ़ करके पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री महोदय, आप ध्यान दीजिये। राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। अगर विज्ञापन बोगस है तो आप अपने जवाब में स्पष्ट करिये। इस समय मैं इस पर विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहती। वास्तव में राजस्थान सरकार के द्वारा यह विज्ञापन निकाला गया है तो यह संजीदा सवाल है, अहम् सवाल है। जैसा मैंने पहले कहा है, इस पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है। वह आयेगा तब इस पर विस्तृत चर्चा करूंगी।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि कृषि और किसानों पर जो टैक्स लगाया है उस पर गंभीरता से विचार करना होगा। आपने इम बढ़े हुए टैक्स को नहीं हटाया, वापस नहीं लिया तो निश्चित रूप से कह सकती हूं कि बहुत बड़ा, व्यापक रूप से राजस्थान में आन्दोलन होगा उसका मुकाबला नहीं कर पायेंगे; उसके दुष्कर परिणाम होंगे जो आपको भोगने पड़ेंगे।

आपने समय दिया, उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये मैं आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री राज बहादुर।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, काफी चर्चा बजट पर हुई है। मैं समझता हूं कि कोई बहस बजट की ऐसी नहीं रही जिस पर प्रकाश न डाला गया हो। बजट की तीखी आलोचना हुई तो एक-दो सदस्यों ने समर्थन भी किया है। मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता। मैं समझता हूं कि बजट किसी भी प्रदेश व देश का हो, उसकी जनता की आशा, आकांक्षाओं का प्रतीक होना चाहिये, प्रतिबिम्ब होना चाहिये। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वित्त मंत्री जी मेरे मित्र हैं, स्नेही हैं, उनसे ही मैं पूछना चाहूंगा. क्या सचमुच जनता की. किसानों की, मजदूरों की, कर्मचारियों की, उद्योग पतियों की आशा-आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब है....

श्री चन्दनमल बैद : बिलकुल।

श्री राजबहादुर : आपका जवाब आपको मुबारक, लेकिन आपका दिल, मेरी राय में ऐसा नहीं है। इस प्रकार से मुझे तो यह मालूम पड़ा कि शायद वे कुछ कनफ्यूज्ड हैं। यह बजट देखकर पता नहीं लगता है कि आपकी व्यूह रचना क्या है....

सदन की अवमानना श्रीमती शांति देवी व श्रीमती मोहन कंवर द्वारा सदन की अवमानना

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं दो मिनट बोल लूं ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन की बैठक के दौरान दो महिलाओं ने दर्शक दीर्घा से नारे लगाये और जो पर्चेबाजी की....

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि आज दिनांक 11 मार्च, 1982 को मध्यान्ह 12.30 बजे दर्शक-दीर्घा से दो महिलाओं, जो अपना नाम श्रीमती शांति देवी पत्नी श्री कन्हैया लाल, जाति जांगिड ब्राह्मण, आयु 35 वर्ष निवासी व्यास कालोनी, नाहरी का नाका, जयपुर एवं श्रीमती मोहन कंवर पत्नी श्री मनोज कुमार, जाति हरियाणा ब्राह्मण, आयु 35 वर्ष, निवासी म० नं० 4125, बन्धा बस्ती, नाहरी का नाका, जयपुर बताती हैं, ने दर्शक-दीर्घा में खड़े होकर नारे लगाये—

"माता बहिनें करें पुकार दारू बन्द करे सरकार।"

और तत्पश्चात सदन में "मतदाता का राज्य विधान सभा से आग्रह" आदि पर्चे सदन में गिराये।

उक्त दोनों महिलाओं द्वारा सदन की कार्यवाही में बाधा डालकर सदन का अपमान करने पर इन्हें महिला सुरक्षा प्रहरियों द्वारा तुरन्त ही हिराजत में ले लिया गया।

मैंने उक्त दोनों महिलाओं को अपने चैंबर में बुलाकर उनसे जानकारी प्राप्त की उन दोनों द्वारा नारे लगाकर सदन में पर्चे फेंकना स्वीकार किया गया। किन्तु दोनो महिलायें अपने इस कृत्य के लिये क्षमा याचना नहीं करना चाहती हैं।

अतः सदन के समक्ष मैं यह प्रश्न प्रस्तुत करता हूं कि श्रीमती शांति देवी पत्नी कन्हैयालाल एवं श्रीमती मोहन कंवर पत्नी मनोजकुमार द्वारा सदन की कार्यवाही में बाधा डालकर उसकी अवमानना करने के संबंध में सदन उचित निर्णय करे।

अब आप प्रस्ताव करेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन की बैठक के दौरान जिन दो महिलाओं ने दर्शक दीर्घा से नारे लगाये और पर्चे फैंके और जो अपना नाम क्रमशः शांति देवी और मोहन कंवर बताती हैं, उन्हें आज सदन की बैठक उठने तक की सजा दी जाय।

एक माननीय सदस्य : कम रही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके ऊपर है। आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : दो दिन की सजा दी जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा(जयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलने का अवसर चाहती हूं।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उन्होंने निश्चित रूप से बाधा डाली है क्योंकि एक सामाजिक व्यवस्था जो पूर्व में चल रही थी वर्तमान की सरकार ने उसको बदल करके शराब चालू कर दी है। यह वर्तमान घटना इसलिये उत्पन्न हुई क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि बस्तियों के बीच में ठेके खुल गये हैं और अगर जनता नहीं चाहती है तो ठेके हटा दिये जायेंगे। 30 नवम्बर की रात को ब्रह्मपुरी में कुछ गिरफ्तारियां हुई थीं। आन्दोलन

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

चल रहा है और यह लोग बोले, जैसा उन्होंने....

श्री उपाध्यक्ष : सवाल यह है कि मान-हानि हुई या नहीं हुई ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : निश्चित रूप से हुई है। मैं आप से यह कहना चाहूंगी कि आप इनको माफ करने की कृपा करें । इन्होंने भावनात्मक रूप से ये विचार प्रकट किये हैं। मैं कहना चाहूंगी कि छोड़ने की कृपा करें।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित बात है कि जिन माननीय महिलाओं ने यहां पर सदन की कार्यवाही में बाधा डाली है वे सदन की कार्यवाही में बाधा डालने की दोषी अवश्य हैं लेकिन इसे इस परिप्रेक्ष्य में देखना है कि उन्होंने जिन कारणों से नारे लगाये, वह उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है? या हो सकता है कि वे महिलाएं अपने मर्दों से पीडित होंगी, उन्होंने इस तरह का व्यवहार देखा होगा, उस लाइफ को देखने के बाद यह किया होगा। इसलिये मैं कहना चाहूंगी कि कोई कठोर कार्यवाही नहीं की जाये और उन्हें माफ कर दिया जाय ।

श्री ईश्वर लाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, उनके फार्मों पर दस्तखत किसने किये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन को बताया जाये।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : मैं यह संशोधन रखना चाहता हूं।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने किये हैं। बोलिये, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना है ? दस्तखत मैंने किये हैं।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : ये कहते हैं कि आपकी साजिश से हुआ है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सदन को जानकारी दी जाये कि उनके फार्मों पर दस्तखत किसने किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी कानून की जानकारी है, मूल बात यह है कि जो अपराध किया जाता है उसके पीछे क्या भावना है; उसका उद्देश्य देखना होगा, उसकी आपराधिक मनोवृत्ति थी या नहीं थी। सारी बातों को देखने से और हालात को देखने से स्पष्ट है कि जिन महिलाओं ने ऐसा किया है उनके दिमाग में कोई अपराध की भावना नहीं थी। वह केवल सदन का, सारी जनता का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती थीं। मेरा निवेदन है कि उनको समझा दिया जाये कि वे भविष्य में ऐसा न करें और उनको केवल वार्निंग देकर छोड़ दिया जाये।

148

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर वे क्षमा मांग लेतीं तो....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर रहा हूं, मुझे कागजों को देखने से पता चला है कि इन दोनो महिलाओं को श्रीमती उजला अरोड़ा ने पास दिलवायें हैं।

एक माननीय सदस्य : कोई जुल्म नहीं किया है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अगर इस तरह से नारेबाजी और पर्चेबाजी की गयी तो सदन की मर्यादा भंग होती है, यह मेरी बिलकुल पक्की मान्यता है। इस तरह से माफ कर दिया गया माफी न मांगने पर भी तो इसके मायने यह होंगे कि पर्चेबाजी आम हो जायेगी, माफी मांगेंगे नहीं और आप माफ करते चले जायेंगे। इसलिए मैं हाउस से निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है, माननीय खेतसिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसको मंजूर किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की कार्यवाही की समाप्ति तक उन महिलाओं को हिरासत में रखा जाये।

(व्यवधान)

एक एक आदमी बोलें।

एक माननीय सदस्य : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री राजबहादुर : जो प्रस्ताव रखा था उसमें संशोधन रखने की इच्छा थी। आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप चाहें तो दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलने को खड़े होते तो अवश्य दे देता।

श्री राजबहादुर : मैं यह कह रहा था कि that is sufficient....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह विषय समाप्त हो चुका है।

(व्यवधान)

आप नहीं बोल सकते हैं, ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 12 मार्च, 1982 के 11 बजे तक के लिए मुल्तवी की गयी।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 5 00 बजे शुक्रवार दिनांक 12 मार्च, 1982 के म.पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 18 की सूची

भाग-1 से सम्बन्धित सूची

क्र. सं.	नाम जिला	वर्ष	सीमेन्ट की प्राप्त मात्रा (टनों में)
1.	जालौर	1979-80	3596.10
		1980-81	1948.39
		1981-82	4990.00
2.	पाली	1979-80	1890.00
		1980-81	2587.00
		1981-82	3939.00
3.	जोधपुर	1979-80	15613.00
		1980-81	10698.05
		1981-82	9275.05

परिशिष्ट क

पंचायत समिति वार सीमेन्ट प्राप्ति की मात्रा

(मात्रा टनों में)

क्र. सं.	नाम जिला	नाम पंचायत समिति	वर्ष 1979-80	वर्ष 1980-81	वर्ष 1981-82
1	2	3	4	5	6
1.	जालौर	1. जालौर	1235.05	479.65	1108.00
		2. आहोर	248.70	232.80	512.00
		3. सायला	194.85	200.00	618.00
		4. भीनमाल	562.60	407.14	875.00
		5. रानीवाड़ा	386.80	186.40	718.00
		6. जसवंतपुरा	310.35	148.90	307.00
		7. सांचौर	657.75	293.50	852.00
2.	पाली	1. पाली	217	280	258
		2. रोहट	139	252	287
		3. सोजत	184	278	450
		4. मारवाड जं.	156	126	535
		5. जैतारण	228	264	383
		6. रायपुर	153	295	450
		7. बाली	246	258	407
		8. सुमेरपुर	186	187	360
		9. देसूरी	198	211	390
		10. रानी	183	236	419

1	2	3	4	5	6
3.	जोधपुर	1. फलौदी	1157.05	839.00	756.00
		2. बाप	161.15	172.10	190.00
		3. ग्रोसियां	1483.05	900.00	844.00
		4. बिलाड़ा	1701.00	450.00	412.00
		5. भोपालगढ़	776.05	375.00	412.00
		6. शेरगढ	301.00	235 00	220.00
		7. बालासर	432.10	326.00	304.00
		8. मण्डोर	803.05	225.00	178.00
		9. लूनी	803.05	225.00	250.10

(152)

परिशिष्ट 'ख'

क्रमांक	नाम जिला	नाम होलसेल विक्रेता	माह जुलाई, 81 से दिसम्बर, 81 तक प्राप्त केरोसिन की मात्रा (किलोलीटर में)
1	2	3	4
1.	पाली	1. मै. केप्टिन गुमान सिंह एण्ड सन्स	630
		2. मै. जे. एम. मोदी एण्ड सन्स	1369
		3. मै. रायपुर कोपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, रायपुर	110
		4. मै. मोती लाल मगन लाल	444
		5. मै. हरिश चन्द्र रमेश चन्द्र	276
		6. मै. पाली फिलिंगस्टेशन	167
		7. मै. जे. एम. ब्रादर्स	154
		8. मै. रमेश आटोमोबाइल्स	117
2.	जालोर	1. मै. श्यामसुन्दर प्रेम प्रकाश, जालोर	257–7
		2. मै. किशन आयल स्टोर, किशनगढ़	226
		3. मै. ज्योति ट्रेडर्स, रामसीण	227
		4. मै. सूरज आयल स्टोर, भीनमाल	150
		5. मै. मदन एण्ड कम्पनी, सांचोर	187
		6. मै. सुमेरमल चम्पा लाल, जालोर	128
		7. मै. लक्ष्मी फ्यूल सर्वीस से., आहोर	66
		8. मै. राजेन्द्र एण्ड कम्पनी, रामसीण	92
		9. मै. आशापुरी आयल सेन्टर, सायला	105
		10. मै. पी. आर. बोहरा, भीनमाल	60
		11. मै. जे. जे. स्टोर भीनमाल	69
		12. मै. शंकर आटोमोबाइल, रानीवाड़ा	85
		13. मै. राजेन्द्र एण्ड कम्पनी, भीनमाल	119
		14. मै. जगत सर्विस स्टेशन, सांचोर	45
		15. मै. मरूधर स्टोर, भीनमाल	30–6

1	2	3	4
3.	जोधपुर	1. मै. गुलाबदास आत्माराम	1614
		2. मै. जय नारायण मोदी एण्ड सन्स	1696
		3. मै. जय ट्रेडर्स एजेन्सी	208
		4. मै. मोहम्मद शफी एण्ड सन्स	164
		5. मै. चन्द्रा इन्जीनियरिंग कोपरेटिव	929
		6. मै. एस. रामरतन	539
		7. मै. प्रेम यूनिवर्सल स्टोर	756
		8. मै. तापड़िया आटो रातड़ी	96
		9. मै. सीताराम रामचन्द्र	73
		10. मै. पारख आटोमोबाइल	210
		11. मै. सेवा राम हरी राम	180
		12. मै. ज्योति ट्रेडर्स मथानियां	126

परिशिष्ट 'ग'

क्र.सं.	नाम माह	होलसेल विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को वितरण किये गये केरोसिन की मात्रा (किलो लीटर में)		
1	2	3	4	5
		जोधपुर	जालौर	पाली
1.	जुलाई, 81	1102	276-8	767
2.	अगस्त, 81	1106	284-3	637
3.	सितम्बर, 81	1012	302-2	619
4.	अक्टूबर, 81	1140	303-1	534
5.	नवम्बर, 81	1106	318-8	618
6.	दिसम्बर, 81	1221	362-1	692

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 133 की सूची

अरनोद कैम्प में विलीन अरनोद ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० के सदस्यों के ऊपर बकाया ऋण की सूची

क्रमांक	नाम समिति	सदस्य का नाम जिसमें राशि बकाया है।	1976-77 कितनी राशि बकाया है। मूल	काल	सदस्य द्वारा जमा कराई गई राशि मूल	काल	राशि जमा कराने का कारण	आप द्वारा की गई कार्यवाही	पुनः ऋण दिया गया	वर्तमान स्थिति	विशेष विवरण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अरनोद ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	श्री देवजी पिता हुरजी	44	1	44	1	अकाल एवं सदस्यों की आर्थिक स्थिति खराब होने	–	–	–	–	–
2.		श्री नन्दा पिता राम	1·60	1·60	–	–	–	–	–	160 160	160 160	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.		श्री माला पिता नन्दा	160	160	–	–	–	–	–	50	00	–
4.		श्री हीरालाल पिता बरदाजी	160	88	144.50	88	–	117–118 कार्यवाही जारी	–	845.50	14	–
5.		श्री हीरा पिता रामाजी	80	–	80	–	–	–	–	80	6	–
6.		श्री बागसिंह पिता सज्जनसिंह	491.19, 3	491.19,	–	3	–	–	1000	1000	542	–
7.		श्री चुन्नीलाल पिता भेराजी	80	80	–	–	–	–	–	80	80	–
8.		श्री शेरसिंह पिता सज्जनसिंह	800	84	–	–	117–118 की कार्य का		–	800	666	–
9.		श्री नानूराम पिता भूराजी	160	160	–	–	–	160	–	160	160	–
10		श्री गोरधन पिता नारायण	361	5 361	5	–	–	–	160	–	–	–
11.		श्री रखबदास पिता किशन जी	266	4	–	–	–	–	–	266	4	–
12.		श्री मूलखां पिता सरफराजखां	240	240	–	–	–	–	266	240	240	–
13.		श्री किशनलाल पिता मुतरालाल	160	30	160	30	–	–	–	–	–	–
14.	भरनोद	श्री करीम पि. मनीर खां	131	21	131	21	–	–	80	80	36	–
15.		श्री पाल चन्द पि. रामाजी	80	56	80	56	–	–	478	478	312	–
16.		श्री नानालाल पि. लालजी	80	15	–	–	–	–	–	80	56	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.		श्री बसन्तकुमार पि. ऊकारलाल	800	288	–	–	–	117 की कार्यवाही		800	336	–
18.		श्री भगवतीलाल पि. बसन्तलाल	202	–	202	–	–	–	–	–	–	–
19.		श्री मंगलप्रसाद पि. गौतिमलाल	630	118	–	–	–	117 की कार्यवाही		630	585	–
20.		श्री सालगराम पि. हीराजी	160	160	–	–	–	–	–	160	160	–
21.		श्री केशुराम पि. नाथुजी	80	15	80	15	–	–	–	–	–	–
22.		श्री मांग पि. गौतम	200	4	200	4	–	–	400	400	72	–
23.		श्री उदयसिंह पि. नाहरसिंह	269	2	269	2	–	–	1400	1400	694	–
24.		श्री भैरू पि. हीरजी	1280	100	1280	100	–	–	886-16	886-16	56	–
25.		श्री चम्पालाल पि भेरूलाल	700	110	700	110	–	–	567	567	96	–
26.		श्री रमेशचन्द्र पि. गिरधारी	307	11	–	–	–	–	–	307	237	–
27.		श्री कचरू पि. रतन जी	700	114	700	114	–	–	700	700	486	–
28.		श्री बद्रीलाल पि. भेरा	560	41	–	–	–	–	–	459	500	–
29.		श्री चम्पालाल पि. नंदलाल	115	8	–	–	–	–	–	115	64	–
30.	ग्राम सेवा सहकारी समित	श्री रतनलाल पि. ऊंकार	46	2	46	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31.		श्री रामचन्द्र पि. भेरा	116	–	116	–	–	–	959	959	185	–
32.		श्री कचरू पि. मोती	80	14	80	14	–	–	–	–	–	–
33.		श्री प्यारचन्द पि कालुजी	320	165	–	–	–	–	–	320	320	–
34.		श्री कन्हैयालाल पि. पूनाजी	400	40	–	–	–	–	–	400	334	–
35.		श्री रतनलाल पि. सूवाजी	800	228	–	–	–	117-118 की कार्यवाही	–	800	110	–
36.		श्री चुन्नीलाल पि. भुवानरी	150	4	150	4	–	–	320	320	160	–
37.		श्री प्रभुलाल पि. किशनरी	80	15	80	15	–	–	–	–	–	–
38.		श्री बगदीराम पि. केशुराम	80	57	–	–	–	–	–	80	80	–
39.		श्री शबीर ग्रहमद पि. सुलतान	400	70	–	–	–	–	–	400	370	–
40.		श्री नाथू पि. परथारी	80	3	80	3	–	–	–	–	–	–
41.		श्री रामलाल पि पूनमचन्द	69	95	–	–	–	–	–	640	560	–
42.		श्री हरिराम पि. कारूदी	116	1	116	1	–	–	–	–	–	–
43.		श्री मांगीलाल पि. पूनाजी	209	24	9	–	–	–	–	200	200	–
44.	ग्ररनोद	श्री सजनसिंह पि. हरिसिंह	1000	146	808	–	–	117-118 की कार्यवाही	–	192	36	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45.		श्री हरिराम पि. नाथजी	22-50	12	22·50	12	–	–	–	–	–	–
46.		श्री नन्दराम पि. भैराजी	440	51	–	–	–	–	–	440	440	–
47.		श्री मुकनसिंह पि. पर्वतसिंह	80	11	–	–	–	–	–	80	80	–
48.		श्री नाथूसिंह पि. सज्जनसिंह	225	1	225	1	–	–	–	–	–	–
49.		श्री नन्दलाल पि. पुरूषोत्तम	80	80	–	–	–	–	–	80	80	–
50.		श्री रामीबाई पि. भेराजी	140	32	–	–	–	–	–	140	140	–
51.		श्री नाथू पि. दल्ला	116	1	116	1	–	–	838	838	26	–
52.		श्री शबीर मोहम्मद पि. सुल्तान	240	45	–	–	–	–	–	240	240	–
53.		श्री घोशमहमद पि. पीरमहमद	371	2	371	2	–	–	–	–	–	–
54.		श्री रामचन्द्र पि. लच्छीराम	400	72	400	72	–	–	–	197	18	–
55.		श्री केशुराम पि. आशाराम	80	24	80	24	–	–	–	–	–	–
56.		श्री वरदा पि. डूंगाजी	86	1	86	1	–	–	788	788	12	–
57.		श्री लालजी पि. नन्दाजी	1286	45	1286	45	–	–	–	–	–	–
58.		श्री भैरूलाल पि. जसराजी	109	1	109	1	–	–	–	–	–	–
59.		श्री शफीमोहम्मद पि. शेरमहमद	80	13	–	–	–	–	–	80	50	–
60.		श्री मगाराम पि. कारूजी	254	16	254	16	–	–	381	381	144	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61.		श्री ताजमहमद पि. पीरमहमद	800	149	–	–	–	–	–	800	800	–
62.		श्री वृद्धिचन्द पि. दल्लाराम	697	4	697	4	–	–	1892	1892/96	348	–
63.		श्री गंगाराम पि. वगदीराम	320	33	23	–	–	–	–	297	220	–
64.		श्री रामलाल पि. भैरूलाल	400	72	–	–	–	–	–	400	124	–
65.		श्री मोदन पि. नन्दाजी	80	9	–	–	–	–	–	80	80	–
66.		श्री फुलीया पि. सवा	80	4	80	4	–	–	–	80	28	–
67.		श्री अब्दुलसजीद पि. अजीमखां	576	3	576	3	–	–	5200	5057	800	–
68.		श्री अनवरखां पि. शमजान	880	61	880	61	–	–	–	–	–	–
69.		श्री मांगीलाल पि. मोणुजी	240	17	240	17	–	–	–	561	100	–
70.		श्री शान्तिलाल पि. रखबचन्द	880	60	880	60	–	–	–	1469	400	–
71.		श्री शमशेर खाँ पि. सेर अली	232	1	232	1	–	–	–	1282	155	–
72.		श्री ताजमहमद	80	5	80	5	–	–	–	–	–	–
73.		श्री गुलामखां पि फतेखां	245	45	245	45	–	–	–	–	–	–
74.		श्रीमती कमलादेवी पि. विसलचन्द	320	29	–	–	–	–	–	320	45	–
75	अरनोद	श्री नुरगुलखांन नजीरखां	800	72	300	–	–	–	–	500	335	–
76.		श्री कारूलाल पि. लखमीचन्द	172	1	172	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77.	अरनोद	श्री रामचन्द्र पि. कनीराम	415	6	–	–	–	–	–	415	350	–
78.		श्री उंकालाल पि. गमेराजी	80	15	80	15	–	–	900	900	498	–
79,		श्री किशन पि. देवा	80	80	–	–	–	–	–	80	80	–
80.		श्री झमकलाल पि. हमेरा	115	–	115	–	–	–	–	–	–	–
81.		श्री देवा पि. कचरीया	80	19	80	19	–	–	80	80	50	–
82.		श्री पीरखां पि. फतेखां	61	5	61	65	–	–	–	61	34	–
83.		श्री हीरा पि. मोती	160	43	160	43	–	–	–	–	–	–
84.		श्री नानूराम पि. प्रताप	116	10	116	10	–	–	800	800	438	–
85.		श्री नानूराम पि. ऊंकार	200	27	200	27	–	–	90	90	20	–
86.		श्रीसीता पि. सवा	80	13	80	5	–	–	–	80	70	–
87.		श्री नवलाजी पि. देवा	160	21	–	–	–	–	–	160	15	–
88.		श्री वगदीराम पि. किशन	340	46	124	–	–	–	–	216	150	–
89.		श्री गबुर पि. अमरा	49	–	149	–	–	–	320	320	119	–
90.		काना पि. भागचन्द	232	1	232	1	–	–	–	618	315	–
91.		श्री पूनमचन्द पि. देवा	240	33	240	33	–	–	521	521	50	–
92.		श्री नन्दा पि. नाथूजी	160	41	–	–	–	–	–	160	160	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93.		श्री नाथूराम पि. कानाजी	260	12	–	–	–	–	–	160	160	–
94.		श्री हीरा पि. वजा	8	–	8	–	–	–	400	400	12	–
95.		श्री पेमा पि. नाथूजी	80	44	–	–	–	–	–	80	80	–
96.		श्री कबरू पि. दिरा	800	240	–	–	117–118	–	–	800	800	–
97.		श्री मोदन पि. शवाजी	202	1	202	1	–	–	–	–	–	–
98.		श्री भैरा पि. गोबरा	160	24	160	24	–	–	1049	1049	118	–
99.		श्री कनीराम पि. देवाजी	360	48	–	–	–	–	300	360	360	–
100.		श्री भैरू पि. घुरा	320	36	20	–	–	–	–	300	240	–
101.		श्री भैरू पि. हीराजी	160	21	120	–	–	–	–	40	6	–
102.		श्री धारू पि. पेमाजी	70	5	–	–	–	–	–	80	80	–
103.		श्री तुलसीराम पि. केशुराम	640	54	640	54	–	–	–	379	150	–
		योग:—	30331.69	4759.00	15461.19	1185.00			20129.16	38316.62	17527.00	—

अचलपुर लेम्पस में विलीन खेरोट ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्यों की ओर बकाया ऋण की सूची

क्र. सं.	समिति का नाम	सदस्य का नाम जिसमें राशि बकाया है	कितनी राशि		सदस्यों द्वारा जमा कराई गई राशि		राशि जमा न कराने का कारण	आप द्वारा की गई कार्यवाही	वितरण	वर्तमान स्थिति	
			मूल	ब्याज	मूल	ब्याज				मूल	ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	खेरोट ग्राम सेवा सह. समिति लि.	श्री रूगनाथमोती चमार	240.00	39.60	–	–	–	–	–	240.00	200.00
2.		,, पूनमचन्द गमेरा	1100.00	175.50	–	–	–	117-118 की कार्यवाही	–	1100.00	110.00
3.		,, भाणा केसूराम्	280.00	30.60	230.00	39.60	–	–	240.00	240.00	75.00
4.		,, भेरा किसन	160.00	107.80	160.00	107.80	–	–	100.00	92.00	18.00

163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	खेरोट ग्रा. से.	श्री भेरालाला	72.50	24.50	–	–	–	–	–	72.50	72.50
6.	स. स. लि.	,, शिवनारायण सुखवाल	2360.00	414.00	–	–	–	117-118 की कार्यवाही	–	2360.00	414.00
7.		,, गोतम धमा	40.30	40.30	–	–	–	–	–	40.30	40.30
8.		,, नवल रघुनाथ	6.75	6.75	–	–	–	–	–	6.75	6.75
9.		,, कवरा नवलराम	80.00	80.00	80.00	50.00	–	–	400.00	400.00	–
10.		,, रतनलाल दुदाजी	466.00	466.00	466.00	466.00	–	–	614.00	614.00	36.00
11.		,, निर्भयराम मोतीजी	32.00	13.00	32.00	13.00	–	–	–	–	–
12.		,, वृजलाल रिखबदास जैन	800.00	288.00	800.00	233.00	–	–	–	–	–
13.		,, उम्मेदगिरी शंकरगिरी	585.00	416.00	585.00	416.00	–	–	1200.00	1200.00	–
14.		,, भेरूरामा कलाल	80.00	80.00	–	–	–	–	–	80.00	80.00
15.		,, कैलाशगिरी गमेरगिरी	620.00	620.00	–	–	–	–	–	620.00	620.00
16.		,, चुन्नीलाल नानूराम	140.00	26.00	140.00	26.00	–	–	382.00	882.00	66.00
17.		,, उदा प्रथा	80.00	97.60	80.00	97.60	–	–	160.00	160.00	33.60
18.		,, चम्पालाल जगन्नाथ	1200.00	287.60	1237 60	260.00	–	–	–	1000.00	530.00
19.		,, चतुर्भुज नंदा	305.00	305.00	–	–	–	–	–	305 00	305.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	खेरोट ग्रा. से.	श्री देवीसिह किशनसिह	200.00	182.00	–	–	–	–	3405.00	3405.00	1352.00
21,	स. स. लि.	,, रामा नवला	297.00	35.00	–	–	–	–	–	297.00	35.50
22.		,, हीरालाल गमेरा	80.00	57.60	–	–	–	–	–	80.00	57.60
23.		शंकरलाल चम्पालाल	742.00	57.50	–	–	–	–	–	742.00	57.50
24.		,, गुलाब रेवा	107.00	35.00	107.50	35.00	–	–	282.00	282.00	50.00
25.		,, आशाराम दोला	500.00	150.00	500.00	150 00	–	–	–	–	–
26.		,, सुखलाल डुंगाराम	996.00	179.00	–	–	–	–	–	998.00	279.00
27.		,, मन्नालाल बंशीराम	222.00	120.00	–	–	–	–	–	222.00	222.00
28.		,, मोडा माग्या	460.00	29.60	–	–	–	–	–	160.00	129.60
29.		,, मांगीलाल मुमालमार	42.00	42.00	–	–	–	–	–	42.00	42.00
										180.00	60.00
30.		,, उदा दयाराम	520.00	70.80	520.00	70.80	–	–	900.00	845.00	135.00
31.		,, भगवतीलाल रंगलाल	107.00	107.00	–	–	–	–	–	–	–
32.		,, अर्जुनसिह भैरासिह	80.00	42.80	80.00	42.80	–	–	160.00	160.00	52.00
33.		,, हरीराम किशन	43.60	38.20	–	–	–	–	–	43.60	38.60
34.		,, भगनीराम प्यारजी	80.00	43.40	80.00	43.40	–	–	–	–	–
35.		,, मोतीलाल चुन्नीलाल	582.00	702.00	500.00	702.00	–	–	2400.00	2324.00	1134.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.	खेरोट ग्रा. से.	श्री नानूराम कुम्हार	1000.00	166.00	1000.00	166.00	–	–	2000.00	1969.00	414.00
37.	स. स. लि.	,, गोरीराम ,,	1018.00	120.00	198.00	120.00	–	–	618.00	618.00	108.00
38.		,, नाराहेपात्री	732.00	282.00	–	–	–	117-118 की कार्यवाही	–	732.00	396.00
39.		,, प्रभाशंकर दुर्गाशंकर	80.00	80.00	–	–	–	–	–	80.00	80.00
40.		,, ऊंकारसिह	232.00	47.00	–	–	–	–	–	232.00	232.00
41.		,, लक्ष्मण घन्ना	1149.00	209.00	–	–	–	117-118 की कार्यवाही	–	1140.00	1140.00
42.		,, आशाकाना	160.00	115.00	160.00	115.00	–	–	–	300 00	–
43.		,, नधीराम काना	800.00	132.00	–	–	–	–	300.00	800.00	600.00
44.		,, हामजी भातीज	244.00	244.00	–	–	–	117-118 की कार्यवाही	–	244.00	240.00
45.		,, भराम प्यारा	160.00	53.20	–	–	–	–	–	160.00	160.00
46.		,, नारत्री नानजी									
47.		,, अर्जुन कमला	480.00	79.00	–	–	–	–	–	480.00	480.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.	खैरोट ग्रा. से.	श्री अमरा गहरीया	240.00	39.60	240.00	39.00	–	–	400.00	400.00	158.00
49.	स. स. लि.	,, कपरीया माहरिया	202.00	201.00	–	–	–	–	–	202.00	202.00
50.		,, मोगजी केरीगजी	62.00	62.00	–	–	–	–	–	62.00	62.00
51.		,, शंभू हरिया	160.00	115.00	160.00	115.00	–	–	480.00	480.00	158.00
52.		,, मंगलिया उदा	560.00	82.00	–	–	–	–	–	560.00	82.00
53.		,, काऊ नानजी	100.00	100.00	–	–	–	–	–	100.00	100.00
54.		,, नंदा हेमरा	160.00	55.00	160.00	160.55	–	–	400.00	400.00	–
55.		,, लाला गोतम	110.00	60.00	160.00	60.00	–	–	270.00	270.00	136.00
56.		,, खानिया उसला	65.00	65.00	65.00	65.00	–	–	–	–	–
57.		,, अमरा देवा	137.00	75.00	–	–	–	–	–	137.00	137.00
58.		,, जीवा मन्ना	261.00	261.00	261.00	261.00	–	–	–	–	–
59.		,, नानजी हरिया	160.00	28.00	160.00	28.00	–	–	–	320.00	105.00
60.		,, मन्ना हरिया मीणा	179.00	17.20	–	–	–	–	–	179.00	179.00
61.		,, नानजी वंसा	320.00	320.00	320.00	320.00	–	–	300.00	300.00	–
62.		,, जीवा आसा	320.00	44.00	–	–	–	–	–	320.00	320.00
63.		,, रूपा हीरा	160.00	26.40	–	–	–	–	–	160.00	160.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.	खेगोर ग्रा.	श्री बलिया धुला	160.00	86.40	–	–	–	–	–	160.00	160.00
65.	से. स. स. लि.	,, नाथू अवला	150.00	78.00	–	–	–	–	–	150.00	150.00
56.		,, काना भैरू	124.00	124.00	–	–	–	–	–	124.00	124 00
67.		,, गोतम लच्छा	56.00	23.00	56.00	23.00	–	–	320.00	320.00	320.00
68.		,, पुना भाणा	80.00	28.00	–	–	–	–	–	80.00	80.00
69.		,, उकार वजीरा	410.00	82.50	410.00	82.50	–	–	80.00	80.00	14.00
70.		,, शंभूड़ा वजीगा	160.00	26.40	160.00	26.40	–	–	1100.00	894.00	137.00
71.		,, नाथू नान जी	1120.00	588.20	1120.00	588.20	–	–	500.00	500.00	7.50
72.		,, रतना गुमान	150.00	78.00	150.00	78,00	–	–	160.00	160.00	58.00
73.		,, धरजी बीमा	1120.00	404.00	1120.00	404.00	–	–	–	–	–
74.		,, लालजी नानजी	320.00	320.00	320.00	320.00	–	–	2010.00	2010 00	5.00
75.		,, काऊ देवाजी	400.00	66.00	400.00	66.00	–	–	320.00	320.00	58.60
76.		,, अर्जुनसिंह बाबूसिंह	80.00	80.00	–	–	–	–	–	80.00	80.00
77.		,, नंदा भैरा	250.00	78.00	–	–	–	–	–	250.00	250.00
78.		,, हीरा खेमा	76.00	38.68	76.00	38.68	–	–	–	1002.00	270.00
79.		,, नागजी खेमा	322.00	255.00	322.00	255.00	–	–	900.00	856.00	175.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.	खेरोट ग्रा.से.स.	श्री गब्बा देवा	240.00	129.80	–	–	–	–	–	240.00	240.00
81.	स. लि.	,, मोहन चम्पा	1100.00 6700.00	330.00	–	–	–	–	–	7000.00	7000.00
82.		,, रामा नाथू	80.00	80.00	–	–	–	–	–	80.00	80.00
83.		,, बगदीराम हंसा	85.00	8.70	85.70	8.70	–	–	200.00	200.00	200.00
84.		,, रामचन्द्र दयाराम	80.00	14.40	80.00	14.00	–	–	240.00	240.00	78.00
85.		,, काऊ मनजी	160.00	160.00	160.00	160.00	–	–	–	–	–
86.		,, रमाराम रघुनाथ	498.50	79.00	498.50	79.20	–	–	–	–	–
87.		,, मोहन मनाजी	180.00	180.00	180.00	180.00	–	–	600.00	600.00	–
88.		,, गंगाराम बन्ना	80.00	57.60	–	–	–	–	–	80.00	80.00
89.		,, वरदा ऊंकार	1860.00	360.00	1860.00	360.00	–	–	320.00	247.00	4.50
90.		,, कमजी खुशाल	1000.00	345.00	1000.00	345.00	–	–	–	–	–
91.		,, धन्ना हंसा	535.00	535.00	535.00	535.00	–	–	–	–	–
92.		,, खेमा नानजी	1000.00	165.00	1000.00	165.00	–	–	–	–	–
93.		,, रतना खुशाल	740.00	740.00	740.00	740.00	–	–	1000.00	1000.00	318.00
94.		,, भ्रमरा धारजी	1010.00	1010.00	1010.00	1010.00	–	–	1900.00	1900.00	399.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95.	खेसोट ग्रा.से.स.	श्री जवारसिंह रघुनाथ	240.00	86.40	–	–	–	धारा 117-118	–	240.00	240.00
96.	स. लि.	,, मानीग मनजी	100.00	70.60	100.00	70.50	–	– जारी	200	200.00	00.20
97.		,, दुर्गाशंकर हरिशंकर	800.00	800.00	–	–	–	कुर्की वारन्ट	–	810.00	800.00
98.		,, मूलचन्द किशन लाल	3500.00	577.50	–	–	–	कुर्की वारन्ट जारी	–	3500 00	3500.00
99.		,, अमरसिंह सामन्त	3000.00	465.00	–	–	–	,, ,,	–	3000.00	3000.00
100.		,, नानुराम ऊंकार	160.00	160.00	–	–	–		–	160.00	160.00
101.		,, भेरू गुलाब	560.00	92.40	560.00	92.40			560.00	536.00	105.00
102.		,, सज्जन सिंह गमेर	720.00	720.00			117-118 की कार्यवाही			720.00	720.00
103.		,, मोहन सिंह राम	240.00	39.60	–	–	–	–	–	240.00	240.00
104.		,, प्रभुलाल नानूराम	4,156.00	680.00	4156.00	680.00	–	–	–	–	–
105.		,, प्रथा हेमा	160.00	59.00	–	–	–	–	–	160.00	160.00
106.		,, मावला कपरिया	160.00	28.80	–	–	–	–	–	160.00	160.00
107.		,, सुन्दर लाल गोमा	240.00	86.40	–	–	–	–		240.00	240.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108.	खेरोट ग्रा.से.स.	श्री मोहन कारू	700.00	96.60	–	–	117-118 की कार्यवाही			700.00	700.00
109.	स. लि.	,, देवा नानजी	160.00	50.00	–	–	–	–	–	160.00	160.00
110.		,, रतना पेमा	160.00	160.00	–	–	–	–	–	160.00	160.00
111.		,, बज्जा हाम जी	160.00	–	–	–	–	–	–	160.00	160.00
112.		,, चोखा हामजी	400.00	81.00	–	–	–	–	–	400.00	400.00
113.		,, तखता हसया	1893.85	737.68	–	–	–	117-118 की कार्यवाही	–	1893.85	1893.80
114.		,, रूपा देवा	1000.00	345.00	1000.00	345.00	–	–	1560.00	1504.00	183.00
115.		,, रतन देवा	560.00	201.60	560.00	20.60	–	–	–	–	–
116.		,, प्रथा जमना	1960.00	895.80	–	–	–	117-118 की कार्यवाही	–	1960.00	1960.00
117.		,, रखब दास सुखलाल	1200.00	198.00	1200.00	198.00	–	–	–	–	–
118.		,, कालू दलपत सिंह	600.00	99.00	–	–	–	–	–	600.00	600.00
119.		,, मनोहरलाल किशन	5000.00	765.00	–	–	–	117-118 की कार्यवाही	–	5000.00	5000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	12
120.	खेरोट ग्रा.से.स.	श्री बगदीराम उपराजी	622.70	372.00	622.70	372.00	–	–	900.00	608.00	–
121.	स. लि.	,, गागलातखता	1000.00	480.00	1000.00	480.00	–	–	–	–	–
122.		,, मुकट लाल बगदीरा	2600.00	286.00	–	–	–	–	–	260.00	260.00
123.		,, दला गुवाना	656.00	241.00	656.00	241.00	–	–	920.00	920.00	196.00
124.		,, लखमा गौतम	400.00	210.00	400.00	210.00	–	–	–	–	–
125.		,, भैरूलाल प्यारचन्द	800.00	132.00	800.00	132.00	–	–	1300.00	1280.00	422.00
126.		,, बालूराम शोभाराम	41.33	41.33	41.33	41.43	–	–	960.00	960.00	–
127.		,, भवना कपरा	200.00	82.00	200.00	82.00	–	–	–	–	–
128.		,, बाला माना	358.00	204.00	358.00	204.00	–	–	800.00	725.00	–
129.		,, गुलाब दुधा	320.00	168.00	320.00	168.00	–	–	1050.00	1002.00	16.00
130.		,, पुना चतुर्भुज	300.00	204.00	–	–	–	–	–	320.00	320.00
131.		,, लक्ष्मी नन्दा	498.00	284.00	–	–	117-118 की कार्यवाही		–	98.00	98.00
132.		,, चम्पालाल रिखब	1860.00	253.00	1860.00	253.00	–	–	5000.00	4236.00	95.00
133.		,, कचरू लाला	1050.00	179.00	–	–	–	–	–	1050.00	1050.00
134.		,, देवा माना	800.00	132.00	–	–	117-118 की कार्यवाही		–	800.00	800.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135.	खेरोट ग्रा.	श्री अम्बालाल चम्पालाल	1600.00	204.00	–	–	–	–	–	125.00	125.00
136.	से. स. स. लि.	,, नानगिया हीरालाल	400.00	86.00	400.00	86.00	–	–	1000.00	894.00	137.00
137.		,, भागीरथ केशुराम	440.00	58.50	–	–	–	–	–	440.00	440.00
138.		,, रतनलाल गुमानजी	160.00	26.00	160.00	26.00	–	–	–	200.00	13.00
139.		,, रामा गुमानजी	80 00	13.00	80.00	13.20	–	–	–	227.00	28.00
140.		,, भरतसिंह सांमत	300.00	310.00	1600.00	771.00	–	117-118 की कार्यवाही		1400.00	771.00
141.		,, राम भेरा	240.00	96.00	240.00	96.00	–	–	240.00	240.00	123.00
142.		,, देवा गोबरा	160.00	26.60	160.00	26.00	–	–	–	–	–
143.		,, कानिया देवा	560.00	62.40	160.00	26.00	–	–	–	560.00	560.00
144.		,, बद्रीलाल चम्पा	160.00	26.40	160.00	26.40	–	–	80.00	80.00	17.00
145.		,, कपयरा हेमरा	229.00	229.00	–	–	–	–	–	229.00	229.00
146.		,, रामकिशन रघुनाथ	500.00	82.00	–	–	–	117,118 की कार्यवाही	–	500.00	500.00
147.		,, रूपा आशा	320.00	52.00	–	–	–	–	–	320.00	320.00
148.		,, पुना लाला	480.00	69.80	–	–	–	117,118 की कार्यवाही	–	480.00	480.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149.	खेरोट ग्रा.	श्री हीरालाल लक्ष्मण	1800.00	237.00	1800.00	237.00	–	–	400.00	324.00	–
150.	से. स. स. लि.	,, रामचन्द्र तोराराम	160.00	26.60	160.00	26.00	–	–	–	–	–
151.		,, प्रथा मुवाना	400.00	210.00	400.00	210.00	–	–	–	–	–
152.		,, मनसिहजी गमेरगिरी	400.00	42.00	–	–	–	117,118 की कार्यवाही	–	400.00	400.00
153.		,, भेरा नाना	126.00	87.65	126.00	87.65	–	–	–	–	–
154.		,, मगनलाल दुदाचंद	126.00	87.65	–	–	–	–	–	126.00	126.00
155.		,, सुरजसिंह गमेरसिंह	223.00	78.46	–	–	–	–	–	223.00	223.00
156.		,, गोपालसिंह भेरुसिंह	1100.00	181.50	1100.00	181.50	–	–	–	–	–
157.		,, पुसा वेस्ता	52.00	34.86	–	–	–	–	–	52.00	52.00
158.		,, लच्छीराम हेमा	169.00	169.00	–	–	–	–	–	169.00	169.00
159.		,, देवा लाला	63.45	43.40	63.00	45.40	–	–	–	–	–
160.		,, माना मुवाना	85.00	67 64	85.00	67.64	–	–	–	–	–
161.		,, धर्मा कालु	21.00	21,00	–	–	–	–	–	21.00	21.00
162.		,, कमजी गोमला	21.00	12.75	–	–	–	–	–	21.00	21.00
163.		,, गिरधारी कालु	63.00	45.40	–	–	–	–	–	63.00	63.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164.	खेरोट ग्रा. से. स. स. लि.	श्री नरेन्द्रमोहन ऊकार	1280.00	181.60	–	–	–	117,118 की कार्यवाही	–	1280.00	1280.00
165.		,, वागसा नंदा	42.00	25.56	42.00	25.56	–	–	700.00	663.00	200.00
166.		,, श्राशिया लाला	29.00	16.00	–	–	–	–	–	29.00	29.00
167.		,, शम्भु माधु	1500.00	412.50	1500.00	412.50	–	–	–	–	–
168.		,, किशन हंसा	80.00	40.70	–	–	–	–	–	–	–
169.		,, हमेरसिह मुवानसिह	600.00	99.00	–	–	–	117,118 की कार्यवाही	–	600.00	600.00
170.		,, भागीरथ गब्बा	160.00	86.40	160.00	86.40	–	–	500.00	486.00	500.00
171.		,, लखमा गोतमा	400.00	216.00	400.00	216.00	–	–	–	–	–
172.		,, लखमा मेघा	80.50	60.00	80.00	60.00	–	–	400.00	400.00	–
173.		,, मोतीलाल चुनीलाल	63.00	47.40	–	–	–	–	–	63.00	63.00
174.		,, जवाला पारा	1040.00	374.20	1040.00	374.20	–	–	600.00	582.00	104.00
175.		,, नाराजी कुशाल	1000.00	345.00	1000.00	345.00	–	–	–	–	–
176.		,, नगजी प्यारा	1000.00	345 00	1000.00	345.00	–	–	580.00	580.00	104.00
177.		,, नारजी ऊदा	1000.00	345.00	1000.00	345.00	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178.	खेरोट ग्रा. से. स. स. लि.	श्री देवलाल नन्दा	1000.00	142.50	–	–	–	117.118 की कार्यवाही	–	1000.00	1000.00
179.		,, खैमानानाजी	700.00	331.50	–	–	–	–	–	700,00	700.00
180.		,, बसंतलाल रामलाल	44000.00	525.00	–	–	–	निलामी की कार्यवाही	–	44000.00	30000.00
181.		,, मनालाल मोडा	20.00	56.00	200.00	56.00	–	–	–	–	–
182.		,, मांगीलाल भैरूलाल	600.00	84.00	600.00	84.00	–	–	1914.00	1914.00	242 00
183.		,, भैरूलाल गुलाब	396.00	84.50	396.00	84.50	–	–	712,00	712.00	159.00
184.		,, रतना नन्दा	400.00	66.00	400.00	66.00	–	–	658.00	658.00	81.00
185.		,, हीरा लखना	160.00	46.40	160.00	46.40	–	–	400.00	400.00	400.00
186.		,, भवानी शंकर अम्बा	1185.60	186.70	–	–	–	117.118 की कार्य0ाही	–	1185.60	1185.60
187.		,, प्रभूलाल कालूजी	80.00	13.20	80.00	13.20	–	–	–	–	–
188.		,, शंकर दुधाजी	407.00	52.30	407.00	52.30	–	–	200.00	107.00	3.00
189.		,, वेस्ता वेलिया	3400.00	516.00	–	–	–	–	–	3400.00	3400.00
190.		,, केसरबाई/बसंती	5000.00	750.00	–	–	–	117,118 की कार्यवाही	–	5000.00	5000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191.	खेरोट ग्रा. से.	श्री रामलाल/नाथुजी	3800.00	567.00	3800.00	561.00	–	–	–	–	–
192,	स. स. लि.	,, रजिया पेमा	4300.00	547.50	4300.00	547.50	–	–	–	–	–
193.		,, रूपानाना	800.00	1372.00	–	–	–	117,118 की कार्यवाही	–	800.00	800.00
194.		,, जीवा हेमा	5200.00	663.00	5200.00	663.00	–	–	–	–	–
195.		,, रामा माना	200.00	18.00	–	–	–	–	–	200.00	200.00
196.		,, मांगा तखता	200.00	18.00	–	–	–	–	–	200.00	200 00
197.		,, हवला-सरदारा	160.00	14.40	160.00	14.40	–	–	–	–	–
198.		,, ज्ञानमल-मोहनलाल	500.00	–	–	–	–	–	–	500.00	500.00
			73508.00	6436.00	16703.00	2558.30	–	–	3884.00	60776.60	43770.60
	कुल योग		158,721.23	36,870.58	609,14.83	22.664.98			56,742.00	1,56,253.85	99,111.47

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं किये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

जिला पशु चिकित्सालय, कोटा की प्रयोगशाला

328. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बांरा) व

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पशु चिकित्सालय, कोटा में प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी ? इस प्रयोगशाला में अभी तक मिट्टी व चारे के कितने नमूनों की जांच की गई ?

(2) जिले की भूमि या चारे में किन-किन तत्वों की कमी पाई गई ?

उत्तर

(1) पशु चिकित्सालय, कोटा में रोग निदान प्रयोगशाला वर्ष 1976-77 में स्थापित की गई थी ।

मिट्टी व चारे की जांच का कार्य इस प्रयोगशाला में नहीं होता ।

(2) यह प्रयोगशाला में परीक्षण नहीं करती ।

उचित मूल्य दुकानदार (रिटेलर) एसोसियेशन, नागौर

329. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर): क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या नागौर में "उचित मूल्य दुकानदार (रिटेलर) एसोसियेशन " बनी हुई है ? यदि हां, तो कृपया एसोसियेशन के सदस्यों का नाम एवं पतों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उचित मूल्य दूकानदार (रिटेलर) एसोसियेशन, नागौर प्रति क्विंटल हैण्डलिंग चार्जेज के रूप में क्या लेती है ? सरकार ने अब तक कितना कमीशन दिया है ? कृपया वर्ष वार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(2) 2.80 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाता है । जुलाई, 1981 से उक्त एसोसियेशन हैण्डलिंग एजेन्ट के रूप में कार्यरत है और 92008 रुपये कमीशन बना है , जिसका भुगतान खुदरा विक्रेताओं को गेहूं की डिलीवरी देते समय उनसे प्राप्त राशि में से ही उपरोक्त रिटेलर एसोसियेशन को कराया जाता है ।

रिटेलर्स एसोसियेशन, नागौर के सदस्यों की सूची

	नाम रिटेलर	वार्ड संख्या
1.	सूरजमल भाटी	1 (एक)
2.	सत्यनारायण मूंदड़ा	2 (दो)
3.	फारूक मोहम्मद	3 (तीन)
4.	अब्दुल सत्तार	4 (चार)
5.	श्याम सुन्दर बंग	5 (पांच)
6.	सोहनलाल राठी, अध्यक्ष	6 (छः)
7.	फतेहचन्द माली	8 (आठ)
8.	अब्दुल सत्तार	7 (सात)
9.	बद्री नारायण	9 (नौ)
10.	सफी मोहम्मद	10 (दस)
11.	कमरुदीन पींजारा	11 (ग्यारह)
12.	ज्ञानचन्द माली	12 (बारह)
13.	भंवरलाल जैन	13 (तेरह)
14.	मदनलाल जैन	14 (चौदह)
15.	अब्दुल मजीद	15 (पन्द्रह)
16.	घासीराम माली	16 (सोलह)
17.	श्रवण कुमार	1 (एक)

शिक्षा विभाग में निदेशक एवं संयुक्त निदेशक के पद

330. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग में पूर्व में निदेशक का पद विभाग में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी को दिया जाता रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ वर्षों से इस पद पर आई. ए. एस. अधिकारी को नियुक्त किया जाता रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि निदेशक का पद अब आयुक्त का कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है ?

(4) क्या यह भी सही है कि शिक्षा विभाग में संयुक्त निदेशक के पद पर भी आर. ए. एस. अधिकारी को लगाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि अब तक संयुक्त निदेशक के पद पर शिक्षा विभाग के अधिकारी ही काम करते रहे हैं ? यदि हां, तो क्या अब सरकार इस पद पर विभाग के अधिकारी को लगाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । 1971 से केवल आई. ए. एस. अधिकारियों को ही निदेशक पद पर पदस्थापित किया गया है ।

(2) जी हां । दिनांक 8-8-71 से निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के पद पर निरन्तर आई. ए. एस. अधिकारी पदस्थापित किया जाता रहा है । यह पद आई. ए. एस. कैडर में सम्मिलित है । सन् 1971 के पूर्व में भी इस पद पर आई.-ए. एस. अधिकारी पदस्थापित हुए हैं ।

(3) जी हां । दिनांक 23-12-81 से निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के पद को आयुक्त का पद कर दिया गया है । यह राजस्थान में शिक्षा के प्रसार व इस पद के महत्व को देखते हुए किया गया है ।

(4) जी नहीं । संयुक्त निदेशक के किसी पद पर आर. ए. एस. अधिकारी को नहीं लगाया जा रहा है । केवल एक अस्थायी पद अतिरिक्त निदेशक पर आर. ए. एस. के अधिकारी को लगाया जा रहा है ।

(5) जी हां । वर्तमान में भी संयुक्त-निदेशक पदों पर विभाग के ही अधिकारी लगाये हुए हैं ।

दांते कमेटी की सिफ़ारिशों की क्रियान्विति

331. **श्री तेजपाल यादव** (चौमूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या व्यवहार में दांते कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सेवा सहकारी समितियों का विलीनीकरण कर दिया गया है ?

(तेजपाल यादव)

(2) क्या किसानों के हित में सरकार एक पंचायत एक ग्राम सेवा सहकारी समिति की नीति को लागू करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक यह नीति लागू कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कठूमर में हायर सैकण्डरी स्कूल

332. **श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार की यह नीति है कि प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम एक हायर सैकण्डरी स्कूल हो?

(2) क्या यह सही है कि पिछड़े व अनुसूचित जाति बहुल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कठूमर में एक भी हायर सैकेण्डरी स्कूल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने का विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। राज्य में 10 जमा 2 की नवीन शिक्षा प्रणाली लागू करने के परिप्रेक्ष में किसी भी राजकीय माध्यमिक विद्यालय को अभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं करने का नीति सम्बन्धी निर्णय है।

जहाजपुर पंचायत समिति के विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण

333. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में जहाजपुर पंचायत समिति के विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये थे ? यदि हां, तो तो इस 2 वर्ष की अवधि में किनके स्थानान्तरण किये गये व कितनी बार किये गये ? कृपया आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें। किन कारणों से वेतन वृद्धियां रोकी गई ? कृपया आरोपों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। दो वर्ष की अवधि में निम्नांकित विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं :-

1.	श्री महेन्द्र सिंह	16-7-80
2.	श्री दुर्गविजय राय	26-11-80
3.	श्री रामकिशन	25-2-81
5.	श्री बालमुकन्द	12-3-81
5.	श्री घनश्याम शर्मा	7-8-81
6.	श्री बालमुकन्द	10-9-81

उपरोक्त विकास अधिकारियों में से श्री बालमुकन्द विकास अधिकारी का स्थानान्तरण दो बार किया गया है। आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री घनश्याम शर्मा, विकास अधिकारी के विरूद्ध जिलाधीश द्वारा विभागीय कार्यवाही कर निम्न आरोपों के संबंध में दण्ड दिया गया :-

(1) अनुशासनहीनता एवं राजकार्य को सुचारू रूप से सम्पादन नहीं करने के आरोप में दिनांक 3-6-81 के आदेश द्वारा उन्हें सेन्सर का दण्ड दिया गया।

(2) अनुशासनहीनता, दुराचरण, कर्त्तव्य के प्रति जागरुकता न रखने के आरोप में आदेश दिनांक 18-6-81 के द्वारा दो वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया गया।

आरोपों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है।

राजस्थान सरकार

सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग

आदेश

जयपुर 16 जुलाई, 1980

क्रमांक एफ 2 (1) सा डी पी/प्रशा/80/5197 :—निम्नलिखित विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के आगे अंकित पंचायत समितियों में तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं :—

क्र. सं.	नाम विकास अधिकारी	पंचायत समिति कहां से	पंचायत समिति कहां को
1	2	3	4
1.	श्री नारायण भटनागर	मावली (उदयपुर)	भीण्डर (उदयपुर)
2.	,, रामनारायण	भीण्डर	मावली
3.	,, मीठालाल सांखला	किशनगढ़ (अजमेर) (पदस्थापन आदेश में)	हुरडा (भीलवाड़ा)
4.	,, सूरजमल	हुरडा	किशनगढ़ (अजमेर)

(183)

1	2	3	4
5.	,, कृष्णपाल सिंह	खंडार (स. माधोपुर)	बानसूर (अलवर) रिक्त पद पर
6.	,, महेन्द्र सिंह	जहाजपुर (भीलवाड़ा)	नदबई (भरतपुर)
7.	,, बालमुकन्द	नदबई	जहाजपुर
8.	,, अर्जुन सिंह	झाड़ोल (उदयपुर)	पिडावा, मु० सुनेल (झालावाड़)
9.	,, वी. बी. गुप्ता	पिड़ावा मु० सुनेल	झाड़ोल (उदयपुर)
10.	,, रतनलाल लसोड	प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़)	आमेट (उदयपुर)
11.	,, मंगल चन्द शर्मा	आमेट	प्रतापगढ़
12.	श्री हरिकिशन मीणा	टोडाभीम (स०माधोपुर)	सिकराय (जयपुर) रिक्त पद पर
13.	,, मोतीलाल मनहर	छीपा बड़ौद (कोटा)	उनियारा ,,
14.	,, बसन्तपुरी गोस्वामी	बालोतरा (बाड़मेर)	शिवगंज
15.	,, पूनमचन्द	शिवगंज	बालोतरा
16.	,, कुंवरपाल सिंह	सांकडा मु० पोकरण (जैसलमेर)	जैसलमेर (रिक्त पद पर)
17.	,, कल्याण प्रसाद अवस्थी	गोविन्दगढ़ (जयपुर)	टोडाभीम ,,
18.	,, बालस्वरूप मीणा	नादौती (स० मा०)	बायतु (बाड़मेर)

(184)

1	2	3	4
19.	,, रामजीलाल वर्मा	बायतु (बाड़मेर) (पदस्थापन आदेश में)	नादौती
20.	,, कल्याणसिंह सोलंकी	डेगाना (नागौर)	दौसा (जयपुर) रिक्त पद पर

उपरोक्त विकास अधिकारी अपने पद का कार्यभार पंचायत समिति के वरिष्ठतम प्रसार अधिकारी को सम्भलाकर शीघ्र ही कार्यमुक्त होंगे। नये पद-स्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की सूचना तार द्वारा इस विभाग को भेजें। •

आज्ञा से,
ह०/-
अवर शासन सचिव
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार

सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग

जयपुर, 26 नवम्बर 1980

क्रमांक एफ 2 (1) साविप/ प्रशा– 2/ 80/ 7958 : निम्नलिखित विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण /पदस्थापन उनके नाम के आगे अंकित पंचायत समितियों में तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं :—

क्र. स.	नाम	पंचायत समिति कहां से	पंचायत समिति कहां को
1	2	3	4
1.	श्री दुर्ग विजय राय	जहाजपुर (भीलवाड़ा)	छोटीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)
2.	श्री रतनलाल चांगवाल	छोटीसादड़ी	अरनोद
3.	बालमुकन्द	अरनोद (पदस्थापन–आदेश में)	जहाजपुर
4.	श्री दिलीप कुमार वस्तरा	रिया	भैंसरोडगढ़
5.	श्री कलेश्वर शंकर माथुर	आनन्दपुरी (भुखिया) (पदस्थापन आदेश में)	रिया बड़ी
6.	श्री धर्मवीर सिंह मंदा	किशनगढ़वास (पदस्थापन-आदेश में)	डेगाना
7,	श्री अजयपाल सिंह	डेगाना (पदस्थापन–आदेश में)	आनन्दपुरी (भूखिया बांसवाड़ा)

उपरोक्त विकास अधिकारी अपने वर्तमान पद का कार्यभार पं. स. के वरिष्ठतम प्रसार अधिकारी को संभलाकर कार्यमुक्त होवें एवं नए पदस्थापन स्थान पर 15 दिन की अवधि में कार्यभार ग्रहण कर सूचना तार द्वारा भेजें।

आज्ञा से,

ह.–

अवर शासन सचिव

राजस्थान, जयपुर

(186)

राजस्थान सरकार

सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग

क्रमांक एफ 2(1) साविप/प्रशा-2/81/110-20 जयपुर दि. 25-2-81

आदेश

निम्न विकास अधिकारियों को इनके नाम के आगे अंकित पंचायत समितियों में स्थानान्तरण/पदस्थापन तत्काल प्रभाव से किया जाता है:—

क्र. सं.	नाम	पंचायत समिति कहां से	कहां को
1	2	3	4
1.	श्री बालमुकुन्द	प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़)	जहाजपुर (भीलवाड़ा)
2.	श्री रामकिशन जागोदिया	जहाजपुर(भीलवाड़ा)	छबड़ा (कोटा)
3.	श्री बाल स्वरूप मीणा	छीपा बडौद (कोटा)	बाड़ी (भरतपुर)
4.		(पदस्थापन आदेश मे)	

श्री राघव कुरूप, विकास अधिकारी पंचायत समिति छबड़ा (कोटा) की सेवायें तत्काल प्रभाव से उनके पैतृक (कृषि) विभाग को लौटाई जाती है।

उपरोक्त विकास अधिकारी अपने वर्तमान पद का कार्यभार पं. स. के वरिष्ठतम प्रसार अधिकारी को सम्भला कर तुरन्त कार्य मुक्त होवें एवं नए पदस्थापन स्थान पर शीघ्र कार्यभार ग्रहण कर सूचना तार द्वारा भेजें।

श्री ओमवीर सिंह विकास अधिकारी, पंचायत समिति बाड़ी अन्य अग्रिम आदेशों की प्रतिज्ञा में उप जिला विकास अधिकारी, भरतपुर के कार्यालय में उपस्थित रहेगें।

ह०

अवर शासन सचिव,

राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार

सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग

क्रमांक एफ 2(1)साविप/प्रशा-2/81/2057-80 दिनांक 12-3-81

आदेश

निम्न विकास अधिकारियों को उनके के नाम आगे अंकित पंचायत समितियों में स्थानान्तरण/पदस्थापन तत्काल प्रभाव से किया जाता हैं:—

क्र. सं.	नाम विकास अधिकारी	पंचायत समिति कहां से	कहां को
1.	श्री पूरन दास हरवन्सी	दात्तारामगढ़ (सीकर)	नीमकाथाना (सीकर)
2.	,, सत्यवीर सिह	नीम का थाना (सीकर)	दात्तारामगढ़ (सीकर)
3.	,, ओ. पी. मल्होत्रा	तिजारा (अलवर)	चिड़ावा (झून्झुनू)
4.	,, घनश्याम शर्मा	आसीन्द (भीलवाड़ा)	जहाजपुर (भीलवाड़ा)
5.	,, बालमुकन्द	जहाजपुर (भीलवाड़ा)	तिजारा (अलवर)

उपरोक्त विकास अधिकारी अपने वर्तमान पद का कार्यभार पंचायत समिति के वरिष्ठतम प्रसार अधिकारी को संभलाकर तुरन्त कार्य मुक्त होवें एवं नये पदस्थापन स्थान पर शीघ्र कार्यभार ग्रहण कर तार द्वारा सूचना भेजें।

आज्ञा से,

ह०

अवर शासन सचिव

राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार

सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग

क्रमांक एफ 2(1)साविप/प्रशा-2/81/5499-5525 जयपुर, दिनांक 7-8-81

निम्न विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सामने अंकित पंचायत समितियों में तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं:—

क्र. सं.	नाम विकास अधिकारी	पंचायत समिति कहां से	कहां को
1.	श्री मदन लाल जोशी	सुमेरपुर (पाली)	आसीन्द (भीलवाड़ा)
2.	,, रामकिशन जागोदिया	छबड़ा (कोटा)	कोटड़ी (भीलवाड़ा)
3.	,, बालमुकन्द पंवार	प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़)	जहाजपुर (भीलवाड़ा)
4.	,, मेघश्याम शर्मा	कोटकासिम (अलवर)	लूणी (जोधपुर) रिक्त पद
5.	,, डाल सिंह गोदारा	राजगढ़ (चुरू)	डग (झालावाड़) रिक्त पद
6.	,, श्याम बिहारी अस्थाना	झून्झुनु (झून्झुनु)	सूखिया (बांसवाड़ा) रिक्त पद
7.	,, भोजराज	पदस्थापन आदेश की प्रतिक्षा में	थानागाजी (अलवर) रिक्त पद
8.	,, घनश्याम शर्मा	जहाजपुर (भीलवाड़ा)	प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़)

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2 (1) साविप/प्रशा-2/81/3926 दिनांक 1-6-81 में आंशिक संशोधन करते हुए क्रम संख्या 1 पर अंकित श्री नेतराम, विकास अधिकारी का स्थानान्तरण पंचायत समिति महुवा से आसीन्द किया गया था, को निरस्त किया जाता है। श्री नेतराम विकास अधिकारी अन्य आदेश होने तक के आदेशों की प्रतीक्षा में जिलाधीश कार्यालय सवाईमाधोपुर रहेगें क्योंकि इन्होंने अभी तक पंचायत समिति में कार्य भार ग्रहण नहीं किया है। विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2 (1) साविप/प्रशा-2/

81/3257 दिनांक 2-5-81 में आंशिक संशोधन करते हुए क्रम संख्या 9 पर अंकित श्री शिवदयाल पारीक, विकास अधिकारी का स्थानान्तरण पंचायत समिति, बांरा (कोटा) से कोटड़ी (भीलवाड़ा) किया गया था को निरस्त किया जाता है। श्री पारीक विकास अधिकारी पंचायत समिति, बांरा (कोटा) में यथावत कार्य करते रहेंगें।

उपरोक्त विकास अधिकारी अपने पद का कार्यभार पंचायत समिति के वरिष्ठतम प्रसार अधिकारी को संभलाकर नये पदस्थान स्थान पर शीघ्र कार्यभार ग्रहण कर सूचना तार द्वारा भेजें।

आज्ञा से,

ह०

उप विकास आयुक्त (प्र–2)
राजस्थान, जयपुर।

(190)

राजस्थान सरकार

सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग

क्रमांक एफ 2(1) साविप/प्रशा-2/81/6282-630 जयपुर, दिनांक 10-9-81

आदेश

निम्न विकास अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के आगे अंकित पंचायत समिति में तत्काल प्रभाव से किया जाता है :—

क. सं.	नाम विकास अधिकारी	पंचायत समिति कहां से	कहां को
1.	श्री धनीदास परनामी	टोडारायसिंह (टोंक)	छोटीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)
2.	,, वीरेन्द्रकुमार शर्मा	दूदू (जयपुर)	बोंली (स. माधोपुर)
3.	,, मोहन लाल मित्तल	किशनगढ़ (अजमेर)	बालेसर (जोधपुर)
4.	,, बालमुकुन्द पंवार	जहाजपुर (भीलवाड़ा)	प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़)
5.	,, अर्जुन सिंह	पिड़ावा (झालावाड़)	टोडारायसिंह (टोंक)
6.	,, बिरदी चन्द मिश्रा	रियाँ (नागौर)	दूदू (जयपुर)

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2(1) साविप/प्रशा-2/81/6210-78 दिनांक 8-9-81 में क्रम संख्या 23 एवं 37 पर अंकित श्री अर्जुन सिंह एवं बिरदी चन्द मिश्रा, विकास अधिकारी का किया गया स्थानान्तरण आदेश निरस्त किया जाता है।

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2(1) साविप/प्रशा-2/81/5499-5525 दिनांक 7-8-81 में क्रम संख्या 8 पर अंकित श्री घनश्याम शर्मा, विकास अधिकारी का स्थानान्तरण पंचायत समिति जहाजपुर से प्रतापगढ़ किया गया था को निरस्त किया जाता है। श्री शर्मा पं० स० जहाजपुर में विकास अधिकारी का कार्य करेंगे।

उपरोक्त विकास अधिकारी अपने वर्तमान पद का कार्यभार पं० स० के वरिष्ठतम प्रसार अधिकारी को सौंप कर तुरन्त कार्यमुक्त होवें एवं पदस्थापन स्थान पर शीघ्र कार्यभार ग्रहण कर तार द्वारा सूचना भेजें।

आज्ञा से,

ह०

उप विकास आयुक्त (प्र-2)

राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार

क्रमांक/विकास/81/49788 कार्यालय जिलाधीश, भीलवाड़ा

दिनांक 10-4-81

मैमोरेन्डम अन्तर्गत धारा 17
सी० सी० एण्ड ए० रूल्स, 1958

श्री घनश्याम शर्मा,

विकास अधिकारी, जहाजपुर

आपके विरुद्ध राजस्थान सिविल सर्विसेज (सी० सी० एण्ड ए० रूल्स) रूल्स, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित हैं, विभागीय कार्यवाही जिन तथ्यों पर आधारित हैं उनका विवरण इस प्रकार है :—

(1) यह है कि सामुदायिक विकास एव पंचायत विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 2(1) सा० विप/प्रशा-2/2057-80 दिनांक 12-3-81 के द्वारा आपका स्थानान्तरण विकास अधिकारी आसीन्द के पद पर से विकास अधिकारी जहाजपुर के पद पर हुआ, इस आदेश के अन्तर्गत आपका स्थानान्तरण इसी जिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर हुआ है, किन्तु आपने इस कार्यालय से बिना अनुमति प्राप्त किये ही दिनांक 17-3-81 को अपना कार्यभार शिक्षा प्रसार अधिकारी को सम्भलाकर, नये स्थान के लिये कार्यमुक्त हो गये, जबकि विकास अधिकारी, आसीन्द के पद पर किसी भी अधिकारी का पद स्थापन नहीं हुआ था, आपके इस प्रकार की कार्यवाही से वित्तीय वर्ष समाप्ति होने के कारण विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लक्ष्य प्राप्ति के कार्य में अनावश्यक रूप से बाधा उत्पन्न हुई हैं। आपकी यह कार्यवाही अनुशासनहीनता की परिभाषा में आती है ।

(2) मैंने पंचायत समिति, जहाजपुर का दिनांक 31-3-81 को निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निरीक्षण सम्बन्धी मानचित्र एवं अन्य सूचनायें मुकमिल तौर तैयार की गई, आपकी यह कार्यवाही भी अनुशासनहीनता की परिभाषा में आती है।

(3) यह है कि केन्द्रीय सहकारी बैंक, भीलवाड़ा के द्वारा जिन ऋण आवेदन-पत्रों पर ऋण स्वीकृत कर दिया, उनका भुगतान इस बैंक की शाखा आसीन्द से किया जाना था, किन्तु आपने विकास अधिकारी, आसीन्द के नाते अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मनमकसुद आसीन्द शाखा बैंक के मैनेजर को स्वीकृत ऋण का भुगतान बिना

आपके निर्देश/आदेश के नहीं किये जाने के आदेश दिये। वित्तीय वर्ष समाप्ति पर था। लक्ष्य प्राप्ति की दृष्टि से स्वीकृत ऋणों का भुगतान किये जाने के कार्य में आपने बाधा व्यवधान उत्पन्न कर राज्य कार्य के सम्पादन में, आपने कर्त्तव्य विमुखता का परिचय दिया।

अतः आप इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिवस की अवधि में प्रस्तुत करें, अन्यथा यह मान लिया जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, एवं उचित आज्ञा दे दी जावेगी।

ह०
(टी० आर० वर्मा)
जिलाधीश, भीलवाड़ा

(193)

राजस्थान सरकार

क्रमांक/विकास/81/50900

कार्यालय जिलाधीश
भीलवाड़ा

दिनांक 28 अप्रेल, 81

मैमोरेन्डम अन्तर्गत धारा 17 सी. सी.
एण्ड रूल्स, 1958

श्री घनश्याम शर्मा,
विकास अधिकारी,
जहाजपुर।

आपके विरुद्ध राजस्थान सिविल सर्विसेज (सी. सी. ए. एण्ड ए. रूल्स) 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित हैं, विभागीय कार्यवाही जिन तथ्यों पर आधारित हैं उनका विवरण इस प्रकार है :—

(1) यह है कि सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक/एफ 2 (1) साविप/प्रशा-2/81/2648-85 दिनांक 8-4-81 के द्वारा आपका स्थानान्तरण विकास अधिकारी, जहाजपुर के पद से विकास अधिकारी मालपुरा (टौंक) के पद पर हुआ। राज्यादेश में यह निर्देश थे कि आप अविलम्ब कार्यभार से मुक्त होकर अपने नवीन पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे, किन्तु आपने ऐसा नहीं करके घोर दुराचरण किया। आदेश की अनुपालना हेतु आपको दिनांक 13-4-81 को वितदतु संदेश के द्वारा तुरन्त कार्यभार वरिष्ठतम प्रसार अधिकारी को संभलाकर कार्यमुक्त होने के निर्देश दिये गये, किन्तु आपने इस निर्देश के बावजूद भी दिनांक 18-4-81 को बाद दोपहर, काफी विलम्ब के बाद, कार्यभार संभलाया, यह कृत्य अनुशासनहीनता की परिभाषा में आता है।

(2) यह है कि क्रम संख्या 1 में दर्शाये गए आदेश के अन्तर्गत आप दिनांक 18-4-81 को कार्यमुक्त हो गए थे, तदन्तर आपने तार दिनांक 25-4 81 से यह सूचना प्रस्तुत की है कि विकास विभाग के आदेश क्रमांक 2946-60 दिनांक 21-4-81 की अनुपालना में मैंने विकास अधिकारी, जहाजपुर के पद का कार्यभार पुनः दिनांक 24-4-81 को पूर्व दोपहर ग्रहण कर लिया है। चूंकि आपका स्थानान्तरण विकास अधिकारी, जहाजपुर के पद से विकास अधिकारी, मालपुरा (टौंक) के पद पर विकास विभाग के आदेश दिनांक 8-4-81 से हुआ एवं आप दिनांक 18-4-81 को कार्यमुक्त भी हो चुके थे, ऐसी दशा में आपको पुनः विकास अधिकारी, जहाजपुर के पद पर जोइन करने से पूर्व

इस कार्यालय की अनुमति प्राप्त करनी चाहिये थी, किन्तु आपने ऐसा नहीं कर अपने स्तर पर ही बिना किसी इस कार्यालय के आदेश से ही कार्यभार ग्रहण कर लिया, आपका यह कृत्य भी अपने उच्च अधिकारियों के प्रति अनुशासनहीनता व घोर दुराचरण की परिभाषा में आता है।

अतः आप इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिवस की अवधि में प्रस्तुत करें, अन्यथा यह मान लिया जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहना हैं, एवं उचित आज्ञा दे दी जावेगी।

ह.
(टी. आर. वर्मा)
जिलाधीश, भीलवाड़ा

पशुपालन एवं डेयरी विकास के निदेशालय

334. श्री सुरजाराम टांक (नोखा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पशुपालन एवं डेयरी विकास धन्धा मुख्यतया पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर जिले में अधिक है, जबकि निदेशालय जयपुर में हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार निकट भविष्य में निदेशालय बीकानेर जिले में स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पशुपालन का मुख्य धन्धा पश्चिमी राजस्थान की अपेक्षा पूर्वी राजस्थान में अधिक है । इसलिये पशुपालन निदेशालय जयपुर ही रहना उचित है ।

(2) राज्य सरकार के निदेशालय को बीकानेर में स्थानान्तरण करने का कोई विचार नहीं है ।

सहकारी कानून व नियमों में संशोधन के सुझाव देने हेतु उच्चस्तरीय समिति का गठन

336. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर–पूर्व): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य के सहकारी कानून व नियमों में संशोधन करने के लिये सुझाव देने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है ?

(2) यदि हां, तो इस समिति में कौन-कौन सदस्य हैं और समिति को किन-किन बिन्दुओं पर सुझाव देने को कहा गया है ?

(3) यदि नहीं, तो ऐसी समिति का गठन कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(3) ऐसी समिति के गठन करने के मामले राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ।

फागी तहसील के सीमेन्ट के कोटे में वृद्धि

337. श्री रामकंवार बैरवा (फागी): क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार फागी तहसील में सीमेंट का कोटा बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? जबकि फागी तहसील में सैकड़ों कुएं बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं तथा नव निर्माण कार्य जिन कुओं पर चल रहा है, वे भी अधूरे पड़े हैं ?

उत्तर

केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार को सीमित मात्रा में सीमेंट का कोटा ग्रावन्टन होने के कारण फागी तहसील में सीमेंट कोटा विशेष रूप से बढ़ाया जाना संभव नहीं है। फागी तहसील में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुये कुओं की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार द्वारा क्षतिग्रस्त कुओं की मरम्मत हेतु 12350 कट्टे एवं कुओं के नव निर्माण कार्य हेतु 9050 कट्टे सीमेंट का वितरण किया जा चुका है।

पंचायत बेवला (बड़गांव) का सैकण्डरी स्कूल भवन

338. **श्री भैरूलाल मीणा** (उदयपुर-ग्रामीण) :— क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत बेवला पंचायत समिति बड़गांव में सैकण्डरी स्कूल पुराने रावले में चलता है ? क्या यह भवन शिक्षा मंत्री ने खरीद लिया है ?

(2) क्या यह सही है कि भवन पुराना होने के कारण जीर्ण शीर्ण हो गया है एवं छात्रों की संख्या के ग्रनुपात में छोटा भी है ?

(3) क्या यह सही है कि इसी भवन में एस. टी. सी. का ग्रध्यापन भी होता है ?

(4) क्या शिक्षा विभाग इस भवन के महत्व को ध्यान में रखते हुए ग्राधुनिकीकरण करने एवं मरम्मत कराने की इच्छा रखता है ? यदि हां, तो कब तक इस भवन का जीर्णोद्धार हो जावेगा ? यदि नहीं, तो क्या इस जीर्ण शीर्ण व छोटे कमरों वाले भवन में ग्रध्यापन का कार्य चलाना सम्भव होगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां। वित्तीय प्रावधानों की उपलब्धि के ग्रनुसार भवन की मरम्मत का कार्य जल्दी कराने की कोशिश की जावेगी।

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों की सीमावर्ती पंचायत समितियों के प्राइमरी स्कूल्स

339. **श्री देवीदत्त तिवाड़ी** (बाड़मेर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में लगातार तीन वर्षों से सीमावर्ती पंचायत समितियों की ग्रनेकों पाठशालायें ग्रध्यापकों की स्वीकृति के ग्रभाव में बंद पड़ी हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

जी हां। सीमावर्ती क्षेत्र की बाड़मेर शिव, चौहटन एवं सम पंचायत समिति में गत तीन वर्षों में कुछ स्कूल ग्रध्यापकों के ग्रभाव में बन्द रहे। इसका मुख्य कारण इन दूरदराज व साधनहीन क्षेत्रों में ग्रध्यापकों की नियुक्ति होने पर जोइन न

(पंचायत मंत्री)

करने अथवा त्याग पत्र देकर चले जाने एवं शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापकों के पद निर्धारित संख्या में स्वीकृत न किया जाना रहा है।

अलवर तहसील में ग्राम खारेड़ा से बालेटा तक लिंक रोड

340. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम खारेड़ा से ग्राम बालेटा (तहसील अलवर) तक का लिंक रोड का कार्य किस वर्ष प्रारम्भ हुआ था ?

(2) उक्त सड़क निर्माण का कार्य किस ठेकेदार को दिया गया था एवं ठेके की शर्तें क्या थीं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूरा हो जावेगा ?

उत्तर

(1) कार्य 30-9-75 से प्रारम्भ हुआ था।

(2) प्रथमतः यह कार्य दिनांक 30-9-75 को श्री लक्ष्मी नारायण को दिया गया था तथा बाद में दिनांक 19-3-80 को इस कार्य का ठेका श्री प्यारे लाल व्यास, ठेकेदार मालाखेड़ा को दिया गया। ठेके की शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) सड़क का डब्ल्यू. बी. एम. का कार्य पूर्ण हो चुका है, डामर का कार्य होना शेष है। यह कार्य अप्रेल, 82 तक पूरा हो जायेगा।

(ठेके की शर्तें विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गईं)

राजकीय गर्ल्स हायर सैकण्डरी स्कूल, टौंक में शिक्षकों की व्यवस्था

341. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक):** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय गर्ल्स हायर सैकण्डरी स्कूल, टौंक में वर्तमान में नियुक्त कितने पुरुष शिक्षक हैं तथा वे कितने समय से वहां कार्य कर रहे हैं?

(2) राज्य सरकार इस स्कूल में कब तक महिला शिक्षक उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) 6 पुरुष अध्यापक कार्यरत हैं। सूची संलग्न है।

(2) शीघ्र ही महिला अध्यापिकाएं पदस्थापित कर दी जावेंगी।

198

सूची

(1) श्री मंसूरअली व. अ.	दिनांक 12-8-78 से
(2) श्री नन्दकिशोर शर्मा व. अ.	23-10-73 से
(3) श्री इकबाल अहमद स. अ.	16-12-79 से
(4) श्री रविन्द्रदत्त त्रिपाठी स. अ.	3-2-79 से
(5) श्री शिवरतनसिंह चौहान स. अ.	12-8-80 से
(6) श्री नूरुल अमीन, स. अ.	20-12-76 से

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर की कार का दुरूपयोग

342 श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर की कार के दुरूपयोग के बारे में इसी संस्थान के करीब एक सौ कर्मचारियों ने हस्ताक्षर कर, ज्ञापन सरकार एवं इस संघ के अध्यक्ष को दिये हैं ?

(2) यदि हां, तो कृपया उन ज्ञापनों की प्रतियां मय सरकार अथवा अध्यक्ष द्वारा उस पर की गई कार्यवाही के विवरण को सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर की कार के दुरुपयोग के बारे में इसी संस्थान के कर्मचारियों ने राज्य सरकार व इस संघ के अध्यक्ष को ज्ञापन दिया है ।

(2) ज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । राज्य सरकार द्वारा जांच कराई जा रही है । अध्यक्ष द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी नहीं है ।

200

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ,
जयपुर।

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर के हम समस्त कर्मचारी इस पत्र के माध्यम से सूचित करते हैं कि उपभोक्ता संघ में प्रतिनियुक्ति पर आये जनरल मैनेजर, श्री अशोक जैमन आज कल संघ की गाड़ी का खुलकर दुरूपयोग कर रहे हैं। यहां के कर्मचारियों ने कुछ समय पहले भी जैमन की इस संस्था से स्थानान्तरण कर उनके द्वारा की जा रही अनियमितताओं तथा नियम विरुद्ध कार्यवाहियों की जांच कराये जाने की मांग की थी उससे प्रभावित होकर अपने स्थानान्तरण को रुकवाने के उद्देश्य से श्री जैमन संघ की कार को अकारण दौसा, दिल्ली ले गये आजकल अक्सर श्री जैमन रोज दिन संघ की कार का दुरूपयोग कर रहे हैं।

कर्मचारियों द्वारा उनकी शिकायतें करने के परिणाम स्वरूप श्री जैमन यहां के कर्मचारियों को अकारण परेशान कर रहे हैं। कार्यालय से समस्त कर्मचारियों की निजी पत्रावली अपने निवास पर ले गये, आशंका है कि द्वेष भावना से सभी कर्मचारियों के साथ कोई कार्यवाही की जाय।

अतः कृपया श्री अशोक जैमन जनरल मैनेजर उपभोक्ता संघ को निर्देश देकर बाध्य करें कि वह वास्तविकता को सामने लाने वाले कर्मचारियों को परेशान करने के उद्देश्य से कोई कार्यवाही न करें।

ह. प्रार्थीगण

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि.

जयपुर।

विषय : श्री अशोक जैमन महा प्रबन्धक द्वारा संघ की कार का दुरुपयोग के बारे में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के जनरल मैनेजर, श्री अशोक जैमन द्वारा कार का निजी कार्य में दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रतिदिन कार सुबह 8 बजे जनरल मैनेजर के घर पर पहुंच जाती है और सांय 11 बजे तक उन्हीं के पास रहती है। तकरीबन 15 रोज से तो कार रात्रि के समय भी कार्यालय में आकर खड़ी नहीं होती है। ड्राइवर द्वारा लिखी गई कच्ची लोक बुक को देखने से पता लगता है कि गाड़ी निजी कार्य से सिनेमा हालों पर एवं शमशान घाट पर भी जाती है इसका पता किसी को न लग पाये इसके लिये गाड़ी को जनरल मैनेजर या तो स्वयं चलाते है या जीडी के ड्राइवरों से चलवाते हैं। जबकि संघ की कार संघ में नियुक्त ड्राइवर द्वारा ही चलाई जानी चाहिये। इसके बारे में पहले भी कई बार लिखकर दिया जा चुका है।

जनरल मैनेजर द्वारा इस समय अपनी सुविधा के लिये 6 गार्ड, 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तीन ड्राइवर लगाये हुए हैं जिसका खर्चा लगभग 10 हजार रुपया मासिक पड़ता हैं और लगभग 5000 रुपया मासिक पेट्रोल का अतिरिक्त खर्चा पड़ता है। कुल मिलाकर 15000 रुपया मासिक का खर्चा जनरल मैनेजर का हो रहा है। इससे पहले जनरल मैनेजर के वेतन के सिवाय कोई खर्चा नहीं था। एक सहकारी संस्था में 15 हजार रुपया मासिक का भार पड़ता उसके भविष्य को अति अंधकार में लाना है। वर्तमान में संघ के आंकड़े दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं और खर्चा बढ़ता जा रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त तथ्यों की जांच कर दोषी अधिकारी को दण्ड दें और संस्था के विकास में सहयोग दें।

ह. प्रार्थीगण

डूंगरपुर भूमि विकास बैंक द्वारा काश्तकारों को प्रदत्त ऋण व अनुदान

343 **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) डूंगरपुर भूमि विकास बैंक द्वारा वर्ष 1980-81 में किस-किस काश्तकार को पम्पिग सैट खरीदने के लिये कितना-कितना ऋण व कितना कितना अनुदान दिया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सत्य है कि श्री भीमराज लवाना, डूंगरपुर तथा श्री गौरीशंकर पंड्या एवं उसके पुत्र श्री प्रिय कान्त, सीमलवाड़ा के यहां से काश्तकारों ने पम्पिग सैट (डीजल मशीन) खरीदें ? यदि हां, तो क्या ये पम्पिग सैट विक्रेता सरकार द्वारा स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो सरकार ने क्या रेट निर्धारित की है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) डूंगरपुर सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा वर्ष 1980-81 में 100 (एक सौ) काश्तकारों को पम्पिग सैट खरीदने के लिए कुल 6.25 लाख रुपये का ऋण व 2.03 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है । जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(2) श्री भीमराज लबाना की फर्म मैसर्स हर्षद कुमार एण्ड ब्रादर्स, डूंगरपुर से केवल 4 डीजल पम्पसैट काश्तकरों ने क्रय किये हैं । यह फर्म निर्माता द्वारा नियुक्त की हुई है । राज्य सरकार पम्पिग सैट विक्रेता नियुक्त नहीं करती है ।

पम्पिग सैट की रेट सरकार द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है अपितु निर्माता द्वारा निर्धारित की जाती है ।

वर्ष 1980-81 में पम्पसेटों के भुगतान की सूची

क्र. स.	नाम सदस्य	गांव	ऋण वितरण राशि (रुपयों में)	अनुदान वितरण राशि (रुपयों में)
1	2	3	4	5
1.	श्री हीरा- नाथा डामोर	ढुन्डरीया	6525	3840
2.	„ उंदा- पूना डामोर	„	6525	3840
3.	„ धुला- रामजी मीणा	आसियावाव	5612	2800
4.	„ नानजी- रामजी	„	7398	3000
5.	„ नानुराम- नानजी „	पादर	5820	—
6.	„ भेमजी- सवा „	तीजवड़	5820	—
7.	„ रामा- कृष्णा „	गेड़	5610	2800
8.	„ होमा- वंजा „	छेला	5820	2800
9.	„ सेना-गला डामोर	ढुन्ढरिया	6525	3000
10.	„ जीवण-वदा मीना	गेड़	7448	3000
11.	„ जीवा-गोमा „	जाम्बूड़ी	7194	3000
12.	„ मूलचन्द- वदा कलाल	गेड़	5610	1250
13.	„ अर्जुन-कोदरा मीणा	पोहटी खातूरान	5820	2410
14.	„ जगजी-पुना मीणा	सारोली	5359	3000
15.	„ धाना-सोमा मीणा	सीयल	5525	3000
16.	„ हीलाल-गुलाबराम	सीमलवाड़ा	5635	—
17.	„ कुरीया-खालरा मीणा	डूंगरपुर नईबस्ती	5105	2550
18.	„ थाना-लालू मीणा	„ „	5105	2550
19.	„ खेमजी-धूला मीणा	खार	5794	3000
20.	„ डायाशंकर-नानाराम	सीमलवाड़ा	5469	1660
21.	„ राम्मा-भारु डोमर	सीथल	5525	3000
22.	„ किशोरसिंह-गोपालसिंह	पारडा माताजी	6385	1635

1	2	3	4	5
23.	श्री मोतिया-गेन्दाल मीणा	सण्डोला	6385	3000
24.	,, कला-सोला नाई	शीथल	5560	1980
25.	,, नाना-पूजा मीणा	झाफरा	5165	3000
26.	,, काना-घूला मीणा	झाफरा	5155	3000
27.	,, हफरा-कुबेर मीणा	झाफरा	5165	3000
28	,, शीवा-भूरा पटेल	शीथल	5525	1500
29.	,, हवजी-लेम्बा मीणा	ओडावड़ा	5820	2910
30.	,, कावा-हाजा मीणा	सारोली	5660	3000
31.	,, बदा-कारू मीणा	खाल	6825	3000
32.	,, कलजी-माना मीणा	खाल	6825	3000
33.	,, फूला-रणछोड बनजारा	शीथल	5545	1660
34.	,, बिठ्ठलदास-वेचरदास	सीमलवाड़ा	5450	1660
35.	,, सवजी-बिरजी मीणा	विलासनगर	4975	—
36.	,, नगजी-ग्रादवजी खसेहार	सकानी	5550	1870
37.	,, नानिया-देवा मीणा	कहारी	6365	3000
38.	,, हुजा-मना मीणा	कनवा	5225	3000
39.	,, कालू-कचरू पटेल	झालाय	4514	—
40.	,, गेगा-रामजी मीणा	शीथल	5660	3000
41.	,, नाना-नाथा पटेल	भैंसला	5660	1695
42.	,, नाथू-पूजा मीणा	मालचौकी	5820	—
43.	,, थावना-माना मीणा	चौकी	5820	2910
44.	,, खेमा-माना मीणा	चौकी	5820	2910
45.	,, वाजा-रूपसी मीणा	चौकी	5820	—
46.	,, लालजी-पेमजी मीणा	भटवाड़ा	7800	3000
47.	,, हुकरा-भावजी मीणा	भटवाड़ा	5820	2910
48.	,, भेजा-हीरा मीणा	सेड़ली	5820	2900
49.	,, अमरा-कोयला मीणा	पादर	5820	—

1	2	3	4	5
50.	श्री नाना-हलू मीणा	पादर	5820	2910
51.	,, हकरा-कोदर मीणा	पादर	5820	2910
52.	,, वजा-धूला मीणा	बागदरी	5820	2910
53.	,, हुरजी-मावला मीणा	वागदरी	5575	2785
54.	,, सवा-पूजा मीणा	सड़ली	5820	2910
55.	,, कालिया-खातरा मीणा	भटवाड़ा	5820	2910
56.	,, सवली-हाला मीणा	सेण्डोला	6385	—
57.	,, भज्जा-केवला मीणा	देवगांव	4889	—
58.	,, जीधा-कडुग्रा मीणा	पाद	5820	2910
59.	,, भगवान-नवलजी मीणा	मुंगडे	6480	2153
60.	,, प्रतापसिंह-जोतसिंह	मुंगडे	6480	1631
61.	,, सुखलाल-मंगलजी सेवक	बोडीगा माछोटी	6465	2397
62.	,, शंकरलाल-रूपजी सेवक	बोडीगा माछोटी	6385	1761
63.	,, बलवन्तसिंह-कालूसिंह	चितरी	5480	1650
64.	,, वीरा-मुना वनजार	बासिया	5660	1500
65.	,, धनजी-हवजी मीणा	खार	5525	—
66.	,, वजा-सोमा मीणा	खार	5525	—
67.	,, वाला-रूपा चमार	वाजदरी	5820	1917
68.	,, कुहजा-ग्रलखा मीणा	मादेरा	4015	—
69.	,, नानजी-फूला मीणा	आमडी ऊटाडा	7055	—
70.	,, पन्ना-कोयला मीणा	देवपुरा	5612	—
71.	,, दीना-कुशला मीणा	पालीसोडा	5820	2910
72.	,, काना-लालजी मीणा	बिलपन	5820	—
73.	,, ग्रमरसिंह-ग्रर्जनसिंह राज.	साबली	5820	—
74.	,, देवा-माना मीणा	गेंजी	4805	2400
75.	,, सोमा-रामजी मीणा	मभोला	5910	3000
76.	,, मंगला-काना मीणा	पुनरावाडा	7815	2910

1	2	3	4	5
77.	श्री हरजी-मोती मीणा	पालीसोडा	7815	2910
78.	,, कमला-भेमा मीणा	मेहणा	5820	3000
79.	,, नगजी-लालू मीणा	वजेपुरा	5820	2910
80.	,, धुला-धनजी मीणा	आमझरा	5820	3000
81,	,, लालुजी-धुला मीणा	नलवा	5820	2910
82.	,, धूला-दीना मीणा	बोरतालाब	5820	2910
83.	,, थावा-रूपा मीणा	संचिझ	5200	2850
84.	,, धूला-जेता पटेल	शालमपुरा	5100	—
85.	,, कालिया-थावरा मीणा	माड़ा	5820	2910
86.	,, हकरा-धनजी मीणा	आमझरा	5820	2910
87.	,, हुका-हुरजा मीणा	सेमलिया	5820	2910
88.	,, वालजी-हकरा मीणा	आमझरा	5820	2910
89.	,, वाला-केहरा मीणा	गलन्दर	8030	3000
90.	,, कचरनलाल-वाला मीणा	माना तलाई	7975	—
91.	,, रतनजी-गुलाबजी ब्राह्मण	नवल श्याम	5820	1455
92.	,, मंगला-सोमा मीणा	नवल श्याम	5820	2910
93.	,, रामचन्द्र-मनु मीणा	मानतलाई	6320	3000
94.	,, कचरा-कोदरा मीणा	धुवालिया	6400	3000
95.	,, जीवा-नाथा मीणा	भुवाली	6700	—
96.	,, नाथू-पुजा मीणा	वागदरी	5180	3000
97.	,, काना-कालिया मीणा	,,	5750	—
98.	,, नानका-धनजी मीणा	,,	5180	3000
99.	,, प्रभूलाल-थावरा लबाना	गामडी अटारा	4280	—
100.	,, हाजा-वदा मीणा	महेणा	5492	—
			625000	203000

कानोड़ (उदयपुर) में एस. एम. एस. मुख्यालय की स्थापना

344. श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर):- क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला उदयपुर में एस. एम. एस. मुख्यालय कानोड़ में स्थापित करने के लिये आदेश कब हुए ?

(2) कानोड़ मुख्यालय में कार्य कब से चालू हुआ ?

(3) क्या यह कार्यालय आज भी कानोड़ में ही चल रहा है ?

उत्तर

(1) कानोड़ में एस. एम. एस. मुख्यालय स्थापित करने के आदेश क्रमांक 3325-26] दिनांक 6-6-1979 द्वारा किये गये थे।

(2) एस. एम. एस. मुख्यालय अभी तक उदयपुर में ही स्थापित है। कानोड़ में चालू नहीं हुआ है।

(3) जी, नहीं।

सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा में स्नातकोत्तर परीक्षा का केन्द्र

345. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):- क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सेठ मथुरा दास बिनानी राजकीय महाविद्यालय, नाथद्वारा में सत्र 1981-82 में स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारम्भ होने के बावजूद यह महाविद्यालय स्नातकोत्तर परीक्षा का केन्द्र नहीं है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उदयपुर जिले के सभी स्वयंपाठी स्नातकोत्तर छात्रों की, जो राजस्थान विश्वविद्यालय से परीक्षा दे रहे हैं, संख्या को देखते हुये सत्र 1981-82 में नाथद्वारा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं का परीक्षा केन्द्र प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। स्नातकोत्तर विषय के परीक्षा केन्द्र का मामला विश्वविद्यालय के विचाराधीन है।

(2) विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि नाथद्वारा महाविद्यालय के 1983 से स्वयंपाठी स्नातकोत्तर परीक्षा का केन्द्र उन विषयों में बना दिया जायेगा। जिन विषयों की नियमित कक्षायें महाविद्यालय में चालू होंगी।

निर्धन छात्र कल्याण सहायता कोष

346. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्ती)**:– क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर जिले के कौन-कौन से विद्यालय ऐसे हैं जिनमें निर्धन छात्रों की सहायता हेतु निर्धन छात्र कल्याण सहायता कोष की स्थापना हो चुकी है ?

(2) क्या राज्य सरकार निर्धन एवं असहाय छात्रों की मदद के लिये जन सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में निर्धन छात्र कल्याण सहायता कोष की स्थापना करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) उपलब्ध जानकारी के आधार पर जयपूर जिले के किसी भी राजकीय विद्यालय में निर्धन छात्र कल्याण सहायता कोष नहीं है ।

(3) जी नहीं ।

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 324 की सूची

पाली जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लि द्वारा सहकारी वर्ष जुलाई से जून 1980-81 एवं 1981-82 (फरवरी) में संकलित दूध की मात्रा का माहवारी विवरण।

माह		वर्ष 1980-81 कुल संकलित दूध की मात्रा (लीटर)	औसत प्रतिदिन (लीटर)
जुलाई	1980	58,197	1877.32
अगस्त	1980	1,27,304	4106.58
सितम्बर	1980	1,72,980	5766.00
अक्टूबर	1980	2,19,976	7096.00
नवम्बर	1980	2,74,800	9160.00
दिसम्बर	1980	2 05,720	6636.13
जनवरी	1981	2,67,286	8622.13
फरवरी	1981	1,83,595	6556.96
मार्च	1981	2,67,540	8630.32
अप्रैल	1081	2,90,957	9698.56
मई	1981	1,56,128	5036.39
जून	1981	1,09,773	3659.10
		योग 23,34,256	
		वर्ष 1981 82	
जुलाई	1981	1,23,547	3985.39
अगस्त	1981	1,25,651	4053.26
सितम्बर	1981	1,18,577	3952 56
अक्टूबर	1981	1,05,125	3391.13
नवम्बर	1981	1,33,485	4449.50
दिसम्बर	1981	2,16,470	6982.90
जनवरी	1982	2,72,599	8793.52
फरवरी	1982	1,71,102	6110.78
		योग 12,66,556	

210

पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. द्वारा सहकारी वर्ष (जुलाई से जून) 1980-81 एवं 1981-82 में दुग्ध परिवहन हेतु ट्रकों के लिए दिये गये किराये का माहवारी विवरण :

वर्ष 1980 81

माह		किराया (रुपये)	प्रति लीटर व्यय पैसा
1. जुलाई	1980	25,539.88	43.88
2. अगस्त	1980	27,348.65	29.33
3. सितम्बर	1980	52,132.89	30.13
4. अक्टूबर	1980	53,735.33	24.42
5. नवम्बर	1980	35,436.23	12.89
6. दिसम्बर	1980	49,380.38	24.00
7, जनवरी	1981	44,295.04	16.57
8. फरवरी	1981	32,794.96	17.86
9. मार्च	1981	50,680.42	18.94
10. अप्रैल	1981	60,722.54	20.86
11. मई	1981	70,036.53	44.85
12. जून	1981	67,344.33	61.34
		योग 5,79,447.18	

वर्ष 1981 82

माह		किराया (रुपये)	प्रति लीटर व्यय पैसा
1. जुलाई	1981	63,321.64	51.25
2. अगस्त	1981	80,119.30	55.80
3. सितम्बर	1981	58,531.33	49.36
4. अक्टूबर	1981	56,152.17	53.41
5. नवम्बर	1981	54,309.62	40.68
6. दिसम्बर	1981	38,154.17	17.63
7. जनवरी	1982	53,209.45	19.52
8. फरवरी	1982	53,209.45	31.10
		योग 4, 47,007.13	

211

पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० द्वारा सहकारी वर्ष 1980–81 में माहवार दिये गये जीप किराये का विवरण

माह		किराया (रुपये)
1. जुलाई	1980	3,099.87
2. अगस्त	1980	3,006.72
3. सितम्बर	1980	2,870.56
4. अक्टूबर	1980	3,811.36
5. नवम्बर	1980	2,736.80
6. दिसम्बर	1980	2,828.32
7. जनवरी	1981	2,235.20
8. फरवरी	1981	2,072.40
9. मार्च	1981	3,033.44
10. अप्रेल	1981	3,900.16
11. मई	1981	2,301.20
12. जून	1981	2,288-00

42

परिशिष्ट 5

तारांकित प्रश्न संख्या 325 की प्रति

AGREEMENT

This agreement is made on the Ist day of October, 1977 between M/s Rajasthan Rajya Sahkari Upbhokta Sangh Ltd., 100, Subhash Marg, C' Scheme, Jaipur (a cooperative society registered under the Rajasthan Co-operative Societies Act, 1965) (hereinafter called the party of the first part) and Shri Amar Jeet Singh Soni S/o Shri Guribux Singh Soni and Shri Kanwal Jeet Singh Soni Partner S/o Shri Gurubux Singh Soni both residents of 291, Adarsh Bazar Jaipur-4 (hereinafter called the party of the second part).

Whereas the party of the first part, which is registered apex cooperative institution is running one of its business amongst other, a business under the name and style of M/s Uphar at 42-D, Subhash Marg, C Scheme, Jaipur.

AND whereas party of second part is running their business in partnership of wool, woollen garments and readymade garments under the name and style of M/s STYLE, at Goyal Bhavan, Telipara, S. M. S. Highway, Jaipur. The above said M/s STYLE is a sole selling agency for M/s Jyoti Cottage Industries, Adarsh Nagar, Jaipur which is registered Small Scale Industry.

AND whereas the party of the second part is desirous to start one of their sales counter in the premises of the said UPHAR.

NOW it is hereby mutually agreed between the said parties as under :—

1. That the party of the first part shall allot one of its sales counter to the party of the second part in the premises of M/s UPHAR situated at 42-D, Subhash Marg, C' Scheme, Jaipur. The Electric and Water charges for the counter shall be borne by the party of the first part. The party of the first part shall have the right to change the counter and the party of the second part shall abide by the decision of the party of the first part in this regard.

2. That wool, woollen garments, readymade garments, uniforms, hosiery except banians, and any other item mutually decided

in writting in course of time shall be sold by the party of the second part, at the said counter.

3. That the above said counter shall be alloted by theparty of the first part to be party of the second part for a period of two years commencing from 1-10-77. This period may be further extended by mutual written consent before the expiry of the agreement.

On the determination of this agreement by efflux of time as stipulated above or on giving the months notice, on other side, the second party shall remove all the items lying on the said counter and shall handover the counter in its original condition to the party of the first part.

4. That the sales on the said counter shall be organised by the party of the second part, through their own staff on the bills/cash memos of M/s Uphar.

The employees employed by the party of the second part shall remain the employees of the party of the second part and any liability or claim incurred in any labour laws or other laws, shall be the sole liability of the party of the second part.

5. That all goods shall be supplied by the party of the second part on challans on F. O: R. destination basis as per daily requirements. Invoicing of sold goods would be done on weekly basis according to daily sales reports. Payments would be made by the part of the first party, through M/s Uphar, every week on submission of the invoice within three days, through cheque after deducting due commission, failing which the party of the first part shall be liable to pay the amount with interest, at bank rate on medium borrowings from scheduled banks.

6. That the party of the second part shall pay to the party of the first part, commission on sales on the above said counter at the following rates :

2½% on the sales of wool. Acrylic knitting yarn, hosiery readymade garments and uniforms.

5% on the sales of woollen knitted garments.

Provided that the party of the second part shall pay to the party of the first part a minimum commission at the rate of Rs. 2,500/- (Rupees Two thousand five hundred only) per annum irrespective of sales or commission as per a percentage mentioned above, whichever is more, on the above said counter.

The party of the second part shall at the discretion of the party of the first part put Uphar lables on the garments (woollen, cotton and other) manufactured by them or the said Jyoti Cottage Industries and sold at the above said counter, provided the above said commission on readymade garments and woollen garments is reducted by one percent. This arrangements would not change the above said minimum commission of Rs. 2,500/- per annum.

7. That the liability under the Rajasthan Sales Tax Act, Central Sales Tax Act, Excise and any other law or laws prevailing at the relevant time would be the sole liability of the party of the second part.

8. That the packing expenses of the sales on the above said counter shall be borne by the party of the second part.

9. That if any amount is spent by the party of the first part on the sales promotional activities of the above said contracted items, such expenses shall be contributed to the tune of 50% by the party of the second part.

10. That in case any other of the contracted items secured by the party of the first part, the supplies of such items would be made on wholesale rates by the party of the second part.

11. That the party of the second part shall observe the same timings and weekly holidays as that on said UPHAR

12. That all shortages, pilferages and denerg would be the sole risk and responsibility of the party of the second part.

13. That the party of the second part agrees that the selling prices of differenet said item at the said counter, shall be comparatively less than the prices prevailing at their any other showroom or showrooms.

14. That the party of the second part and their salesman or salesgirls shall obey all lawful directions of the officers of the party of the first part in the matter of exhibition, advertisement. disposal, replacement and all other incidental or connected with the business in this behalf.

15. That the party of the second part shall ensure that the articles of the best quality, free from all apparent defects are placed for sale on the said counter and shall replace all orany of such articles as are or may not be in accordance with the specifications or guarantee given to the customer.

16. That the officers of the party of the first part shall be entitled to inspect the accounts and items for sale put on the said counter at any reasonable time.

17. That the good lying on the said counter will be deemed to have been included in the insurance policy pertaining to the stocks of various counters in UPHAR.

18. That the amount of daily sales at above said counter shall be kept with the party of the first part.

19. That in the event of any disputs arising out of/and in relation to this agreement, the same shall be resolved mutually.

IN WITNESS WHERE OF WE SET ON HANDS IN TOKEN OF ACCEPTANCE THERE OF ON THIS 14th day of OCTOBER. 1977.

PARTY OF THE SECOND PART

Sd/-
(Amar Jeet Singh Soni)
Partner

Sd/-
(Kanwal Jeet Singh Soni)
Partner

PART OF THE FIRST PART

Sd/-
(Ashok Jaiman)
General Manager

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 240 का आदेश

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक एफ (7)3 शिक्षा-1/78, पार्ट-1 जयपुर, दिनांक 17 फरवरी, 1982

आयुक्त,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय :— श्रव्य दृश्य कार्यालय अजमेर को अजमेर से स्थानान्तरित न करने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के सम संख्यक पत्र दिनांक 10-12-81 के क्रम में लेख है कि श्रव्य दृश्य कार्यालय, अजमेर को उदयपुर स्थानान्तरण फिलहाल आगामी आदेश होने तक स्थगित किया जाता है।

भवदीय,
ह०
(कृष्ण कुमार भटनागर)
शिक्षा सचिव,
राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 244 की सूची

वर्ष 1981–82 में तहसील प्रतापगढ़ के विभिन्न विद्यालयों में कक्षा 6 से 11 में प्रवेश लेने वाले हरिजन एवं आदिवासी बालक-बालिकाओं की विद्यालयवार सूची :—

क्र० सं०	नाम विद्यालय	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	2	3	4	5	6
1	रा उ मा वि, प्रतापगढ़	74	–	4	–
2	रा उ मा वि, अरनोद	31	–	96	–
3	रा मा वि, दलोट	47	–	88	–
4	रा मा वि, कुलथाना	23	1	25	–
5	रा मा वि, धमोतर	12	1	29	1
6	रा मा वि, बोरी	9	–	5	–
7	रा मा वि, थडा	20	–	13	–
8	रामट्टारक यशकीर्ति, प्रतापगढ़	5	–	2	–
9	सैफीया मा वि, प्रतापगढ़	–	–	–	–
10	रा उ प्रा वि, पालिवाल गली प्रतापगढ़	36	–	3	–
11	रा उ प्रा वि, लोहार गली, प्रतापगढ़	23	–	6	–
12	रा उ प्रा वि, सालमगढ़	–	–	28	8
13	रा उ प्रा वि, कोटडी	7	–	36	–
14	रा उ प्रा वि, चूपना	11	2	10	–
15	रा उ प्रा वि, वाडीसाखथली	2	–	29	–
16	रा उ प्रा वि, जाजली	3	–	9	–
17	रा उ प्रा वि, निनौर	1	–	8	–
18	रा उ प्रा वि, नागढ़ी	4	–	37	–
19	रा उ प्रा वि, चूकूण्डा	3	1	18	–
20	रा उ प्रा वि, साखथली, थाना	5	1	4	–

1	2	3	4	5	6
21	रा उ प्रा वि, बोरडिया	2	–	1	–
22	रा उ प्रा वि, गादोला	7	–	6	–
23	रा उ प्रा वि, मूणी	6	–	2	–
24	रा उ प्रा वि, जाखमबांध	3	–	2	1
25	रा उ प्रा वि, वारावट्टा	5	1	39	–
26	रा उ प्रा वि, खैरोट	3	–	23	–
27	रा उ प्रा वि, वरमण्डल	10	–	4	–
28	रा उ प्रा वि, अवलेश्वर	8	–	3	–
29	रा उ प्रा वि, जासडी	6	–	9	–
30	रा उ प्रा वि, वरडिया	8	–	1	–
31	रा उ प्रा वि, सुहागपुर	2	–	76	–
32	रा उ प्रा वि, देवगढ़	–	–	59	–
33	रा उ प्रा वि, बमोतर	–	–	27	2
34	रा उ प्रा वि, गन्धेर	5	–	22	–
35	रा उ प्रा वि, पानमोडी	2	–	5	–
36	रा उ प्रा वि, अमालावद	–	–	2	–
37	रा उ प्रा वि, वसाड	1	–	–	–
38	रा उ प्रा वि, रठांजना	8	–	2	–
39	रा उ प्रा वि, पिल्लू	7	–	5	–
40	रा उ प्रा वि, डाबडा	13	–	11	–

वर्ष 1981-82 में प्रवेश लेने वाले हरिजन एवं आदिवासी बालक/बालिकाओं जिन्होंने छात्रवृति के लिए आवेदन किया तथा जिन्हें कोई छात्रवृति नहीं, मिली उनकी संख्या की विद्यालयवार सूची

क.सं.	नाम विद्यालय	जिन्होंने आवेदन किया				जिनको छात्रवृति नहीं मिली			
		अनु० जाति		अनु० जन जाति		अनु. जाति		अनु. जनजाति	
		बा.	बालि.	बा.	बालि.	बा.	बालि.	बा.	बालि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राउमावि, प्रतापगढ़	33	–	28	–	4	–	–	–
2	राउमावि, अरनोद	25	–	56		11	1	–	–
3	रामावि, आलोट	13	–	106	–	–	–	–	–
4	रामावि, धमोतर	11	1	23	–	–	–	–	–
5	रामावि, कुलथाना	16	–	31	–	–	–	–	–
6	रामावि, बोरो	8	–	6	–	–	–	–	–
7	रामावि, थडा	18	–	12	–	–	–	–	–
8	भट्टाकर मावि	3	–	2	–	1	–	–	–
9	सैफोयामावि, प्रतापगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–
10	राउप्रावि, पां. गली, प्रतापगढ़	29	–	2	–	–	–	–	–
11	राउप्रावि लो० प्रतापगढ	23	–	5	–	9	–	–	–
12	राउप्रावि, सालमगढ़	1	–	27	–	–	–	–	–
13	राउप्रावि, कोटडी	8	–	32	–	5	–	–	–
14	राउप्रावि चूपना	10	1	9	–	5	1	–	–
15	राउप्रावि, बडी सालथली	2	–	29	–	–	–	–	–
16	राउप्रावि, जाजली	3	–	9	–	1	–	–	–
17	राउप्रावि, निनौर	1	–	9	–	–	–	–	–
18	राउप्रावि, नागदी	2	–	34	–	1	–	–	–

220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	राउप्रावि, चकूण्डा	2	1	18	–	–	–	–	–
20	राउप्रावि, साखथलीथाना	5	1	3	–	3	–	–	–
21	राउप्रावि, बोरदिया	2	–	1	–	–	–	–	–
22	राउप्रावि, गादीला	7	–	6	–	3	–	–	–
23	राउप्रावि, कूणी	8	–	1	–	8	–	–	–
24	राउप्रावि, जाखम	2	–	3	–	–	–	–	–
25	राउप्रावि, बारावरदा	5	1	28	–	–	–	–	–
26	राउप्रावि खैरोट	4	–	20	–	4	–	–	–
27	राउप्रावि, वरमण्डल	10	–	4	–	5	–	–	–
28	राउप्रावि, अवलेश्वर	7	–	3	–	4	–	–	–
29	राउप्रावि, झासड़ी	6	–	9	–	–	–	–	–
30	राउप्रावि, बरडिया	7	–	2	–	4	–	–	–
31	राउप्रावि, सुहागपुरा	–	–	23	–	–	–	–	–
32	राउप्रावि, देवगढ़	–	–	16	–	–	–	–	–
33	राउप्रावि, बमोतर	–	–	27	–	–	–	–	–
34	राउप्रावि, गन्धेर	5	–	22	–	–	–	–	–
35	राउप्रावि, पानमोडी	2	–	5	–	–	–	–	–
36	राउप्रावि, अमलावद	–	–	2	–	–	–	–	–
37	राउप्रावि, बसाड	1	–	–	1	1	–	–	–
38	राउप्रावि, रठांजना	8	–	2	–	8	–	–	–
39	राउप्रावि, पिल्लू	7	–	6	–	–	–	–	–
40	राउप्रावि, डाबडा	10	–	8	–	–	–	–	–

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 246 की सूची

राजस्थान सरकार

वित्त (ग्रुप–4) विभाग

20,000/- एवं उससे अधिक राशि के बाकीदारों को कोटा जिले से सम्बन्धित सूचना

क्र.सं	व्यापारी का नाम	बकाया मांग	दिनांक	विवरण
1	2	3	4	5
1.	लालचन्द विरूमल	67551.66	28-3-81	अति. आयुक्त के द्वारा क्र सं. 1461 दि. 7-5-80 से स्थगन है।
2.	मंगलम् सिमेन्ट	30614.50	13-6-81 17-6-81	अति. आयुक्त के आदेश 21450 दि. 6-10-81 से स्टे है।
3.	सिल्क हाऊस	34300.00	28-2-77	राजस्व मंडल, अजमेर के आदेश क्रमांक 25054 दि. 11-9-81 से स्टे है।
4.	लक्ष्मी इन्जि. एण्ड ट्राली वर्क्स	89545.72	27-9-79 21-1-80	वा. क. अ. "ए" कोटा के जरिये एल. आर. एक्ट के तहत कार्यवाही जारी है।
5.	नाथ मेडीकल्स हाल	23214.10	20-9-79	—,,—
6.	शाह पटेल एण्ड कं. बांरा	22765.45	9-3-80	राजस्व मण्डल, अजमेर से स्थगन है।
7.	प्रेमचन्द राधेश्याम सांगोद	51768.13	8-5-79	न्यायालय सांगोद में केस चल रहा है।
8.	मंगलजी छोटेलाल, बांरा	22129.75	20-1-81	अति. आयुक्त द्वारा स्थगन है।

1	2	3	4	5
9.	वन मण्डल अधिकारी, बांरा	31898.31	8-3-81	सरकारी विभाग है अतः वसूली की कार्यवाही जारी है।
10.	छीतरमल दीपचन्द	30955.63	,,	स्थगन आदेश है।
11.	भोलाशंकर एण्ड ब्रदर्स	64323.42	12-9-79	एल. आर. एक्ट के तहत वा. क. अ., भीलवाड़ा में कार्यवाही चल रही है।
12.	शाह एण्ड कं. न्यू घान मण्डी	145877.70	6-12-77	स्थगन है।
13.	जे.के.सिन्थेटिक्स लि. कोटा	700538.24	31-10-81	उच्चतम न्यायालय द्वारा स्टे।
14.	,,	2013875.19	4-3-81	,,
15.	,,	82141.61	5-10-81	वसूली कार्यवाही जारी है।
16.	राज. टेक्सटाइल्स मि. भवानीमण्डी	73500.00	16-10-71	उच्च न्यायालय में केस चल रहा है, ड्यू कोर्स में नियत है।
17.	बारां कोआपरेटिव लि.।	22032.25	10-1-77	राजस्व मण्डल द्वारा स्थगन।
18.	इन्डो इन्जिन प्रा. लि.	23000.00	17-5-78	राजस्व मण्डल द्वारा सुनवाई 3-2-82 नियत है।
19.	इन्डियन आयल कारपो.	117673.89	24-4-80	राजस्व मंडल से स्थगन है।
20.	,,	246329.97	29-7-80	,,
21.	एसोसियेटेड स्टोन कं.,	28000.00	5-10-81	वसूली कार्यवाही जारी है

1	2	3	4	5
22.	एशोसियेटेड स्टोन कं.,	41149.83	26–10–81	वसूली कार्यवाही जारी है।
23.	,,	23387.52 25857.97	12–12–79	राजस्व मण्डल द्वारा स्थगन तथा सुनवाई तिथि 14–3–82 व 20–4–82
24.	मंगलजी छोटेलाल, कोटा	25000.00	4–5–80	राजस्व मण्डल द्वारा स्थगन।
25.	इन्डियन श्रायल का., कोटा	186441.42	27–7–81	वसूली कार्यवाही जारी है।
26.	इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि., कोटा	44767.92	10–8–81	'सी' फार्म से सम्बन्धित राशि है।
27.	जिला श्राबकारी श्रधिकारी, कोटा	28619.08	10–8–81	वसूली कार्यवाही जारी है।
28.	कोटा स्टील री-रोलिंग मिल्स, प्रा.लि., कोटा	27542.35	14–8–81	किश्तों में वसूली जारी है।
29.	जीवन फर्टीलाइजर एण्ड कं. कोटा	29101.00	20–8–81	स्थगन श्रादेश श्रति. श्रायुक्त द्वारा।
30.	जिला श्राबकारी श्रधि., कोटा	27919.88	30–9–81	वसूली कार्यवाही जारी है।
31.	नागपाल श्रमलेगेटेड, कोटा	27320.31	27–11–81	,,
32.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि. कोटा	21219.37	,,	,,
33.	,,	912158.38	,,	,,
34.	मेहता इण्ड., कोटा	21482.08	24–10–81	,,
35.	श्रोरियन्टल पावर कं. लि.	130582.12	26–10–81	,,

224

1	2	3	4	5
36.	ओरियंटल पावर कं. लि.	130786.75	30–11–81	वसूली कार्यवाही जारी है।
37.	,,	105375.31	30–12–81	,,
38.	इन्डो इन्जि. प्रा.लि.	51603.79	30–11–81	,,
39.	भाई भगवान सिंह, अलप सब्जी मण्डी	23832 40	27–8–80	राजस्व मण्डल द्वारा स्थगन।
40.	नूतन स्टोर आर्ट	31885.43	2–4–80	,,
41.	मंगलाराम मूलचन्द, मण्डावर	31426.80	18–4–77	,,

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 249 की सूची

डूंगरपुर जिले में प्रशिक्षित आदिवासी मत्स्य पालकों को वर्ष 80-81 व 81-82 में तालाब आवंटन की सूचना

	तालाब का नाम	प्रशिक्षित आदिवासी का नाम जिन्हें आवंटन किया गया	जलक्षेत्र हैक्टर में	आवंटन वर्ष
1	2	3	4	5
1.	बन्ध अपरघोड़ी	श्री रावजी	9 है०	80-81
		,, हुसकी		
		,, हरिकृष्ण		
		,, सरदारमल		
		,, बाबूलाल		
		,, रामलाल		
		,, लक्ष्मण		
		,, देवीलाल		
		,, दितेश्वर		
2,	बन्ध भभोला	,, भूमराम	3 है०	,,
		,, मोहनलाल		
		,, शिवराम		
3.	सलिमा का तालाब	,, चन्द्र	3 है०	,,
		,, नन्दलाल		
		,, शंकरलाल		
4.	पलोज का तालाब	,, रमणलाल	4 है०	,,
		,, डूंगरलाल		
		,, पंजीराम		
		,, देवीराम		

1	2	3	4	5
5.	डोलवर का तालाब	श्री हरीप्रसाद	2 है०	80-81
		,, मानशंकर		
6.	जालान का तालाब	,, मंगलराम	5 है०	,,
		,, अमृतलाल		
		,, शंकरलाल		
		,, कचराजी		
		,, शंकरलाल		
7.	कुन्डी का नाका	,, जीवालाल	4 है०	,,
		,, थावर चन्द		
		,, शंकरलाल		
		,, श्याम लाल		
8.	मोखावा का तालाब	,, सवजी	1 है०	,,
9.	कोल खण्डा का तालाब	,, जगमोहन	3 है०	,,
		,, गंगाराम		
		,, कन्हैयालाल		
10.	बन्ध नारौली	,, हीरालाल	3 है०	,,
		,, लक्ष्मणलाल		
		,, नारायणलाल		
11.	भासौर का तालाब	,, लाखाजी	2 है०	,,
		,, बख्शीराम		
12.	अपेश्वर सोल	,, धूलेश्वर	5 है०	,,
		,, वक्ता जी		
		,, गौतम		
		,, महेन्द्र		
		,, खेमराज		

1	2	3	4	5
13.	शीतल का तालाब	श्री हीरालाल ,, भूराजी	2 है०	80-81
14.	बाडेला तालाब	,, भंवरलाल	1 है०	,,
15.	सवगढ़ का तालाब	,, तेजसिंह	1 है०	,,
16.	बन्ध सिमरिया	,, धनेश्वर	1 है०	,,
17.	बन्ध अखेपुर	,, चम्पालाल ,, जगमोहन ,, शंकरलाल ,, नाथूलाल	4 है०	,,
18.	बन्धवातरक	,, भूराराम	1 है०	,,

वर्ष 1981-82 हेतु अतिरिक्त तालाब आवंटन की कार्यवाही की जा रही है।

(228)

बांसवाड़ा जिले में प्रशिक्षित आदिवासी मत्स्य पालकों को वर्ष 80-81 व 81-82 में तालाब आवंटन की सूचना

	तालाब का नाम	प्रशिक्षित आदिवासी का नाम जिन्हें आवंटन हुए।	जल क्षेत्र हैक्टर में	आवंटन वर्ष
1	2	3	4	5
1.	बियापाड़ा	श्री अमीचन्द	2 है०	80-81
2.	बन्ध छोटी बन्डी	,, मालमसिंह	1 है०	,,
3.	बन्ध पादड़ा	,, पारसिंह	2 है०	,,
4.	बन्ध घनश्यामपुरा	,, कमला शंकर	1 है०	,,
5.	बन्ध मेमखोर	,, मोडा जी	2 है०	,,
6.	बन्ध जगपुरा	,, रकमा	3 है०	,,
		,, कूचा		
		,, हेमला		
7.	घनोडा	,, वेलिया जी	1 है०	,,
8.	बन्ध घटिया	,, शंकर	1 है०	,,
9.	बन्ध कुआसा	,, महेशचन्द्र	2 है०	,,
10.	बन्ध कुरड	,, गौतम	8 है०	,,
		,, भूरा		
		,, जोखा		
		,, धीरजी		
11.	कुन्डी का नाका	,, हरीराम	2 है०	,,
		,, लालाराम		
12.	बन्ध भगोरा	,, जयकल्याण	8 है०	,,
		,, सोमलाल		
		,, मिया चन्द		
		,, मोहनलाल		

1	2	3	4	5
13.	बन्ध सरेडी	श्री विजयलाल	2 है०	80-81
14.	बन्ध ग्रासन	,, रूपलाल ,, लल्लूराम	3 है०	,,
15.	बन्ध रोहतवाडी	,, शम्भूसिंह	1. 5 है०	,,
16.	बन्ध नोगामा	,, हेमजी	1. 5 है०	,,
17.	बन्ध गुटीगलिया	,, गोतम लाल	3 है०	,,
18.	बन्ध बागीडोरा	,, दोता	1 है०	,,
19.	बन्ध गागंड तलाई	,, खातुनी	1 है०	,,

वर्ष 81-82 में और तालाब ग्रावंटन की कार्यवाही की जा रही है।

(232)

जिला भीलवाड़ा में प्रशिक्षित आदिवासी एवं हरिजनों को वर्ष 1980-81 81-82 में आवंटित जलाशयों की सूची व आवंटी का नाम :–

क्र.सं.	बन्ध का नाम	प्रशिक्षित का नाम जिन्हें आवंटन हुआ		जल क्षेत्र हैक्टर्स	आवंटन वर्ष
1	2	3		4	5
1.	बन्ध जाडोल	श्री मोहन	(मत्स्य सह. कोटडी के सदस्य)	50 हैक्टर्स	80-81
		,, छीतर बलाई	,,		
		,, बद्रीलाल बलाई	,,		
		,, लादूराम बलाई	,,		
		,, अमरा बलाई	,,		
		,, चम्पालाल बलाई	,,		
		,, भगवाना बलाई	,,		
		,, काना बलाई	,,		
		,, भैरू चमार	,,		
		,, छीतर चमार	,,		
		,, धन्ना बलाई	,,		
		,, काना भील	,,		
		,, रामा भील	,,		
		,, मांगीलाल भील	,,		
		,, बरदा भील	,,		
		,, रतना भील	,,		
		,, उदा भील	,,		
		,, मांगू भील	,,		
2	बन्ध फतेहसागर	श्री प्रभूलाल/बन्सीलाल हरिजन		2 हैक्टर	80-81

1	2	3		4	5
3.	बन्ध देवरिया	श्री भूरा, रेंगर	आदर्श म. स. स. के सदस्य)	5 हैक्टर	80-81
		श्री देवीलाल भील	,,		
		,, मांगीलाल भील	,,		
		,, मोहन लाल	,,		
		,, नन्दराम	,,		
4.	बन्ध जवासिया	,, लादू/नन्दा भील		3 हैक्टर	80-81

वर्ष 81-82 में कोई तालाब आवंटन नहीं हुआ है ।

232

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 251 की सूची

परिशिष्ट (क)

जिले का नाम	क्षेत्रफल जिसमें बोया गया (000 हैक्टेयर में)	कुल बीज जो बोया गया (क्विंटल में)
1. अजमेर	40	952.78
2. अलवर	180	6390.90
3. भरतपुर	170	5650.50
4. जयपुर	164	1871.16
5. दौसा		1913.10
6. सीकर	210	1399.28
7. झुन्झुनू	144	817.00
8. सवाई माधोपुर	110	2703.83
9. बीकानेर	260	378.00
10. चूरू	330	
11. गंगानगर	110	30.00
12. हनुमानगढ़		253.23
13. जोधपुर	515	2425.00
14. जैसलमेर	150	
15. जालौर	270	2180.25
16. बाड़मेर	540	1681.23
17. नागौर	405	3940.00
18. पाली	70	1546.80
19. सिरोही	13	105.78
20. कोटा	–	–
21. बूंदी	–	45.00
22. टोंक	34	864.55
23. भीलवाड़ा	–	–
	3715	35149.69

राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर।

परिशिष्ट क **बीज का वितरण** **द्वारा फसल खरीफ 1981 में वितरित संकर बाजरा**

क. सं.	जिले का नाम	बीज की मात्रा जो सप्लाई की गयी	बीज की मात्रा जो वास्तव में वितरित की गयी	तारीख जिस दिन बीज पहुंचा	राज्य में पैदा किये गये बीज की मात्रा	विभिन्न राज्यों से प्राप्त बीज की मात्रा	रेट जिस पर बीज खरीदा गया	स्टाक में बचा बीज	कुल पैसा जिसका बीज खरीदा गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अजमेर	905	503	बीज बुवाई से पहले	217 क्विं.	1. एनएससी 8509.75	एन एस सी 683.40 प्रति क्विं.	402	1,47,71,009.65 रुपये
2.	अलवर	3010	2456			2. कर्नाटका 1856.72	कर्नाटक 555.00 प्रति क्विं.	553	
3.	भरतपुर	2987	2156			3. गुजरात 14092.08	गुजरात 562 एवं 565 प्रति क्विं.	831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	जयपुर	2800	1412				राजस्थान 655.00 प्रति क्विं	670	
5.	दौसा								
6.	सवाई माधोपुर	1558	795					763	
7.	सीकर	943	199					744	
8.	झुन्झुनू	1162	309					753	
9.	जोधपुर	3723	1531					2192	
10.	पाली	1204	764					440	
11.	सिरोही	39	39					–	
12.	जालौर	1519	469					1050	
13.	नागौर	2275	499					1776	
14.	बाड़मेर	1722	1230					492	
15.	श्री गंगानगर	25	–					25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	हनुमानगढ़	80	77					3	
17.	कोटा/बूंदी	22	–					22	
18.	चूरू	276	167					109	
19.	टोंक	684	460					224	
		24850	13793					11041	

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 257 की सूची

क्र.सं.	नाम पिता/ पता व ग्राम		प्रयोजन	ऋण	अनुदान ग्राम्राडी/सक मद	(विशेष अनु.	कुल अनु. योग	स्वीकृति दिनांक
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	मडडूलाल लालू, हरिजन	बागली	बकरी	2500	833	417	1250	20-6-81
2.	रामप्रसाद लालू ,,		,,	2500	833	417	1250	,,
3.	रामकरण कालू ,,	निमोला	,,	2500	833	417	1250	,,
4.	रामदास कालू ,,	,,	,,	2500	833	417	1250	,,
5.	मोतीनाथ छोगालाल, नाथ	,,	,,	2500	833	–	833	,,
6	भगराज विरधीलाल, गूजर	,,	,,	2500	833		833	,,
7.	सीताराम मोतीलाल राजपूत	बागली	,,	2500	833	–	833	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	कालूलाल चतुरमुज, रावल दौलतपुरा	किराना शोप	1500	333	167	500	22-6-81
9.	प्रहलाद मांगीलाल मीणा केश्वपुरा	तेल	3500	1750	–	1750	,,
10.	पनीराम कालू, मीना शेरगंज	भैंस	4000	2000	–	2000	,,
11.	लड्डू किशना, मीना केमल्या	नवकूप	4000	2000	–	2000	,,
			2000	1000	–	1000	
12.	केसरीलाल रामप्रताप खटीक, पीपल्दा	अन आसन	1000	333	167	500	1 8-81
13.	रामकल्याण रामप्रताप खटीक, पीपल्दा	,,	1000	333	167	500	,,
14.	नन्दलाल ओंकार		1000	333	167	500	,,
15.	दुर्गाप्रसाद जगन्नाथ		1000	333	167	500	,,
16.	फूलचन्द ओंकार		1000	333	167	500	,,
17.	रघुनाथ हीरालाल	,,	1000	333	167	500	,,
18.	रामकिशन नारायण चौकीदार, ढीपणी	बकरी	2750	915	–	915	7-8-81
19.	राम देवीराम, कोली गोठराकलां	,,	2750	916	459	1375	,,
20.	रामकिशोर आनन्दीलाल बैरागी, निमोला	सि. मशीन	600	200	–	200	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
21,	गोपाल गंगाबिशन, गूजर ढीपरी	सिलाई मशीन	2750	916	–	916	7-8-81
22,	गोपाल जीवन, गूजर ढीपरी	,,	2750	916	–	916	,,
23,	हीरालाल घासी गूजर, ढीपरी	,,	2750	916	–	916	,,
24,	मुरलीधर जगन्नाथ, कीर ढीपरी	,,	2750	916	–	916	,,
25,	गोबरीलाल मोतीलाल, गूजर, ढीपरी	,,	2750	916	–	916	,,
26.	भब्बल गंगाराम, चमार तलाबे	चर्म कार्य	1600	533	267	800	,,
27.	कमला शंकर बंशीलाल, रेदास, मोला	,,	2000	666	334	1000	,,
28.	भंवरलाल गोकल, रेदास खोतोली	,,	2600	400	200	600	,,
29.	रामप्रसाद कालू, बैरवा भीतरी	भैंस	2000	666	334	1000	,,
30.	देवा गोमदा, बैरवा ढीपरी	,,	2000	666	334	1000	,,
31.	भैरूसिंह नन्दसिंह, राजपूत ढीकरदा	,,	2000	666	–	666	,,
32.	छीतरलाल मांगीलाल कीर, खोतोली	बैल	1800	450	–	450	,,
33.	रामनारायण मोतीलाल, ,,	,,	1900	633	–	633	,,
34.	नाथू मोत्या ,,	,,	1700	566	–	566	,,
35.	नारायण स्वर्ण, ,,	,,	2000	566	–	566	,,
36.	भैरूलाल बजरंगलाल ,,	,,	2000	666	–	656	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	बदरी मोती गूजर, जटवाड़ी	बैल	1900	633	334	1000	7-8-81
38.	रामदेवा मथुरा बैरवा बागली	,,	2000	666	317	950	,,
39.	रामनिवास राधेश्याम, बैरवा, गौंडा	,,	1900	633	–	666	,,
40.	सुखदेव घन्नालाल, कीर, मियाना	,,	2000	666	–	666	,,
41.	भंवरलाल वजीरा, बंजारा, तलाव	,,	4600	1533	–	1533	,,
42.	जुम्मा गेंदीलाल, मुस. सुमेरगंजमण्डी	साकिल	2500	833	–	833	21-8-81
43.	सलीम मो. नूर मो. ,,	,,	4000	1333	–	1333	,,
44.	श्रीमती प्रेमबाई नन्द लाल महाजन सुमेरगंजमण्डी	सिलाई मशीन	966	266	–	266	21-8-81
45.	प्रभू कजोड़, भील, मोरून्नाखुर्द	बैलजोड़ी	2200	1100	–	1100	31-8-81
46.	देवीलाल कजोड़ भील, ,,	,,	1900	950	–	950	,,
47.	अमरलाल रघुनाथ, बैरवा ,,	,,	2500	625	625	1250	,,
48.	किशना पीरू, बैरवा, पीपल्दाकलां	,,	2700	675	675	1350	,,
49.	ईश्वर रामचन्द्र, बैरवा, ,,	,,	3000	1000	500	1500	,,
50.	राधेश्याम प्रभूलाल, मीना, डडवानी	,,	3000	1500	–	1500	,,
51.	लटूर बिरधीलाल, मीना, ,,	भैंस	1300	650	–	650	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.	रामगोपाल माधोलाल,	,,	भैंस	1500		750	–		750		31-8-81
53.	बजरंगलाल भैरूलाल, बैरवा,	करजोदा	,,	1200		400	200		600		,,
54.	प्रभूलाल रामसुख, बैरवा.	अयानी	बैलजोड़ी	3600		1200	600		1800		,,
55.	नाथुलाल कालूलाल, बैरवा,	लुहावद	,,	2510		627	628		1255		,,
56.	मोहनलाल मथुरालाल बैरवा	,,	,,	2650		883	442		1325		,,
57.	धन्नालाल रंगलाल, कोली	,,	,,	1900		633	317		950		,,
58.	मुकुटबिहारी माधोलाल, खटीक	अयानी	,,	2500		833	417		1250		,,
59.	लट्टूरलाल प्रभूलाल, भोला	पीपल्दाकलां	,,	2500		625	625		1250		,,
60.	पांचूलाल कालू बैरवा	खेड़ली	,,	2300		766	384		1150		,,
61.	श्रीमती नानकीबाई गोविन्दलाल	सलावद, सुमेरगंजमण्डी	सिलाई मशीन	900		266	–		266		1-10-81
62.	बिहारीलाल रामचन्द्र बैरवा	जोगावरपुरा	बकरी	2500		833	417		1250		,,
63.	कन्हैयालाल मोहनलाल खटीक,	गेंता	भेड़	4250		1062	1063		2125		,,
64.	श्रीमती बसन्तीदेवी रामकिशन कोली,	गेंता	सिलाई मशीन	635		211	106		317		,,
65.	रामनारायण हीरालाल मीना,	इटावा	बैल	2000		1000	–		1000		,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.	श्रीमती रामनिवासी छीतरलाल, कोली इटावा		सिलाई	625	211		106		317		1-10-81
67.	श्रीकिशन भैरूलाल, कुम्हार, इटावा		कुम्हारी उद्योग	1000	333		333		333		,,
68.	भैरु कालू, कुम्हार, निमोला		बैल	2000	500		–		500		,,
69.	माधो कालू, बैरवा, ढीपरी		भैंस	2000	666		334		1000		24-10-81
70.	रामनिवास रामनारायण कीर निमोला		बकरी	2500	833		–		833		,,
71.	रामलाल माधोलाल, कोली, तलाब		मि.म.	600	200		100		300		,,
72.	घनश्याम किशनदास, बैरागी किशनपुरा		भैंस	2000	666		–		666		,,
73.	मंगला रामबक्श, माली, तलाब		,,	2000	666		–		666		,,
74.	किशनगोपाल कालू, परसवान, ढीपरी		बकरी	2750	916		–		916		,,
75.	रामगोपाल बिरधीलाल, हरिजन, पीपल्दा		बांस	1500	333		167		500		11-11-81
76.	बिरधीमल छीतरलाल, ,, ,,		,,	1500	333		167		500		,,
77.	रामकल्याण लक्खाराम, ,, ,,		,,	1500	333		167		500		,,
78	गोपीलाल माधोलाल, चौकीदार, पीपल्दा		लकडी	2000	350		–		350		,,
79	सूरजमल मांगीलाल, नायक गेंता		सा०म०	3000	900		450		1350		16.11.81
80	चिरंजीलाल लटूरलाल, खटीक इटावा		,,	3000	675		675		1350		,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	हरिओम जगन्नाथ,	वैश्य, सुगंजमण्डी	घडी मर.	2000	333		–		333		16-11-81
82	मथुरालाल गुलाब चन्द,	हरिजन, खातोली	बांसबैंत	1500	500		250		750		17.11.81
83.	मोहनलाल बजरंगलाल,	हरिजन खातोली	,,	1000	333		167		500		,,
84.	बदरीलाल मांगीलाल,	भोला ,,	चर्म कार्य	1000	333		167		500		,,
85.	कैलाश मांगीलाल,	खटीक ,,	ग्रा. भ्रणी	1000	333		167		500		,,
86.	रामनाथ बदरीलाल	,, ,,	,,	1000	333		167		500		,,
87.	भंवरलाल गोबरीलाल	,,	,,	1000	333		167		500		,,
88.	फूलचन्द मांगीलाल	,,	,,	1000	333		167		500		,,
89.	जगदीश प्रसाद चतरलाल	खाती	बैलगाडी	2000	500		–		500		9.12.81
90.	सीताराम कजोड	बैरवा मियान		3000	750		750		1500		,,.
91.	कल्याण धन्ना	बैरवा मियान		3000	750		750		1500		,,
92.	सून्या शंकरलाल,	गुजर, रामपुरिया	बैलगाडी	3000		1000		–	1000		9-12-81
93.	मुरली सरया,	कुम्हार, ठिकरया	,,	3000		750		–	750		,,
94.	रामस्वरुप धन्ना,	बैरवा ,,	,,	3000		1000		500	1500		,,
95.	गोपाल बाला	,, राजपरया	,,	3000		1000		500	1500		,
96.	बदरी ओंकार,	कुम्हार, ठीकरदा	,,	3000		750		–	750		,,

243

1	2	3	4	5	6	7	8
97.	मुकुटविहारी फूल्या, भील, बोदडाखुर्द	बैलगाड़ी	3000	1500	–	1500	9-12-81
98.	बजरंगा श्रीराम कुम्हार, ठीकरदा	,,	3000	750	–	750	,,
99.	रामरतन भूरा, बैरवा ,,	,,	3000	1000	500	1500	,,
100.	बाबूलाल लक्ष्मीनारायण, ग्रदर्स, ठीकरदा	,,	4000	1333	–	1300	,,
102.	चम्पाराम हरदेव, खटीक, ,,	,,	3000	750	750	1500	,,
103,	नागाराम बजरंगलाल, गुर्जर रामपुरिया	,,	3000	1000	–	1000	,,
104.	सोनिया हुसैन, फकीर ककरावदा	ऊटगांडी	4200	1050	–	1050	,,
105.	छीतरलाल मांगीलाल,फकीर, ,,	,,	4200	1400	–	1400	,,
106.	मथुरालाल कनीराम, कुम्हार, खातोली	गधे	2000	666	–	666	,,
107.	राधेश्याम जगन्नाथ मीना, ग्राडागेला	भैंस	2000	1000	–	1000	,,
108.	सुरजमल श्रीराम, बैरवा, क्वासपुर	,,	2000	666	334	1000	,,
109.	बदरीलाल मोतीलाल, मीना, ग्राडागेला	,,	4000	2000	–	2000	,,
110.	ग्रमरलाल धनीलाल, बैरवा, झोपडिवा	,,	4000	1333	667	2000	
111.	लक्मी धनीलाल, ,, ,,	,,	4000	1333	667	2000	,,
112.	बदरीलाल जगन्नाथ, नायक, तलाब	,,	4000	1333	667	2000	,,
113.	मन्शाराम रामस्वरुप, ग्रा० ढीपरी	,,	2000	666	–	666	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
114.	भैंयलाल विष्णा, बैरवा, बवासपुरा	भैंस	2000	666	334	1000	9-12-81
115.	रामदेवा लोंडक्या, ,, खेडली	,,	2000	666	334	1000	,,
116	धनपाल गंगाराम, बैरवा, झोपड़िया	,,	4000	1333	667	2000	,,
117.	माधोलाल कालूलाल, माली, खातोली	,,	4000	1000	–	1000	,,
118.	बंशीलाल छोटूलाल, बैरवा, झोपड़िया	,,	4000	1333	667	2000	,,
119.	बिशनलाल बन्नालाल, ,, ,,	,,	4000	13ε3	667	2000	,,
120.	केसरीलाल रामा, ,, ,,	,,	4000	1333	667	2000	,,
121.	प्रभू सुखदेव, बैरवा, छापोल	,,	4000	1333	667	2000	,,
122.	किश्ना धूल्या, बैरवा, किशनपुरा	,,	4000	1333	667	2000	,,
123.	राधेश्याम रामकल्याण, मगार, तलाव	,,	4000	1333	667	2000	,,
124.	सीताराम भवाना, बैरवा, ढीपरी	,,	2000	666	334	1000	,,
125.	सीताराम भवण, मीना, आडामेला	,,	4000	2000	–	2000	,,
126.	सीताराम चन्दा, बैरवा, खेडली	,,	2000	666	334	1000	,,
127.	गोरधन माधो, बैरवा, खेडली	,,	2000	666	334	1000	,,
128.	सीताराम नारायण ,, ,,	,,	2000	666	334	1000	,,
129.	कल्याण कुवरलाल ,, ,,	,,	2000	666	334	1000	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
130.	हिम्मतसिह भैरुसिह,राजपूत, ढीपरी	भैंस	2000	666	–	666	9-12-81
131.	रामनाथ नारायण, बैरवा, क्वासपुरा	,,	4000	1333	667	2000	,,
132.	गंगाराम सोरामा, दैरवा ,,	,,	2000	666	334	1000	,,
133.	जयसिह घूलसिह, राजपूत, आडागेला	,,	2000	666	–	666	,,
134.	छीतर चतरभुज, मीना, आडागेला	,,	2000	1000	–	1000	,,
135.	नारायण लोडक्या, बैरवा, क्वासपुरा	,,	2000	666	334	1000	,,
136.	रामकल्याण बजरंगलाल, नाग, तलाब	,,	4000	1333	–	1333	,,
137.	रामकिशन गोरूलाल, कुम्हार, तलाब	,,	4000	1333	–	1333	,,
138.	मोबरीलाल छीतर, नायक, ढीपरी	,,	4000	1333	667	2000	,,
139.	रामनाथ माधो, बैरवा, खेडली	,,	2000	666	334	1000	,,
140.	रामनारायण ग्यारसीराम, माली, निमोला	,,	2000	666	–	666	,,
141.	माधो छोटू, बैरवा, निमोला	,,	2000	666	334	1000	,,
142.	रामचन्द भैरूलाल, कोली, खातोली	,,	4000	1333	667	2000	,,
143.	फूलसिह रतनसिह, राजपूत, निमोला	पम्प	6000	1375	–	1375	,,
144.	घन्नालाल कंवरलाल, रेगर, ढीपरी	भैंस	2000	666	334	1000	,,
145.	रामकल्याण कालू, बैरवा, ढीपरी	,,	2000	666	334	1000	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
146.	गोपाल मांग्या, गूर्जर, बालपा	बकरी	2500	833	–	833	9-12-81
247.	मांगीलाल भवरया, मुस० ढीपरी	,,	2750	916	–	916	,,
148.	कुन्जबिहारी छीतरलाल, तेली, गोठराकला	,,	2750	916	–	916	,,
149.	गोडूलाल धन्नालाल, बेरवा, खातोली	पतलेदूने	2000	666	334	1000	,,
150.	विमलाबाई जगदीश, नाई सु. गंजमण्डी	सि० म०	520	172		172	23-12-81
151.	गरीबा गणपत, हरिजन, ,,	टोकरी	500	166	84	250	,,
152.	सुण्या मोती, हरिजन, ,,	,,	500	166	84	250	,,
153.	गोपीलाल सुक्खा, हरिजन, ,,	,,	500	166	84	250	,,
154.	चतरा लड्डू, गुर्जर, खातोली	बकरी	2750	917	–	917	22-12-81
155.	मोतीलाल श्रीराम गूर्जर खातोली	,,	2750	687	–	687	,,
156.	बृजमोहन श्रीराम ,, ,,	,,	2750	687	–	687	,,
157.	गोपाल रामचन्द, ,, ,,	,,	2750	687	–	687	,,
158.	मंगलाराम चतरा, कोली, मियाना	,,	2750	687	688	1375	,,
159.	मूला सुखा, कोली, गोठडाकला	,,	2750	687	688	1375	,,
160.	नाथू सुक्खा, कीर ,,	,,	2750	917	–	917	,,
161.	नाथू भैरू, कोली, ,,	,,	2750	687	688	1375	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
162.	पांचू भैंरू, कोली कोठडाकला	बकरी	2750	687	688	1375	22-11-81
163.	हुसैन मोहम्मद, मुस० मियाना	,,	2750	917	–	917	,,
164.	साबुद्दीन जुम्मा, ,, ,,	,,	2750	917	–	917	,,
165.	काना नारायण, कीर ,,	,,	2750	917	–	917	,,
166.	श्रोंकार नन्दा, बैरवा, डिकरदा	,,	2750	917	–	917	,,
167.	गोवरीलाल धासी, खटीक, पागली	,,	2750	987	688	1375	,,
168.	घन्ना गोपाल, कीर, दिलोद	,,	2750	917	–	917	,,
169.	छीतर श्रीराम, कोली, मियाना	,,	2750	917	–	917	,,
170.	भंवरलाल बजरंगलाल, कीर, मियाना	,,	2750	917	–	917	,,
171.	बदरीलाल रतनलाल, रावा. दिलोद	,,	2750	687	–	687	,,
172.	मथूरालाल नन्दा, बैरवा, गुहाडी	,,	2750	917	458	1375	,,
173.	बंशीलाल लोडक्या ,, ,,	,,	2750	917	458	1375	,,
174.	गफरशाह वजीरशाह, फकीर, मियाना	,,	2750	687	–	687	,,
175.	सियाराम नेनूराम, बैरवा, जोरावरपुर	,,	2750	917	458	1375	,,
176.	मांगीलाल धन्नालाल ,, सग्रामपुरा	,,	2750	917	458	1375	,,
177.	रामनिवास हरदेव, कीर, मियाना	,,	2750	917	–	917	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
178.	गोपीलाल नारायण, बैरवा, खातोली	बकरी	2750	917	–	917	22-11-81
179.	धन्ना माधो ,, खेडली	भैंस	5000	1666	834	2500	,,
180.	रामलाल कंवरलाल, बैरवा, शेरगंज	,,	5000	1666	834	2500	,,
181.	केदार छीत्या ,, ,,	,,	5000	1666	834	2500	,,
182.	हजारीलाल छीतरलाल ,, ,,	,,	5000	1666	834	2500	,,
183.	कल्याण नेनगा, बैरवा. छापोल	,,	4000	1333	667	2000	,,
184.	छोटूलाल गोपाल, मीना, शेरगंज	,,	4000	2000	–	2000	,,
185.	रामकल्याण मथुरालाल, धाकड़ शेरगंज	,,	4000	1000	–	1000	,,
186.	गंगाराम गोपाल, गुर्जर, बागरोद	,,	5000	1666	–	1666	,,
187.	मूलचन्द बजरंगलाल, धाकड, तालाब	,,	5000	1666	–	1666	,,
188.	प्रभूलाल गेन्दीलाल, माली, खातोली	,,	5000	1666	–	1666	,,
189.	प्रहलाद मोतीलाल, बैरागी खातोली	,,	5000	1666	–	1666	,,
190.	पुरूषोत्तम सीताराम ,, फेतहपुर	,,	5000	1666	–	1666	,,
191.	बद्रीलाल गेंदीलाल, माली, खातोली	,,	5000	1666	–	1666	,,
192.	रामनिवास नारायण, बैरवा छापोल	,,	5000	1666	834	2500	,,
193.	बाला रामनारायण, गुर्जर ,,	,,	5000	1666	–	1666	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
194.	प्रहलाद जग्गा, वैरवा छापोली	बकरी	5000	1666	–	1666	22-11-81
195.	बाबूलाल मथुरालाल, कीर, ढीपरी	,,	5000	1666	–	1666	,,
196.	किशनसिंह बिहारीसिंह, राजपूत खेडली	,,	5000	1666	–	1666	,,
197.	गोकुल मांगीलाल, गुर्जर, तालाव	,,	5000	1666	–	1666	,,
198.	प्रभुलाल ओंकार, नाई, खातोली	,,	5000	1666	–	1666	,,
199,	कालू नारायण वैरवा निमोला	,,	5000	1666	834	2500	,,
200.	हजारी माधो बैरवा निमोला	,,	5000	1250	1250	2500	,,
201.	कन्हैयालाल श्रीरामू बैरवा निमोला	,,	5000	1666	834	2500	,,
202.	बाबूलाल कालू हरिजन निमोला	,,	5000	1666	834	2500	,,
203.	रामदयाल कालू हरिजन	,,	5000	1666	834	2500	,,
204.	देवीलाल गरीवा हरिजन	,,	5000	1666	834	2500	,,
205	कल्याण श्रीराम वैरवा निमोला	,,	5000	1666	834	2500	,,
206	किशन भूरा वैरवा निमोला	,,	5000	1666	834	2500	,,
207	मूलचन्द किशनलाल कोली गोटडा	,,	5000	1666	834	2500	,,
208.	रामकल्याण ग्यारसा, वैरवा दीलोद	,,	5000	1666	834	2500	,,
209.	रामनाथ केशरा, ,, ,,	,,	5000	1666	834	2500	,,

250

1	2	3	4	5	6	7	8
210.	रामनाथ गंगाराम, गुर्जर, बालूपा	बकरी	2000	666	–	666	22-11-81
211.	बदरीलाल गंगाराम, बैरवा, झोपडिया	,,	2000	666	334	1000	,,
212.	मंगला रामबक्स, माली, तलाब	,,	2000	666	–	666	,,
213.	सीताराम चन्दा, बैरवा, खेडली	,,	2500	833	417	1250	,,
214.	गोरधन माधो ,, ,,	,,	2500	833	417	1250	,,
215.	हिम्मतसिंह भैरोंसिंह, राजपूत, ढीपरी	,,	2000	666	–	666	,,
216.	जयसिंह माधोसिंह, राजपूत, आरागेला	,,	2000	666	–	666	,,
217,	सीताराम चतुरभूज, मीना ,,	,,	2000	1000	–	1000	,,
218.	रामनाथ माली, बैरवा, खेडली	,,	2500	833	417	1250	,,
219.	घनश्याम किशनलाल, बैरागी, किशनपुरा	,,	2000	666	–	666	,,
220.	मूलचन्द प्रभूनाथ, तेली, तलाब	,,	2000	666	–	666	,,
221.	ओमप्रकाश रामलक्ष्मण शर्मा, आडागेला	,,	2000	666	–	666	,,
222.	कानाजी ओंकार, गुसाई, छापाल	,,	2500	833	–	833	,,
223.	सुखदेव धन्ना, कीर, मियाना	बैलगाडी	1000	333	–	333	,,
224.	रामकुवार अमरलाल, मिया, लक्ष्मीपुर	नवकूप	6000	250	–	250	,,
225.	कल्याण मांगीलाल, मीना, बैलगांव	नवकूप	10000	1500	–	1500	26-12-81

1	2	3	4	5	6	7	8
226.	गंगाधर ढालू, मीना, चन्द्रगंज	नवकूप	5000	1250	–	1250	26-12-81
227.	छीतर भैरू, बैरवा, मोतीनगर	"	5700	800	800	1600	"
228.	कजोड किशन, बैरवा, महापुर	"	8000	875	875	1750	"
229.	गौतमराम केशवराम, गूजर, बाबई	कूपगहरा	3500	417	–	417	"
230.	ताराचन्द पन्ना, बैरवा, सुन्दरनगर	नवकूप	5700	800	800	1600	"
231.	भंवरलाल रामकुमार, बैरवा, रामपुरया	"	10000	775	775	1550	"
232.	राजाराम रामकुमार. बैरवा, वैलगवज	"	9000	1500	–	1500	"
233.	सजना गंगाराम, मीना बैलगंज	"	8000	1750	–	1750	"
234.	दयाचन्द धन्ना, रेगर, शेरगज	"	5000	1041	209	1250	"
235.	गोपीनाथ रंगानाथ, नाथ, गैलाशपरा	"	5000	833	–	833	"
236.	नेनगा गंगाराम, बैरवा, बाबई	"	4500	188	187	375	"
237.	कल्याण भूरा, मीना, जयनिवास	"	8000	1750	–	1750	"
238.	हरजी भागीरथ, रेबारी, मोहनपुरा	"	10000	750	–	750	"
239.	सूरजमल रामचन्द्र, मीना, बोहरियागांव	"	10000	1500	–	1500	"
240.	किशनलाल जैसी, मीणा, चन्द्रगंज	"	10000	1500	–	1500	"
241.	केशर चन्दा, नाथ, महापुरा	कूपगहरा	12500	313	–	313	"

1	2	3	4	5		6	7	8
242.	मोड़ू हरचन्दा, मीना,	हरदेवगंज	नवकूप	1000	1650	–	1650	26-12-81
243.	गोपीलाल नेनगा, मीना	रामपुरिया	,,	10000	1500	–	1500	,,
244.	प्रहलाद कंवरलाल, बैरवा,	हिम्मतपुरा	,,	6000	1375	375	1750	,,
245.	किशनगोपाल भवाना, तेली.	सुमरेगंजमण्डी	कूपगहरा	4000	250	–	250	,,
246.	गोकुल सीताराम, रेवारी,	लालपुरा	नवकूप	6000	875	–	875	,,
247.	प्रभू गोपाल, बैरवा,	मोहनपुरा	,,	3000	500	250	750	,,
248.	ग्यारसा माधो, चमार,	बालापुरा	,,	5000	833	417	1250	,,
249.	धनपाल हरदयाल, माली,	छत्रपुरा	,,	5000	125	–	125	,,
250.	गुलाब शंकर रेवारी,	जयनगर	कूपगहरा	6000	125	–	125	,,
251.	नारायण रामदेव रेबारी,	शोदानपुरा	,,	4400	200	200	400	,,
252.	छुट्टन पीरखां, मुस.	बाबई	नवकूप	7000	750	–	750	,,
253.	गजानन्द प्रभु, मीना,	टोकसपुरा	कूपगहरा	5000	250	–	250	,,
254.	गेंदीलाल देवीराम. बैरवा,	बाबई	,,	3000	500	250	750	,,
255.	रामनारायण चन्द्रा, कुमरावत,	बाबई	,,	2600	217	–	217	,,
256.	छीतर रोडू, बैरवा,	सुन्दरनगर	,,	5000	625	625	1250	,,
257.	मांगी लाल हरदेव, बैरवा,	गुडा	,,	6000	125	125	250	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
258.	रामवदोली रामलाल, तेली, इटावा	सि.म.	495	165	–	165	26-12-81
259.	जगन्नाथ धन्नीलाल, गूजर, कड़ीला	पम्प	5750	1833	–	1833	"
260.	श्रीमती कृष्णबाई बजरंगलाल, बैरवा	सि.म.	635	211	106	317	"
	इटावा						"
261.	मथुरालाल हीरालाल, कलाल, इटावा	ट्यूबवैल	10000	2000	–	2000	"
262.	भैरूलाल मोतीलाल, खाती, लुहावद	बकरी	2000	500	–	500	"
263.	जुगलकिशोर रामगोपाल, शर्मा,	पान की	1000	333	–	333	1–1–82
	सुमेरगंजमंडी	दुकान					"
264.	श्रीमती शान्ती रामसिंह राजपूत,	ठेला	700	233	–	233	"
	सुमेरगंजमंडी						"
265.	दूर्गालाल छोटूलाल, पासवान सुमेरगंजमंडी	"	700	233	–	233	"
266.	सूरजसिंह माधोसिंह " "	"	700	233	–	233	"
267.	सांवला जयकिशन, बैरवा, हिम्मतपुर	कूपगहरा	2800	933	467	1400	4–1–82
268.	हजारी रामनाथ, माली, मोहनपुरा	"	5000	750	–	750	"
269.	भूरा रामा, बैरवा, हिम्मतपुरा	नवकूप	7000	1500	1500	3000	"
270.	लोडक्या कालू, बैरवा, हिम्मतपुरा	"	5000	1666	834	2500	"

1	2	3	4	5	6	7	8
271.	धूलीबाई प्रह्लाद, मीना, चन्द्रगंज	कूपगहरा	6000	1500	–	1500	4-1-82
272.	हनुमान रामनिवास, मीना, बेलीगंज	नवकूप	8000	3000	–	3000	,,
273.	रामनारायण अमरा, बैरवा, रामपुरया	,,	10000	1500	1500	3000	,,
274.	बाबूखां अमरलाल, मुस., हरिपुरा	,,	10000	1500	–	1500	,,
275.	कल्याण रामनाथ, मीना, सुमेरगजमण्डी	कूपगहरा	5000	1500	–	1500	,,
276.	लक्ष्मण रामगोपाल, रेबारी, लालपुरा	नवकूप	10000	1500	–	1500	,,
277.	कन्हैयालाल परमसुख, ब्रा. सुमेरगंजमंडी	,,	5500	1375	–	1375	,,
278.	शोराम मूलचन्द, मीना ,,	,,	10000	3000	–	3000	,,
279.	कन्यालाल मेवा, मीना, चन्द्रगंज	,,	10000	3000	–	3000	,,
280.	गंगाराम श्रीराम मीना बेलीगंज	,,	10000	3000	–	3000	,,
281.	छीतर छोटू बैरवा पापड़ा	,,	4000	750	750	1500	,,
282.	गोपी कालू बैरवा श्ययोदानपुरा	कूपगहरा	7500	750	750	1500	,,
283.	रामफूल मोरिपाल मीना टोकसपुरा	नवकूप	5700	2850	–	2850	,,
284.	मूलचन्द जोधादास सरभंगी हरदेवगंज	,,	10000	1500	1500	3000	,,
285.	पांचू नारायण बैरवा सुमेरगंजमडी	कूपगहरा	5000	750	750	1500	,,
286.	हजारी मोटू गूजर जयनिवास	,,	6000	750	750	750	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
287.	लटूर धन्ना गूजर सुमेरगंजमण्डी	नवकूप	8000	1500	–	1500	4-1-82
288.	रामचन्द्र निहाला कोली मोहनपुरा	नलकूप	3600	900	900	1800	,,
289.	बाबूलाल राजमल महाजन बलवन	,,	12000	1500	–	1500	,,
290.	बिरधा दूल्ला, मीना, केमल्या	,,	10000	3000	–	3000	,,
291.	कल्याण किशना बैरवा गुडडा	कूपगहरा	4000	1000	500	1500	,,
292.	जगन्नाथ ओंकार कुमार केमल्या	,,	2500	625	–	625	,,
293.	नाथू गंगाधर माली, मोहनपुरा	पक्का धोरा	6000	425	–	425	,,
294.	रामकिशन कवंरलाल, खटीक बाबई	कूपगहरा	5000	750	750	1500	,,
295.	छीतर चतरा, तेली महापुरा	,,	6000	750	–	750	,,
296.	गोपी रामा बैरवा आजादनगर	,,	2500	833	417	1250	,,
297.	सूरजमल भूरा मीना चन्द्रगंज	नवकूप	2700	1350	–	1350	,,
298.	रामप्रसाद गोपाल, बैरवा रामनगर	,,	10000	1500	1500	3000	,,
299.	गंगालाल फन्ता मीना केमल्या	,,	8400	3000	–	3000	,,
300.	धल्या गंगाराम मीना बोरया	कूपगहरा	4500	2250	–	2250	,,
301.	कजोडमल नन्दलाल माली छत्रपुरा	पक्का धोरा	6500	425	–	425	,,
302.	गोपाल शोनारायण मीना रमजपुरा	कूपगहरा	2500	1250	–	1250	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
303.	रामकिशन भूरा मीना बाबई	कूप मर.	5000	1500	–	1500	4-1-82
304.	श्रीमती सोसरबाई सीताराम रावल गुडडा	नवकूप	3000	750	–	750	,,
305.	लड्डू गंगाधर मीना जयनिवास	,,	10000	3000	–	3000	,,
306.	रामनिवास भूरा बैरवा सुन्दरनगर	,,	2500	625	625	1250	,,
307.	रामनारायण हरनाथ माली अंधोरा	तारों की बाड	2500	625	–	625	,,
308.	नेनू शंकर बैरवा बाबई	नवकूप	2500	833	417	1250	,,
309.	शंकरलाल धन्ना माली मोहनपुरा	कूपगहरा	7000	1500	–	1500	,,
310.	नन्दपाल गोपाल मीना वेलीगंज	नवकूप	3000	1500	–	1000	,,
311.	गोपी कालूलाल बैरवा रमजानपुरा	,,	8000	1500	1500	3000	,,
312.	मोतीलाल नारायण माली मोहनपुरा	पक्का धोरा	6000	425	–	425	,,
313.	बदरी शंकर नाई बावई	नवकूप	7000	1500	–	1500	,,
314.	बजरंगा भूरा कुमार नयागांव	कूपगहरा	2500	625	–	625	,,
315.	रामविलास जगन्नाथ कुमावत शोदानपुरा	नवकूप	7000	1500	1500	3000	,,
316.	बैवा बालु, बैरना, पापडा	नवकूप	8000	1500	–	1500	,,
317.	राननारायण अर्जुन, मीना, जयनिवास	,,	10000	3000	–	3000	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
318.	रामदेव पन्ना, रेगर, बाबई	नवकूप	5000	1666	834	2500	4-1-82
319.	गोपाल हरबक्स, बैरवा, कवरपुर	,,	5000	1666	834	2500	,,
320.	रामदेव बाला, कुम्मार, बाबई	,,	10000	1500	–	1500	,,
321.	रामरतन राकमकरण, नाथ, केमल्या	,,	10000	1500	–	1500	,,
322.	केसरा शोराम, मीना, बाबई	,,	5700	2850	–	2850	,,
323.	केसरानाथ ओंकारनाथ, पापडा	कूपगहरा	2500	625	–	625	,,
324.	रामनारायण हरपाल, नाथ, पापडा	कू. नि.	2500	625	–	625	,,
325.	बजरंगलाल कंवरलाल, मीना, केशवपुरा	नवकूप	6300	3000	–	3000	,,
326.	दामोदर गोपीलाल, ब्रा. टोकसपुरा	,,	7000	2000	–	2000	,,
327.	असरफबाई छोटूलाल, खाती, सुमेर गजमंडी	सि. म.	520	173	–	173	17.1.82
328.	गोबरीलाल ओंकार, धाकड़, तालाब	भैंस	4000	1333	–	1333	,,
329.	राधेश्याम रामचन्द्र, तेली, ,,	,,	4000	1633	817	2450	25.1.82
330.	धूलीलाल कंवरलाल, बैरवा, सियान	ऊंटगाडी	5000	1633	817	2450	,,
331.	बाबूलाल केदारलाल, धोबी, टकरावदा	,,	5000	1225	1225	2450	,,

1	2	3	5	5	6	7	8
332.	गेंदीलाल घासीलाल, बैरवा, कुंजपुर	ऊंट गाड़ी	5000	1633	875	1750	25-1-82
333.	पन्नालाल धन्सालाल, बैरवा ठीकरदा	बैलगाडी	3500	875	875	1750	,,
334.	मांग्या भोला, बैरवा, ठीकरदा	,,	3200	800	800	1600	,,
335.	सभूसिंह ओंकारसिंह, राजपुत, खातोली	तांगा घोडा	2500	625	–	625	,,
336.	बिरजीबाई नेनगा, बैरवा, इटावा	सि. म.	635	211	106	317	,,
337.	फूलबाई माधोलाल ,, ,,	,,	635	211	106	317	,,
338.	रामचन्द्र छीतरलाल, धोबी ,,	धोबी कार्य	1500	500	250	750	,,
339.	मल्लू माधो, हरिजन, राजोंया	पिग यूनिट	600	200	100	300	,,
340.	रामकुमार बजरंगलाल, गूर्जर रामपुरिया	ऊंटगाडी	4300	1433	–	1433	,,
341.	निर्मला कपूरचन्द जैन, खातोली	सि. म.	500	166	–	166	,,
342.	रामबिलास रतनलाल, मीना, ढीपरी	भैंस	2000	1000	–	1000	,,
343.	ओमप्रकाश बदरीनारायण, ब्रा. झाडागेला	,,	2000	666	–	666	,,

259

1	2	3	4	5	6	7	8
344.	केसरा श्रीराम कुमार, ठोकरदा	भैंस	4000	1000	–	1000	27.1.82
345.	चौथमल किशना, बैरवा, ढीपरी	बकरी	2750	687	688	1375	,,
346.	गोबरीलाल कंवरलाल, गूर्जर, टकरावदा	ऊंटगाडी	4600	1150	–	1150	,,
347.	लडडू रामचन्द, गुर्जर, गोठडा	,,	4600	1533	–	1533	,,
348.	कासूम खां अल्लाबक्स, मुस. खातोली	भैंस	4000	1333	–	1333	,,
349.	मांगीलाल छीतरलाल, कीर ,,	,,	4000	1333	–	1333	,,
350.	शंकरलाल भैरूंलाल, बैरवा, कवासपुरा	,,	2000	666	334	1000	,,
351.	शोजी चन्द्रा, बैरवा, ढीपरी	,,	2000	666	334	1000	,,
352.	हंसराज रामचन्द्र, मीना, किशनबास	कसीदा मशीन	3000	625	–	625	12.2.82
353.	पांचू चन्द्रा, माली, डडवाडा	कूपगहरा	5500	750	–	750	,,
354.	तेजा धासी, कोली, इटावा	नवकूप	6000	1500	1500	3000	,,
355.	भंवरलाल घूलीलाल, माली,पीपल्दाखुर्द	,,	2500	833	–	833	,,
356.	अ. शकूर सिकन्दरखां, मुस. खातोली	,,	7500	1500	–	1500	,,
357.	चतुरभुज कंवरलाल, कुम्भार, गेंता	,,	10000	1500	–	1500	,,
358.	मांगीलाल चतरा. बैरवा, छावदा	,,	2500	833	417	1250	,,
359.	रामशंकर रामलाल, ब्रा. ढीपरी	,,	3000	750	–	750	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
360.	भैरी बेवा काना, चमार, इटावा	नवकूप	12000	1500	1500	3000	12-2-82
361.	प्रहलाद रामनिवास, काछी, खेडलाबोरदा	,,	2500	625	–	625	,,
362.	गनपतलाल किशोरीलाल, ब्रा. मियाना	कूपगहरा	2500	625	–	625	,,
463.	सीताराम गोरधन, माली, पीपल्दाखुर्द	नवकूप	4000	1333	–	1333	,,
364.	मदनलाल धन्नालाल, महाजन, इटावा	कूपगहरा	6900	1500	–	1500	,,
365.	अहमदखां मांगीलाल मस. आयाना	नवकूप	4900	1225	–	1225	,,
366.	राधेश्याम गोपाल बारेठ मियाना	,,	6000	1500	–	1500	,,
367.	चतरा मन्ना कीर ढीपरी	,,	11500	1500	–	1500	,,
368.	पाना श्रीलाल कुम्मार डडवाडा	ट्यूबवेल	10000	1500	1500	3000	,,
369.	मन्नालाल गोपीलाल बैरवा चांणदा जागीर	नवकूप	7000	1500	1500	3000	,,
							,,
370.	सीताराम भंवरलाल बैरवा पीपल्दाकला	,,	5000	1250	1250	2500	,,
371.	मांगीलाल गुडकीलाल बैरवा खेडला-पीपल्दा	,,	6600	1500	1500	3000	,,
372.	रधुनाथ गोपीनाथ बैरवा इटावा	,,	5000	1250	1250	2500	,,
373.	इब्राहीम बशीर मुस. इटावा	दुकान	1500	333	–	333	17.2.82
374.	अब्दुलसत्तार मुलेमान मुस. इटावा	,,	1500	250	–	250	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
375.	रामप्रताप टिपूलाल हरिजन पीपल्दा	बांस की टोकरी	1500	333	167	500	18 2-82 „
376·	श्रीमति छोटीबाई बाबूलाल मुस. इटावा	दुकान	1500	333	–	333	20.2.82 „
377.	धन्नालाल भैरूलाल पटवा इटावा	„	1500	333	–	333	„
378.	बजरंगलाल चन्दालाल मीना लुहावद	डीजलपम्प सेट	6400	2750	–	2750	„ „
379.	चन्दालाल पन्नालाल माली इटावा	दुकान	1000	333	–	333	„

अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) कोटा

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 259 की सूची

परिशिष्ट क

दिनांक	दी गई चीनी की मात्रा
31-12-80	150 किलो (फ्री सेल)
17-1-81	120 किलो (लेवी)
26-1 81	120 किलो (फ्री सेल)
2-4-81	120 किलो (लेवी)
2-4-81	120 किलो (लेवी)
30-4-81	120 किलो (लेवी)
25-5-81	120 किलो (लेवी)
10-6-81	120 किलो (लेवी)
10-6-81	120 किलो (लेवी)
5-9-81	120 किलो (लेवी)
14-10-81	120 किलो (लेवी)
6-11-81	120 किलो (लेवी)

परिशिष्ट – "ख"

केस संख्या एफ 18 अभियोग/82

जांच प्रतिवेदन

दिनांक 29-1-82 को खाद्य मंत्री महोदय के कक्ष में श्रीमान् जिला रसद अधिकारी महोदय जयपुर के द्वारा दिये गये आदेशानुसार मैंने मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय के राशन कार्ड पर दुकान नम्बर 305 मैसर्स लाभचन्द जैन द्वारा दी गई चीनी की अधूरी जांच पूरी की। पूर्ण जांच का विवरण निम्न प्रकार है :—

1– दिनांक 9-6-81 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि फर्जी यूनिट खतम करने हेतु कार्यवाही की जावे व हर दुकान से कम से कम 100 यूनिट कम किये जावें। उक्त निर्णय के अनुसार जारी किये गये क्षेत्रीय कार्यालय के आदेश की फोटो प्रति संलग्न है। इसी निर्णय की पालना स्वरूप कार्यवाही के समय अधिकृत राशन की दुकान नं, 304 व 305 के यूनिट रजिस्टर की जांच के समय यह तथ्य सामने आया की मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय का एक कार्ड नं. 168734 दुकान नं. 304 पर 300 यूनिट का व दूसरा कार्ड नं. 169533 दुकान नं. 305 पर तीन सौ यूनिट का बना हुआ है। मैंने इस मामले की क्षेत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक, श्री छगन लाल खींची के साथ दिनांक 22-6-81 को जांच की। सर्वप्रथम हम मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय गये व वहां के इन्चार्ज डा. डी. सी. सतीजा से मिले। उन्होंने बताया कि दुकान नं. 304 पर बना कार्ड नं. 168734 पहले ही वे दुकान से रद्द करवा चुके हैं। हमने फर्द मौका बनाया व उस पर मैंने श्री खींची डा. डी. सी. सतीजा व सीताराम ने हस्ताक्षर किये। वहां का रिकार्ड लेकर पर्चा रसीद भी बनाई। उसके बाद दुकान नं 304 पर जाकर फर्द मौका बनाया। उस पर श्री खींची व श्री गोपाललाल ने हस्ताक्षर किये। उसके बाद इसी दिन दिनांक 22-6-81 को ही दुकान नं. 305 पर गये व फर्द जांच बनाई व बिक्री रजिस्ट्रों से यह सूचना ली कि मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय की कब कब चीनी दी गई। बिक्री रजिस्ट्रों के मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय को कब कब चीनी दी गई। बिक्री रजिस्ट्रों के मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय को की गई इन्द्राज पर मैंने व श्री खींची ने हरस्ताक्षर किये। इस पर मैंने श्री लाभचन्द के हस्ताक्षर भी करवाये गये।

(264)

2. उसके बाद दिनांक 26-6-81 को श्री खींची के साथ दुकान नं. 305 पर गया व 10-6-81 को मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय में चीनी किसने प्राप्त की की जानकारी प्राप्त कर फर्द मोका बनाया इस पर मैंने श्री खींची व श्री लाभचन्द ने हस्ताक्षर किये ।

3. जांच में यह तथ्य पाय जाने पर कि दुकान नं. 304 का 300 यूनिट का कार्ड वैध नहीं है मैंने उसे यूनिट रजिस्टर में रद्द कर दिया । उसके बाद दिनांक 16-7-81 को मैं व श्री छगन लाल खींची पुन: मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय गये व दुकान नं. 305 के बिक्री रजिस्टरों से ली गई सूचना के आधार पर वहां के स्टाक रजिस्टर से मिलान किया व फर्द जांच बनाई। मैंने स्टाक रजिस्टर के संबंधित इन्द्राज पर अपने हस्ताक्षर किये । इस जांच में यह तथ्य सामने आये कि दिनांक 26-1-81 को दुकानदार द्वारा की गई बिक्री की चीनी इस मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय में नहीं आई। ये इन्द्राज राशनकार्ड में भी नहीं था। जांच के चीनी प्राप्ति व स्टाक रजिस्टर के इन्द्राज में तारीखों में भी फर्क सामने आया एवं यह भी पता चला कि दुकानदार बिना राशनकार्ड के भी चीनी बिक्री रजिस्टर में अंकित कर देता था।

दिनांक 26-1-81 को चीनी लेना श्री सीताराम द्वारा दुकानदार ने बताया था लेकिन सीताराम उपस्थित नहीं था। इसके बाद जयपुर में बाढ़ आ जाने व राहत कार्यों में व्यस्त हो जाने व बाढ़ में मेरी ड्यूटी विधान सभा सत्र में लग जाने से मैंने इस जांच के सारे कागजात क्षेत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक श्री छगन लाल खींची को दिनांक 3-9-81 को पूर्ण जांच करने हेतु दे दिये। इन कागजात के साथ एक नोटशीट भी जिसकी प्रति (कार्बन कापी) संलग्न प्रस्तुत है।

मैंने श्री खींची को बार बार रिपोर्ट पूरी कर देने हेतु कहा लेकिन उनके द्वारा रिपोर्ट नहीं देने पर मैंने इसकी सूचना दिनांक 5-1-82 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी महोदय को दे दी। उसके बाद दिनांक 29-1-82 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी महोदय के आदेशानुसार मैंने दिनांक 29-1-82 व 30-1-82 को उक्त जांच को मेरे पास सुरक्षित दूसरी प्रतियों (कार्बन कापीज) के आधार पर पूरी किया। पुराने फर्द जांच पर संबंधित व्यक्तियों के दिनांक 29-1-82 व 30-1-82 में पुन: उन्हीं कागजात पर हस्ताक्षर करवाये गये । जांच में निम्न तथ्य पाये गये :—

दुकान नं. 305 के बिक्री रजिस्टरों एवं मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय के स्टाक रजिस्टर में चीनी प्राप्ति निम्न प्रकार है :—

क्र०सं०	किस माह की चीनी	फ्री सैल या लेवी चीनी	दुकान के बिक्री रजिस्टर में बिक्री दिनांक	चीनी तादाद किलो में		मनो०चि० के रजिस्टर प्राप्त में इन्द्राजकर्ता का दिनांक	आमद चीनी तादाद
1,	दिसम्बर, 80	फ्री सैल	31–12–80	150	सीताराम	31–12–80	150
2,	,,	लेवी	17–1–81	120	,,	17–1–81	120
3,	जनवरी, 81	फ्री सैल	26–1–81	120	,,	–	–
4,	,,	लेवी	2–4–81	120	,,	1–4–81	120
5,	फरवरी, 81	,,	2–4–81	120	,,	1–4–81	120
6,	मार्च, 81	,,	30–4–81	120	शिवलाल	1–5–81	120
7,	अप्रेल, 81	,,	25–5–81	120	सीताराम	30–5–81	120
					शिवलाल	10–6–81	
8,	मई, 81	,,	10–6–81	120	,,	3–7–81	120

उपरोक्तानुसार दुकान नं. 305 के दुकानदार ने मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय के कार्ड नं. 169533 जो 300 यूनिट का है, पर दिनांक 26-1-81 को 120 किलो चीनी की बिक्री देना बताया है एवं जांच में यह बताया है कि ये चीनी श्री सीताराम ले गया है, परन्तु मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय के स्टाक रजिस्टरों में इस चीनी का कहीं भी इन्द्राज नहीं है। वहां के स्टोर से सम्बन्धित कर्मचारी श्री शिवलाल शर्मा व पीरुमल व सीताराम ने भी यह बताया है कि वे इस चीनी को नहीं लाये हैं व अन्य कोई कर्मचारी भी चीनी नहीं लाया। इस प्रकार दुकानदार ने मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय के कार्ड पर बिक्री अपने बिक्री रजिस्टर में अंकित कर उस चीनी का दुरुपयोग किया है व यह इन्द्राज गलत दर्ज किया है।

2. श्री शिवलाल द्वारा जानकारी पर यह तथ्य भी सामने आया कि माह अप्रेल की चीनी प्राप्ति पर उन्होंने हस्ताक्षर दिनांक 25-5-81 को किये एवं राशन कार्ड पर उन्होंने 30-5-81 को इन्द्राज करवाया। लेकिन पेशगी बिल पास होकर आने पर वे चीनी दिनांक 10-6-81 को लेकर आये एवं स्टाक रजिस्टर में भी चीनी 10-6-81 को

266

ही चढ़ाई गई । दिनांक 30-1-81 की जांच के अनुसार मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय के स्टाक रजिस्टर में स्टाक के इन्द्राज में 10-6-81 के आगे लाइन खींचकर 30-5-81 भी लिखा गया है जो पहले नहीं था। इससे प्रतीत होता है कि ये चीनी तो वास्तव में लाये 10-6-81 को ही क्योंकि बिल पास होकर ही 10-6-81 को आया था लेकिन चीनी बिक्री की मियाद 30-5-81 थी अतः इस मियाद में रहने के लिये स्टाक रजिस्टर में दिनांक 30-5-81 भी अंकित कर दी।

उपरोक्तानुसार दुकानदार ने चीनी बिक्री दिनांक 25-5-81 को अंकित की है लेकिन वास्तव में उसे दिनांक 10-6-81 को बेचा है। इसी प्रकार 10-6-81 को अंकित है जबकि चिकित्सालय के स्टाक रजिस्टर में दिनांक 3-7-81 को अंकित है।

दुकानदार के बिक्री रजिस्टर में चीनी की बिक्री दिनांक 2-4-81 को व 2-4-81 को 120 व 120 किलो अंकित है लेकिन मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय के स्टाक रजिस्टर में दिनांक 1-4-81 को 240 किलो चीनी अंकित है, इस स्टोर इन्चार्ज ने उनकी स्वयं की गलती बताया है।

जांच के दौरान यह पता चला कि श्री खींची ने दिनांक 16-12-81 को उक्त मामले की दुकान नं. 305 पर जांच की। जाच के समय पूर्व जांच के असल कागजात उनके पास बताये गये।

जांच के दौरान दुकान नं. 305 के मालिक श्री लाभचन्द जैन से श्री केशव चन्द शर्मा द्वारा रिकार्ड जब्त की रसीद भी कब्जे में ली गई जिसमें दुकान नं. 305 की जांच का विवरण है लेकिन स्टाक रजिस्टर में दिनांक 28-12-81 को जांच करने वाले दो प्रवर्तन अधिकारियों श्री केशवचन्द शर्मा व श्री जे. पी. हिंगोनिया व प्रवर्तन निरीक्षक श्री छगन लाल खींची में से किसी के भी हस्ताक्षर नहीं हैं, जबकि नियमानुसार जांच के हस्ताक्षर होने चाहिये थे। श्री लाभचन्द जैन के बयान के अनुसार पूर्व जांच के कागजात इस समय श्री केशव चन्द शर्मा के हाथ में थे उस बाबत उन्होंने जांच की थी।

जांच के दौरान ही मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय के श्री सीताराम श्री एलबर्टपाल राय व श्री शिवलाल ने बताया कि दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में श्री खींची जांच करने मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय आये थे व पूरी जांच कर ले गये उनके पास पुरानी जांच के असल कागजात थे।

उपरोक्तानुसार दुकानदार ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त 17(ग) व 11 का उल्लघन किया है। अतः दुकानदार के प्रति उचित कार्यवाही हेतु निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत है।

ह०
(जे० पी० शर्मा)
प्रवर्तन अधिकारी।

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न 260 की सूची

क्रमांक	वर्ष	सीमेन्ट	लोहा	खाद्यान्न		कोयला	चीनी	केरोसिन तेल	डीजल
				गेहूं	चावल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1980-81	579600 मै. टन	26934 मै. टन	278000 मै. टन	138000 मै. टन	3238 वैगन प्रति माह	153317.9 मै. टन	160751 कि. ली.	621356 कि. ली.
2	1981-82	627800 मै. टन	27000 मै. टन	214000 मै. टन (फरवरी 82, तक)	58000 मै. टन (फरवरी 82, तक)	3238 वैगन प्रतिमाह	153467.2 मै.टन	181590 कि. ली.	673814 कि. ली.

वर्ष	कृत्रिम खाद			पैस्टीसाइड्स							
	नत्रजनीय	फास्फोरस	पौटास	बीएचसी	डीडीटी	मैलाथियन	मिथाइल पैराथियन	डाइमीथोएट	फैनीट्रो-थियान	कारबै-रिल	एण्डोसल्फान
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1980-81	134044 मै. टन	29754 मै. टन	6154 मै. टन	210 मै. टन	214 मै. टन	10 मै. टन	35 मै. टन	5 मै. टन	1 मै. टन	3.75 मै. टन	3.75 मै. टन
1981-82	162388 मै. टन	37780 मै. टक	8120 मै. टन	130 मै. टन	20 मै. टन	92 मै. टन	4 मै. टन	–	–	–	–

नोट :– इस्पात व टिनशीट राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त नहीं होती अतः उसकी सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 269 का विवरण

दिनांक 1-1-81 से 31-12-81 तक व्यय की सूचना

माह	पैट्रोल	जीप मरम्मत	यात्रा भत्ता
जनवरी, 81	611–50	–	470–95
फरवरी	875–30	–	315–40
मार्च	600–00	822–00	292–00
अप्रेल	561–00	–	448–10
मई	546–84	155–45	262–85
जून	1,762–00	366–00	368–50
जुलाई	94–00	2,906–27	434–95
अगस्त	567–10	–	393–20
सितम्बर	1,617–80	1,023–84	354–80
अक्टूबर	2,288–40	–	217–90
नवम्बर	650–60	904–23	129–40
दिसम्बर	1,390–00	2,205–65	–
	11,514–54	8,383–44	3,688–05

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 274 की सूची

क्र० सं०	नाम ग्राम	पूर्ण हुई डिग्गियों की संख्या	नाम ग्राम	निर्माणाधीन डिग्गियों की संख्या	नाम ग्राम जहां डिग्गियों की कमी है	नाम ग्राम जहां हरिजन बाहुल्य मोहल्लों में पक्की डिग्गी बनाई गई है
1	2	3	4	5	6	7
1.	6 एच.एच	1	4 एच.एच.	1	शिवपुर	ततारसर
2.	34 जी.जी.	1	पक्की	1	चुनावढ	खखा
3.	खखा	1	1 सी बड़ी	1	2 सी बड़ी	दुलारपुरकरी
4.	खाट	1	ग्रोड़की	1	3 सी बड़ी	13 एच
5.	सागरवाला	1	बखताना	1	रेणुका	1 बी
6.	मदेरा	1	7ई छोटी	1	1 एच बड़ा	फूसेवाला
7.	दुलारपुर केरी	1	5ई छोटी	1	5 एच बड़ा	2 डब्ल्यू
8.	7एच.एच	1	7एल एल	1	2 सी छोटी	
9.	2एल.एल.	1	8एल एल	1	11 एल एल	
10.	5सी. छोटी	1	9एल एल	1	22 जैड	
11.	ततारसर	1	6एफ बड़ा (कोनी)	1	2 सी छोटी	
12.	4सी छोटी	1	21 जी जी	1	15 जैड	
13.	18 जी. जी.	2	21 एच	1	कालिया	
14,	2 एफ	1	35 एफ	1	2 ई छोटी	
15,	10 जैड	1	24 एच	1	3 एम. एल.	
16,	17 जैड	1	21 एच	1	2 एम. एल.	
17,	18 जैड	1	8 बी	1	6 ए. सैकण्ड	
18,	4 जैड	1	मोहला	1	6 ए. छोटी	

1	2	3	4	5	6	7
19,	5 वाई	2	–	–	13 एफ बड़ा	
20,	6 जी फस्ट	1	–	–	2 वाई	
21,	26 एच	1	–	–	–	–
22,	5वी	1	–	–	–	–
23,	पुसेवाला	2	–	–	–	–
24,	5 डब्ल्यू	1	–	–	–	–
25,	4 डब्ल्यू	1	–	–	–	–
26,	मलकाना कलां	1	–	–	–	–
27,	13 एच	1	–	–	–	–
28,	मलकाना खुर्द	1	–	–	–	–
29,	10 डब्ल्यू	1	–	–	–	–
30,	25 एफ	1	–	–	–	–
31,	1 वी	1	–	–	–	–
	योग	34		18	20	7